वज्र-वक्ष, वज्रांग-भुज, निर्णय कुलिश कुठार;
भाग्य-विधाता-भगीरथ, रण-विजयी सरदार! —(स्व०) पारसनाथसिंह

राष्ट्रनिर्माता सरदार पटेल

लेखक

आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री

●

प्रकाशक

सोसाइटी फार पार्लेमेन्टरी स्टडीज़

१८ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद रोड

नई दिल्ली–१

६७ मरीन ड्राईव, बंबई–१

प्रकाशक
सोसाइटी फार पार्लमेन्टरी स्टडीज
१८ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद रोड
नई दिल्ली–१
६७ मरीन ड्राईव
फोर्ट बंबई–१

मूल्य
६ रुपये

नेशनल प्रिंटिंग वर्क्स,
१० दरियागंज,
दिल्ली

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१०	१८	दगे	देंगे	१०९	२७	गण्डों	गुण्डों
२०	१	अप्रल	अप्रैल	१२०	२	ाकिस्तान	पाकिस्तान
२०	११	मार्ग	मार्गो	१२२	१३	दंगों का	दंगों की
२५	१२	पदा	पैदा	१३५	१	चाहत	चाहते
३०	३२	ो	तो	१३९	१४	शिक्षिक	शिक्षित
३१	१७	हम	हमें	१४४	९	चुके थ,	चुके थे,
३२	२०	सम्‌ न्न	सम्पन्न	१४५	१२	अधिक अधिकार	कम अधिकार
४२	४	हितषी	हितैषी	१४७	२०	भी	ने भी
४३	१३	लड़ाई म	लड़ाई में	१५५	१	गय,	गये,
६३	१६	धम	धूम	१६३	२४	से श्री थी	से की थी,
७०	५	कन्द्रीय	केन्द्रीय	१६८	१५	टट पड़ो	टूट पड़ो
७१	२६	लाडस	लार्ड्‌स्‌	१७८	चित्र पृष्ठ	१९४७	१९४९
८२	४	आरभ	आरम्भ	१९७	१५	बनता का	जनता का
८९	१८	असंख्या	असंख्य	२००	६	मित्र थ	मित्र थे
९२	२०	सोते सोते समय में	सोते समय	२०७	१७	ज़वर	ज़ेवर
१०२	२२	बलबाया	बुलवाया	२२४	६	बापू न	बापू ने
१०२	३१	दूर करन	दूर करने				

प्राक्कथन

मैं सरदार वल्लभभाई पटेल को पहले से जानता था। जब वह भारतीय संविधान परिषद् के सदस्य थे तो मेरा उनसे अच्छा परिचय बढ़ गया। वहां दिये हुए उनके भाषणों का मुझे अच्छी तरह स्मरण है। वह कम बोलते थे, किन्तु जो कुछ भी वह बोलते थे वह दृढ़ तथा असंदिग्ध ढंग का होता था। उनकी वाणी राष्ट्र की आवाज होती थी, जिसके सम्बन्ध में न तो कोई अशुद्धि कर सकता था और न भ्रान्ति हो सकती थी। वह कम बोलते, किन्तु कार्य करने में दृढ़ थे। सरदार इस प्रकार के व्यक्ति थे।

जब वह बम्बई के बिड़ला भवन में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे तो मुझे स्मरण है कि मैं सोवियत संघ जाते समय उनसे बिदा लेने गया था। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि यह कार्य बड़े-बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों को असफलता दे चुका है, किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि "जहां अन्य व्यक्ति असफल हो चुके हैं, वहां आप सफल होंगे।" वास्तव में सरदार के उक्त शब्द मास्को में मेरे राजदूत काल भर मुझे स्मरण बने रहे। मैं आपको यह बतला रहा हूं कि वह किस प्रकार परिस्थिति के निर्णायक, भावी रूप के विधाता तथा सुदूर भविष्य को ठीक-ठीक देख लेने की क्षमता रखते थे। जब तक वर्तमान भारत जीवित है, उनका नाम वर्तमान भारत के ऐसे राष्ट्र निर्माता के रूप में सदा स्मरण किया जाता रहेगा, जिन्होंने सभी ६०० भारतीय देशी राज्यों का एक मात्र संघ बनाया। उनका यह कार्य हमारे देश के एकीकरण की दिशा में अत्यधिक स्थायी कार्य था। इस विषय में उनके कार्य को हम कभी नहीं भूल सकते। जैसा कि मैंने कहा है, जब तक भारत जीवित है, वर्तमान भारत के निर्माता के रूप में उनका नाम सदा स्मरण किया जाता रहेगा।

नेफा में भारतीय सेनाओं के पीछे हटने को दुःख, लज्जा तथा अपमान की बात समझना चाहिए। हमको अपने खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करना है। आज भारत की स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा सम्मान सभी खतरे में है। साहस, विनयानुशासन तथा संगठित दृढ़ निश्चय की—जिनको सरदार वल्लभभाई ने अपने जीवन में चरितार्थ किया—आज राष्ट्र को महती आवश्यकता है। इसी से उस लज्जा का प्रतिशोध लिया जा सकेगा।

डा० एस० राधाकृष्णन्
भारत के राष्ट्रपति

गुजरात-केशरी

बारदौली-वीर

सरदार पटेल के स्वागत में

स्वागत है ! प्रभुवर बार बार ।

ओ ! शांति सरलता के सुचित्र,
ओ ! पतित जनों के परम मित्र ।
ओ ! सेवा के सागर विशाल,
ओ ! भारत के लाडले लाल ।
आओ मन - मन्दिर में आओ,
हैं खुले पड़े सब हृदय-द्वार ॥ स्वागत०

अति आनंदित है आज अचल,*
लहरें लेता है मचल मचल ।
गुजरात - केशरी को विलोक,
हैं मिटते जाते सभी शोक ।
उर में भी आज उठ रहे हैं,
कैसे कैसे उत्तम विचार ॥ स्वागत०

था दुखी बारडोली महान,
सब पिसे जा रहे थे किसान ।
लख उन पर अत्याचार अतुल,
था बजा दिया संग्राम - बिगुल ।
वह कड़ा सत्य का किया युद्ध,
जिसमें विपक्ष की हुई हार ॥ स्वागत०

हैं दीन देश में कहां फूल,
हैं केवल काले कठिन शूल ।
है कालदेव का कर कराल,
कैसे गुंथ पाती फूल माल ।
यों अर्पित करता हूं प्रभुवर !
टूटा फूटा यह हृदय-हार ॥ स्वागत०

सेवक,
नवाबसिंह चौहान 'कंज'
जवां (अलीगढ़)

अलीगढ़, ४ नवम्बर १९३४

---

*—अचल नाम का अलीगढ़ शहर में एक तालाब (Tank) है ।

द्वितीय संस्करण की भूमिका

इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण प्रकाशित होने के लगभग सात वर्ष पश्चात् यह द्वितीय संस्करण पाठकों के हाथों में देते हुए हमको अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। प्रथम संस्करण के लिखने का संकल्प सन् १९४९ में किया गया था। किन्तु उसकी सामग्री जुटाने में लगभग सात वर्ष लगने पर भी वह संस्करण हमारे मन के अनुकूल न निकल सका। हमारे ग्रन्थ के चरित्रनायक के उन दिनों नई दिल्ली में रहने के कारण ग्रन्थ लिखने का संकल्प करते समय हमको उनके परिवार से सहायता मिलने की आशा थी। किन्तु कुमारी मणिबेन से हमको सहयोग मिलना तो दूर पूर्णतया निराश होना पड़ा। बाद में पता चला कि कुमारी मणिबेन के हमारे साथ असहयोग का कारण था उच्च राजनीतिक क्षेत्रों का यह निश्चय कि सरदार का जीवन चरित्र प्रकाशित करने का अधिकार अहमदाबाद के प्रमुख प्रकाशक नवजीवन ट्रस्ट को ही दिया जावे।

महात्मा गांधी की इच्छा थी कि सरदार के जीवन चरित्र विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे जाते। उन्होंने अंतिम बार जेल से आने पर कहा कि श्री एस० के० पाटिल तथा श्री के० एम० मुंशी जैसे व्यक्तियों को इस कार्य को करना चाहिये। महादेव भाई देसाई ने उनका जीवन चरित्र लिखने के लिये सामग्री एकत्रित भी की थी। किन्तु उनके स्वर्गवास के कारण यह कार्य उनके हाथों न हो सका।

नवजीवन ट्रस्ट ने सरदार के जीवन चरित्र को प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व लिया था। श्री डाह्या भाई तथा कुमारी मणिबेन ने उनको सरदार के व्यक्तिगत पत्र व्यवहार आदि के सभी कागज पत्र सरदार के स्वर्गवास के बाद दे दिये थे। उन्होंने सरदार पटेल की वह अमूल्य वस्तुएं—सोने तथा चांदी के अशोक स्तम्भ तथा सोने तथा चांदी की मंजूषाएँ आदि भी—जो कई लाख रुपये की सम्पत्ति थीं—नवजीवन ट्रस्ट को दे दी थीं। यद्यपि ट्रस्ट ने उन सब वस्तुओं को सम्भाल कर रखा हुआ है, किन्तु सरदार के जीवन चरित्र को प्रकाशित करने के सम्बन्ध में उनकी उदासीनता का अर्थ समझ में नहीं आता। आरम्भ में नवजीवन ट्रस्ट ने श्री नरहरि पारिख द्वारा लिखा हुआ १९४२ तक की घटनाओं का सरदार का जीवन चरित्र गुजराती में प्रकाशित किया। फिर उसने श्री एच० एम० पटेल आई०सी०एस० द्वारा किये हुए उसके इंगलिश अनुवाद को तथा बाद में उसके हिन्दी अनुवाद को भी प्रकाशित किया। श्री एच० एम० पटेल ने अपने कार्य के लिये न तो ट्रस्ट से कोई पारिश्रमिक मांगा

और न ट्रस्ट ने ही उनको कुछ दिया। इसके पश्चात् ट्रस्ट ने सरदार के जीवन चरित्र को प्रकाशित करने में एकदम उदासीनता अपना ली। वास्तव में नवजीवन ट्रस्ट की इस विषय में उदासीनता का कारण था उसके प्रबन्ध में श्री मुरार जी देसाई की मुख्यता। इसीलिये जिस किसी ने भी सरदार का जीवन चरित्र लिखने के लिये नवजीवन ट्रस्ट से उस सामग्री को देखने को मांगा उसे कभी भी कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसी से सरदार का एक सर्वांगपूर्ण जीवन चरित्र आज तक भी प्रकाशित नहीं किया जा सका। श्री एच० एम० पटेल—जो सरदार के जीवन काल में भारत सरकार के रक्षा सेक्रेटरी थे और बाद में मुख्य वित्त सचिव रहे—इसके एक अच्छे उदाहरण हैं। उन्होंने भारत सरकार की सेवा से अवकाश ग्रहण करते ही सरदार का जीवन चरित्र लिखने की इच्छा से नवजीवन ट्रस्ट से उस सामग्री को मांगते हुए इस बात का आश्वासन दिया कि वह अपने व्यय से आवश्यक सामग्री की फोटो प्रतिलिपि करा कर उस सामग्री को नवजीवन ट्रस्ट को वापिस कर देंगे। किन्तु ट्रस्ट ने उनकी बात को टाल दिया। इसी प्रकार अन्य कई व्यक्तियों के प्रयत्न भी निष्फल गए और इसी लिये सरदार का कोई सर्वांगपूर्ण जीवन चरित्र आज तक भी प्रकाशित नहीं किया जा सका। ट्रस्ट ने श्री पटेल को उनके अनुवाद कार्य की कृतज्ञता के बदले में भी उस मूल सामग्री को देखने तक की अनुमति नहीं दी। श्री डाह्याभाई पटेल ने तो बाद में उस सामग्री की नकल करने के लिये ट्रस्ट के पास दस सहस्र रुपये तक जमा करने का प्रस्ताव किया, किन्तु ट्रस्ट के कान पर इससे भी जूं न रेंगी।

यद्यपि इतनी अधिक बाधाएं मार्ग में आने पर भी हमने अपना संकल्प न बदला, किन्तु प्रथम संस्करण में हम सरदार के जीवन चरित्र की १९२८ के बाद की व्यक्तिगत घटनाओं को न दे सके। वास्तव में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में १९२८ के बाद की घटनाओं को सरदार पटेल के जीवन से पृथक् नहीं किया जा सकता। अतएव हमने इस काल के लिये उन घटनाओं को देकर ही अपने ग्रन्थ को पूर्ण किया।

इसका प्रथम संस्करण पाठकों को इतना अधिक पसंद आया कि उसकी सभी २२०० प्रतियां छपने के एक वर्ष के अन्दर अन्दर ही समाप्त हो गईं और हमको उसके दूसरे संस्करण की तैयारी करनी पड़ी। किन्तु उतनी ही सामग्री को दुबारा प्रकाशित करना हमको स्वीकार नहीं था।

सौभाग्यवश सरदार पटेल के सुपुत्र संसद-सदस्य श्री डाह्याभाई पटेल ने इस सम्बन्ध में हमारी कठिनाई सुनकर हमको पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस सम्बन्ध में उन्होंने न केवल अपनी व्यक्तिगत जानकारी का हमको पूर्ण लाभ दिया, वरन् सरदार के सम्बन्ध में अधिकारी व्यक्तियों

द्वारा लिखे हुए ग्रन्थ भी हमारे लिये सुलभ किये, जिसके लिये हम उनके आभारी हैं।

श्री डाह्याभाई पटेल ने हमारी भेंट भी सरदार के कई पुराने साथियों से कराई।

श्री डाह्याभाई पटेल ने इस ग्रन्थ की सामग्री के संकलन में हमको इतनी अधिक सहायता दी कि हमने उनसे प्रस्ताव किया कि वह इस ग्रन्थ के रचयिता के रूप में हमारे साथ अपना नाम भी दे दें। किन्तु उन्होंने हमारे इस निमन्त्रण को नम्रतापूर्वक अस्वीकार करते हुए निम्नलिखित उत्तर दिया।

'यह ग्रन्थ वास्तव में आपकी ही रचना है। भाषा तो पूर्णतया आपकी है। मेरा तो हिन्दी भाषा पर अधिकार भी नहीं है। मैंने जो कुछ सहायता आपको दी है, वह उस महान् व्यक्ति का पुत्र होने के नाते दी है, जिसकी स्मृति को स्थायी बनाने में आप योगदान कर रहे हैं।'

कुछ व्यक्तियों का कहना है कि सरदार के जीवन चरित्र के प्रकाशित करने का समय—उनका तेरह वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुकने पर भी—अभी नहीं आया है। किन्तु हमारी तुच्छ सम्मति में यह विचार इसलिये ठीक नहीं है कि इससे उनके सम्बन्ध में ऐसी भ्रान्तियां फैलाई जा रही हैं, जैसी मौलाना आजाद अथवा डा० हुमायूं कबीर के नाम से लिखे हुये इंगलिश ग्रन्थ 'इण्डिया विन्स फ्रीडम' द्वारा फैलाई गई हैं। अतएव उनके जीवन चरित्र को पाठकों के हाथ में देने में अब भी बहुत विलम्ब हो गया है।

सरदार १९४२ से लेकर १९४५ तक जेल में रहे। वह कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के साथ अहमदनगर किले में दो वर्ष तक रहे। यह दो वर्ष उन्होंने किस प्रकार व्यतीत किये इस सम्बन्ध में बहुत कम लिखा गया है। इस काल के उनके विचार, उनकी दिनचर्या तथा उनके हास्य विनोद का कुछ भी वर्णन मिल सकता तो वह बड़ा उपयोगी होता। उनके अहमदनगर किले के साथियों में से आचार्य कृपलानी, नेहरूजी तथा श्री हरेकृष्ण मेहताब के अतिरिक्त आज अधिकांश व्यक्ति गुजर चुके हैं। उन्होंने अपने वार्तालाप में इसका थोड़ा-सा उल्लेख करने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में कोई भी उल्लेखनीय रचना नहीं की है। यदि यह सामग्री मिल जाये तो वह साहित्य तथा इतिहास की अक्षय निधि हो सकती है। स्वर्गीय महादेव भाई देसाई ने जिस प्रकार महात्मा गांधी तथा सरदार पटेल की यरवडा जेल की घटनाओं की दैनिक डायरी लिखी है, उस प्रकार की रचना तो निश्चय से ऐतिहासिक महत्व प्राप्त कर लेगी। भारत सरकार के खाद्य सेक्रेटरी तथा एक सीनियर आई०सी०एस० आफिसर श्री के० एल० पंजाबी ने–जिन्होंने डा० राजेन्द्रप्रसाद की एक अच्छी जीवनी भी लिखी

है—सरदार के सम्बन्ध में १९६१ में एक ग्रन्थ लिखा था। उन्होंने अपने उस ग्रन्थ की प्रस्तावना में लिखा है :

"आधुनिक भारत के तटस्थ विचारक यह संदेह किये बिना नहीं रह सकते कि उनकी स्मृति को मिटाने के उद्देश्य से उनके सम्बन्ध में मौनावलम्बन का एक षड्यंत्र जैसा किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में उनको अवांछनीय व्यक्ति बतलाकर उनको प्रतिक्रियावादी तथा साम्प्रदायिक व्यक्ति तक के रूप में चित्रित किया गया है। भारतीय समस्याओं के सम्बन्ध में 'सरदार पटेल' नामक उनके व्याख्यानों का संग्रह ग्रन्थ—जिसे भारत सरकार ने प्रकाशित किया था—आज लगभग दस वर्ष से अप्राप्त है। फिर भी उसे दोबारा प्रकाशित करने का कोई यत्न नहीं किया गया।"

सरदार के जीवन काल में ही पंडित नेहरूजी के संबंध में उनके मतभेद की घटनाएं सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुकी थीं। हमने इस सम्बन्ध में अपनी ओर से कुछ भी न देकर अधिकारी व्यक्तियों की पुस्तकों के कुछ अवतरण दिये हैं। आशा है इससे पाठकों को उसके समझने में सहायता मिलेगी।

वास्तव में नेहरूजी की धर्म-तटस्थता अपना 'सेक्यूलर' शब्द की परिभाषा बड़ी विचित्र है। उनके लिये हिन्दुत्व विरोधी प्रत्येक बात 'सेक्युलर' तथा हिन्दुत्व की ओर रुझान वाली प्रत्येक बात साम्प्रदायिक है। जबकि सरदार का राजनैतिक दृष्टिकोण सदा ही वास्तविक रूप में 'सेक्युलर' रहा है।

फिर राजनीति में आदर्शवाद तब तक असफलता ही देता जाता है, जब तक उसके साथ उससे कम से कम दस गुनी व्यवहारिकता न हो। भारत की १९५४ की तिब्बत की हत्या करने की अनुमति देने वाली भारत-चीन सन्धि तथा काश्मीर प्रश्न को सफलता के निकट पहुंच कर भी संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपना तथा आज पूर्वी सीमांत पर जो कुछ हो रहा है वह नेहरूजी की भावुकता तथा आदर्शवाद के उदाहरण हैं।

नेहरूजी का हृदय अन्तर्राष्ट्रीयता में रंग कर इतना महान बन गया है कि वह मनुष्य जाति के काल्पनिक व्यापक लाभ के लिये भारत के राष्ट्रीय हितों के बलिदान को भारत का गौरव मानते हैं। इसलिये वह किसी एक राष्ट्र के प्रधान मन्त्री बनने की अपेक्षा उस समाजवादी विश्व सरकार के प्रधान मन्त्री बनने के अधिक योग्य हैं, जिसकी स्थापना के लिये विश्व के प्रत्येक भाग में प्रयत्न किया जा रहा है।

इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्रवाद अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग की बाधा है। राष्ट्रवाद का बलिदान किये बिना अन्तर्राष्ट्रीयता की स्थापना नहीं की जा

सकती। किन्तु जब तक संसार के सभी देश अपने-अपने राष्ट्रवाद का त्याग नहीं करते, किसी एक अथवा कुछ इने-गिने राष्ट्रों का अपने राष्ट्रवाद का त्याग कर अन्तर्राष्ट्रीयता के रंग में रंग जाना आत्मघात के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा।

अन्तर्राष्ट्रीयता साम्प्रदायिकता से भी अधिक राष्ट्रवाद की शत्रु है। सरदार का हृदय राष्ट्रीयता से इतना अधिक ओतप्रोत था कि उनको जिस किसी व्यक्ति की देशभक्ति में संदेह होता था वह उसका विश्वास नहीं करते थे। मुसलमानों की देशभक्ति तथा राष्ट्रीय मुसलमान शब्द दोनों में वह कोई संगति नहीं मानते थे। वाल्मीकि चौधरी ने अपने ग्रन्थ 'राष्ट्रपति भवन की डायरी' में सरदार पटेल के मुख से निकले हुए इन शब्दों का उल्लेख किया है 'भारत में केवल एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय मुसलमान है—जवाहरलाल नेहरू। शेष सब साम्प्रदायिक मुसलमान हैं।' इसी से कुछ बहकाए हुए मुसलमान उनके चिर शत्रु थे। उन्होंने उनको साम्प्रदायिक कह कर बदनाम करने का एक संगठित आन्दोलन किया हुआ था। इसी आन्दोलन के फलस्वरूप मौलाना अबुल कलाम आजाद का ग्रन्थ 'इंडिया विन्स फ्रीडम' निकला और इसी लिये चौधरी खलीक़ुज्ज़मा का ग्रन्थ 'पाथवे टु पाकिस्तान' लिखा गया। सम्भव है इस प्रकार के अन्य भी अनेक ग्रन्थ हों? नेहरूजी की उनके साथ सदा ही सहानुभूति रही। इसी से आरम्भ में महात्माजी पर भी उनका प्रभाव पड़ा। किन्तु बाद में महात्माजी के विचार बदल गए। महात्माजी की हत्या के पश्चात् उन्होंने सरदार पर दिल्ली के दंगों तथा महात्माजी की रक्षा करने में उपेक्षा का दोष लगाया, किन्तु जैसा कि इस ग्रन्थ में सिद्ध किया गया है, उनके यह दोनों आरोप भी मिथ्या थे। जैसा कि श्री ढेवर भाई की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के इन्दौर अधिवेशन की कार्यवाही से स्पष्ट है यह वर्ग सरदार का विरोध करने में अब भी सक्रिय है। इसी से नवजीवन ट्रस्ट ने सरदार के सर्वांगपूर्ण जीवन चरित्र के प्रकाशन के कार्य को हाथ में लेकर भी उससे हाथ खैंच लिया। इसी से सरदार पटेल की मूर्ति को विजय चौक में लगाने के निश्चय को बदला गया और इसी से सरदार पटेल मैमोरियल गुजराती स्कूल की आधार शिला के पत्थर को अपने मौलिक स्थान से हटा कर स्थानान्तरित किया गया।

किन्तु चांद पर फेंकी हुई धूल सदा ही अपने ऊपर आया करती है। इस प्रकार के विरोधी आन्दोलन के बीच भी सरदार के प्रति जनता की भावना में कोई त्रुटि नहीं आ सकी। जैसा कि सरदार पटेल के जन्म दिन के अवसर पर ३१ अक्तूबर १९६३ के स्थानीय हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" के निम्नलिखित मुख्य सम्पादकीय लेख से प्रकट है, जिसका शीर्षक है 'मृत्युञ्जयो सरदार पटेल।'

"आज सरदार पटेल का जन्म दिवस है—अविस्मरणीय राष्ट्र-निर्माता का

प्रेरक स्मरण दिवस ! सरदार मृत्युंजय साबित हुए हैं । जीवन में वह जितने याद नहीं आए, उससे कई गुना अधिक वह आज याद आ रहे हैं । राष्ट्रविपत्ति में लोगों की आंखों के सामने अनायास ही सरदार की वज्रमूर्ति चित्रित हो जाती है । द्रोह और शैथिल्य की स्थितियों में वज्रबाहु सरदार आंखों की श्रद्धा में झूलने लगते हैं । संकट-काल में जिसकी याद आए, जिसकी अनुपस्थिति मन में मायसी उत्पन्न करे, उसे मृत्युंजय न कहें तो क्या कहें ?

सरदार पटेल ने भारत की भाग्यलिपि अपनी लौह-कर्मठता में लिखी है। वह लिपि देश का अखण्ड-अनश्वर भूगोल बन कर उनके नेतृत्वकौशल का जयजयकार करती है । गांधीजी ने राष्ट्र-जागरण का जो शंख फूंका था, सरदार ने उस घोष को अपने जीवन में प्रवृत्ति-रूप देकर राष्ट्र की विविध-मुखी शक्तियों को एक प्रबल प्रवाह में संगठित किया था । इस प्रवाह में इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य ही नहीं बह गया, देश की अकर्मण्यता और हीनताएं भी बह गईं । शक्तिस्रोत से निकले शक्ति-प्रवाह राष्ट्र की रगों में प्रवाहित हो कर निर्जीव-मूल्यों को फिर से लहलहाने लगे । मुक्ति के विचार-आकाश के साथ सरदार ने अपनी मातृभूमि को ऐसे नर-रत्न भी गढ़ कर दिये, जिन्होंने अपने प्रशासन-कौशल से संसार को चकित कर दिया । सरदार स्वभाव से सेनापति तो थे ही, वे अपने उसी स्वभाव में सेनापति निर्माता भी थे । महादेव भाई उन्हें मजाक में अक्सर "नेताओं की फसल बोने वाला किसान" कहा करते थे ।

जीवन काल में कमायी महत्ता और कीर्ति, वास्तव में परम काम्य है, किन्तु अक्षय अमर महत्ता तो वही है जो मृत्यु के बाद भी फलती फूलती रहे । पुरुषार्थियों को ही ऐसी महत्ता और कीर्ति नसीब होती है—ऐसे पुरुषार्थियों को, जिन्होंने काल के वज्रदांतों को अपने प्रचण्ड पराक्रम से तोड़ा है । सरदार पटेल इसी कोटि के पुरुष-पुंगव थे—उनकी सिर से पैर तक की सारी देह यष्टि शौर्य के स्वर्ण से बनी थी । अग्नि परीक्षाओं में यह स्वर्ण और भी निखरता गया । कीर्ति के के लिये मृत्यु सब से भयानक एवं कठोर अग्नि परीक्षा होती है । सरदार इस परीक्षा में भी खरे उतरे हैं; मृत्यु के बाद वह अपने 'स्वर्ण' में और भी तेजस्वी होते जा रहे हैं । आज देश उन्हीं अद्वितीय 'सरदार' को श्रद्धा-भक्ति के साथ शीश नवाता है ।"

इस ग्रन्थ के लेखन में हमको जिन-जिन व्यक्तियों तथा पुस्तकालयों से सहायता मिली है, हम उन सब के आभारी हैं । पार्लियामेंट पुस्तकालय, नई दिल्ली तथा सप्रू हाऊस नई दिल्ली के पुस्तकालयों से हमको वास्तव में अमूल्य सहायता मिली है ।

इस ग्रन्थ का कार्य हाथ में लेते समय हमारा स्वास्थ्य निर्बल होते हुए भी

संतोषजनक था। किन्तु नवम्बर १९६३ से हमारा स्वास्थ्य इतना अधिक गिरता जा रहा है कि अब ५० कदम पैदल चलना भी हमारे लिये असंभव हो गया है। यद्यपि इस ग्रन्थ की रचना में उपलब्ध सभी ग्रन्थों का हमने यथावत् अध्ययन किया तथा सरदार के पुराने साथियों को उनके तथा अपने संतोषयोग्य पूर्ण समय देकर हमने उस सब सामग्री का इस ग्रन्थ में उपयोग किया है, फिर भी हमारी यह धारणा है कि यदि हमारा स्वास्थ्य इन दिनों न बिगड़ता तो इस ग्रन्थ को कुछ अधिक अच्छा बनाया जा सकता था। फिर भी हम को इस बात का संतोष है कि हमने सरदार के जीवन के सम्बन्ध में शोध (Research) करके इसमें इतनी अधिक सामग्री दी है कि सरदार का विस्तृत जीवन-चरित्र लिखने वाले भावी लेखकों को इससे पर्याप्त मार्ग-प्रदर्शन मिलेगा।

अपने पाठकों से हमको एक बात के लिए और भी क्षमा मांगनी है। बात यह है कि हमारे दोनों नेत्रों में मोतियाबिन्द का पानी उतर आने के कारण हमारी प्रुफ पढ़ने की क्षमता पर्याप्त कम हो गई है। प्रत्येक लेखक को कम से कम एक अन्तिम प्रुफ—प्रायः आत्मसंतोष के लिए—अवश्य देखना पड़ता है। हमारी धारणा है कि उसमें हमसे कुछ अशुद्धियां अवश्य रह गई होंगी। आशा है इस ग्रन्थ के पाठक तथा आलोचक न केवल उनको सुधार कर पढ़ेंगे, वरन् उन अशुद्धियों से हमें भी सूचित करेंगे, जिससे अगले संस्करण में उनको सुधारा जा सके।

सरदार पटेल का जीवन महान है, उनकी अपेक्षा हमारी लेखनी अत्यधिक तुच्छ है। फिर भी हमको आशा है कि हिन्दी संसार हमारे अन्य लगभग एक सौ ग्रन्थों के समान इस ग्रन्थ का भी समुचित आदर करेगा।

४५६६, बाजार पहाड़गंज, — आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री
नई दिल्ली-१।
१५ दिसम्बर, १९६३—(सरदार की १३वीं पुण्यतिथि)

प्रथम संस्करण की भूमिका

सरदार पटेल का नाम संसार के महान् राष्ट्र-निर्माताओं में सदा ही श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। एक सामान्य घराने में जन्म लेकर भी उन्होंने अपनी निर्भीकता, देशभक्ति तथा संगठन-शक्ति के बल से अपने जीवन में वह कार्य कर दिखलाया, जो बड़े से बड़े राजनीतिज्ञों के लिए भी सुगम न था।

वास्तव में सरदार का गौरवशाली जीवन बारडोली के सत्याग्रह से आरम्भ होता है। उनके उससे पूर्व के कार्य इतने अधिक महत्वशाली नहीं थे कि उनकी ओर जनता का ध्यान सामूहिक रूप में आकर्षित होता। किन्तु बारडोली में उन्होंने देहात के उन भोले-भाले किसानों में वह संगठन-शक्ति भर दी कि भारत की तत्कालीन नौकरशाही सरकार को उनके सत्याग्रह आन्दोलन के सामने घुटने टेकने को विवश होना पड़ा। वास्तव में उनका सरदार नाम भी वहीं से पड़ा।

इसके बाद तो उन्होंने देश को स्वतन्त्र कराने में इतना अधिक महत्वपूर्ण भाग लिया कि सत्याग्रह-विशेषज्ञ के रूप में उनका नाम महात्मा गांधी के बाद देश-भर में लिया जाने लगा।

भारत सरकार के गृहमन्त्री के रूप में उन्होंने अपने को वास्तव में एक लोहपुरुष सिद्ध कर दिया। किन्तु उनका सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य था भारत के देशी राज्यों की समस्या को सुलझाना।

वास्तव में देशी राज्यों की समस्या इतनी भीषण थी कि कांग्रेस को उस समस्या की ओर देखने का भी साहस न होता था। एक बार महात्मा गांधी ने राजकोट के ठाकुर साहिब के किसी कार्य के विरुद्ध १९३९ में अनशन करके असफलता का मुख देखा था। पंडित नेहरू भी एक बार शेख अब्दुल्ला के पीछे काश्मीर में गिरफ्तार हुए थे। किन्तु देशी राज्यों की समस्या को उनमें से कोई भी बलिदान छू तक न पाया और कांग्रेस ने विवश हो कर यह निश्चय किया कि देशी राज्यों से अंग्रेजो को भारत से निकालने के बाद सुलटा जाएगा।

अंग्रेजों ने जब भारत को छोड़ने की घोषणा की तो उन्होंने सब ५५२ देशी राज्यों को स्वतन्त्र करने की घोषणा भी की। इससे भारत में एक पाकिस्तान के अतिरिक्त ५५२ और भी स्वतन्त्र भाग बनने की संभावना हो गई। किन्तु सरदार पटेल ने उनकी समस्या को इतनी कुशलता से सुलझाया कि आज सभी देशी नरेश अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति से नीचे उतर कर साधारण जनता के अंग बन गए हैं और उनकी प्रजा भी स्वतन्त्रता का आनन्द अन्य सभी भारत-वासियों के समान उठा रही है। वास्तव में सरदार पटेल के एक इसी कार्य ने उनको संसार के महान् राष्ट्र-निर्माताओं की कोटि में पहुँचा दिया।

इसमें सन्देह नहीं कि भारतवासियों के हृदय में देशभक्ति की भावना को महात्मा गांधी ने भरा और फिर अंग्रेजों को भारत छोड़ने को भी उन्होंने ही विवश किया, किन्तु भारत को एक सुदृढ़ एवं संगठित राष्ट्र का रूप सरदार पटेल ने ही दिया। इसीलिए उनको भारत का 'राष्ट्र-निर्माता' कहना उनके प्रति अपनी उचित भावना को ही प्रकट करना है।

कुछ लोग सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा करते हैं, किन्तु पटेल का स्थान बिस्मार्क से कहीं ऊंचा है। कारण कि बिस्मार्क ने जहां जर्मनी के ३२ राज्यों को बल-प्रयोग द्वारा प्रशा का नेतृत्व मानने को विवश कर जर्मनी को एक संयुक्त राज्य बनाया, वहां पटेल ने भारत के ५५२ देशी राज्यों को अत्यन्त शान्ति पूर्वक समाप्त कर भारत को एक संयुक्त तथा संगठित राज्य बनाया।

यह खेद की बात है कि भारत का इतना बड़ा नेता होते हुए भी सरदार पटेल का अभी तक हिन्दी या इंगलिश में कोई भी संक्षिप्त जीवनचरित्र प्रकाशित नहीं किया गया। उनके अभिनन्दन ग्रन्थ निकले, उनके लेखों तथा भाषणों के मोटे-मोटे संग्रह भी निकले, किन्तु उनका जीवन चरित्र एक जिल्द में अभी तक कोई नहीं निकला।

वैसे तो सरदार पटेल का सारा ही जीवन भारत के राष्ट्रीय संघर्ष का इतिहास है; किन्तु बारडोली विजय के बाद तो उनके जीवन में कोई घटना प्रान्तीय महत्व की भी नहीं मिलती। अस्तु उसके बाद हमने भी उनके जीवन चरित्र के रूप में भारत की राष्ट्रीय जागृति के इतिहास को ही इस ग्रन्थ में उपस्थित किया है। इस प्रकार यह ग्रन्थ सरदार पटेल के जीवन चरित्र के अतिरिक्त भारत की राष्ट्रीय जागृति के इतिहास का भी काम दे सकता है।

आज भारत में राष्ट्रनिर्माणकारी साहित्य की बड़ी भारी कमी है। प्रायः लेखक तथा पाठक कविता एवं कहानियों की ओर ही अधिक ध्यान देते हैं। आलोचक तथा राष्ट्र के नेता भी कविता तथा कहानी को ही साहित्य मानते हैं। राजनीति, इतिहास, विज्ञान तथा जीवन चरित्र के ग्रन्थों को साहित्य में प्रायः स्थान नहीं दिया जाता, क्योंकि साहित्य के नवरसों को इनमें प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।

किन्तु आज साहित्य में भी क्रान्ति करने की आवश्यकता है। दसवें इतिहास रस एवं ग्यारवें अन्वेषण रस की यदि नवरसों के अतिरिक्त कल्पना नहीं की गई तो यह दोनों रस आजकल के आलोचकों को अपना अस्तित्व मानने को कुछ समय में ही विवश कर देंगे।

आशा है कि हिन्दी संसार हमारे इस प्रस्तुत ग्रन्थ का भी हमारे अन्य कई दर्जन ग्रन्थों के समान ही आदर करेगा।

मकान नं० ४५६६, बाजार पहाड़गंज, आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री
नई दिल्ली—१
तारीख १५ दिसम्बर १९५६

विषय सूची

राष्ट्रनिर्माता सरदार पटेल

अध्याय १

आरम्भिक जीवन

"वल्लभभाई बरफ से ढका हुआ ज्वालामुखी है" स्वर्गीय मौलाना शौकत अली का यह वाक्य सरदार वल्लभभाई के व्यक्तित्व का संक्षेप में सुन्दर वर्णन करता है। वह देखने में बरफ के समान शान्त थे। किन्तु उनका उग्र स्वभाव तथा उनकी योद्धा प्रकृति उनके वास्तविक रूप की द्योतक थी, जो उन्हें अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। सरकार का लम्बा, सुडौल और भरा हुआ शरीर उनकी योद्धा-प्रकृति का परिचायक था। उनकी चमकती हुई आँखें यह प्रकट करती थीं कि वह न केवल मनुष्य की अंतर्वृत्ति को झांक कर देख लेंगीं, वरन् अपने निश्चय को पूर्ण करके ही छोड़ेंगी। आप एक वीर सेनापति तथा शासक थे।

वल्लभभाई स्पष्ट वक्ता थे। यदि इस स्पष्टवादिता पर भीतर-बाहर से विचार किया जाय तो यह गुण भी है, और दोष भी। स्पष्टवादिता यद्यपि गंभीरता और विवेक की कमी को सूचित करती है, किन्तु वल्लभभाई इसके भी अपवाद थे। वैसे वह बोलते बहुत कम थे, किन्तु जब बोलते थे तो हृदय खोलकर रख देते थे। नोआखाली कांड के पश्चात् आपका मेरठ कांग्रेस में दिया हुआ भाषण इसका एक उदाहरण है। इस भाषण में आपकी स्पष्टवादिता पर कांग्रेसी मुसलमानों ने भी विरोध प्रकट किया था। वल्लभभाई बोलते कम थे, करते अधिक थे। बाक्शूर उन्हें लुभा नहीं सकते थे। उन्हें व्याख्यान झाड़ने का व्यसन नहीं था, आत्म प्रदर्शन पसन्द नहीं था, भले ही उससे अच्छा काम बनता हो। विज्ञापनबाजी भी उन्हें पसन्द नहीं थी। और थी भी, तो आवश्यकता भर, बहुत कम। उसमें भी व्यक्तित्व का विज्ञापन तो लेशमात्र भी नहीं। वह गरजने वाले मेघ नहीं, वरन् बरसने वाले धुआंधार थे। वे ठोस वीरता के पुजारी थे, लल्लो चप्पो के शब्द उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते थे। स्पष्टवादिता में एक बड़ा गुण है कि वह मनुष्य को ईर्ष्या, द्वेष और धोखे से मन ही मन में बातें रखकर पिशाच होने से बचा लेती है। स्पष्टवादी के हृदय में तूफान आता है और चला जाता है और साथ ही उसके हृदय का मैल भी निकल जाता है। वह मन में ही पड़ा रहकर कीचड़, काई और सड़ांद उत्पन्न नहीं करता।

स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है—"क्षत्रिय वह है, जो देश के लिये अपना जीवन

दे डालता है।" सरदार इसी प्रकार के सच्चे क्षत्रिय थे। उन्होंने अपना समग्र जीवन देश के लिए समर्पित किया हुआ था।

महात्मा लूथर ने कहा है—

"एक वीर और बहादुर सरदार अपने सहस्रों शत्रुओं के प्राण लेने की अपेक्षा एक नागरिक के प्राणों की रक्षा करना अपना धर्म समझता है। अतएव एक सच्चा सेनापति हल्के दिल से कभी लड़ाई नहीं छेड़ता, और न बिना कारण युद्ध-घोषणा करता है। सच्चे सिपाही और सरदार बढ़-बढ़ कर बातें नहीं किया करते, वरन् वह जब बोलते हैं, तो काम फतह ही समझिए।"

महात्मा लूथर के ये शब्द सरदार वल्लभभाई की विशेषता का थोड़े से शब्दों में अच्छा परिचय कराते हैं।

भारतीय इतिहास में इस प्रकार के क्षत्रिय, ऐसे अमर योद्धा अनेक मिलते हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल तथा अन्य अनेक राजपूत तथा मराठा वीरों की अमर गाथा आज मेवाड़, राजस्थान, महाराष्ट्र, बुन्देलखण्ड आदि भारत के सभी राज्यों के घर-घर में गाई जाती हैं। भारत राष्ट्र के निर्माण कार्य में सन् १८५७ से लेकर आज तक सहस्रों ही नहीं, वरन् लाखों योद्धा अपने प्राणों की बलि दे चुके हैं। उन योद्धाओं की अस्थियां आधुनिक भारत की नींव में गारे के रूप में गल चुकी हैं। वास्तव में वे इस देश के गगन के चमकते हुए नक्षत्र हैं। देश की भावी संतति सदा उनकी पूजा करेगी। किन्तु सरदार वल्लभभाई की जीवन-गाथा उनमें से किसी से कम महत्त्वपूर्ण नहीं।

वंश परिचय—गुजरात में कुरमी नामक एक क्षत्रिय जाति है। उसमें लेवा और कदवा नाम की दो उपजातियां हैं। कहा जाता है कि यह दोनों जातियां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्र के पुत्र लव और कुश की वंशज हैं। लेवा जाति को लव की वंशज एवं कदवा जाति को कुश की वंशज माना जाता है। सरदार वल्लभभाई ने इनमें से लेवा जाति को अपने जन्म से ३१ अक्तूबर १८७५ को अलंकृत किया था।

सरदार वल्लभभाई पटेल के माता-पिता गुजरात के बोरसद ताल्लुके के करमसद नामक एक गांव में रहते थे। उनके यहाँ कृषिकार्य किया जाता था। उनके पास अपनी दस एकड़ भूमि भी थी। वल्लभभाई के पिता श्री झवेरभाई बड़े साहसी, संयमी और वीर पुरुष थे। सन् १८५७ के स्वतन्त्रता युद्ध के प्रथम प्रयास में उन्होंने अत्यन्त उत्साहपूर्वक भाग लिया था। आप उन दिनों भारत में स्वतन्त्रता का प्रयत्न आरम्भ हुआ देखकर इतने अधिक उत्साहित हुए कि उसमें भाग लेने के

के लिए घरवालों को बिना बतलाए ही घर से भाग गए। इसके पश्चात् घरवालों को तीन वर्ष तक उनका पता न चला। उन्होंनें झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई तथा नाना साहिब धूं धूं पंत की सेनाओं की गतिविधि देखते हुए तथा उनमें भाग लेते हुए समस्त उत्तरी भारत का भ्रमण किया। घर से भागते समय उनकी आयु कुल बीस वर्ष की थी। उन्होंने झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई की सेना में भर्ती हो कर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। झवेरभाई को मल्हार राव होल्कर ने इंदौर में कैद कर लिया। वह शतरंज के अच्छे खिलाड़ी थे। शतरंज का प्रेम मल्हार राव को भी कम नहीं था। उन्होंने झवेरभाई को इस बात की अनुमति दे दी कि वह हाथ-पैर बंधवा कर उनको शतरंज खेलते हुए देखते रहें। महाराजा के खेल के समय उन्होंने कुछ ऐसी चाल सुझाई कि महाराजा उनकी शतरंज की योग्यता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उनको स्वतन्त्रता प्रदान कर इंदौर में रहने का निमन्त्रण दिया। किन्तु वह वहां न रह कर अपनी भूमि जोतने के लिए अपने गांव चले आए। गदर का पूर्णतया दमन हो चुकने पर तथा देशभर में शान्ति स्थापित हो जाने पर वह तीन वर्ष बाद घर लौट आए।

श्री झवेरभाई स्वामी नारायण के भक्त थे। वह अपनी ५५ वर्ष की आयु से रातदिन उनकी सेवा में ही लगे रहते थे। उन दिनों वह घर पर केवल एक बार भोजन के लिए आकर अपना शेष समय भजन पूजन में ही व्यतीत किया करते थे। उस समय के साधुओं का जीवन अत्यन्त पवित्र हुआ करता था, किन्तु साम्प्रदायिकता से वह भी अछूते न थे। उनके हृदय में प्राचीन हिन्दूमत की स्थापना तथा यवन विरोधी भावना बराबर कार्य करती रहती थी और वह जनता को अपनी इस विचारधारा का अनुसरण करने के लिये प्रेरित भी किया करते थे। श्री झवेरभाई पर भी उनके जीवन का बहुत प्रभाव पड़ा था।

श्री झवेरभाई प्राकृतिक नियमों के बड़े भक्त थे। वह प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्त्त में उठकर ही अपने नित्यकर्म से निवृत्त हो जाया करते थे। वह प्रतिदिन मुट्ठीभर कच्चे चावल और बाजरा चबाया करते थे। यह क्रम उनका जीवन के अंतिम समय तक चलता रहा। इसी से उनका स्वास्थ्य भी अन्त तक बहुत उत्तम बना रहा। उनका स्वर्गवास मार्च १९१४ में ८५ वर्ष की आयु में हुआ।

श्री वल्लभभाई की पूजनीया माता लाड़बाई भी उनके पिता के समान ही संयमी, धर्मशीला, कष्टसहिष्णु एवं देश-भक्त थीं। उनका सारा समय दिनभर भजन पूजन और चरखा कातने में ही व्यतीत होता था। उनका स्वर्गवास ८५ वर्ष की आयु में १९३२ में हुआ।

माता-पिता के इन गुणों का प्रभाव श्री वल्लभभाई के चरित्र पर भी पड़ा। उनके जीवन में संयम, सादगी, कष्ट सहन, साहस आदि गुणों का बड़ा व्यापक

प्रभाव पड़ा। सच्चाई और दृढ़ता उनके प्रमुख गुण थे। बड़े से बड़े खतरे में भी पीछे हटना वे जानते ही नहीं थे। बारडोली संग्राम के अवसर पर श्री वल्लभभाई की दृढ़ता का परिचय देशभर को मिला। भाई बहिनों में वे पांच भाई थे तथा उनकी एक बहिन थी, जिनके नाम क्रमश: ये थे—सोमाभाई, नरसिंहभाई, विट्ठलभाई, वल्लभभाई तथा काशीभाई। बहिन डाहीबा सबसे छोटी थीं। वह १९१६ में गुजर गईं।

विद्यार्थी जीवन—श्री वल्लभभाई का बाल्यकाल माता-पिता के साथ गांव में ही व्यतीत हुआ। पिता रोज सवेरे बालक वल्लभ को अपने साथ खेत पर ले जाते और रास्ते में आते जाते पहाड़े याद कराते। इसके उपरान्त श्री वल्लभभाई फिर पेटलाद आए, जहां उन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त की। माध्यमिक शिक्षा के लिये उन्हें नड़ियाद और बड़ौदा जाना पड़ा। बालक वल्लभ अन्य छात्रों की भांति आलसी और दब्बू न थे। उनकी इस प्रकृति के कारण उनका बाल जीवन बड़ा मनोरम बन गया। इस प्रकार बाल जीवन में ही उनके भावी गुण प्रकट होने लगे।

जब श्री वल्लभभाई नड़ियाद में पढ़ते थे उन्होंने स्कूल में एक आंदोलन खड़ा किया। बात यह थी कि एक मास्टर पाठ्य पुस्तकों का व्यापार करते थे। वह छात्रों पर दबाव डालते कि पुस्तकें बाहर से न खरीद कर उन्हीं से खरीदी जायं। वल्लभभाई ने आन्दोलन किया कि कोई लड़का उनसे पुस्तकें न खरीदे। इससे लड़कों में बड़ी उत्तेजना फैली और स्कूल पांच छ: दिनों तक बंद रहा। अन्त में मास्टर जी को झुकना पड़ा और श्री वल्लभभाई ने भी हड़ताल का अंत करवा दिया।

इसके बाद मैट्रिक के लिये श्री वल्लभभाई बड़ौदा पहुंचे। यहां आपने संस्कृत में रुचि न होने के कारण मैट्रिक में गुजराती ली। छोटेलाल नामक एक मास्टर, जो गुजराती पढ़ाते थे संस्कृत के बड़े भक्त थे। इसलिये वे संस्कृत न लेने वाले विद्यार्थियों से चिढ़ते थे। श्री वल्लभभाई कक्षा में पहुंचे तो उन्होंने व्यंगपूर्वक कहा, "आइए मह.पुरुष! कहां से पधारे।" इस पर बालक वल्लभ ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, "नड़ियाद" से।

मास्टर ने कहा कि संस्कृत छोड़ कर गुजराती ले रहे हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बिना संस्कृत के गुजराती शोभा नहीं देती?

इस पर श्री वल्लभभाई ने जवाब दिया कि "मास्टर जी! यदि हम सभी संस्कृत पढ़ते तो फिर आप किसे पढ़ाते?"

अब शिक्षक और बालक दोनों में मनोमालिन्य पैदा हो गया। दिनभर क्लास की पिछली बेंच पर खड़े रहने की आज्ञा दी गई और प्रतिदिन घर से पहाड़े लिखकर

लाने की भी। एक बार वल्लभभाई पहाड़े लिख कर नहीं लाए। मास्टर के उसका कारण पूछने पर आपने कहा 'पाड़े भाग गए,' पाड़े भैंस के बच्चे को भी कहते हैं। मास्टर छोटेलाल ने इस उत्तर से चिढ़ कर आपकी शिकायत हेडमास्टर से की तो बालक वल्लभ ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया कि "यह मास्टर जी मुझ से व्यर्थ ही पहाड़े लिखवाते हैं। यदि पढ़ने की पुस्तक में से कुछ लिखवाएं तो मुझे लाभ भी हो। इन पहाड़ों से मुझे क्या लाभ ?" हेडमास्टर ने बिना कुछ कहे सुने बालक को छोड़ दिया। इस घटना के दो माह बाद ही आप का दूसरे शिक्षक से झगड़ा हो गया और तब आप बड़ौदा स्कूल से निकाल दिये गए। आप अब नड़ियाद आये और वहीं से मैट्रिक परीक्षा पास की। इसी स्पष्टवादिता में क्या हमारा भावी सरदार नहीं छिपा हुआ था ? आपने नड़ियाद हाई स्कूल से सन् १८९७ में लगभग २२ वर्ष की आयु में मैट्रिक पास किया।

मुख्त्यारकारी—श्री वल्लभभाई की इच्छा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की थी। किन्तु माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण आपने कालेज जाने का विचार छोड़ दिया। साहित्यिक शिक्षा का आपको शौक था ही नहीं। हां, विलायत जाकर बैरिस्टरी पास करने के स्वप्न आप बचपन में ही देखा करते थे। अतः आपने मुख्त्यारकारी की परीक्षा पास की और सन् १९०० से गोधरा में मुख्त्यारकारी करने लगे। श्री वल्लभभाई के पास फौजदारी के मुकदमे अधिक आते थे। अपनी कार्यपटुता एवं बुद्धि-कौशल के कारण आप थोड़े ही समय में अपने जिले में प्रख्यात हो गये। उन दिनों फौजदारी के अधिकारी तथा पुलिस आदि अन्य हाकिमों पर भी श्री वल्लभभाई का बड़ा रोब था। अधिकारीगण उनसे कांपते रहते थे।

एक बार आपने ह्स्वण्ड नामक एक अंगरेज को एक कत्ल के मामले में खूब छकाया। इस बात का स्मरण करके श्री वल्लभभाई बाद में खूब हंसा करते थे। अपनी मुख्त्यारकारी के दिनों में आपने कई कलक्टरों और मैजिस्ट्रेटों को खूब तंग किया। बात यह थी कि उनमें मानव स्वभाव की जांच, व्यवहार कुशलता, प्रमाण पटुता और जिरह करने की अधिक शक्ति विद्यमान थी। इसलिये आपको सफलता प्राप्त होती थी।

एक बार गोधरा में बड़ी भयानक प्लेग फैली। अदालत के नाजिर का लड़का बीमार पड़ गया। श्री वल्लभभाई ने उसकी पर्याप्त सेवा-सुश्रूषा की, किन्तु वह उसे बचा न सके। श्मशान से लौटते ही आप भी प्लेग के चंगुल में फंस गये। किन्तु आप घबराये नहीं। गाड़ी में बैठकर आनन्द से चले आए और अपनी पत्नी से कहा कि तुम करमसद जाओ, मैं नड़ियाद जाता हूं। ऐसी अवस्था में कौन सी पत्नी अपने पति का साथ छोड़ना चाहेगी। परन्तु श्री वल्लभभाई ने अत्यन्त आग्रहपूर्वक

अपनी पत्नी को करमसद भेज दिया। आप नड़ियाद आए और ईश्वर की अनुकम्पा से शीघ्र ही ठीक हो गए। आपका विवाह झवेर बा के साथ १८ वर्ष की आयु में हुआ था, उनसे अप्रैल १९०४ में मणिबेन का तथा नवम्बर १९०५ में डाह्याभाई का जन्म हुआ था।

उधर करमसद में आपकी पत्नी बीमार पड़ी। श्री वल्लभभाई उन्हें आपरेशन के लिए बम्बई पहुंचा आये। आपके पास प्रतिदिन आपरेशन का समाचार आता ही था। थोड़े दिनों बाद आपकी पत्नी की अवस्था बिगड़ने लगी। एक दिन आप अदालत में मुकदमा लड़ रहे थे कि तार से पत्नी के निधन का समाचार मिला। आपने बड़ी शान्तिपूर्वक तार पढ़कर मेज पर रख लिया। जब काम समाप्त होने पर बाहर निकले तब मित्रों से उसकी चर्चा की। उनकी पत्नी का स्वर्गवास ११ जनवरी १९०९ को हुआ। उस समय आपकी आयु ३४ वर्ष की थी।

इससे श्री वल्लभभाई के धैर्य का पूर्ण परिचय मिलता है। जीवन की एकमात्र सहचरी के शरीरान्त का तार पाने पर भी आपके मुख पर लेशमात्र भी उदासीनता नहीं आई। वह निरन्तर अपने कार्य में व्यस्त रहे। वीरता, साहस, धैर्य आदि गुण आपके अन्दर स्वयमेव अपना कार्य करते रहते थे।

बड़े भाई के लिए त्याग—श्री वल्लभभाई की विलायत जाने की इच्छा आरम्भ से ही थी। समय पाकर उन्होंने उसके लिये यत्न भी आरम्भ कर दिया। वे मुख्तारी करते हुए भी बैरिस्टरी की तैयारी के लिये पैसा जमा करने में लगे हुए हुए थे। जिस कम्पनी से विदेश यात्रा के सम्बन्ध में आपका पत्र-व्यवहार चल रहा था, विदेशयात्रा का प्रबंध करने वाली उस कम्पनी की अन्तिम चिट्ठी आपके बड़े भाई श्री विट्ठलभाई पटेल के हाथ लग गई। इंग्लिश में दोनों का नाम वी० जे० पटेल होने के कारण यह गड़बड़ हो गई। श्री विट्ठल भाई ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ पहिले तुम मुझे ही जाने दो। किन्तु तुम्हारे लौट आने के बाद मेरा जाना न हो सकेगा। आपने यह स्वीकार कर उनके खर्च का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लिया।

बैरिस्टरी के लिये विलायतयात्रा—इस घटना के पन्द्रह-बीस दिन पश्चात् ही श्री विट्ठलभाई पटेल इंगलैण्ड चल दिये। तीन वर्ष बाद सन् १९०८ में वह वापिस लौटे। फिर श्री वल्लभभाई ने सन् १९१० में विलायत यात्रा की। वहां पहुंचते ही वह पढ़ाई में जुट गए। प्राय: आजकल के नवयुवकों का जीवन विदेश से लौटने पर बदल जाता है। वह विलासिता के चक्कर में पड़ जाते हैं। किन्तु इस समय तक श्री वल्लभभाई को संसार का व्यवहारिक ज्ञान पूर्णतया हो चुका था। अपना लाभ-हानि सोचने की उनमें पर्याप्त क्षमता थी। अत: उनके पथ-भ्रष्ट होने की कोई सम्भावना न थी।

सरदार के आरंभिक जीवन के चित्र

सरदार अपनी माता तथा भाइयों सहित—विट्ठल भाई सोमा भाई (सब से बड़े), माता लाड बाई, नरसिंह भाई (दूसरे), सरदार, तथा काशी भाई (सब से छोटे, खड़े हुए)

यद्यपि श्री वल्लभभाई के स्वभाव से अभी तक चंचलपन बिदा नहीं हुआ था, किन्तु विलायत पहुंचते ही वे एकदम गम्भीर एवं सौम्य विद्यार्थी बन गए। उन्होंने बड़े परिश्रम से पढ़ना आरम्भ कर दिया। श्री वल्लभभाई के निवास स्थान से टेम्पल का पुस्तकालय लगभग ग्यारह मील दूर था। किन्तु श्री वल्लभभाई सवेरे ही पुस्तकालय पहुंच जाते और जब पुस्तकालय का चपरासी पुस्तकालय के बंद होने की सूचना देता तब आप वहां से उठते। पुस्तकालय में ही दूध और रोटी मंगवा कर खा लेते। इन दिनों आपने कभी कभी लगातार सतरह घंटों तक अध्ययन किया। इस परिश्रम के अनुसार ही आपको फल भी मिला।

इंगलैण्ड में वह एक मकान मालकिन के यहां रहते थे। मई १९११ में उनके पैर में नहरुआ का रोग हो गया। नहरुआ एक बहुत पतला तथा बहुत लम्बा ऐसा कीड़ा होता है जो शरीर के अन्दर बराबर घुसता जाता है। यदि वह खेंचने में टूट जावे तो अन्य कई स्थानों में भी फैल जाता है। उसको आपरेशन द्वारा बड़ी कठिनता से अन्दर से निकाला जाता है। वहां के एक भारतीय विद्यार्थी डा. पी. टी. पटेल की सम्मति से आप वहां एक नर्सिग होम में भरती हो गये, जहां दो दो बार उनका आपरेशन करने पर भी नहरुआ पूर्णतया बाहर नहीं निकला और रोग बढ़ता रहा। सरजन ने कहा कि जान बचानी हो तो पैर काटना पड़ेगा। इस पर डा. पी. टी. पटेल ने अपने एक प्रोफेसर को रोग समझा कर उससे आपरेशन करवाया। आपने यह आपरेशन बिना क्लोरोफार्म के करवाया और अन्त तक सिसकारी तक भी न भरी। डा. चकित होकर बोला, "ऐसा साहसी रोगी हमको प्रथम बार मिला है।" इस आपरेशन से आपका नहरुआ पूर्णतया निकल गया।

आप बैरिस्टरी की अन्तरिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अतएव आप को पचास पौंड का एक नकद पारितोषिक मिला और चार्टर्ड की फीस मुआफ हो गई। आपके उत्तरों को पढ़कर परीक्षकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक ने तो श्री वल्लभभाई की सिफारिश के लिये उनको एक पत्र भी दिया कि श्री वल्लभभाई को ऊंची से ऊंची जगह दी जावे। आप परीक्षोपरान्त एक दिन को भी सैर सपाटे के लिये इंगलैण्ड न ठहरे। वरन् दूसरे ही दिन स्वदेश को प्रस्थान कर दिया। वह १३ फरवरी १९१३ को वापिस बम्बई आए।

श्री वल्लभभाई की बैरिस्टरी आते ही चमक उठी। श्री विट्ठलभाई पटेल की वकालत भी बम्बई में अच्छी तरह चल निकली थी। इधर श्री वल्लभभाई के सामने पुराने वकील बैरिस्टरों की पूछताछ कम हो चली थी। अहमदाबाद में तो श्री वल्लभभाई की अच्छी धाक जम गई थी। इस समय कीर्ति तथा ऐश्वर्य दोनों ही श्री वल्लभभाई के सामने हाथ बांधे खड़े थे। उन्होंने १९१९ के अंत तक वकालत की।

अध्याय २

सार्वजनिक जीवन का आरम्भ

समय समय पर दोनों भाइयों की बातचीत देश की वर्तमान अवस्था पर भी हुआ करती थी। एक दिन दोनों ने विचार किया कि देश की स्वतन्त्रता के लिये जीवनोत्सर्ग करने वाले युवकों की आवश्यकता है। अतः एक भाई घर का काम सम्भाले और दूसरा देश के लिये जीवन अर्पित करे। घरबार सम्भालने की जिम्मेवारी श्री वल्लभभाई के कन्धों पर पड़ी और श्री विट्ठलभाई लोक-सेवा के सन्यासी बने। थोड़े ही समय तक श्री वल्लभभाई इस गृहस्य सम्बन्धी उत्तर-दायित्व को निभा पाए थे कि खेड़ा के किसानों ने अपना दुख लेकर श्री वल्लभभाई के पास आना आरम्भ कर दिया। इससे बैरिस्टरी का नशा श्री वल्लभभाई पर न ठहर सका और वे दिन-दिन देश-सेवा की ओर अधिकाधिक आर्कषित होने लगे। इस समय श्री वल्लभभाई का कार्य सुचारु रूप से चल रहा था, किन्तु देश में महात्मा जी ने हलचल मचा रखी थी। महात्मा जी की दलीलों को आरम्भ में श्री वल्लभभाई भी व्यर्थ समझ कर उनकी हंसी उड़ाते थे। एक दिन तो अपने मित्रों के साथ बैठे कह रहे थे कि "गांधी जी इन लोगों के सामने ब्रह्मचर्य की बातें क्यों कर रहे हैं? यह तो भैंस को भागवत सुनाने की-सी बात है।"

म्युनिसिपैलिटी में—सरदार पटेल महात्मा गांधी के संपर्क से बहुत पहले से सार्वजनिक क्षेत्र में आ चुके थे। पहिले वह १९१७ में अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के सदस्य चुने गये। फिर उनको म्युनिसिपैलिटी में सैनिटरी कमेटी का चेयरमैन चुना गया। सन् १९१७ में भारत के अन्य स्थानों के समान अहमदाबाद में भी प्लेग का इतना भीषण प्रकोप हुआ कि प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति मरने लगे। यहां तक कि सारे स्कूल तथा न्यायालय तक बन्द हो गये। इस समय आपने अत्यन्त साहस प्रदर्शित करते हुए नगर से सारी जनसंख्या को निकाल कर बाहर जंगलों में ले जाकर रखा और इस प्रकार इस आपत्ति से नगर की रक्षा की। यद्यपि सरदार ने इस समय जनता को नगर के बाहर भिजवा दिया, किन्तु वह स्वयं नगर में ही रह कर अपने निरीक्षण में नगर की सफाई करवाया करते थे। इससे म्युनिसिपिलटी के स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रेरणा मिली और उन्होंने अधिक तत्परता से नगर की सफाई की। अगले वर्ष १९१८ में जब सारे भारत में इंफ्लुएंजा का प्रकोप हुआ तो अहमदाबाद भी उसकी चपेट में आ गया। इस समय वल्लभभाई ने घर घर में इंफ्लुएंजा मिक्स्चर निःशुल्क बंटवाया और जनता को उसके उपयोग की शिक्षा देने का व्यापक प्रबन्ध किया।

सरदार म्युनिसिपिलटी के लिये प्रथम वार एक उपचुनाव में निर्वाचित किये गये थे। किन्तु इतने अल्पकाल में भी अपनी कर्त्तव्यपरायणता तथा नि:स्वार्थ सेवा से वह अन्य सदस्यों के श्रद्धाभाजन बन गये। अगले सार्वजनिक निर्वाचन में भी वह अत्यधिक बहुमत से चुने गये। इस निर्वाचन के बाद म्युनिसिपैलिटी के पर्याप्त सदस्य उनके अनुयायी बन गये। उनकी सहायता से सरदार ने म्युनिसिपैलिटी के लिये एक आचार सहिता तैयार की, जिसकी मुख्य बातें यह थीं :-

१—म्युनिसिपैलिटी का प्रयोग स्थानीय स्वराज्य की प्रथम भूमिका के रूप में किया जावे :

२—म्युनिसिपिल संस्थाओं का उपयोग जनता के लिये निर्भयता से किया जाये।

३—उन्होंने एक ऐसी परिपाटी चलाई कि स्वराज्य के तत्व की स्थापना के लिये सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को किसी भी कमेटी में नहीं लिया गया।

४—उन्होंने सरकारी व्यक्तियों को अधिक सम्मान या मानपत्र देने की प्रथा को बन्द कर दिया।

५—उन्होंने म्युनिसिपिलटी के हरिजन कर्मचारियों के लिये नए मकान बनवा कर दिये।

जुलाई १९१७ में श्री वल्लभभाई तथा श्री हरिलाल देसाई गुजरात क्लब के सेक्रेटरी तथा श्री मावलंकर संयुक्त सेक्रेटरी चुने गये। एक दिन उन्होंने क्लब में यह समाचार सुना कि मोतीहारी (बिहार) के मैजिस्ट्रेट ने गांधी जी के यूरोपियन प्लांटरों के श्रमिकों की जांच करने के कार्य पर जो पाबन्दी लगाई थी, उसको मानने से उन्होंने इन्कार कर दिया। महात्मा जी का सविनय अवज्ञा की कार्य-प्रणाली का भारत में यह प्रथम कार्य था। गांधी जी ने पाबन्दी की आज्ञा को मान कर जांच बन्द करने की अपेक्षा जेल जाना बेहतर समझा। गांधी जी के सम्बन्ध में इस समाचार से क्लब में उपस्थित सभी के हृदय में बिजली-सी दौड़ गई। दीवान बहादुर हरिलाल देसाई तो एकदम उछल पड़े और हाथ हिलाते हुए बोले, "मावलंकर ! यह वीर पुरुष है। हमको इसे अपना अध्यक्ष बनाना चाहिये।" इस अवसर पर वल्लभभाई भी गुजरात क्लब के कार्यों में अधिकाधिक भाग लेने लगे थे। गांधी जी ने सभापति बनने का उनका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वल्लभभाई गांधी जी के सम्पर्क में प्रथम बार आये। फिर तो वह उनके अधिकाधिक निकट होते गये। ज्यों-ज्यों महात्मा गांधी गुजरात के राजनैतिक कार्यों में अधिकाधिक भाग लेते गए, श्री वल्लभभाई भी उनकी ओर आकर्षित होते गए। अब उन्हें आशा हो गई कि प्रांत के विषय में ठोस एवं विधायक मार्ग बनेगा। इसी समय महात्मा जी के सभापतित्व में गोधरा में प्रांतीय राजनैतिक परिषद हुई। उसमें रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। उसको

कार्यरूप में परिणत करने के लिये एक मण्डल स्थापित किया गया। श्री वल्लभभाई को उसका मंत्री बनाया गया।

बेगार बन्द कराना—बापू जी तो बेगार बन्द करने का कार्यक्रम निश्चित करके चम्पारन चले गए। अतः जिम्मेवारी श्री वल्लभभाई के कन्धों पर आ पड़ी। उन्होंने बड़े उत्साह व लगन से कार्य करना प्रारम्भ किया। प्रथम तो उन्होंने कमिश्नर से लिखा-पढ़ी की। किन्तु कमिश्नर का उत्तर न पाने पर उसको आपने सात दिन का नोटिस दे दिया और साथ ही यह भी कहला दिया कि यदि इसका उत्तर न मिला तो हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर बेगार को गैरकानूनी ठहरा कर लोगों को बेगार बन्द करने की सूचना दे दी जायगी। अब कमिश्नर ने समय की अवधि समाप्त होने के एक दिन पूर्व ही श्री वल्लभभाई को बुलाकर सारी स्थिति स्पष्ट करके उनके सामने रख दी और उनके मनोनुकूल कार्य कर दिया।

महात्मा जी इससे बहुत ही प्रसन्न हुए और वल्लभभाई महात्मा जी के सम्पर्क में अधिकाधिक आने लगे। उधर चम्पारन से लौटते ही खेड़ा सत्याग्रह का भार महात्मा जी के कन्धों पर आ पड़ा। खेड़ा में उपज न होने पर भी लगान वसूल करने के लिये किसानों पर अत्याचार किये जा रहे थे। अतः वहां करबन्दी सत्याग्रह करने के बारे में विचार किया जा रहा था। खेड़ा के सैकड़ों अत्याचार पीड़ित किसानों में आशा उत्साह की ज्योति फैल रही थी कि महात्मा गांधी जी अब सत्याग्रह द्वारा उनके कष्टों का अन्त कर दगे। २० मार्च १९१७ को महात्मा जी ने पूछा, "खेड़ा चलने को मेरे साथ कौन २ तैयार है?" उनमें सबसे पहिला नाम श्री वल्लभभाई का आया। अब तो श्री वल्लभभाई के जीवन की दिशा एकदम बदल गई। उनके जीवन में घोर परिवर्तन हो गया। श्री वल्लभभाई सच्चे साथी की तरह महात्मा जी के बतलाए हुए मार्ग पर चलने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि महात्मा जी के आगमन से ही प्रांत के पाखण्डपूर्ण राजनैतिक जीवन में सत्य ने प्रवेश किया है।

खेड़ा सत्याग्रह—अब श्री वल्लभभाई तन-मन से महात्मा जी के साथ कार्य-क्षेत्र में कूद पड़े। अप्रैल १९१८ में खेड़ा के सत्याग्रह के लिए श्री वल्लभभाई ने गांव-गांव घूमकर अपढ़ किसानों में करबन्दी सत्याग्रह का पवित्र संदेश पहुंचाना आरम्भ किया। अन्त में किसान खुल कर सरकार से लड़ने को तैयार हो गए और अपने वचनों की रक्षा के लिये अड़ गए। अंत में उन्हें २९ जून, १९१८ को विजय मिली। श्री वल्लभभाई ने इस सत्याग्रह में जिस लगन तथा उत्साह से काम किया, उससे उन्होंने सदा के लिये बापू के मन पर अधिकार कर लिया। वहां से सरदार पटेल महात्मा जी के जीवन-मरण के पूर्ण साथी बन गए।

२९जून, १९१७ को खेड़ा सत्याग्रह के विजयोत्सव में व्याख्यान देते हुये गांधीजी

ने कहा 'सेनापति की चतुरता अपने सहायकों की पसंद पर निर्भर है, । मेरी बात मानने को बहुत लोग तैयार थे, किन्तु मेरे मन में यह शंका थी कि मेरे साथ उप-सेनापति कौन हो । · · · ·वल्लभ भाई को प्रथम बार देखने पर मैं मन में सोचने लगा कि यह अक्खड़ पुरुष कौन है और वह क्या काम करेगा । किन्तु ज्यों २ वह मेरे निकट आते गए मेरा यह विश्वास बनता गया कि मुझे तो वल्लभ भाई ही चाहिये । · · · ·यदि मुझे वल्लभ भाई न मिले होते तो जो काम हुआ है वह न होता । मुझे इनके सम्बन्ध में इतना अधिक शुभ अनुभव हुआ है ।'

वास्तव में महात्मा गांधी सत्याग्रह के सिद्धान्तों के सूत्रों के ग्रन्थकार थे तो सरदार वल्लभभाई पटेल उनके भाष्यकार थे । किन्तु सरदार ने अपना भाष्य अक्षरों में न लिखकर उसको कार्यरूप में परिणत करके संसार के सम्मुख उपस्थित किया । खेड़ा सत्याग्रह उनका आरम्भिक प्रयोग था । उसमें उन्होंने न केवल सच्चे सत्याग्रही ढूंढ़ निकाले, वरन् उनको ट्रेनिंग देकर सच्चा सत्याग्रही भी बना दिया । इन व्यक्तियों में से कुछ को तो सत्याग्रह विशेषज्ञ के रूप में भारतव्यापी ख्याति प्राप्त हुई । उनमें से कुछ के नाम ये हैं —दरबार गोपालदास, रविशंकर महाराज, अब्बास तैय्यब जी, मोहनलाल पंड्या आदि । खेड़ा सत्याग्रह से ही महात्मा गांधी तथा वल्लभभाई पटेल दोनों एक दूसरे के महत्व तथा उपयोगिता को समझ सके ।

सैनिक भरती—इस समय जर्मनी के साथ प्रथम महायुद्ध पूरे वेग से चल रहा था । भारत की नौकरशाही सरकार उसमें जी जान से जुटी थी । वायसराय ने भारतीय जनता की सहायता प्राप्त करने के लिये २९ अप्रेल १९१८ को दिल्ली में कुछ नेताओं से भेंट की । इस भेंट के फलस्वरूप महात्मा गांधी ने सरकार के लिये सैनिक भर्ती करना आरंभ किया । इस कार्य के लिये महात्मा गांधी तथा वल्लभभाई पटेल अपने झोले में अपना खाना-दाना लिये हुए ग्राम-ग्राम घूमा करते थे । आरम्भ में महात्मा गांधी स्वयं भोजन बनाकर वल्लभभाई को खिलाया करते थे । बाद में वल्लभभाई भी भोजन बनाने लगे । ये दोनों बड़ी कठिनता से लगभग १०० व्यक्तियों को भरती कर सके । पहिले दल के सेनापति के रूप में गांधी जी और उपसेनापति के रूप में वल्लभभाई जाने वाले थे । उसमें गांधी जी ने घोषणा की थी कि वह रणक्षेत्र में सबके आगे रहेंगे, किन्तु शस्त्र धारण नहीं करेंगे । ९ नवम्बर १९१८ को जर्मनी के आत्म-समर्पण से गांधी जी तथा सरदार का सैनिक-भरती का कार्यक्रम समाप्त हो गया ।

रोलट एक्ट—"सत्याग्रह की यह खूबी है कि वह स्वयं हमारे पास चला आता है । उसे खोजने हमें जाना नहीं पड़ता । यह गुण उसके सिद्धान्त में ही समाया हुआ है ।" महात्मा जी के इस कथन से सरदार वल्लभभाई पटेल पूर्णतया

प्रभावित हो गए, किन्तु साथ ही वह बैरिस्टरी भी करते रहे। इसी समय १३ अप्रैल १९१९ को जलियांवाला बाग में विदेशी शासन की जो विभीषिका दिखाई पड़ी, उसने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को एकदम जगा दिया। इससे पूर्व इसी बीच महात्मा जी ने रौलट ऐक्ट के विरोध में फर्वरी १९१९ में सत्याग्रह संग्राम का श्रीगणेश कर दिया था। इससे देश में तूफान उठ खड़ा हुआ। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद आदि बड़े-बड़े नगरों में हड़तालें होने लगीं। ६ अप्रैल १९१९ को अहमदाबाद में भारी हड़ताल हुई। शाम को सरदार वल्लभभाई के नेतृत्व में इतना बड़ा जलूस निकला, जैसा पहिले कभी नहीं निकला था। सभा की कार्यवाही के पश्चात् सरदार ने जब्त पुस्तकों को स्वयं बेचकर कानून भंग किया। किन्तु पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। ७ अप्रैल से प्रेस ऐक्ट के अनुसार सरकार की अनुमति लिये बिना ही सरदार ने "सत्याग्रह पत्रिका" निकाली। इसका सारा कार्य सरदार के घर पर ही होता था। दिल्ली के दंगे का समाचार पाकर महात्मा गांधी दिल्ली जा रहे थे कि मार्ग में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे देश के अनेक भागों में दंगे हुए। इसके फलस्वरूप १० अप्रैल को अहमदाबाद में भी भारी दंगा हुआ। इस पर सरकार ने वल्लभभाई के दरवाजे पर कड़ा पहरा बैठा दिया। उस समय उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। किन्तु श्री वल्लभभाई भयंकर तूफान के बीच भी अचल खड़े हुए उसका शांतिपूर्वक सामना करते रहे और शांति स्थापित करने में सरकार को सहायता देते रहे तथा लोगों के मुकदमे लड़ते रहे। उनके इस साहस एवं धैर्य का तत्कालीन अंगरेज अफसरों पर अत्यन्त प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी मुक्त कंठ से श्री वल्लभभाई की सराहना की।

अहमदाबाद के इस दंगे के समय थानों आदि कुछ सरकारी इमारतों को जलाने के कुछ प्रयत्न भी किये गए। इसके फलस्वरूप अन्य स्थानों के समान अहमदाबाद में भी मार्शल-ला (जंगी कानून) लगाया गया। सरदार के निवास स्थान के पास ही कलैक्टर का कार्यालय तथा बैंक थे। अतएव वहां बंदूकधारी गोरे का पहरा २४ घण्टे रहता था। एक दिन सरदार पटेल रात को १० बजे अपने घर वापिस आ रहे थे तो बंदूकधारी गोरे ने उनके सीने पर बंदूक रखकर 'हू गोज देयर' (वहां कौन जाता है) कहा। सरदार ने उत्तर दिया 'सामने मेरा घर है वहीं जा रहा हूं' इस पर गोरे ने बंदूक हटा ली। बाद में महागुजरात आन्दोलन के समय कांग्रेस राज्य में उसी स्थान पर एक सत्याग्रही बालक के ऊपर कांग्रेस सरकार की पुलिस ने गोली चलाकर उसे वहीं ढेर कर दिया।

दुःख की बात है कि कांग्रेस राज्य में ८ अगस्त १९५६ को जब दो युवक महागुजरात की मांग के बारे में कांग्रेस कार्यालय में गये तो उन दोनों को पुलिस ने गोली मार दी। उनमें से एक की तो खोपड़ी ही उड़ गई। गुजरात के अन्य स्थानों

पर अनेक अन्य व्यक्ति भी इस आन्दोलन में शहीद हुए। उनका स्मारक बनाने के लिये महागुजरात आन्दोलन की ओर से दस मास तक सत्याग्रह चला, जिसमें २२०० से अधिक व्यक्ति जेल गये। इन जेल जानेवालों में सरदार पटेल के पुत्र श्री डाह्याभाई पटेल तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भानुमती भी थे। इस आन्दोलन का नेतृत्व उन्हीं इन्दुलाल याज्ञिक ने किया था, जो सरदार पटेल की अध्यक्षता काल में गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मन्त्री थे तथा जो गांधी जी के साथ यरवडा जेल में अढाई वर्ष तक रहे थे।

इस समय नडियाद इलाके में रेल लाइन भी उखाड़ी गई थी। इस आरोप में कुछ निरपराध व्यक्ति पकड़े गये। सरदार ने उनके बचाव की तन-मन-धन तीनों प्रकार से तैयारी की और स्वयं अदालत में उनकी पैरवी करके उनको छुड़ाया। इस कार्य के लिये अभियुक्तों से उन्होंने कोई फीस नहीं ली। इस मुकदमे के साथ ही सरदार ने वकालत छोड़ दी। वास्तव में यह उनका अन्तिम मुकदमा था।

अभी जलियांवाला बाग की ज्वाला ठण्डी नहीं हुई थी, और जनता के रक्त में उबाल रह-रहकर उठ आया था कि महात्मा जी ने जनता के समक्ष प्रस्ताव रखा कि सरकार के अत्याचारों से त्राण पाने का अमोघ अस्त्र सत्याग्रह है। महात्मा जी के मुख से सत्याग्रह शब्द निकलते ही लाखों आदमी असहयोग के लिए तुल गए।

गुजरात विद्यापीठ की स्थापना—११ जुलाई १९२० को नडियाद में गुजरात राजनीतिक परिषद् का वार्षिक सम्मेलन हुआ। उसमें सरदार के प्रस्ताव पर सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

इस सम्मेलन में एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करने का निश्चय भी किया गया। सरदार ने विद्यापीठ को उसके जन्मकाल से ही उसका अपने पुत्र के समान पालन किया और उसको आर्थिक चिन्ता से सदा मुक्त रखा।

असहयोग आन्दोलन में भाग—कलकत्ता कांग्रेस में लाला लाजपतराय के सभापतित्व में एक प्रस्ताव पास हुआ कि "पंजाब हत्याकांड से देश को बड़ी व्यथा पहुंची है। जब तक सरकार पंजाब के मामले में न्याय न करे और इस बात की गारन्टी न दे कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न होगी और पुलिस निरपराध जनता पर अत्याचार करना बन्द न करे तब तक उसके साथ हमारा असहयोग चलता रहेगा। जनता को चाहिये कि वह सरकारी नौकरियों, उपाधियों, कचहरियों, और स्कूलों का बहिष्कार कर दे। विद्यार्थी स्कूल व कालिजों में पढ़ना तथा वकील वकालत करना छोड़ दें। गांव गांव में राष्ट्रीय पंचायतें बनाई जायें। विदेशी वस्त्र

का बहिष्कार तथा स्वदेशी खादी का प्रचार किया जावे और कौंसिलों का भी बहिष्कार कर दिया जावे ।"

नागपुर कांग्रेस में कांग्रेस का नया विधान बनाने के उपरान्त सभी प्रान्तों में कांग्रेस की प्रान्तीय समितियां बनाई गईं। सरदार आरम्भ से ही गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गये थे। वह १९४२ तक प्रतिवर्ष चुने जाते रहे।

इसके उपरान्त देश में असहयोग की ज्वाला बड़े वेग से प्रज्वलित होने लगी। अब श्री वल्लभभाई ने बेरिस्टरी छोड़ दी। यद्यपि वह अपने लड़के लड़की को विलायत भेज कर उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे, किन्तु उन्हें भी उन्होंने स्कूलों से उठा लिया। सब कुछ छोड़कर श्री वल्लभभाई सारे गुजरात प्रान्त में घूम घूम कर असहयोग का प्रचार करने लगे और शांति क्रांति का पुनीत सन्देश देश के युवकों को देने लगे।

असहयोग के कारण जनता ने जेलों को ठसाठस भर दिया। असहयोग की आंधी देश में पहिले कभी भी नहीं आई थी। इससे शक्तिशाली सत्ताधारियों के आसन हिल उठे और सरकार दमन पर तुल गई। आन्दोलन को दबाने के लिये सरकार ने सारी शक्ति लगा दी। किन्तु सरकार जितना दबाती जाती थी, असहयोग उतना ही बढ़ता जाता था।

सरदार ने १९२० की गर्मियों से खादी पहनना आरम्भ किया। मणिबेन और डाह्याभाई ने भी उनके साथ ही साथ खादी पहनना आरम्भ कर दिया था।

अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी द्वारा असहयोग—यद्यपि इस समय अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में कांग्रेस का बहुमत बहुत थोड़ा था, किन्तु उसने सरदार की प्रेरणा से ११ फरवरी १९२१ को एक प्रस्ताव द्वारा अपने सभी स्कूलों का सरकार से सम्बन्ध तोड़ लिया। इस पर म्युनिसिपैलिटी की मार्फत सरदार का सरकार के साथ भयंकर संघर्ष हुआ। अंत में सरकार ने अहमदाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को उसकी आयु समाप्त होने से कुल २ मास पूर्व तारीख ९ फरवरी १९२२ को पदच्युत कर दिया। जनता के सदस्यों ने जो स्कूल सरकार की सहायता के बिना म्युनिसिपैलिटी के कोष से खोले थे, सरकार ने उनका खर्च वसूल करने का दावा उन सदस्यों पर किया। सरदार वल्लभभाई ने अदालत में इस मुकदमे की पैरवी स्वयं की, जिससे सरकार का दावा हाई कोर्ट तक से खारिज हो गया और उसे प्रतिवादियों को मुकदमे का खर्चा भी देना पड़ा।

अहमदाबाद कांग्रेस—दिसम्बर १९२१ में कांग्रेस का वार्षिक महासम्मेलन अहमदाबाद में हकीम अजमलखां की अध्यक्षता में किया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल इसके स्वागताध्यक्ष थे। इस कांग्रेस के लिए सरदार ने अपना दिन रात एक

करके धन एकत्रित किया और अपनी प्रबन्धपटुता का प्रमाण देकर इस सम्मेलन को सफल बनाया। इस सम्मेलन के एक प्रस्ताव द्वारा सामूहिक करबन्दी सत्याग्रह के लिये बारडोली ताल्लुका चुना गया।

चोरी चोरा काण्ड—अब बारडोली में सत्याग्रह की तैयारी जोर शोर से की जाने लगी। महात्मा गांधी ने १ फरवरी १९२२ को वायसराय को एक पत्र भेज कर सूचना दी कि वह बारडोली में शीघ्र ही करबन्दी आन्दोलन आरम्भ करने वाले हैं। किन्तु ८ फरवरी १९२२ को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में एक कांग्रेस के जलूस की भीड़ ने पुलिस के २१ सिपाहियों और थानेदार को थाने में खदेड़कर उसमें आग लगा दी, जिससे वह सब वहीं जल मरे। उधर प्रिंस आफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध स्वरूप बम्बई और मद्रास में भी दंगे हुए। अतएव महात्मा गांधी ने १२ फरवरी १९२२ को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक करके निश्चय किया कि चौरी चौरा काण्ड ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बारडोली में सत्याग्रह अभी आरम्भ नहीं किया जावेगा।" इससे न केवल बारडोली के निवासियों में वरन् समस्त देश में निराशा छा गई। इस देश व्यापी निराशा का लाभ उठा कर सरकार ने १० मार्च १९२२ को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके १८ मार्च को उन्हें ६ वर्ष के कारागार का दण्ड दिया। जिस समय मैजिस्ट्रेट ब्रूमफील्ड ने इस दण्ड की घोषणा की न्यायालय के कमरे में डा. राजेन्द्र प्रसाद, सेठ जमनालाल बजाज, श्रीमती सरोजनी नायडू तथा गुजरात के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। महात्मा जी की दण्ड आज्ञा सुनकर वे सभी अपने को अनाथ समझ कर रो पड़े। किन्तु इस समय सरदार पटेल ने न केवल स्वयं धैर्य धारण किया, वरन् अन्य सब को भी धैर्य बंधाया। महात्मा गांधी जब तक जेल में रहे तब तक सरदार ने माता कस्तूरबा तथा सभी आश्रमवासियों की पिता के समान देखभाल की। वह नियमित रूप से अपने साथ एक डाक्टर लेकर उनके पास सप्ताह में दो बार जाया करते थे और उनके सभी प्रकार के अभाव को दूर किया करते थे।

१ दिसम्बर १९२२ से सरदार ने अनेक कार्यकर्ताओं तथा स्वयंसेवकों को लेकर अहमदाबाद की कपड़ा मण्डी में विदेशी वस्त्र पर धरना देने का कार्य आरम्भ किया।

श्री वल्लभभाई इस समय गुजरात के सच्चे नेता के रूप में जनता के सामने आए। वे बातून नहीं थे, ठोस काम करना खूब जानते थे। गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात् देश में सन्नाटा छा गया। असहयोग भी शिथिल होने लगा। किन्तु श्री वल्लभभाई बराबर मैदान में डटे रहे और कांग्रेस का रचनात्मक कार्य करते रहे। कांग्रेस के प्रत्येक कार्य चर्खा, खादी, पुनरुत्थान, अछूतोद्धार, किसान संगठन तथा

व्यवहारिक शिक्षा आदि में उन्हें सफलता दिखाई देती थी। वे बराबर कार्यक्षेत्र में डटे रहे।

इसी समय सरकार ने दूसरा षड्यंत्र रचा, जिससे असहयोग आन्दोलन की प्रतिक्रियास्वरूप हिन्दू मुस्लिम परस्पर एक-दूसरे का सर फोड़ने लगे। किन्तु श्री वल्लभभाई तब भी अपने पथ से तनिक भी विचलित न हुए और निरन्तर अपने उद्योग में लगे रहे। इन्हीं दिनों श्री वल्लभभाई ने ब्रह्मा तक यात्रा करके गुजरात विद्यापीठ के लिए दस लाख रुपये एकत्रित किये। इस आन्दोलन का नेतृत्व श्री वल्लभभाई ने जिस ढंग से किया वह उन्हीं के अनुरूप था।

नागपुर का झण्डा सत्याग्रह—सच्चे नेता का गुण श्री वल्लभभाई में पहिले ही विकसित हो रहा था। महात्मा जी के सम्पर्क से उनमें सत्य और अहिंसा का भी समावेश हो गया। वकालत करने से व्यवहारिक ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हो गया था। इसी सत्य और अहिंसा के परम तत्व को व्यवहार में लाकर श्री वल्लभभाई ने देश के प्रत्येक आन्दोलन में खुलकर भाग लिया और सरकार का मानमर्दन किया।

नागपुर के कलेक्टर ने १ मई १९२३ को कांग्रेस के एक जुलूस पर झण्डा लेकर चलने पर पाबन्दी लगा दी। अब नागपुर में राष्ट्रीय झण्डे की मान रक्षा के लिये देशभक्तों ने पुनः सत्याग्रह संग्राम का सूत्रपात किया। नौकरशाही ने झण्डे की शान को धूल में मिलाने की अत्यधिक चेष्टा की, किन्तु उसे सफलता न मिली। सैकड़ों सत्याग्रही टोलियाँ बना बना कर एक के बाद दूसरी के हिसाब से जेल जाने लगे। श्री वल्लभभाई ने गुजरात से बहुत सी टोलियां भेजीं और रुपया भी दिया, क्योंकि यह राष्ट्रीय झण्डे की मान मर्यादा का प्रश्न था। इस अवसर पर श्री वल्लभभाई कैसे चुप बैठ सकते थे।

सरकार ने जब श्री जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया तो कांग्रेस ने सत्याग्रह के संचालन का भार श्री वल्लभभाई को सौंप दिया। गुजरात से सत्याग्रहियों के दल के दल बराबर पहुंच रहे थे। गर्वनर ने सत्याग्रह को एक दम गैरकानूनी ठहरा दिया था। किन्तु श्री वल्लभभाई पर सरकार की इस धमकी का कोई असर न हुआ। उन्होंने अपने उद्योग में कोई शिथिलता न आने दी। एक टोली के गिरफ्तार होने के पश्चात् दूसरी टोली झण्डा फहराती, बन्दे मातरम् से आकाश गुंजाती और जयध्वनि करती वहां जा पहुंचती। बहुत दिनों तक नौकरशाही और सत्याग्रहियों के बीच इस प्रकार संघर्ष होता रहा।

अंत में सत्य और अहिंसा के आगे नौकरशाही के अन्याय और अत्याचार के पैर कांपने लगे और वह झुकने को विवश हो गई। श्री जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी के दस-पन्द्रह दिन के बाद ही गवर्नर ने श्री वल्लभभाई से बातें कीं और बिना किसी शर्त के सत्याग्रहियों को ९ सितम्बर १९२३ को छोड़ दिया।

अब जनता की सारी मांगें स्वीकृत हो गई। निशस्त्र सत्याग्रही शस्त्रधारी सरकार की प्रतिस्पर्द्धा में शान्तिपूर्वक जीत गए। सरकार को ऐसी करारी हार खाने की आदत ही पड़ चुकी थी। सत्याग्रही वीर गगनचुम्बी राष्ट्रध्वज को शान से फहराते हुए लौटे।

नागपुर सत्याग्रह के संचालन में श्री वल्लभभाई के प्रबन्ध कौशल, अद्‌भुत साहस, शौर्य, दिन रात एक कर देने तथा हजारों आदमियों को एक सूत्र में शासन में बांध रखने के अलौकिक गुणों में उनके सैनिक और सेनापतित्व दोनों का परिचय और समन्वय मिलता है। जो सैनिक नहीं बनता वह भविष्य में सेनापति के ऊंचे और गौरवपूर्ण आसन को सुशोभित करने के योग्य नहीं हो सकता। गांधी जी की छत्र-छाया में श्री वल्लभभाई ने इंगित मात्र पर भूख प्यास से नाता तोड़कर रातों जाग कर, घोर परिश्रम करते हुए किस प्रकार व्यस्त जीवन व्यतीत किया, इसका आज अनुमान नही लगाया जा सकता। इसी से कहा जाता है कि श्री वल्लभभाई असीम साहस एवं अनुशासन की मूर्त्ति थे।

इतना ही नहीं पं. माखनलाल जी चतुर्वेदी के मुन्दर शब्दों में जब महात्मा जी छोटे से छोटे आदमी के कौतुहलों का भी प्रत्युत्तर दे देते थे, तब वल्लभभाई से प्रश्न पूछने का भी साहस बहुत कम को हो पाता था। श्री वल्लभभाई में वीरोचित क्षमता थी। वे सेनापति से अधिक कुछ नही और न होना ही चाहते थे। श्री वल्लभभाई का कार्यक्रम आरम्भ होने पर ही ज्ञात होता था, इससे पूर्व कोई कुछ नहीं जान पाता था। इस प्रकार वे बरसने वाले मेघ सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने किसान का दिल देखा और उसे भारतीय प्रतिनिधि के रूप में आप ने ही परखा। किसान आप को और आप किसान को खूब समझते थे। काका कालेलकर के शब्दों मे "जब किसान व्याकुल होने लगता था तब आप का रक्त उबलने लगता था।" श्री वल्लभभाई भारतीय किसान की आत्मा थे। उनकी वाणी आग उगलती थी। श्री वल्लभभाई की शैली ही इस प्रकार थी कि "शत्रु का लोहा भले ही गरम हो जाय, पर हमारा हथौड़ा ठंडा ही काम दे सकता है।" आप के इसी स्वभाव के कारण जहां-जहां जिस-जिस क्षेत्र में आपने हाथ डाला सर्वत्र विजय प्राप्त की।

बोरसद सत्याग्रह—अभी श्री वल्लभभाई नागपुर के सत्याग्रह से निश्चिन्त हुए ही थे कि हमारी आशातीत सभ्य सरकार ने नवीन युक्ति विचार कर उसे कार्य रूप मे परिणत भी कर दिया। सरकार की ओर से परिषद् की प्रजा पर दोषारोपण किया गया कि बोरसद की प्रजा अराजक, विकृत मस्तिष्क वाली, नीच कार्य करने वाले मनुष्यों को आश्रय देती तथा उनके पकड़वाने में सहायता नहीं करती। यह आरोप सरकार ने नवम्बर १९२३ में लगाया था। जनता पर यह दोषारोपण कर सरकार ने वहां अतिरिक्त पुलिस नियुक्त कर दी और इस पुलिस

के व्यय के दण्डस्वरूप बोरसद ताल्लुके से उसने दो लाख ४० हजार रुपये वसूल करने का आज्ञापत्र भी निकाल दिया।

इन सब आरोपों में से एक भी सत्य न था। अतः श्री वल्लभभाई पटेल ने सरकार को चुनौती दी कि वह जनता के विरुद्ध लगाये गए इन आरोपों को सच्चा सिद्ध करे। अब यदि सरकार इनको सत्य ही सिद्ध कर देती तो श्री वल्लभभाई के लिए कृष्ण मंदिर का द्वार खुला ही था। परन्तु अपराध तो सरकार का था। स्वयं उसके मन में ही चोर था। श्री वल्लभभाई ने सरकारी नीति का भण्डाफोड़ कर यह सिद्ध कर दिया कि कभी-कभी अधिकारियों की अक्ल का भी दिवाला निकल जाता है। वे लगभग एक माह तक गांव गांव घूम कर जनता के सामने अधिकारियों की पोल खोलते रहे। उन्होंने जनता को प्रेरणा की कि वह दण्ड रूप में लगाए हुए टैक्स का एक पैसा भी सरकार को न दे।

इस समय जनता को श्री वल्लभभाई के गिरफ्तार होने की पूर्ण सम्भावना थी। किन्तु श्री वल्लभभाई की कड़ी आलोचना के कारण सवा महीने के भीतर भीतर गवर्नर ने होम मेम्बर को भेजकर मामले की जांच कराई। अन्त में जनता के ऊपर जबरन लादा हुआ २ लाख ४० हजार का जुर्माना सरकार ने स्वयं माफ कर दिया। अब सत्याग्रह समाप्त कर दिया गया। यहां भी विजयश्री आपको ही मिली।

बोरसद ताल्लुके का संगठन बड़ा सुदृढ़ था। श्री वल्लभभाई की बिना आज्ञा कोई निस्तब्धता भंग नहीं कर सकता था। अधिकारियों में इतनी हिम्मत न थी कि वह जनता को डरा धमका कर दण्ड का पैसा वसूल कर सकें। बोरसद की जनता पर श्री वल्लभभाई का रंग चढ़ चुका था। वे अपने प्रमाणित सेनापति के अनुशासन को किस प्रकार भंग कर सकते थे ? सबके मुख पर एक ही शब्द था कि बिना श्री वल्लभभाई की आज्ञा के हम कुछ नहीं कर सकते। श्री वल्लभभाई के यह शब्द कि राजसत्ता यदि अत्याचारी हो तो किसान का सीधा उत्तर है कि "जा जा ! तेरे ऐसे कितने ही राज्य मैंने मिट्टी में मिलते देखे हैं" किसानों के कानों में गूंजा करते थे। किसानों को इस प्रकार संगठित करने का परिणाम यह हुआ कि सरकार अत्यधिक प्रभावित हो गई। आसपास के गांवों में यह बात फैल गई कि बोरसद से पुलिस खाली हाथ परेशान होकर लौटी। सरकार को मुंह की खानी पड़ी।

इसके अनन्तर बोरसद के पास के आनन्द ताल्लुके में भी सरकार ने कई गांवों पर इसी प्रकार के अतिरिक्त कर लगा दिये। किन्तु जनता ने उनको देने से एकदम साफ नहीं कर दी। अन्त में हार कर सरकार को यहां भी झुकना पड़ा और जनता के केवल एक ही प्रार्थना पत्र पर वह दण्ड भी क्षमा कर दिये गए।

शक्तिशाली सरकार की प्रतिस्पर्द्धा में निरीह भारतीय जनता के विजयी होने का श्रेय उसके सुयोग्य सुदक्ष एवं दूरदर्शी सेनापति श्री वल्लभभाई को था। उन्होंने दीन निरीह ग्रामीण जनता को केवल ईश्वर के नाम निर्बल के बल राम के सहारे अपने अधिकारों के लिये लड़ना सिखाया। सैकड़ों की संख्या में किसान जब उनसे कहते कि इतनी शक्तिशाली सरकार के विरोध में हम कैसे खड़े हो सकेंगे तब श्री वल्लभभाई शान्तिपूर्वक बड़ी गम्भीरता से उन्हें सत्याग्रह की दीक्षा देते हुए बतलाते कि "निर्बल के बल केवल राम हैं। उन्हों के सहारे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अड़ जाओ। देश तुम्हारा है, तुम देश की आत्मा हो। सत्य की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दो। अन्त में तुम्हारी विजय होगी।" इस प्रकार श्री वल्लभभाई ने करोड़ों निर्जीव से शिथिल किसानों में नव प्राण की स्फूर्ति भर कर उन्हें सरकार के प्रतिरोध में लड़ने को सन्नद्ध कर दिया।

वास्तव में श्री वल्लभभाई का निर्माण उन्हीं उपकरणों से हुआ था जिनसे एक बलि देने वाले पुरुष का। उनकी परिस्थिति, असीम धैर्य, संगठन शक्ति और विवेक बुद्धि ने ही उन्हें नेता के पथ पर ला कर खड़ा किया था। यद्यपि श्री वल्लभभाई में वह कूटनीतिज्ञता नहीं थी जो राजनीति की मुख्य वस्तु है, पर उनमें वह गम्भीरता और नवजीवन संचारक भावावेश प्रचुर मात्रा में थे जो सफल सरदार का निर्माण करते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे बारडोली के सत्याग्रह से पूर्णरूप से सरदार कहलाने लगे। खेड़ा, नागपुर, बोरसद आदि के सत्याग्रह इन्हीं गुणों के बल पर जीते गए। तत्कालीन भारतीय नेताओं में किसानों की पीड़ा को समझने वाला श्री वल्लभभाई पटेल के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था।

अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी की चेयरमैनी—महात्मा जी अभी जेल में ही बन्द थे। बाहर श्री वल्लभभाई बड़ी संलग्नता से सार्वजनिक कार्यों को चला रहे थे। श्री वल्लभभाई का यथाशक्ति यही यत्न था कि कार्यों में शिथिलता न आने पावे। इसलिये उन्हें उंगली हिलाने मात्र की भी फुर्सत न थी। गांधी जी के जेल से छूट जाने पर उनका भार कुछ हल्का हुआ, फिर भी आप खाली न रहे। वे खाली बैठने वाले जीव नहीं थे। अहमदाबाद में उन्होंने कांग्रेस का रचनात्मक कार्य आरम्भ कर दिया।

१९२४ के आरम्भ में अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी को सरकार ने बहाल कर फरवरी १९२४ मे उसके नए चुनाव कराए। उसके ४८ निर्वाचित स्थानों में ३५ स्थान सरदार के अनुयायी कांग्रेसियों को मिले। अतएव उन्होंने सरदार को ही अपना चेयरमैन चुना। इस समय जवाहर लाल नेहरू को इलाहाबाद में, राजेन्द्र बाबू को पटना में तथा डाक्टर भगवानदास को वाराणसी में बोर्ड का चेयरमैन चुना गया। सरदार पटेल १९२७ के चुनाव में भी दुबारा चेयरमैन चुने

गये, किन्तु १९ अप्रल १९२८ को उन्होंने म्युनिसिपल बोर्ड का परित्याग कर दिया। इन पांच वर्षों में आपने अहमदाबाद की गन्दगी दूर कर दी और शिक्षा-प्रचार को प्रोत्साहन दिया। अब जनता में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई और वह सफाई, स्वास्थ्य तथा नागरिक अधिकारों का महत्त्व समझने लगी।

गुजरात की बाढ़—इस समय जुलाई १९२७ में गुजरात की ५ नदियों में एक दम बाढ़ आ गई। लगभग अढाई-तीन सहस्र मील के समूचे प्रदेश में विनाश-लीला का ताण्डव नृत्य आरम्भ हो गया। इस बाढ़ के कारण गांव के कच्चे-पक्के मकान बैठ गये और उनके ऊपर से बाढ़ का जल बहने लगा। इससे न केवल लाखों व्यक्ति बेघरबार हो गये, वरन् उनमें से अनेक का माल-असबाब, अन्न-भण्डार, पशु आदि सब कुछ इस राक्षसी बाढ़ में नष्ट हो गया। इस बाढ़ के कारण कच्चे-पक्के मार्गों का तो क्या कहना रेलवे लाइनें भी बह गई। इटोला (बड़ौदा से १५ मील) से बड़ौदा तथा अहमदाबाद तक रेल यातायात भंग हो गया। रेल लाइन के दोनों ओर के सब गांव बाढ़ में डूब गये। बड़ौदा नगर की गलियों तक में नावें चलने लगीं। इस कारण अनेक पशुओं के अतिरिक्त जन-हानि भी पर्याप्त हुई। इस महाविनाश के कारण जनता में हा-हाकार मच गया। सरकार तथा उसके कर्मचारी इस दृश्य को देखकर भी अकर्मण्य बने रहे। एक स्थान पर तो कलेक्टर के मकान को भी बाढ़ ने चारों ओर से घेर लिया और उसके बाल बच्चे अन्न के बिना भूखों मरने लगे। गुजरात की इस बाढ़ के समय गांधीजी बंगलौर में बीमार पड़े थे, उन्होंने वहां से सरदार को तार देकर पूछा कि:

'क्या मैं आऊं ?'

इस पर सरदार ने उत्तर दिया

'आप हमको दस वर्ष से शिक्षा दे रहे हैं। उसका हमने कितना पाचन किया है तथा हम उसको किस प्रकार कार्यरूप में परिणत कर रहे हैं, यह देखना हो तो आइये।'

ऐसी स्थिति में सरदार पटेल ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने उनकी सहायता के लिये अपना एक अलग फण्ड खोला, जिसमें नकदी के अतिरिक्त अन्न, वस्त्र, औषधियां, बांस, बल्ली, ईंट, चूना तथा सीमेंट आदि भवन निर्माण की सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में आने लगी। सरदार ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये स्वयंसेवकों की भर्ती की, जो जनता में घूम-घूम कर उसकी सहायता करने लगे। प्रथम उन्होंने बाढ़ में फंसे हुए लोगों को पका-पकाया अन्न बांटा। उन्होंने खेड़ा के उस कलेक्टर के मकान तक पहुंचने के लिये चार-चार-पांच-पांच फुट जल पार कर उसके बाल-बच्चों की अन्न से सहायता की। कलेक्टर ने उनकी सहायता के लिये उन्हें सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया, जिससे

सन् १९२७ में गुजरात में बाढ़ प्रलय का निरीक्षण करते हुए सरदार पटेल, श्री विट्ठल भाई पटेल, वाएसराय लार्ड इर्विन तथा उनके साथी

मद्रास म सरदार जुलूस म जात हुए मोटर म

सरकार ने बुरा माना। फिर उन स्वयंसेवकों ने जनता के घरों की सफाई करा कर उनके टूटे हुए मकानों को दोबारा बनवाने का काम हाथ में लिया। किन्तु इस कार्य के लिये प्रभूत धनराशि की आवश्यकता थी। अतएव सरदार ने जनता से अपील की कि वह अधिक मात्रा में धन दान दे। इस पर जनता ने मुक्त-हस्त होकर सरदार की अपील का अनुकूल उत्तर दिया। अब सरदार ने न केवल टूटे हुए मकानों को नये सिरे से बनवाया, वरन् अनेक कच्चे मकानों को भी पक्का बनवा दिया। सरदार की देखादेखी भारत के अनेक भागों से सहायता आने लगी। सरकार ने इस कार्य के लिये आरम्भ में कुल दो सौ पचास रुपये दिये।

सरदार के ज्येष्ठ भ्राता श्री विट्ठल भाई पटेल इन दिनों दिल्ली की केन्द्रीय धारा सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) थे। अतएव राजनीतिक क्षेत्रों में उनको प्रेसीडेंट पटेल के नाम से सम्बोधित किया जाता था। गुजरात के इस संकट के समय सरदार के पत्र पाकर वह भी नई दिल्ली से आकर दो मास तक नडियाद में रहे। उन्होंने वायसराय लार्ड इर्विन को आग्रहपूर्वक गुजरात बुलाकर बाढ़ की विनाश लीला का दृश्य दिखलाया, जिससे सरदार के अलौकिक कार्य को देखकर उनको इतना अधिक आश्चर्य हुआ कि सरकार ने अपने अकाल कोष से १ करोड़ रुपये की रकम निकाल कर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये सरदार वल्लभभाई के हाथों में चुपचाप सौंप दी। अपनी इस सेवा के कारण सरदार गुजरात की जनता के हृदयहार बन गये और गुजरात-वल्लभ कहलाने लगे।

गुजरात की इस बाढ़ के लिये सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने सारे भारत में सामान्य रूप से तथा बम्बई में विशेष रूप से धन एकत्रित किया। ईस्ट इण्डिया काटन एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के कारण उनको समस्त भारत से धन मिला। किन्तु धन एकत्रित करके भी वह यह प्रतीक्षा करते रहे कि सरदार उनसे स्वयं सहायता मांगे। अन्त में सरदार से कोई सन्देश न मिलने पर उन्होंने स्वयं ही उनके पास सहायता के लिये धन भेजा। गुजरात की इस बाढ़ में रामकृष्ण मिशन ने भी पर्याप्त सहायता कार्य किया।

सरदार के इस अनुपम सेवा कार्य की देश भर में प्रशंसा की गई। सरकार ने भी उनकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की। इस प्रकार सरदार ने सरकार तथा गुजरात की जनता पर अपनी कर्मठता की अमिट छाप लगा दी।

गुजरात के इस बाढ़ संकट के समय जो राहत कार्य हुआ उससे आपत्ति के समय प्रजा क्या कर सकती है इसकी नई प्रणाली पड़ी। सरदार की शिक्षा पा कर जो कार्यकर्ता वहां तैयार हुये, उन्होंने बाद में बिहार में भयंकर भूकम्प आने पर अपने अनुभव का लाभ बिहार को दिया।

अध्याय ३

बारडोली सत्याग्रह

बारडोली का ताल्लुका सूरत जिले में है। वह बड़ा ही रमणीय प्रदेश है। बारडोली गुजरात उद्यान की सुन्दर वाटिका का खिला हुआ गुलाब है। कोसों तक हरे-भरे खेत लहलहा रहे हैं। स्थान-स्थान पर आमों के झुंड खड़े हुए हैं। कहीं-कहीं बड़े-बड़े वृक्षों की कतारें टेढ़ी-मेढ़ी चली गई हैं। उन पर बेलें चढ़ी हुई हैं और आस-पास अगणित छोटे-छोटे जंगली पौदे खड़े हुए हैं।

सन् १९२१ से पूर्व किसी ने बारडोली का नाम भी नहीं सुना था। आज बारडोली की कीर्ति दूर-दूर तक फैली हुई है। किसानों तथा पिछड़ी हुई जातियों के बल पर देश में कोई इतना बड़ा आन्दोलन नहीं हुआ और न किसी जाति ने राजनैतिक कार्यों में इतना बड़ा भाग लिया था। बारडोली ने हमें इसका अनुभव करा दिया कि ग्राम संगठन के बल पर किस प्रकार असम्भव बात भी सम्भव हो सकती है। अभी तक सरकार छोटे-छोटे सत्याग्रहों के किये जाने के कारण भी अपने को अजेय समझ रही थी। किसी देश के स्वतन्त्रता-प्राप्ति के मार्ग में सब से बड़ा विघ्न है राजसत्ता का आतंक। बारडोली ने अपने सत्य, संगठन एवं दृढ़ता से संसार के सामने नवीन आदर्श रखा और यह सिद्ध कर दिया कि कोई देश यदि अपने मिथ्या भय को त्याग कर अपने अधिकारों की प्राप्ति एवं त्याग के लिये निर्भय होकर सन्नद्ध हो जाय तो संसार की कोई शक्तिशाली से शक्तिशाली सरकार भी उसको लक्ष्य पथ से विचलित नहीं कर सकती।

बारडोली का प्राकृतिक वर्णन—बारडोली का ताल्लुका २० मील लम्बा और लगभग इतना ही चौड़ा है। सूरत की वाटिका का सुविकसित गुलाब तो यह है ही, साथ ही इसकी पृथ्वी बड़ी उपजाऊ है। ताप्ती, मिठोला तथा पूर्णा इन तीनों बड़ी नदियों के अतिरिक्त और भी कई छोटी-छोटी नदियां यहां बहती हैं। बारडोली के ताल्लुके में छोटे-बड़े कुल १३२ गांव हैं। इन सबकी जनसंख्या मिलाकर उन दिनों ८७,००० होगी। उत्तर में ताप्ती नदी बहती है। पूर्व और पश्चिम में बड़ौदा राज्य और दक्षिण में गायकवाड़ी राज्य थे। पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की धरती अच्छी है। पूर्व के गांव जंगली, पहाड़ी और दरिद्र हैं। वर्षा भी कम होती है। पश्चिम की धरती अच्छी है और मिट्टी काली है। वहां कपास, ज्वार, चावल आदि कई वस्तुएं उत्पन्न होती थीं।

बारडोली के निवासी—बारडोली का प्राचीन इतिहास उपलब्ध नहीं।

आजकल वहां की प्रजा दो भागों में बंटी हुई है। एक उजली परज, दूसरी काली परज या रानी परज। इनके अतिरिक्त और भी कई जातियां वहां रहती हैं। किन्तु प्रधानता कणवी जाति की है। यह कुर्मी क्षत्रियों की एक शाखा है। यह बड़ी स्वाभिमानी, परिश्रमी तथा आन पर मर मिटने वाली जाति है।

यही कणवी जाति १९२१ में महात्मा जी से प्रतिज्ञाबद्ध होकर असहयोग के मैदान में कूद पड़ी थीं। साधारण ढंग से देखने पर यह जाति विशेष उत्साही नहीं दिखाई देती। बातचीत बहुत सादी है। उसमें न विशेष बुद्धि, न कोई चतुराई ऊपर से दिखाई देती है। महात्मा जी के सामने उन्होंने दो प्रतिज्ञाएं की थीं। एक तो विदेशी कपड़ा न खरीदने की, दूसरी अछूतोद्धार की। तब से महात्मा जी ने वहां खद्दर और चर्खे का खूब प्रचार कर दिया। अब यह जाति भी जागी और श्री कुंअर जी भाई ने खुले शब्दों में कहा कि सत्याग्रह का आरम्भ सूरत से होना चाहिये। यहीं से अंग्रेजों ने अपनी उन्नति शुरू की थी, अतः इसी मार्ग से उनको विदा कर उसका प्रायश्चित्त करने का अवसर सूरत को दिया जाना चाहिए। श्री कुंअर जी भाई की यह दलील काम कर गई। सत्याग्रह का शंखनाद गूंज उठा। वायसराय को चुनौती दे दी गई और बारडोली की सेना सुसज्जित हो सेनापति की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगी कि जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है, सेनापति ने युद्ध रोक दिया। चौरी चौरा ने सब कुछ समाप्त कर दिया। बारडोली की जनता यों ही मन मार कर बैठी रही। किन्तु सच्ची लगन उनके हृदय में जाग चुकी थी।

सन् १९२१ से बहुत से किसान खादी की गांधी टोपी पहिनते थे, उस समय वे खूब कातते भी थे। अब उन्होंने सब छोड़ दिया है। इन लोगों को भला-बुरा दिखाई देने की कुछ भी परवाह नही। भला दिखाई देने के लिए वह अपना रहन-सहन नहीं छोड़ सकते। उनकी विचित्र पगड़ियां, ऊंची-ऊंची दीवालों वाली टोपियां, धोती बांधने का विचित्र ढंग देखकर कदाचित ही हम अपनी हंसी रोक सकेंगे।

उनका रहन-सहन—खाली होने पर यह लोग चौपाल में जा बैठते हैं और परस्पर बातें करते हुए खूब तम्बाकू पीते हैं। चिलम और बनी बनाई बीड़ी का उपयोग कम करते हैं। अपनी जेब में तम्बाकू और टेम्रू की पत्तियां रखते हैं। बात-चीत करते जाते हैं और मोटी मोटी बीड़ियां बनाते जाते हैं। शिक्षा का वहां अभाव था। मैट्रिक पास कणवी उंगलियों पर गिनने योग्य थे। किन्तु परिश्रम एवं दृढ़ता में यह जाति कितनी सजग और अचल थी इसे आज सब कोई जानते हैं।

कणवी ही पाटीदार कहाते हैं। इनकी दो मुख्य जातियां हैं। कड़वा और लेवा। इनके अतिरिक्त मतिया और ऊदा उनके दो उपभेद भी हैं। ये दोनों कबीर के भक्त हैं। ऊदा जाति पर मुस्लिम संस्कृति का भी प्रभाव है। यह लोग अपने धर्म गुरु को महन्त कहते हैं। इनमें कहीं कहीं कन्या विक्रय भी होता है। उत्तरी भारत

तथा महाराष्ट्र जैसा वरविक्रय यहां नहीं होता। इनकी लग्न विधि बड़ी सरल है। महन्त आता है और वर वधू का हथ-लेवा (पाणिग्रहण) करा देता है। कुछ कबीर के भजन गाए जाते हैं। तत्पश्चात् लोग हलवा खाते हैं। इसी प्रकार मृत्यु सम्बन्धी रिवाज भी बड़े कम खर्चीले हैं। मृत्यु के समय भी भजन गाए जाते हैं।

उनकी दूसरी विशेषता है उनका समान रहन-सहन और यूथबल। सबके मकान, दरवाजे, छत एक सी। पशु बांधने का ढंग एक सा। मिट्टी की कोठियां एक सी बनी हुई। सारांश यह है कि सबके सब एक से नियम बर्तते हैं कि जिस प्रथा को पकड़ लिया छोड़ना नहीं जानते। बेशक उन्हें बरबाद होना पड़े। यदि इनमें दृढ़ता और एकता न होती तो यह प्राणों की बाजी कैसे लगा सकते थे ?

बारडोली के कणवी पाटीदारों की स्त्रियां खेती के काम में बड़ी दृढ़ और सुदक्ष होती हैं और उसमें पुरुषों के साथ भाग लेती रहती हैं। कुछ पढ़ी लिखी भी हैं। जब कभी उनके पति बाहर चले जाते हैं, घर का काम रुका नहीं रहता। फलतः किसानों का जीवन बड़ा सुखी है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि कितनी स्त्रियों ने कायरों को वीर बना दिया और कितने ही पराङ्मुख पुरुषों को सीधे मार्ग पर स्थिर कर दिया। बारडोली की पाटीदार बहिनों ने भी यही किया। उन्होंने समस्त पुरुषों को कह दिया कि हमारी तरफ से निश्चिन्त रहो, विजयी होकर घर लौटना।

"अनाविल" इधर के ब्राह्मणों की एक सुशिक्षित और अग्रगामी शाखा है। इस जाति ने भी देश को कई रत्न दिये। श्री पूज्य महात्मा जी के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री महादेव देसाई, भूला भाई तथा मुरार जी देसाई इसी जाति के दीपक थे।

यहां के वैश्य और पारसी व्यापार में लगे हुए हैं। महाजन लेनदेन तथा कपास का व्यापार करते हैं और पारसी कपास व शराब का। मुसलमान न शिक्षा में बड़े-चढे हैं, न व्यापार में।

रानी परज में कई जातियां हैं। गुजरात में इनकी कुल संख्या चार लाख है। दुबला भी इन्हीं में से एक है। बारडोली में इनकी संख्या ३८,०००थी। इनका जीवन दुःखमय था। न जमीन, न जायदाद, मजदूरी करके सारा जीवन बिताते थे। इनका जीवन प्रायः निम्न प्रकार का है।

दुबलाओं का लड़का प्रायः सात, आठ साल का होते ही ढोर चराने का काम शुरु कर देता था। इसके एवज में उसको भोजन, पहिनने के साधारण कपड़े, जूते तथा ६)से १८) रुपये तक तनख्वाह मिलती थी। वह १८, २० वर्ष का होते ही अपनी शादी के उद्योग में लग जाता था। १५०)२००) इसमें खर्च होते थे। यह रुपये भी दुबला उसी किसान से लेते थे। कर्ज देने के बाद किसान दुबला का धणियामा (मालिक) कहाने लगता था। जीवन भर दुबला इसको छोड़कर कहीं

नौकरी नहीं कर सकता था। इसकी स्त्री भी किसान का गोबर सम्भालती तथा झाड़ती बुहारती थी। बदले में उसे भी कुछ खाने को, एक साड़ी, दो या तीन रुपये अर्थात् सालाना १०) १२) रुपये पड़ जाते थे। यह प्रथा दुबला तथा किसान दोनों के लिए हानिकर थी। क्योंकि न तो दुबला ही मन लगाकर काम कर सकता था—उसे तो अधिक करे या कम करे उतना ही मिलना—किसान को भी इससे कोई लाभ नहीं। इस प्रथा को मिटाने का यत्न इन दिनों किया गया।

सन् १९३६ में कांग्रेस की सरकार बनने पर सरदार ने दुबलाओं को पूर्ण स्वतन्त्रता दिलवा दी। सरदार के कहने पर धमियाणाओं ने दुबलाओं पर अपनी लेनदारी की चालीस लाख रुपये की रकम माफ करके उनको पूर्णतया स्वतन्त्र कर दिया।

चौधरी, ढोढिया, गाभीत वगैरा रानी परज की जातियों के नाम हैं। यह लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। रूढ़ि के अनुसार बच्चे के पदा होते ही उसके मुंह में शराब की बूंद डाली जाती है। धार्मिक नीति के अनुसार यह शकुन समझा जाता है। मरने पर शराब का पवित्र सिंचन होता है।

ताल्लुके के पूर्वी भाग की जमीन घटिया है। वहां की जलवायु भी अच्छी नहीं है। उपज भी कम होती है। यहां के निवासी शराबी होने के कारण जीवन भर साहूकारों के चंगुल से नही छूटते। हां, रहन-सहन सादा होने के कारण जीवन निर्वाह कर ही लेते हैं। एक बार कर्ज लेने पर आदमी निकल नही सकता। एक तो ब्याज की दर भारी, दूसरे एक दिन में अदा करे, या पांच दिन में ब्याज वही पूरे वर्ष का देना पड़ेगा। इससे अकाल के वर्ष में कर्जदार को खाने को नहीं मिलता। तब साहूकार जमीन जायदाद कम से कम कीमत में ले लेता है। इसके अतिरिक्त खाने तथा बीज बोने के समय अनाज साल में जिस मंहगे भाव बिकता है उसके अनुसार देना पड़ता है। इस प्रकार अन्त तक कर्जदार उसको लूटता रहता है।

बारडोली में महात्मा जी का रचनात्मक कार्य—१९२१ से इन में जान आ गई। महात्मा जी के संसर्ग से इन्होंने शराब बन्दी और चर्खा प्रचार का काम शुरु किया। नागपुर कांग्रेस ने कांग्रेस संगठन का गांवों में विस्तार करने का निश्चय किया। कुंवर जी भाई सरदार के साथ नागपुर कांग्रेस में गये थे। उन्होंने उनसे चर्चा करके वहां से लौटने पर ६ मार्च १९२१ को बारडोली में कांग्रेस की शाखा खोली। कुंवर जी भाई इस शाखा के अध्यक्ष तथा खुशालभाई तथा जीवन जी उसके सेक्रेटरी चुने गये। इसके पश्चात् कार्यकर्ताओं के रहने के लिये ६ अप्रैल १९२१ को स्वराज्य आश्रम की स्थापना की गई। इन लोगों ने गांवों में राष्ट्रीय पाठशालाएं खोल कर सरकारी पाठशालाओं का बहिष्कार कराया तथा चर्खे का सारे इलाके में व्यापक प्रचार किया। रानी परज में यह काम तीव्रता से होने

लगा। शनैः शनैः बढ़ते बढ़ते काली परज की प्रदर्शनियां होने लगीं। १९२६ में खानपुर में पूज्य महात्मा जी के सभापतित्व में जब सभा हुई तब से काली परज का नाम रानी परज कर दिया गया। श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम और जूगतराम दवे द्वारा इस जाति के लिए स्कूल खोले गए। तब से रानी परज ने कई देश सेवकों को जन्म दिया। इसके साथ ही खादी एवं सामाजिक सुधारों से भी तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है। चर्खे ने तो वास्तव में रानी परज का जीवन ही बदल दिया है। अब रानी परज को सफाई से प्रेम तथा राम पर विश्वास दृढ़ हो गया है। कई आश्रम चर्खे का सन्देश सुनाने के लिए यहां खुल गए हैं, जिनके कारण तब की और आज की रानी परज में जमीन आसमान का अन्तर हो गया है।

यहां की जनता में परदे के अतिरिक्त उत्तरी भारत की समस्त कुरीतियां विद्यमान हैं। अतिव्ययी तथा मिथ्याभिमानी भी यह कम नहीं है। इसीलिए कई अधिक कर्जदार होते हैं। पारसी यहां कम हैं। पर व्यवहार कुशल वही हैं। हर कोने में उनकी दो या तीन दुकानें दिखाई देती हैं। शराब का ठेका इन्हीं लोगों ने ले रखा है और इसी के द्वारा वे रानी परज की जमीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं।

बारडोली के बम्बई के सम्पर्क में होने के कारण देश के राजनैतिक आन्दोलनों का प्रभाव उस पर बराबर पड़ता है। जिससे वह देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयत्न करता है। यहां के कुछ लोग बापू जी के साथ दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रह में भाग ले चुके थे। महात्मा जी की नीति तथा युद्ध शैली से वे अन्य भारतीयों की अपेक्षा अधिक परिचित थे। अतएव महात्मा जी की युद्ध नीति के परिचय रूपी भेद बारडोली को अधिक प्राप्त थे।

नया बन्दोबस्त—इधर सरकार ने यह नियम बनाया हुआ था कि हर तीसरे साल के बाद भूमि-कर की जांच की जावे और आवश्यकता के अनुसार उसमें कमी या वृद्धि की जावे।

मालगुजारी का बढ़ाया जाना—तदनुसार बन्दोबस्त के हाकिम डिप्टी कलेक्टर श्री जयकर ने ३० प्रतिशत लगान बढ़ाने के लिए सिफारिश की। उस पर सेटिलमेंट कमिश्नर मि. एण्डरसन ने अपनी व्यवस्था दी कि मालगुजारी २९ प्रतिशत कर दी जावे। सरकार ने अपनी उदारता की दुन्दुभि बजाई और घोषणा की कि केवल २२ प्रतिशत ही वृद्धि की जायगी। इस प्रकार बारडोली की मालगुजारी ५,१४,७६२ रुपए से बढ़कर ६,२०,००० रुपये हो गई।

किसानों की आर्थिक दशा पहले से ही गिरी हुई थी, इधर बढ़ी हुई मालगुजारी का बोझ और उनके मत्थे पर पड़ गया। इस ओर सरकार का निर्णय, उधर विधाता की रेख। इन्हें कौन मिटाए ?

किसानों ने सरकार के साथ सहयोग करने की भावना से इस बढ़े हुए लगान

के प्रश्न को बम्बई धारासभा के अपने प्रतिनिधि रावबहादुर भीमभाई नायक तथा रावबहादुर दादूभाई देसाई के द्वारा बम्बई सरकार के सामने उपस्थित किया। किन्तु उसका कोई परिणाम न निकला।

इसके पश्चात् बारडोली कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने इस प्रश्न को सरदार वल्लभभाई पटेल के सामने उपस्थित किया। इस समय सरदार वल्लभभाई गुजरात के भीषण बाढ़ संकट के निवारण कार्य में लगे हुए थे। किन्तु वह बारडोली के किसानों को भी निराश नहीं करना चाहते थे। अतएव उन्होंने बारडोली कांग्रेस को यह आज्ञा दी कि वह बढ़े हुए लगान की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट दे और इस बात की भी जांच करे कि किसान उसका प्रतिरोध करने के लिये कहां तक तैयार हैं।

बारडोली कांग्रेस की जांच रिपोर्ट मिलने पर सरदार वल्लभभाई ४ फरवरी १९२८ को स्वयं बारडोली आए। उन्होंने वहां एक सार्वजनिक सभा में जनता से सीधा प्रश्न किया कि प्रतिरोध के लिये वह कहां तक तैयार हैं। उन्होंने इस सभा में उन आपत्तियों का भी वर्णन किया, जो सत्याग्रह के कारण उन पर आ सकती थीं। सभा में उनको आश्वासन दिया गया कि सत्याग्रह के लिये बारडोली की जनता सभी प्रकार के कष्ट सहन करेगी।

उन्होंने सभा में यह भी कहा कि 'मेरे साथ खेल न किया जावे। मैं ऐसे कार्य में हाथ नहीं डाला करता, जिसमें जोखिम न हो। जो लोग जोखिम लेने को तैयार हों मैं उनका साथ दूंगा।'

किसान लोगों की दीन आकृति, शिक्षा की हीनता और उनकी दशा के साथ साथ सरकार की पाप-लीलाओं से भी वह परिचित थे। किसान अपने लिये अच्छे कपड़े भी नहीं बनवा सकते थे। वह अपने बाल-बच्चों को उचित शिक्षा भी नहीं दे सकते थे। अपने घर भी वह ठीक तौर से नही बनवा सकते थे। पर सरकार को तो पैसे चाहिए। उसे साम्राज्य बढ़ाने के लिये आधुनिकतम सामग्री से सुसज्जित सेना की आवश्यकता थी। व्यापारिक मार्गों की रक्षा के लिये उसे आधुनिकतम सामग्री से सुसज्जित संसार भर में सब से बड़ी जल सेना की आवश्यकता थी। उसके लिये उसे पैसा चाहिये। चाहे वह पैसा किसी प्रकार से भी आए। मानो सरकार का जनता से कहना था कि "किसानो ! तुम मरते हो तो मरो, पर मरने से पहले फिर एक बार पैसा दो। मर जाना, मिट जाना, या मार डालना कोई गुनाह नहीं है। मूर्ख रहना कोई गुनाह नहीं। उजड़े, दीन-हीन घरों में रहना ही गुनाह नहीं है। यदि गुनाह है तो यही है कि सरकार को पैसा न देना। सरकार को पैसा दो। यही सबसे बड़ा पुण्य है। सरकार तुमसे पैसा चाहती है। अपना दुःख और अपना धर्म बेच कर भी पैसा लाओ।"

उस समय बारडोली में कुल १७,१८४ खातेदार थे, जिनमें १६,३१५ तो ऐसे थे जिनके पास २५ एकड़ से अधिक धरती नहीं थी। १०,३७१ खातेदारों के पास तो केवल १ से ५ एकड़ तक ही भूमि थी।

यद्यपि छोटे छोटे गांव के किसान सत्याग्रह के लिये तैयार थे, किन्तु चार पांच बड़े बड़े गांव के किसान अब भी भयभीत थे। अतएव उसके आठ दिन के पश्चात् सरदार वल्लभभाई ने एक दूसरी सभा बुलाई जिसमें सब किसान एकत्रित हुए।

सरदार ने इस सभा में कहा।

"किसान क्यों डरे? वह भूमि को जोत कर धन कमाता है, वह अन्नदाता है। वह दूसरे की लात क्यों खावे? मेरा यह संकल्प है कि मैं दीन तथा निर्धनों को उठा कर उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दूं, जिससे वह ऊंचा माथा करके फिरते रहें। यदि मैं इतना कार्य करके मरा तो अपने जीवन को सफल मानूंगा।··जो किसान वर्षा में भीगकर कीचड़ में सनकर, शीत तथा घाम को सहन करते हुये मरखने बैल तक से काम लेता है उसे डर किसका? सरकार भले ही बड़ी साहूकार हो, किन्तु किसान उसका किरायेदार कब से हुआ? क्या सरकार इस जमीन को विलायत से लाई है? मैं तो सरकार जैसी कोई चीज नहीं देखता, आप लोगों मे से किसी ने यदि देखी हो तो मुझे बतलावे।'

इसमें सर्वसम्मति से निश्चय किया गया कि करबन्दी सत्याग्रह तत्काल आरम्भ किया जावे। अतएव सरकार को चुनौती दे दी गई।

सरदार ने ऐसी जोशीली भाषा द्वारा बारडोली के किसानों में वीरता का संचार किया। इस चमत्कार का वर्णन करते हुये बम्बई के एक नेता ने बम्बई की एक सार्वजनिक सभा में उन्हें सरदार कह कर पुकारा। गांधीजी को उनका यह नाम पसंद आया। तब से उनका नाम सरदार प्रसिद्ध हुआ।

सरदार वल्लभभाई ने सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं की कड़ी परख की तो वे सभी निखरे हुए मिले। सभी गम्भीर तथा सत्याग्रह के लिए बेचैन हो रहे थे। सत्याग्रह से उनका परिचय भी अच्छा था। इसके पश्चात् सरदार ने उनकी भी कड़ी परीक्षा ली। उस समय ७५ गांवों से भी अधिक गांवों के प्रतिनिधि वहां एकत्रित थे।

वल्लभभाई ने कहा—"देखो भाई! सरकार के पास निर्दयी आदमी हैं। खुले हुए भाले-बन्दूक हैं, तोपें हैं। वह संसार की एक बड़ी शक्ति है। तुम्हारे पास केवल तुम्हारा हृदय है। अपनी छाती पर इन प्रहारों को सहने का साहस तुममें हो तो आगे बढ़ने की बात सोचो। इस समय सबसे बड़ा प्रश्न स्वाभिमान का है, जिसे हमें और आप को देखना है। सरकार निर्दयता के साथ हम पर अत्याचार भी करना चाहती है और साथ ही अपमानित भी।

"देखो भाई ! अपमानित होकर जीने की अपेक्षा सम्मान के साथ मर मिटने में अधिक शोभा है ।"

सरदार का गवर्नर को पत्र—इधर तो वल्लभभाई दुबले पतले शरीर वाली आत्माओं को जगा रहे थे, उधर उन्होंने गवर्नर को एक पत्र लिखा कि "यह भू-भाग इस योग्य नहीं है कि यहां कर और बढ़ाया जाए । जितना कर है वही देने में यहां के किसानों को कठिनाई हो रही है । इसलिए आप से विनम्र प्रार्थना है कि परिस्थिति की जांच करने के लिए एक जांच समिति बना दें । उस समिति के लोग जनता तक पहुंचें और जनता की दशा का ठीक ठीक आलोचन करें । मैं विश्वास करता हूं कि आप इस विनय पर अवश्य ध्यान देंगे ।"

यद्यपि सरदार का पत्र बड़ा मार्मिक और विनम्रपूर्ण था, परन्तु सरकार की ओर से इस पर कोई उचित निर्णय नहीं किया गया ।

सत्याग्रह की तैयारी—अब एकमात्र अस्त्र सत्याग्रह का ही बाकी रहा । सरदार ने इन दिनों बहुत परिश्रम किया । वह गांव गांव पहुंच कर किसानों को सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त समझाते थे । उनके व्याख्यान बहुत ही स्पष्ट और हृदयग्राही होते थे । वे लोगों की मौन आत्माओं में खलबली सी मचा देते थे । सरदार कभी बारडोली में गर्जना करते तो रातों-रात दूसरे गांव पहुंच जाते । और यहां अपार भीड़ में उनका व्याख्यान होता—

"भाइयो ! बारडोली में आज मैं एक नवीन चमत्कार देख रहा हूं । पिछले दिन मुझे स्मरण हैं । उन दिनों सभाओं में पुरुषों के साथ बहिनें भी होती थीं, पर अब तो पुरुष ही पुरुष गाड़ियां जोत कर सभाओं में आ जाते हैं । जान ऐसा पड़ता है, बड़े बूढ़ों के लिए आप ऐसा करते हैं । पर मैं कहता हूं यदि हमारी बहिनें, माताएं और स्त्रियां हमारे साथ न होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे । कल से ही हमारी वस्तुएं हमसे छीनी जायंगी । अधिकारी हमारी गाएं, भैंसें, बैल, बर्तन आदि लेने आएंगे । यदि हमारी बहिनें इस युद्ध से परिचित न होंगी, हम अपने साथ साथ उन्हें भी चेतावनी नहीं देंगे तो वे उस समय क्या करेंगी ? खेड़ा जिले में मैंने अनुभव किया है कि जिन स्त्रियों को इस युद्ध की शिक्षा नहीं दी गई उनको बहुत चोट पहुंची । आप स्वयं सोचें कि जब जब्ती वाले आपके बैल खोल कर चलेंगे तो उस समय आप की स्त्रियों के मन पर क्या बीतेगी ?"

माल अफसर श्री स्मिथ ने सरदार पटेल के संबंध में कहा था कि वह बाहिर के आदमी हैं तो सरदार ने अपने भाषण में सरकार को ऐसे पागल हाथी की उपमा दी, जो सब के घर उजाड़ देता है । उन्होंने कहा कि वह हमें मच्छर के समान समझते हैं, किन्तु समय आने पर यह मच्छर उस पागल हाथी के कान में घुस कर उसे नीचा

दिखलावेगा। घड़ा फूटेगा तो उसके सैकड़ों ठींकरे बन जायेंगे। घड़े के लिये एक एक ठींकरे का महत्व है, किन्तु कंकर का अलग कोई महत्व नहीं।

एक किसान ने कहा कि हम दो घण्टा जल्दी उठकर अधिक मेहनत करके सरकार को लगान चुका दें। उसके सम्बन्ध में सरदार ने कहा कि उसको तो बैल का अवतार लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि

"किसी भी किसान की हल की नोक के समान भूमि भी जब तक जप्त की जायेगी तब तक मैं सत्याग्रह करता रहूंगा।

"चाहे कितनी ही आपदाएं आएं, कितने ही कष्ट झेलने पड़ें, अब तो ऐसी लड़ाई ही चाहिए जिसमें सम्मान का प्रश्न हो। सरकार चाहे जो करे, हम तो उसे एक पैसा भी उठाकर नहीं देंगे। बस यही निश्चय कर लीजिए। अपने भीतर लड़ने का साहस बढ़ाइए और एकता को दृढ़ कीजिए। केवल बाहरी कोलाहल से कुछ न होगा। सरकार आपकी कड़ी से कड़ी परीक्षा लेगी और उसे इसका अधिकार है। यदि उससे लड़ना है तो गांवों को जगाना होगा, सारे वायु-मण्डल को बदल देना होगा। अब विवाह-जनेऊ का समय नहीं है। अब उत्सव-मंगल की वेला नहीं है। अब तो युद्ध की वेला है। भला कहीं युद्ध में विवाह-मंगल का समय होता है?

"अब तो लड़ाई में लड़नेवाले सिपाहियों-जैसा जीवन बिताना होगा। कल से प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक अपने घरों में ताले लगाकर खेतों में घूमते रहना पड़ेगा। बालक, बूढ़े, स्त्री सभी अपना अपना काम समझ लें। धनी-दीन सब एक हो जाएं, और इस प्रकार से काम करें जैसे एक ही शरीर हों। रात होने पर घर लौटें। आप ऐसा काम कर दें कि जब्तियां करने के लिए सरकार को एक भी आदमी न मिले। कोई अधिकारी अपने सिर पर आपके बर्तन उठाकर ले जावे तो भले ही ले जाय। अधिकारी तो लंगड़े होते हैं। इसलिए पटेल, मुखिया, वहिवाट, दार, तलाटी आदि कोई भी सरकार की सहायता न करें। उन अधिकारियों को आप लोग स्पष्ट बता दें कि हमारे गांव और प्रान्त की प्रतिष्ठा के साथ ही हमारी प्रतिष्ठा है। जिसके कारण गांव की प्रतिष्ठा नष्ट हो वह मुखिया ही कैसा? गांव के ही हित में हमारा हित है। आइए, हम ऐसा वायु बहा दें जिससे चारों ओर स्वराज्य की सुगन्ध छूट रही हो। प्रत्येक पुरुष के मुख-मण्डल पर सरकार के साथ लड़ने का दृढ़ निश्चय हो।

"मैं आपको यह चेतावनी दे रहा हूं कि अब एक क्षण भी आमोद-प्रमोद में बैठने का समय नहीं है। बारडोली की कीर्त्ति सारे भूमण्डल में फैल रही है। अब हमें मर मिटना है या पूर्ण सुखी होना है। अब तो राम बाण छूट ही गया है।

हमारे गिर जाने में सारे देश की मानहानि है। हमारे डटे रहने में ही बेड़ा पार है। महात्मा जी को आप ही लोगों ने आशा दिलाई थी कि स्वराज्य की नींव यहीं डाली जाए। आज बारडोली का डंका देश देशान्तर में बजाना है।

"आप सावधान रहें। कोई भाई कहीं भूल न कर बैठे। सरकार आपको गिराने में कोई बात उठा नहीं रक्खेगी। वह आपमें फूट डालने की चेष्टा करेगी, आपसी झगड़े पैदा करेगी। और भी कई ढंग से जंजाल खड़ा करेगी। इसलिये आप अपने आपसी झगड़ों को तब तक के लिए भूल जाइये। बाप-दादा के समय की शत्रुता को भी भूल जाइये। जीवन भर जिससे कभी न बोले हों उससे— आज बोलना आरम्भ कर दीजिये। आज गुजरात की महिमा आपके ही हाथों में है। यदि आप में एका होगा तो कोई दूसरा पुरुष आपके खेतों में हल नहीं डाल सकता। जिस दिन ऐसा हुआ भी तो उस दिन सारा गुजरात आपकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेगा और सारा भारत आपका साथ देगा।

"आप कभी ईर्ष्या मत कीजिए। एक को बिगड़ते हुए देखकर जब दूसरा पुरुष हंसता है तो ऐसे देश का कभी भला नहीं हो सकता। अस्तु युद्ध की घोषणा हो चुकी है। प्रत्येक गांव को सेना की छावनी समझिये। प्रत्येक गांव के समाचार अब केन्द्र में आते रहने चाहिएं।

"सरकार ने हम लड़ने पर विवश किया है तो आइए हम भी उसे लड़कर दिखा दें। यहां अमर पद लेकर कौन आया है? सारी सम्पत्ति, सारा धन जहां का तहां रक्खा रह जायगा। अकेला नाम रह जायगा। लाख-सवा-लाख रुपये की यहां बात नहीं है। वह तो कष्ट उठाकर भी दे दिया जा सकता है। जहां इतना व्यय होता है वहां थोड़ा और हो जावे तो कोई ऐसी बात नहीं बिगड़ती। पर यहां तो सरकार आपको झूठा कहकर आपसे कर लेना चाहती है। जब तक सरकार इस भाषा को भूल नहीं जाती तब तक आपको लड़ना है।"

इस प्रकार बारडोली से बांकानेर, वराड, बड़, कूलमां, ब्राडोल, कडोद आदि गांवों में सत्याग्रह की आग सुलगाने के लिए वल्लभभाई दौड़ने लगे। उनकी आंखों में मानों चिनगरियां निकलती थीं। उनके जीवन में अपूर्व स्फूर्ति आ गई थी।

सत्याग्रह छावनियों का संगठन—वल्लभभाई केवल इतने ही से मानने वाले न थे। उन्होंने बारडोली मण्डल के आश्रमों को संगठित किया। उस समय चार आश्रम थे—बारडोली, वेडछी, सरभण और बुहारी। अब आठ नई छावनियां और बना ली गई। सारे मण्डल में पांच मुख्य केन्द्र बनाए गए। उनमें एक-एक केन्द्रपति नियुक्त किये गए। प्रत्येक विभागपति के हाथ में देखभाल के लिए निम्नलिखित गांव थे :—

सत्याग्रह केन्द्र	विभागपति	गांवों की संख्या
१—वराड	श्री मोहनलाल पाण्डया	१६
२—वालदा	श्री अम्बालाल बाजी देसाई	७
३—बांकानेर	श्री भाई लाल भाई अमीन	७
४—स्यादला	श्री फूलचन्द बापू जी शाह	८
५—वारडोली	श्री चिनाई	४
६—मोता	श्री वलवन्त राय	२
७—बाजीपुरा	श्री नर्वदा शंकर पाण्डया	४
८—सीकेर	श्री कल्याण जी वाल जी	७
९—आफवा	श्री रतनजी भगाभाई पटेल	६
१०—बुहारी	श्री नागर भाई पटेल	४
११—सरभण	श्री रविशंकर व्यास, श्री सुमन्त मेहता डाक्टर त्रिभुवन दास तथा भीम भाई वशी	३१
१२—वामणी	श्री दरवार गोपाल दास देसाई	१७
१३—वालोड	श्री चन्दूलाल देसाई तथा केशव भाई पटेल	२९
१४—गोलन	मणिबेन पटेल	७

इन दिनों सत्याग्रह के सिद्धान्तों को समझाने के लिए कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे थे। प्रत्येक गांव में एक मुख्य स्थान नियत था, जहां नियत समय पर सभी किसान एकत्र होकर विचार करते थे तथा आस-पास के समाचारों से भी परिचय प्राप्त करते थे। उस समय बड़े बड़े धन-सम्पन्न पुरुषों में भी देश-सम्मान की उमंग आ गई थी। लोग उसकी मादकता को अपने भीतर न संभाल पाए। उनके गौरव-शील शरीर पर त्याग का तेजस्वी रंग चढ़ा हुआ था। ऐसा जान पड़ता था कि राजा और राजपुत्र अब बनवास कर रहे हैं। बड़े बड़े घरों के विद्यार्थी खद्दर के निर्दोष वस्त्र मे अपने शरीर की कान्ति को बढ़ाते थे। उस समय छोटे-बड़ों में जो भावुकता थी, जो प्रेम था वह लिखने में नहीं आ सकता।

सच मानिए वल्लभभाई की व्यवस्था और ठोस काम को देख कर बड़े बड़े नर-रत्न इस युद्ध में उतावले होकर कूद पड़े। बड़े बड़े कवि गांव गांव में जाकर सुनाने लगे कि—

"विराट रूप हो किसान। स्वराज आज लो किसान॥"

और देहाती लोगों के लिए तो देहाती कविताएं अधिक प्रिय होती ही हैं। उनके लिए भी कविवर फूलचन्द जी उतर आए और गांव वालों की ध्वनि में ध्वनि मिला कर गाने लगे—

"डंका बाजे लडवैया का। शूर जाग जाग रे। कायर भाग भाग रे।"

क्या कहिएगा ? वीरों का विचित्र मेला था। यह भगवती पुण्यभूमि विजय-घोष से लहलहा रही थी। झण्डे फहरा रहे थे।

सत्याग्रह छावनियों की डाक व्यवस्था—बहुत से मित्रों ने अपनी मोटरें, साइकिलें, घोड़े इस प्रकार के काम के लिए दे दिए। इससे प्रतिदिन के समाचारपत्र तथा और आवश्यक आज्ञाएं पल भर में सर्वत्र पहुंच जाती थीं। संगठन का ढंग विचित्र था। प्रत्येक ढंग के विभाग बहुत चमत्कारपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे। स्वयंसेवकों की बहुत कड़ी परीक्षा होती थी। पर वीर-सिपाहियों की प्रसन्नता का यही अवसर था। क्योंकि युद्ध भूमि में जब दुन्दुभि बजने लगती है तो कायर कांपते हैं, किन्तु शूर उतावले होकर दौड़ पड़ते हैं।

सत्याग्रह की घोषणा होते ही एक सत्याग्रह-कार्यालय और एक प्रकाशन विभाग की स्थापना की गई। गांवों का समाचार लेकर स्वयंसेवक केन्द्र में भेजते थे और विभागपति उसे शीघ्र ही व्यवस्था के अनुसार मुख्य केन्द्र में भेज देते थे। मुख्य केन्द्र से भी आज्ञाएं, चेतावनियां तथा ऊपरी आवश्यक समाचार ग्रामों के मुख्य केन्द्रों को भेज दिये जाते थे। वहां से फिर प्रत्येक गांव के स्वयंसेवक अपनी अपनी साइकिलों से अपने अपने निश्चित गांव को भागते थे। यहां केन्द्र से कई स्वयंसेवक इधर उधर सब सन्देश गांवों में फैला देते थे। ऐसी सुन्दर, रुचिकर, आदर्श तथा आनन्दपूर्ण व्यवस्था इन पीड़ित किसानों को अधिक प्रसन्नता और उत्साह प्रदान करती थी।

मुख्य केन्द्र में जो समाचार आते थे उनको तथा सरदार के दैनिक व्याख्यानों को जनता तथा समाचारपत्रों में पहुंचाने के लिये एक प्रकाशन विभाग की स्थापना श्री जुगतराय दवे की अध्यक्षता में की गई थी। श्री कल्याण जी भाई सरदार पटेल के साथ रह कर न केवल उनके व्याख्यानों के लिये सभाओं की व्यवस्था करते थे, वरन् उन सभाओं में जो कुछ व्याख्यान दिये जाते थे उनके नोट लिये जाने का प्रबन्ध करते और सभाओं के फोटो खींचते थे। केन्द्रीय कार्यालय में श्री खुशाल भाई सभी प्रकार की व्यवस्था करते थे। वह विभागाध्यक्षों से प्राप्त सूचनाओं का सत्याग्रह समाचार के लिये सम्पादन करते, मुख्य केन्द्र की सूचनाएं विभागाध्यक्षों के पास भेजते तथा अतिथियों के आतिथ्य का प्रबन्ध आदि के अनेक कार्य किया करते थे।

किसान लोग अपने हस्ताक्षर करके गांव के केन्द्र में भेज देते थे और मिल कर अपना निर्णय भी देते थे। इस प्रकार समस्त किसानों ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि हम लगान तब तक नहीं देंगे जब तक सरकार हमारी मांग पूर्ण नहीं करती। हम अधिक लगान कभी नहीं दे सकते।

इस जागृति का आस-पास के दूसरे मण्डलों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन किसानों ने अपनी अनेक सभाएं कीं और यह प्रचार करने लगे कि बारडोली के

किसानों की सहायता के लिए तन-मन-धन से सहयोग करेंगे, अधिकारियों को ठहरने के लिए घर, गाड़ी आदि कुछ न देंगे। हमारे यहां का कोई किसान बारडोली के किसानों की भूमि नहीं लेगा, न जोतेगा, न जुतवाएगा और न जोतने वाले की सहायता करेगा।

सरकार की नई चाल—इस समय सरकार ने घोषणा की कि :

१—जिन पर २५ प्रतिशत लगान बढ़ा है वे तुरन्त अपना लगान दे दें। उनके साथ कोई दया न की जाएगी।

२—२५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक जिनका लगान बढ़ा है वे दो वर्षों तक केवल २५ प्रतिशत तक ही अधिक लगान देंगे।

३—जिन पर ५० प्रतिशत से भी अधिक लगान बढ़ गया है उनसे प्रथम दो वर्ष पुराना और बढ़े हुए लगान का २५ प्रतिशत लिया जायेगा। इसके अनन्तर दो वर्ष तक ५० प्रतिशत और इसके अनन्तर पूरा बढ़ा हुआ लगान लिया जायगा।

किन्तु इस दया का अभिप्राय किसान समझ गए। उनकी लड़ाई एक दो वर्ष के लिए नहीं थी। वे तो न्याय चाहते थे और २० वर्ष के लिए निश्चिन्त हो कर रहना चाहते थे। फलत. समस्त किसानों ने एक स्वर से 'नाही'' कर दी और किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया।

हां, वालोड के दो वैश्यों ने १७७५ रुपये दे दिये। ग्राम संगठन ने उनका बहिष्कार करके उन पर जुर्माना किया, जिसे उन्होंने उसी दिन चुका दिया। साथ ही उन्होंने पश्चात्ताप प्रकट करते हुए यह प्रतिज्ञा की कि वह इस आन्दोलन की सदा सहायता करते रहेंगे।

सत्याग्रह का आरम्भ—इधर लगान देने का अन्तिम सप्ताह भी २९ फरवरी १९२८ को समाप्त हो गया। सरकार ने देखा कि अब तक कुछ नहीं मिला। अब क्या किया जाये ? रानी परज के दीन किसानों पर बड़ी कठोरता बरती गई। उन्हें मारा-पीटा भी गया। उन्हें बहुत-बहुत धमकियां भी दी गई। वहाँ के तलाटी (पटवारी) ने सब कुछ किया, पर उसे विशेष सफलता नहीं मिली और अप्रैल-मई १९२८ में वहां सत्याग्रह का जोर बहुत अधिक बढ़ गया।

अब ये लोग फूट डालने की चेष्टा करने लगे। अपढ़ तथा दीन जनता अपनी प्रतिज्ञा का कितना ध्यान रखती है इसका पता चलते—टींवर वा के पटवारी ने एक किसान से कहा—

"अरे भले आदमी ! जब सारे गाँव में फूट पड़ जायगी तब तू भी झख मार कर लगान दे देगा तो अभी क्यों नहीं दे देता ?"

बैरिस्टर बन्धु

सत्याग्रही बन्धु

बारडोली के सरदार

कुमारी मणिबेन सहित

नागपुर सत्याग्रह के समय

"ऐसी बात भी मुँह से न निकालिए महाशय ! सारे जिले के लोग भले ही लगान दे दें, पर हम तो थूक कर नहीं चाटते ।"

"अरे भाई ! हमारी बात चाहे मत रख । बड़े अधिकारी आवेंगे, उनकी बात तो मानेगा ।"

"उनका बड़प्पन हमारे किस काम का ? अब तो वल्लभभाई हमारे सरदार हैं । उनकी जैसी आज्ञा होगी वही मैं करूंगा ।"

वालोड़ के तहसीलदार ने इसी प्रकार रानी परज के एक किसान से लगान मांगा । तब उन्हें उत्तर मिला—पुराना लगान लेकर समूचे नए-पुराने लगान की रसीद आप दे दें और साथ ही यह भी लिख दें कि तीस वर्षों तक लगान नहीं लिया जायगा तो अभी अपना लगान चुका लीजिए ।"

तहसीलदार महोदय चुप होकर रह गए और उन्होंने चलते समय कहा—"भाई ! यह तो मेरे अधिकार की बात नहीं ।" मुरदा रानी परज में भी ऐसा ही जीवन था ।

रानी परज के पटेल को एक अधिकारी ने बुलाया । उन दोनों की बातचीत भी पढ़ने योग्य है ।

"क्यों पटेल ! लगान क्यों नहीं जमा कराते ?"

"इसलिए कि हमारे गांव के लोगों ने लगान न देने का निश्चय किया है ।"

"यह नहीं हो सकता । सभी पटेलों ने अपना अपना लगान दे दिया है । आज तुम्हें भी अपना लगान दे देना है ।"

"देखिए महाशय ! यदि मैं रुपये दूंगा तो अपनी जाति से बाहर हो जाऊंगा । इसलिए मैं कुछ भी न दूंगा ।"

"फिर पटेली छोड़ दो ।"

"अच्छा जी ।"

"तो अपना त्याग-पत्र दो ।"

पटेल (लेखक से)—"लिख दो भाई त्याग . . . . . ।"

"अरे भाई तनिक सोचो तो एकाएक त्याग-पत्र क्यों लिखवाने लगे ?"

"इसमें कौन सोचने-विचारने की बात थी । आपने कहा कि लाओ त्याग-पत्र दो—मैंने भी कहा यह लीजिए ।

"अच्छा, जाओ त्यागपत्र की कोई आवश्यकता नहीं ।"

१०-१५ दिन के प्रचार से ही इतनी जागृति हो गई थी । देव-दुर्लभा किसानों की भूमि आज अपनी श्री से स्वयं लहलहा रही थी । बड़ौदा के चीफ जस्टिस वृद्ध अब्बास तैयब जी, भड़ौच के तेजस्वी नेता डा० चन्दूलाल देसाई, मोहनलाल

कामेश्वर पाण्डया, दसा के त्यागवीर श्री गोपालदास भाई देसाई, आदर्श गुरु रविशंकर भाई आदि नेताओं ने साधारण रूप में असाधारण प्रतिभा प्रकट करते हुए वहां जाकर अपने अपने-आसन जमा दिए ।

इधर गांव-गांव में स्वयंसेवकों की भरती होने लगी । धीरे-धीरे एक के बाद एक गांव गांधी जी की जै जयकार करने लगा । गांव गांव जाग उठा । किसानों का घर जाग उठा । उनकी आत्मा जाग उठी और आत्मा में अभूतपूर्व ज्योति जगमगाने लगी ।

दूसरी ओर से धमकियों की ध्वनियां गूंज उठीं । हरिपुरा, मढ़ी आदि गांवों के निवासियों को कहा गया कि यदि लगान समय पर नहीं दोगे तो लगान का एक-चौथाई और देना पड़ेगा और इसके लिए सरकार जब्ती करेगी या जैसे चाहेगी उसे ले लेगी । "

कुर्की वालों की दशा—किसानों को बार-बार सूचनाएं दी गईं । पर सब बेकार गईं । इधर अधिकारी उनकी गाय-भैंस छीनने-झपटने के लिए मैदान में आए । पर जब कोई अधिकारी किसी गांव के लिए प्रयाण करता तो उसी समय वहां के किसान अपने-अपने घरों में ताले लगा कर अपने-अपने खेतों में जै-जैकार करते पहुंच जाते थे । गुप्तचरों का एक ऐसा तांता लगा था कि अधिकारियों की सब बातें तत्काल प्रकट हो जाती थीं । यहां तक कि सायंकाल के समय अधिकारी किसानों से जो बातें करते, वे बातें उसी रूप में प्रातःकाल "सत्याग्रह-समाचार" में पढ़ते । फिर तो अधिकारी इतने लज्जित होते कि जनता में जाने के लिए उसका मुंह न पड़ता ।

इधर-उधर की बातें, जनता की बातें, उस समय की कठिनाइयां, इन सब बातों को ग्राम-संघ के सेवक अपने केन्द्र में भेज देते थे । वल्लभभाई उन सब समाचारों को मार्जन करके छापने के लिए "सत्याग्रह-समाचार" में दे देते थे, जो दैनिक व्यवस्थानुसार सर्वत्र थोड़े ही समय में बंट जाता था ।

प्रत्येक गांव का अद्भुत संगठन था । उनकी सब बातें आपस में ही तय हो जाती थीं । स्वयंसेवकों का प्रेम और आदर से वे सत्कार करते थे । जब तीन-चार स्वयंसेवक अपने कन्धों पर तिरंगा झंडा लहराते गांव में घुसते तो विशेष आनन्द आ जाता था । गांव के लोग भी झंडा लेकर उनके आगे-पीछे गाना गाते हुए उमड़ पड़ते । तब वहां छोटे-छोटे बच्चे और स्त्रियाँ विह्वल होकर उन्हें निहारती थीं । गांव की यह रूपरेखा देख कर अंग्रेजी अखबार भी यह घोषणा करने लगे "बारडोली में तो किसानों ने मानो स्वराज्य ही ले लिया हो ।"

अधिकारी अन्य गांवों में जाकर लोगों को प्रलोभन देते कि बारडोली वालों की भूमि, भैंस आदि पर वे अधिकार करें और सरकार को पैसा दें । पर उन गांव

वालों ने भी अपनी सभा की और सर्वसम्मति से यह निश्चय किया "इस पाप के भागीं वे नहीं बनेंगे।" पुनः उन गांव वालों ने भी अपना संगठन अपने आप आरम्भ किया। वल्लभभाई के गुप्तचर बड़े अद्भुत थे। वे इन सब बातों का न जाने कहां से पता लगा लेते और दूसरे ही दिन प्रातःकाल के समाचार-पत्र में ये सब बातें पढ़ने को मिल जाती थी।

सरदार जब सभाओं में व्याख्यान देकर रात के दो बजे वापिस आते तो अपने सत्याग्रही गुप्तचरों की बातें तथा विभिन्न केन्द्रों की रिपोर्टें सुने बिना शयन करने नहीं जाते थे। यदि उनको किसी बात की जांच करनी होती थी तो उसकी आज्ञा भी साथ ही तत्काल दे देते थे।

गांव में शाम को महाभारत की कथा होती थी। वीरगाथाएं गाई जाती थीं। पंडित लोग स्थान-स्थान पर बैठ कर अपने प्राचीन गौरव की स्मृति कराते थे। गांव के किसान आनन्द से इन सब बातों को सुनते थे।

सत्याग्रही महिलाएं—मधुर-गान कुशल, सौन्दर्य की प्रतिमाएं भी जाग उठी थीं। गुजरात की महिलाओं का यह देश अनुराग अकथनीय था। वे जिस किसी झण्डे वाले को देखतीं, उसे बुला कर उसके पास दस-पांच मिल कर जातीं और सत्याग्रह-समाचार की बातें पूछतीं और यह भी पूछतीं कि उनको क्या करना चाहिए ? बालिकाएं जय-जयकार करतीं। बहुएं हिल-मिल कर गीत गातीं। उनके संगीत में भी सत्याग्रह का संदेश होता था। पढ़े लिखे लोग और पढ़ी लिखी लड़कियां गाने लिख लिख कर औरों को याद करातीं, अनपढ़ों को पढ़ातीं। जो जिस दशा में जिस स्थिति में होते थे वहीं से सत्याग्रह-संग्राम का बिगुल बजाते।

बारडोली के किसानों की स्त्रियों में रण का शौर्य भर गया था। क्या बूढ़ी, क्या तरुणी सभी उतावली होकर अपने अपने गांव की रक्षा में लगीं थीं। ऐसा निश्छल प्रेम, ऐसी सुन्दर ममता वास्तव में दर्शनीय और अनुकरणीय थी। यह बातें हम पढ़ी-लिखी स्त्रियों के बारे में नही लिख रहे है किन्तु उन मूर्ख स्त्रियों के बारे में लिख रहे हैं, जिन स्त्रियों को समाज ने घोर अन्धकार के भीतर डाल रखा था। यदि उन स्त्रियों को और उजाले में रक्खा गया होता और यदि वास्तव में उन्हें यह पहिले ही पता हो जाता कि उनकी संततियों के साथ यह हत्यारी सरकार क्या बलात्कार कर रही है और करना चाहती है तो निश्चय ही वे रण-चण्डियां न जाने क्या कर डालतीं ?

पुरुष के स्वाभिमान की रक्षा वास्तव में नारी जागरण में ही सन्निहित है। आज बारडोली की बूढ़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ बेकली के साथ जानना और सुनना चाहती थीं कि इस राष्ट्र-यज्ञ में उन्हें क्या आहुति देनी है ?

श्री रविशंकर जी व्यास एक भाई के विषय में बातचीत कर रहे थे कि एक

बुढ़िया लपक कर पास आ गई और उसने आते ही पूछा—"महाराज ! इस लड़ाई में कौन कौन सी विपत्तियां उठानी पड़ेंगी ?"

श्री रविशंकर महाराज ने कहा—"पहले तो जब्ती होगी। सब सामान सरकार लूट लेगी। भूमि छीन लेगी।"

बुढ़िया ने कहा—ओहो; इसमें कौन बड़ी बात है ? भले ही हो।

"और कृष्ण-मन्दिर में जाना पड़ेगा। समझ गई न जेल।"

"हां, यह तो कुछ कठिन बात है। पर इसमें भी कौन आपत्ति है। घर पर हम जैसे रहती हैं वैसे वहां ही सही।"

"पर माता जी ! आप कैसे वहां जाएंगी ? आप तो स्त्री जाति हैं। यह कहीं लड़कों का खेल तो नहीं है।"

"ऊः इसम कौन कठिन बात है बेटा ! जैसे तुम जेल जाओगे वैसे हम भी चली चलेंगी।

"अरी माता जी ! हम तो सरकार के नियम तोड़ेंगे। सरकार की आंख में पाप करेंगे। इसीलिए सरकार हमें पकड़ेगी और जेल भेज देगी। आप को कौन जेल ले जाएगा ?"

"अरे बेटा ! जो कानून तुम तोड़ोगे वही कानून मैं भी तोड़ूंगी। जैसे तुम लोग करोगे वैसे ही मैं भी करूंगी।"

ऐसी वीर माताएं और वीर बहिनें उतावली होकर जिसको देखतीं उसी से पूछतीं कि हमारा क्या होगा ? हमारे लिए काम बताओ। तब बाहिर से पढ़ी लिखी और बहिनें आ गईं; जो सादगी और सरलता से उन गांवों में फैल गई। डसा के दरबार साहब की वीर पत्नी रानी भक्ति लक्ष्मी या "भक्तिवान" तो सत्याग्रह के आरम्भ में ही वहां पहुंच गई थी। उनकी मूर्ति बड़ी गंभीर और शरीर में स्फूर्ति थी। उनकी आत्मा बड़ी पवित्र और हृदय निश्छल था। विचार परम सात्विक और आंखें ओजस्वी थीं। कविवर फूलचन्द की पत्नी घेली बेन तो अपने पति के बनाए गीतों को गा गा कर गांव की भोली भाली स्त्रियों में जादू भरने लगीं। बम्बई के विख्यात पेटिट कुटुम्ब की धनिक किन्तु अत्यन्त देश-भक्त बहिन कुमारी मीठू बेन पेटिट भी आ पहुंचीं। वे तो खादी के पीछे उन्मत्त सी होकर दौड़ती थीं। उन दिनों वे बारडोली के पीछे घर बार की सुधि तक भूल गई थीं। वे बारडोली की बहिनों के हाथ में खादी सौंप कर सत्याग्रह की सुगन्ध घर-घर में बिखेर रही थीं। उनके बदन पर सतीत्व का एक निश्छल तेज था, जो गांव के लोगों में विशेष कर बहिनों में सीधे अंकित हो जाता था। उधर श्रीमती सूरजबेन मेहता ने तो अपने आप को ही भुला दिया था। वे रानी परज की नारियों में जागरण का अमर सन्देश सुना रही

थीं। श्रीमती कुंवरबेन तो बारडोली की ही पुत्री थीं। भला वे पीछे कैसे रह सकती थीं ? सरदार की पुत्री मणिबेन भी उनमें खूब कार्य कर रहीं थीं।

इन सती, साध्वी माताओं, बहिनों की प्रेरणा और हलचल से सारे भूगोल के कोने में कोलाहल मच गया। सर्वत्र सत्याग्रह की पावन ज्योत्स्ना छिटक गई। सब के मुख-मण्डल पर एक विचित्र ढंग की प्रसन्नता और ओज का रंग चढ़ गया।

इन दिनों सरदार वल्लभभाई सब कहीं व्यापक हो रहे थे। सभी जगह उनकी चर्चा होती थी। स्थान-स्थान पर बड़ी-बड़ी सभाएं होतीं, प्रायः सभी जगह पर हमारे सरदार विराजमान मिलते। उन्हें लोग दिन की कड़ी धूप में बुलाते तो वे उसी समय चटपट तैयार मिलते। क्या सायं क्या प्रातः। उन दिनों वल्लभभाई रात में ११-१२ बजे तक गांवों में अपना मोहन मंत्र सुनाते हुए पाए जाते थे।

गांव के लोग वल्लभभाई को बहुत श्रद्धा-भक्ति की दृष्टि से देखते थे। माताएं और बहिनें भी सभाओं में अपने झुण्ड के साथ आतीं। माताएं वल्लभभाई की फूल-अक्षत और चन्दन आदि से प्रथम पूजा करती थीं और फिर सत्याग्रह के लिए परम उमंग के साथ दान करतीं और भेंट चढ़ातीं। बहिनें और भाई श्रद्धा के साथ अपने वल्लभभाई को प्रणाम करते, फिर आनन्दित होकर माताएं गाना गातीं। यह समय ऐसा होता था कि प्रेमाश्रु उमड़ आते थे। एक गीत यहां दिया जाता है—

सखी रे। आजे हे प्रभु जी पधारिया,
मारे उग्या छे सोनाना सूर रे;
वल्लभ भाई घर आविया।
मारा जन्म मरण घटी जाय रे; वल्लभ०
लाइय ब्रह्माते नंद नूं सुख रे—वल्लभ०
जेणे तत्तवयासीनो लीयो ल्हाय रे—वल्लभ०
धरो हरि गुरु संतो नुं ध्यान रे—वल्लभ०
मुको माया के दो मोह मद रे—वल्लभ०
मारा अंतर मां एक रस थाय रे—वल्लभ०
मारूं क्षेल गयूं देह अभिमान रे—वल्लभ०
जोई अन्तर ना मेल मटी जाय रे—वल्लभ०
जेना वेद गीता या गया गान रे—वल्लभ०
माया रंग पतंग जशे उड़ी रे—वल्लभ०
थाम आनंद ब्रह्मस्वरूप रे—वल्लभ०
ते अलगा रहेश राहु कोई रे—वल्लभ०
वाणी पहेलां बांधोनी नेम पाल रे—वल्लभ०

हवे करवा नं न थी रहयु कोई रे—वल्लभ०
अपन देहीना दुख न थी दमयां रे—वल्लभ०

इस प्रकार भक्ति के आनन्द में सराबोर गानों को सुनकर वल्लभभाई प्रेम-विह्वल हो उठते। उनके प्रेमाश्रु उमड़ आते। वे गद्‌गद् कण्ठ से कहते—"बहिनो! मुझ पर अन्याय मत करो। मैं तो तुम्हारा भाई हूं और तुमसे आशीर्वाद लेने आया हूं। हां, इस प्रकार के गानों का श्रेय मिलना चाहिये तो इस पूजा के अधिकारी पूज्य महात्मा जी को।"

जब्ती वालों का मुकाबला—बेडछा गांव में खुले घरों को देख कर इनायतुल्ला खां—जो सरकार के पिट्ठू थे—जब्ती करने के लिए अपने पुरुषों के साथ घर की ओर बढ़े। कुछ दूर पर एक लड़का उन्हें घर की ओर बढ़ते हुए दीखा। उसने दौड़ कर उन दो घरों में तो ताला लगा दिया, पर तीसरे घर तक अभी पहुंचा ही था कि वे जब्ती वाले उस घर में घुस गए। यह समाचार थोड़ी देर में सभी ओर व्याप गया। तत्काल ही सत्याग्रह आश्रम से चुन्नी भाई और केशव भाई भी आ गए। इतने में वहां भीड़ और इकट्ठी हो गई। केशव भाई तत्काल भीतर गए। उस समय गोपालदास भाई की पतोहू भोजन बना रही थीं। सामने जब्ती का सामान लिये, भयंकर आकृतियां बनाए, जब्ती वाले इधर उधर आंखें मार रहे थे। पर वे शान्तिपूर्वक अपना कार्य कर रही थीं।

केशव ने पूछा—
'क्यों बहन! घबराई तो नहीं।'
"इसमें घबराने की कौन बात थी?"

इस उत्तर को सुनकर केशव भाई गद्‌गद् हो उठे। उन्होंने कहा—"आप रसोई करके शान्तिपूर्वक भोजन कर लें। फिर किसी पड़ौसी के घर में बैठें। सब सामान इसी प्रकार वहां छोड़ दें।"

तब केशव भाई ने पुनः पटेल-पटवारी आदि से कहा—"हां अब आप लोग पधारिए। घर खाली है। जो चाहे, आप उठा लें। वह देखिए, कपास भी है? यों कह कर वे भी बाहर आ गए। उस सुनसान घर में जितने पटेल पटवारी थे, सब एक-दूसरे का मुंह ताकते रह गए और अन्त में निराश होकर बिना कुछ लिए ही बाहर निकल आए।

इधर स्वयंसेवकों का संगठन भी दिनों दिन बढ़ता जाता था। इस प्रकार की नित्य होने वाली घटनाओं से नई-नई बातें भी सूझती थीं, जिनसे लोगों को बड़ा रस आता था। जब कोई मुखिया या पटवारी, या कोई ऊंचा अधिकारी किसी गांव की ओर मुंह करता उसी गांव में बिगुल, शंखनाद और नगाड़े बजने लगते। प्रत्येक गांव में चारों नाकों पर बड़े पहरे लगे होते थे। संकेत पाते ही सब घरों का

हृदय कपाट बन्द हो जाता था। प्रत्येक घर पर तालों को देख कर बेचारे पटवारी या अधिकारी विवश होकर लौट जाते थे। उस समय शंख-ध्वनियों से सारे गांव और खेत-खलिहान सभी गुंजायमान हो उठते।

धीरे धीरे लोग सरकार के जाल में न फंसने के अभ्यासी हो गए। उनको अनेक बहकावे देकर बुलाया जाता और वहां पर प्यार, श्रद्धा, सम्मान, फूट और घुड़की जो कुछ अस्त्र वे अपनाते थे, प्रायः सभी किसान उनका प्रत्युत्तर दे देते थे। यदि कोई भूलवश बहकावे में आ जाता तो भी वह अपनी भूलपर पछताकर उन्हें कड़ी फटकार सुनाता था, जो उसे धर्म से गिराना चाहते थे। और फिर वह अपने लोगों में आकर सारी वातें खोल देता। दूसरे दिन यह सब समाचार छपवा कर लोगों के सामने अधिकारियों की पोल खोल देता।

पीली पतंग—अब इधर उधर घरों पर पीली सूचनाएं चिपका दी जाती थीं। इन सूचनाओं को किसान पीली पतंग कहा करते थे। उन सूचनाओं पर यही लिखा होता कि इस तिथि तक तुम लगान दे दो नहीं तो कहीं के न रहोगे। सरकार तुम्हारे साथ कठोर कदम उठाएगी और पीछे तुम्हें तरसना पड़ेगा। कभी-कभी इन सूचनाओं को किसी किसान के हाथ में दे दिया जाता था कि इन इन पुरुषों को इन्हें दे देना। पर जब उसे मार्ग में पता चलता कि यह तो पीले पतंग हैं, वह उलटे पैर लौटता और स्पष्ट कह देता "यह काम मुझसे तो न होगा।"

एक दिन एक कलक्टर ने एक किसान को पकड़ लिया और कहा—"क्यों रे लगान क्यों नहीं देता।"

"लगान कम कर दो तब दे देंगे।"

"अरे तुझ पर तो बहुत कम लगान बढ़ा है।"

"बहुत कम ही सही, पर लावें कहां से ?"

"भाई ! यह तो न्याय से ही बढ़ाया गया है। देख न, धारा-सभा में भी यह स्वीकार हो गया। इससे यदि लगान नहीं दोगे तो धरती से हाथ धोना पड़ेगा।"

"अरे सरकार !"

फूल मां फूल कपास का और फूल किस काम का ?
राजा मां राजा मेघराजा और राजा किस काम का ?"

"अरे तू क्या कह रहा है ?"

"यही कि हमारी धरती तो मेघराजा ही छीन सकता है और किसमें बल है जो छीन सके।"

इस प्रकार दीन-दुखियों पर जब दाल न गली तो एक दिन बाजीपुरा के वीरचन्द जी के द्वार से पीली-पतंग चिपक गई। उसी समय वीरचन्द्र जी ने पत्र लिखा—"क्या आपने इस ओर मुझे ही कच्चे हृदय का समझा। मैं स्पष्ट कह

देता हूं, चाहे समस्त भूमि मेरी छीन ली जाए पर जब तक न्यायपूर्वक जांच नहीं होगी, तब तक मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। आपने यहां का नमक खाया है। आपको चाहिए कि प्रजा के प्रति कृतज्ञ बनकर सरकार को विवश कर दें कि वह न्यायपूर्वक जांच करे और यदि हमारी सरकार ऐसा नहीं करती तो आप प्रजा के हितषी बन कर इस नौकरी से मुंह मोड़ लें, जिसके कारण आपको प्रजा का उत्पीड़न करना पड़ रहा है।"

इच्छा बहिन के भी घर पर पीली पतंग चिपकाई गई थी। भाई चुन्नीलाल जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि "भूमि छिन जाय तो छिन जाय, प्रतिज्ञा भंग नहीं हो सकती। हम लगान कभी भी नहीं दे सकते। भूमि जायगी तो किसी प्रकार पेट भर लेंगे। पर नाक चली गई तो कहीं के न रहेंगे। मैं निराधार कभी नहीं होउंगी। गांधी जी के चर्खे की जय हो। और सरकार यदि मुझे जेल में बन्द कर देगी तो वहां भी चक्की पीसते मुझे लाज थोड़े ही आवेगी।" चुन्नीलाल जी मुंह ताकते रह गए। उन्होंने पुनः यह समाचार वल्लभभाई के पास भेजा और लिख दिया, "आप निश्चिन्त रहें। हम प्रतिज्ञा पर अटल हैं।"

फूल चन्द भाई शाह ने मनोवृत्ति जांचने के लिए एक बहिन से पूछा—"बहिन ! पीली पतंगें आ रही हैं।"

"आने दो भाई ! कौन डरता है ?"

"पुरुष कहीं डरकर लगान देने लगें तब ?"

"कैसे वे देंगे ? उन्हें पकड़कर पीछे कर घर में नहीं बन्द कर देंगी ?"

"कोरी बातों से क्या होता है ? भूमि हाथ से निकल जायगी। दूसरे को बेच दी जायगी। खेत में जहां पैर रक्खोगी तो जेल में चक्की पीसती हुई दिखाई पड़ोगी। बस, रो रो कर पछताना ही पड़ेगा। कुछ जानती भी हो ?"

"भले ही जो होना हो सो हो। हम तो अपने ही खेत को जोतेंगी। फिर देख लेंगी, कौन हमें जेल ले जाता है।"

इस प्रकार सभी अपने विश्वास के पक्के तथा अपने मार्ग पर चट्टान की भांति अटल थे। जहां सरकारी साधारण चपरासी के भय से गांव के किसान कांप जाते थे, उन्हीं किसानों और स्वयंसेवकों के भय से वहां बड़े-बड़े अधिकारियों की दुर्गति बन रही थी। हां, प्रयोग दोनों का उलटा था। एक और अनाचार शक्ति का भय तो दूसरी ओर सत्य और अहिंसा का बल था। एक के बदन पर क्रूरता, छल तथा दंभ की दुर्गन्ध थी तो दूसरी ओर दया, प्रेम, अहिंसा तथा सत्य की सुगन्ध छूटती थी।

यह सब समाचार सरदार के पास पहुंचते तो वह बहुत प्रसन्न होते और कहा करते कि "हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो वह ऐसा अवसर देकर

उन ढके हुए रत्नों को चमकने का अवसर दे रही है, ढूंढ़-ढूंढ़ कर इन हीरों को चमका रही है।"

सभाओं का आयोजन—नानी फरोद में एक विराट सभा का आयोजन किया गया। उसमें वल्लभभाई को विशेष आग्रह से निमन्त्रित किया गया था। जब वल्लभभाई वहां पहुंचे तो जनता कृतार्थ होकर उन्हें देखने लगी। बहिनों ने फूल, तिलक, चन्दन, इत्र आदि से उनकी पूजा की। आनन्द विभोर होकर लोग सत्याग्रह-गान गाने लगे। पूजा करते करते एक बहिन वल्लभभाई के चरणों में एक पत्र छोड़ गई। जिसमें था—

"पूज्य श्री वल्लभभाई !

यह सत्याग्रह आन्दोलन जो लगान के विरोध में छेड़ा गया है, इससे हमारा व्यक्तिगत लाभ भी बहुत हो रहा है। मेरे पूज्य पति श्री कुंवर जी दुर्लभ को, जो उपदेश आपने दिया है उसके लिए मैं आजन्म ऋणी रहूंगी। यदि सरकार इस लड़ाई म हमारी भूमि या धन—सब कुछ छीन ले तो भी हम डरने वाली नहीं हैं। यदि उन्हें (पति को) जेल जाना पड़े तो भी हम आनन्द के साथ उन्हें जाने देंगी। परमात्मा करे कि आपकी इस युद्ध में शीघ्र विजय हो।"

नानी फरोद १।५।२८ मोतीबाई

वल्लभभाई ने वहां जो भाषण दिया वह बड़ा ही मार्मिक तथा भावपूर्ण था। उन्होंने कहा—

"सरकार जब्ती करके अपना बल देख चुकी। अब भूमि खालसा करने का भी हथियार ऐसा ही पोला सिद्ध होगा। अरे, किसका साहस है जो हमारे खेतों को आकर जोत सके ? हमने कहीं चोरी तो की नहीं, और न डाका डाला है। हम तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं। हम तो भगवान का नाम लेकर अपनी टेक पर अड़ गए हैं। आप देखेंगे सरकार की तोप-बन्दूकों का वार बेकार जायगा। हमारे सामने उन तोपों से फूल ही झरेंगे। अब बारडोली के किसानों का भय भाग गया है। अब इन किसानों को कोई टाल नहीं सकता। किसी की भूमि कोई न ले। यह भाग गो मांस के बराबर है। हम—माता का दूध आठ मास पीते हैं। अरे, धरती माता को तो हम वर्षों से चूसते आ रहे हैं। अब आइए कुछ दिनों के लिए धरती माता को भी आराम कर लेने दें। इतने में ही सरकार की भी बुद्धि ठिकाने आ जावेगी।

"आप तो किसान के बच्चे हैं। किसान का बच्चा कभी दूसरों की ओर हाथ नहीं पसारता। कमेरे आप के भाई हैं। फिर डर काहे का ? किसान और कमेरे पसीने की कमाई खाते हैं। और सब लोगों के दिन बीत गए। अब आप किसी से न डरें। न्याय के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बराबर लड़िए। अरे, यहां अमर होकर कौन

आया है ? आवश्यकता पड़े तो सारे देश के किसानों के लिए लड़ कर दिखा दीजिए और देश के लिए अपने आपको मिटाकर संसार में अपनी अमर कीर्ति फैला दीजिए ।"

इसके अनन्तर जब सरदार ने मोती बहिन का वह पत्र पढ़कर सबको सुनाया, तो उस समय समस्त स्त्री-पुरुष विव्हल हो गए । सबकी आंखों से आंसू बहने लग गए। किसानों के तेज और बल में बड़ी वृद्धि हुई। सभी उत्साह में लबालब भर गए। अपार आनन्द छा गया। इसके अनन्तर वहां की सभा विर्सजित हुई और दूसरी ओर दूसरे गांव में सभा का आयोजन हुआ। वल्लभभाई वहां पहुंचे। उन्होंने वहां भी आए हुए भाई-बहिनों को समझाया। फिर आगे तीसरी सभा के लिए चल पड़े। किसी किसी दिन तो इतनी अधिक सभाएं होतीं कि रात को भी विश्राम नहीं मिल पाता था। एकत्रित जनता मुक्त कण्ठ से वल्लभभाई की वन्दना करती थी। सभामंच पर जब वल्लभभाई पहुंचते और अपने जुड़े हुए हाथों से सभा में अभिवादन करते तो सारी सभा में जुड़े हुए हाथ ही दिखाई पड़ते थे। उनकी आंखों में एक गहरी चमक पैदा होती थी। सहस्त्रों आंखें वल्लभभाई में अपनापन ढूंढ़ती थीं, पर वह अपनेपन का गहरा सम्बन्ध किस प्रकार का था, यह कहना कठिन था।

सत्याग्रहियों की मांग—वल्लभभाई के व्याख्यानों में एक ही टेक होती कि "अब समय आ गया है। जन-बल महान है। इस महत्ता का अपमान अब नहीं सहा जा सकता।" वल्लभभाई अपनी टेक पर अड़े हुए थे। यद्यपि इस बीच सरकार के लिए भी उन्होंने बहुत से पत्र लिखे। गवर्नर से भी पत्र व्यवहार होता था। वल्लभभाई यह चाहते थे कि नम्रता, सौजन्य तथा न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपनी बातें सरकार के सामने स्पष्ट कर दी जावें। पर इधर तो सरकार के अंग-प्रत्यंग में दर्प का मद भरा हुआ था। सरकार यह चाहती थी कि किसान नियत तिथि के भीतर ही लगान अदा करें, तब जांच होती रहेगी। किसान चाहते थे कि पहले जांच हो और निष्पक्षता के साथ हमारी बातों को सुना जाए, इसके अनन्तर हम लगान दे देंगे। उनकी प्रमुख मांगें यह थीं—

१—बारडोली पर बढ़ाया हुआ लगान न्यायपूर्वक है या नहीं ? यदि न्यायसंगत नहीं है तो न्यायपूर्वक लगान क्या हो सकता है ? इसकी जांच की जाए ।

२—लगान वसूल करने के लिए सरकार की ओर से जो जो उपाय किए गए क्या वे न्याय के अनुकूल थे ? यदि नहीं थे तो पीड़ित किसानों को क्या हर्जाना दिया जावेगा ?

३—जिस भूमि को दूसरे के हाथ बेचा गया है, उसे लौटा दिया जावे ।

४—सब राजबंदियों को छोड़ दिया जावे और उनकी जब्त की गई वस्तुएं लौटा दी जायं ।

५—इस समय ताल्लुके के जिन पटेलों (मुखियाओं) तथा तलाटियों (पटवारियों) ने त्यागपत्र दिये हैं उन्हें नौकरी पर फिर वहाल किया जावे।

किसानों की मुख्य मांगें यह थीं, जिनको वल्लभभाई ने अत्यन्त नम्र भाषा में लिखकर गवर्नर के पास भेजा। अन्त में सरदार ने यह भी लिख दिया कि "हम चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसा ढंग निकाले, जिससे यह संधि शीघ्र हो जाए।"

बारडोली के पक्ष में देश मत—उधर गवर्नर के पास जब पत्र पहुंचा तो उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गवर्नर ने कौंसिल में स्पष्ट घोषणा की कि "सरकार किसानों को दवाने के लिए कोई प्रयत्न उठा न रक्खेगी। किसानों को यथाशीघ्र बढ़ा हुआ पूरा लगान देना होगा।" इससे सारे भारत में खलबली सी मच गई। भारत के सभी लोगों ने इसे बुरा कहा। पं. मदनमोहन मालवीय, पं. मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय और सरदार शार्दूलसिंह कवीश्वर आदि नेता बारडोली के बारे में चिन्ता करने लगे। उन्होंने बार बार वल्लभभाई को लिखा "हमें भी इस बहती गंगा में स्नान करने का अवसर दीजिए।" शिरोमणि अकाली दल ने तो अमृतसर के तमाम जत्थों को सुसज्जित किया कि यदि सरकार बारडोली के किसानों की मांग इसी प्रकार ठुकराती रही तो हमें सर्वथा सजग रहना चाहिए। न जाने वहां कब हमारी आवश्यकता पड़े। किन्तु सरदार ने उनको उत्तर दिया कि बारडोली के इस सत्याग्रह संग्राम को बारडोली वाले ही चलावेंगे। इसमें बाहिर वालों की आवश्यकता नहीं है।

अन्त में श्री मुंशी जी ने सरकार को लिखा, "यदि आप ऐसा ही मानते हैं तो स्वतन्त्र जांच क्यों नहीं करवाते? इससे स्थिति स्पष्ट हो जावेगी।" पर इस का उत्तर गवर्नर ने यह कह कर टाल दिया कि "कोई भी सरकार इस प्रकार का अवसर नहीं दे सकती। मेरी सरकार भी किसी स्वतन्त्र जांच समिति को अपना अधिकार क्यों सौंप देगी? यदि मेरी सरकार अपना अधिकार इस प्रकार औरों के हाथ में सौंप दे तो इसका अभिप्राय और क्या हो सकता है?"

सरकार की बारडोली नीति के विरोध में श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी तथा उनके अन्य १५ साथियों ने भी बम्बई धारा सभा से अपने अपने त्यागपत्र दे दिए, जिनके नाम ये हैं—१. रा. सा. दादूभाई देसाई, २. रा. ब. भीमभाई नायक, ३. श्री एच. वी. शिवदासानी, ४. हरिभाई अमीन, ५. श्री जेठालाल स्वामी नारायण, ६. वामन राव मुकादम, ७. श्री जीवाभाई पटेल, ८. डा. मोहननाथ केदारनाथ दीक्षित, ९. सेठ लाल जी नारण जी, १०. श्री नरीमन, ११. श्री नारायणदास बेचर, १२. श्री लालू भाई टी देसाई, १३. श्री जयरामदास दौलत-राम, १४. श्री जीनवाला, १५. श्री अमृतलाल सेठ।

श्री सेठ जमनालाल जी बजाज, पं. हृदयनाथ कुंजरू, श्री अमृतलाल ठक्कर

आदि महानुभावों ने स्वयं वहां जाकर बारडोली की स्थिति देखी। उन्होंने जांच कर अपना विवरण प्रकाशित कराया। उस विवरण में भी सरकार को कड़ी चेतावनी दी गई कि यहां के किसानों को अपार कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ा हुआ लगान सर्वथा अनुचित है। जब बीस गांव के लगान की किश्त में सरकार पुनः विचार कर रही है तो कोई कारण नहीं कि बारडोली के किसानों की निष्पक्ष जांच क्यों न हो? इन महानुभावों ने भी अपने व्यक्तित्व, प्रवाह तथा हृदय से बहुत सहयोग दिया। अमृतलाल ठक्कर की सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी ने बारडोली की बड़ी सेवा की।

बाहर के समस्त समाचार-पत्रों ने बारडोली आन्दोलन को बलपूर्वक उठाया। इसमें "टाइम्स आव इण्डिया" जैसे राज-भक्ति की दुहाई देने वाले पत्र ने निम्न-लिखित सम्पादकीय लेख दिया—

"आर्य देश के बम्बई प्रान्त में बारडोली नाम का एक मण्डल है। वहां महात्मा गांधी ने वोलशेविज्म का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है। प्रयोग सफल भी होता जा रहा है। वहां सरकार के सारे कल पुर्जे मन्द पड़ गए हैं। गांधी के शिष्य पटेल का बोलबाला है। वही वहां का लेनिन है। स्त्रियों, बालकों और पुरुषों में एक नई ज्वाला धधक रही है। इस ज्वाला में राजभक्ति की अन्त्येष्टि-क्रिया हो रही है। स्त्रियों में नवीन चैतन्यता भर गई है। वल्लभभाई तो उनके गीतों का विषय हो रहा है। अपने नायक वल्लभभाई में वे असीम भक्ति रखती हैं। पर इन गीतों में राज-विद्रोह की भयंकर आग सुलग रही है। उनको सुनते ही कान जलने लगते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो निस्सन्देह वहां रक्त की नदियां बहने लगेंगी।"

इस प्रकार की बातें उस पत्र की एक विशेषता होती थीं, जो बारबार देश-विदेश में पहुंचती थीं। पर इस प्रकार के प्रचार से उसने बारडोली का बड़ा उपकार किया और सारे संसार में बारडोली की चर्चा होने लगी। जब लोग सच्चाई के निकट पहुंचने लगे तो इस पत्र की सभी ओर से निन्दा होने लगी। फिर भी यह पत्र बराबर वही राग अलापे जा रहा था।

इधर बारडोली सत्याग्रह के समर्थन में समस्त देश में इधर उधर सभाएं होने लगीं। नगर नगर गांव गांव में सत्याग्रह की धूम मच गई। भड़ौंच में जिला परिषद का आयोजन किया गया, जिसके स्वागताध्यक्ष श्री मुंशी थे। यहां सभा का उल्लास अपूर्व था। जनता बारडोली के बारे में बड़े उत्साह के साथ सुनना चाहती थी कि वहां क्या हो रहा है?

अध्यक्ष श्री खुरशेद जी नरीमन ने कहा—आज से दस-बीस वर्ष प्रथम जो किसान था वह किसान अब नहीं रहा। बारडोली में आज अंग्रेजों को पूछता कौन है? उनकी कचहरियों में आज जाता कौन है? आज मार-पीट कर जबरदस्ती ही

किसान को जहां चाहें वे ले जा सकते हैं। नहीं तो वहां तो कौवे उड़ते हैं। लोगों की सच्ची कचहरी तो स्वराज्य-आश्रम है और उनकी सच्ची सरकार है सरदार वल्लभभाई। पर वल्लभभाई के पास न तो तोप है और न भाले बन्दूक। वह तो केवल प्रेम और सत्य के सहारे बारडोली में राज कर रहे हैं। अब तो सारे गुजरात को ही बारडोली बन जाना चाहिए। जब सारे भारत में यह भावना फैल जायगी तब स्वराज्य—अपने आप हो जायगा।"

इधर महात्मा जी ने भी घोषणा कर दी "जो बारडोली की सहायता करता है वह अपनी सहायता करता है।"

समय समय पर महादेव देसाई अपने लेख 'यंग इण्डिया' में लिखा करते थे और बारडोली की सामयिक घटनाओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया करते। इससे बारडोली के काम में बड़ी सहायता पहुंची।

विट्ठल भाई की सहायता—श्री विट्ठल भाई पटेल जो हमारे वन्दनीय सरदार के बड़े भ्राता थे, इस युद्ध में क्यों पीछे रह जाते ? उन्होंने बराबर ही इसमें सहायता प्रदान की। विट्ठल भाई इन दिनों केन्द्रीय धारा सभा के स्पीकर (अध्यक्ष) थे। वहां से जो पत्र उन्होंने पूज्य बापू जी को लिखा था, वह सर्वथा वन्दनीय है—

"ऐसी स्थिति में मैं चुपचाप नहीं बैठा रह सकता, न मैं उदासीन ही रह सकता हूं। आपने जो आर्थिक सहायता मांगी है उसके लिए इस समय केवल एक सहस्त्र रुपये भेजता हूं। दुःख है बारडोली के किसानों के प्रति मैं सहानुभूति रहने पर भी कोई ठोस सेवा नहीं कर रहा हूं। सरकार की हत्यारी नीति की अस्वीकृति के सिवाय कोई और ढंग ही नहीं है। मेरे हाथ अशक्त हैं। फिर भी जनता का सत्याग्रह युद्ध चलता रहेगा। मैं एक सहस्त्र प्रति मास भेजता रहूंगा। मैं आपको एक विश्वास और दिलाता हूं कि जिन्होंने यह महान पद मुझे दिया है, उनसे अत्यन्त शीघ्र सहमति प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा। जिस अधिकार का सम्मान मुझे आजकल प्राप्त है वह तो एक सेवा-धर्म है। यदि मुझे यह विश्वास हो गया कि बारडोली के सत्याग्रहियों के प्रति इस दुःख में आर्थिक सहायता करने के अतिरिक्त मैं और भी कुछ कर सकता हूं तो आप विश्वास रखिए मैं पीछे नहीं हटूंगा।"

आपको जब किसानों पर किए गए अत्याचारों का विवरण सुनाया जाता तो बहुत दुःखी होते। स्वयं समय समय पर आप बड़े लाट के पास जाते और उनको सत्याग्रहियों की सब बातें सुनाते, जिनमें सत्याग्रहियों की सहनशीलता और दूसरी ओर सरकार के अधिकारियों के अत्याचार होते।

विट्ठल भाई का चरित्र चित्रण—श्री विट्ठल भाई पटेल बड़े ओजस्वी पुरुष थे। उनका व्यक्तित्व अद्भुत था। गठा हुआ शरीर, गहराई में घुसने वाली आंखें, मुख पर अद्भुत शौर्य और गहराई में बैठकर सब की थाह ले लेने वाला

मन था। सबसे बड़ी अद्‌भुत बात यह थी कि विट्ठल भाई कभी भी राजनीति के मंच पर नहीं आए, पर राजनीति उनके साथ सदा उलझी रही। वे अपने आसन के लिए निरभिमान थे, परन्तु सेनापति को भी नहीं छोड़ते थे। छोटे-बड़े लाट महोदयों को भी वे धत्त कहने में सकुचाते नहीं थे। वह समय था जब कि विट्ठल भाई जैसे महापुरुष अंग्रेज के आंगन में अंग्रेज का आह्वान करते थे। अंग्रेज के चक्र-व्यूह में अभिमन्यु की भांति झूमते थे।

पहिले वह बम्बई की धारा सभा के सदस्य थे। अनिवार्य शिक्षा विधेयक वहां उनका महत्वपूर्ण कार्य था। उनके कार्य से प्रसन्न होकर गवर्नर ने उन्हें "सर" की उपाधि देनी चाही तो उन्होंने उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। केन्द्रीय धारा सभा के अध्यक्ष बनने से पूर्व वह कई वर्ष तक उसके सदस्य भी रह चुके थे। केन्द्रीय धारा सभा के अध्यक्ष कार्य में वह दिन रात लगे रहते थे। वह उसके अधिवेशन में पूरे समय तक उपस्थित रह कर डिप्टी स्पीकर को सदन की अध्यक्षता करने का अवसर बहुत कम देते थे। रात्रि को भी वह कागजों को देखकर अगले दिन की तैयारी करते रहते थे। आजकल तो स्पीकर संसद में दो-तीन घण्टे से अधिक समय प्रायः नहीं देते।

बड़े-बड़े अंग्रेज स्तब्ध थे, पर साहस किसी का ऐसा न होता था कि विट्ठल भाई को कुछ कह सके। उनका स्वाभिमान सर्वत्र उन्नत और ओजस्वी बना रहा। सरकारी अधिकारी व्यंग्य करते थे। झूठा प्रचार करते थे, रह रह कर दांत पीसते थे। पर जब वे अपने बहुमत के बीच निष्ठुरता के साथ उनको आह्वान करते थे तो उस समय अंग्रेजों के मुंह बन्द हो जाते थे। विट्ठल भाई उनके भीतर प्रवेश कर उनकी आकांक्षाओं को सहज ही समझ लेते थे। उनके पाखण्ड उनके सामने ज्योंही प्रकट होते थे वे इतनी निर्दयता के साथ कुरेद-कुरेद कर उनके टुकड़े-टुकड़े कर देते थे कि अंग्रेजों के बड़े सेनापति तक को मौनावलम्बन ही करते बनता था।

विट्ठल भाई व्यवहार में कितने सज्जन थे, हृदय उनका कितना दयार्द्र था, इसका निदर्शन उनके उपरोक्त पत्र में दिया जा चुका है। उनके हृदय की विशालता का इससे बढ़ कर और क्या उदाहरण हो सकता है? उनके जीवन का प्रति पल अमूल्य था। वे समय का बड़ा ध्यान रखते थे और जो काम जिस समय करने का निश्चय कर लेते थे उसे उसी समय पूरा करते थे। यहां तक कि सभाओं में विशेषकर बड़ी धारा सभा के अधिवेशनों में यदि कोई वक्ता समय के पालन में कुछ भी आलस्य करता तो वह स्पष्ट ही एक आपत्ति मोल लें लेता था।

गांधी जी का हृदय तो एक वीर माता का हृदय था, जो पुत्र के लिए बात-बात पर पिघल जाता था। पर विट्ठल भाई का हृदय पिता का हृदय था जो करारे चपत लगा कर पुत्र को चुप कर दिया करता है। भावना दोनों में पुत्र उद्धार की थी।

दोनों पुत्र का कल्याण चाहते थे। पर एक ओर क्षमा है, शान्ति है, प्रेम है, सहन-शीलता है, तो दूसरी ओर दण्ड है, उग्रता है, भय है। पुत्र अपराध करता है तो एक तो अपने ही गाल पर चपत लगाने लगता है और कहता है कि मुझ में ही कोई भूल है जिससे मैं इस बालक को अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूं। इस प्रकार वह बालक को रुला देता है और उसे पिघला कर उसके आर्द्र हृदय में अपने उपदेश का बीज बो देता है। दूसरा, तत्काल उसे निर्दय हाथों से, पर करुण हृदय से पीट देता है। पर दोनों की अन्तरात्मा निश्छल है। दोनों बालक का भला चाहते हैं। दोनों में अपूर्व बल तथा उत्साह है। दोनों का चरित्र उज्जवल है। ऐसा होने पर भी एक संत है तो दूसरा उपासक है। एक गुरु है, तो दूसरा अनुरक्त भक्त है। एक महात्मा है, तो दूसरा नतात्मा है।

वल्लभभाई भी अपने पक्ष का बड़ी कठोरता से समर्थन करते थे। इस बीच गवर्नर के, कमिश्नर के, कलक्टर के अनेक पत्र आए कि सत्याग्रह स्थगित कर दो तब हम तुम्हारी बातें सुनेंगे। पर वल्लभभाई चट्टान की भांति अपने पथ पर अटल रहे और अन्त तक कहते रहे कि तुम सुनो तो सत्याग्रह हम स्थगित करते हैं। इस कठोरता से अपने व्रत का पालन करना विट्ठलभाई पटेल जैसे महान् पुरुष का भाई होने पर ही संभव हो सकता है। गांव-गांव में जाकर चर्खा चलाना, बैरिस्टरी को भूल कर नंगे-धड़ंगे किसानों की पूजा करना, उनमें घुल मिलकर उनके दुःखों का निवारण करने के लिये स्वयं अपने सिर पर अनेक दुःखों को मोल लेना, रात-दिन बेचैन होकर किसानों के लिए इधर-उधर चक्कर काटना यह सब महात्मा गांधी जैसे को अपना गुरु बनाने का ही पुरस्कार था। जिन-जिन महापुरुषों की पीठ पर गांधी जी ने हाथ रख दिया वही बेचैन होकर गांवों की ओर भागे। बापू ने बड़े-बड़े राजसी ठाठ के मानवेन्द्रों को भी वनवासी बना दिया, बड़े बड़े वाचस्पतियों को कारागार की गंदी कुटियों में बन्द करवाया, बड़े बड़े धनपतियों को गांवों की ओर दौड़ाया। यह सब महात्मा जी का ही चमत्कार था। या यों कहिए कि गांधी जी ने बड़े बड़े महापुरुषों का ही निर्माण किया। उन्होंने जिसकी पीठ ठोक दी वही वन्दनीय-बन गया।

वल्लभभाई जिस प्रकार बैरिस्टरी के अपने काम में तन्मय रहते हम बारडोली में अपने कार्य में उसी प्रकार उनको व्यस्त पाते हैं। श्री विट्ठलभाई पटेल के बारे में जो कुछ कहा गया है वह उनके जीवन के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। विट्ठलभाई को अपने कौशल को दिखलाने का स्थान वास्तव में उनका केन्द्रीय असेम्बली का अध्यक्ष पद ही था। वह सिर का राज-मुकुट था जो सिर पर रह कर ही शोभा प्रदान करता था। राज-मुकुट वास्तव में सिर पर ही रखने की वस्तु है, पैर में पहने जाने योग्य नहीं। विट्ठलभाई

की विद्वता, उनका कौशल, उनकी प्रतिभा, उनका गौरव यह सब किसी लहलहाते खेत में प्रदर्शन की वस्तुएं नहीं थीं। यह सम्मान उनके ही योग्य था और यह स्थान उनके कारण चमक उठा। विट्ठलभाई को भी अपनी गुरुता प्रकट करने का यही अवसर था। केन्द्रीय धारा-सभा उनकी प्रतिभा से आप्लावित हो उठी और केन्द्रीय धारा-सभा का हृदय पाने पर उनकी प्रखरता भी दमकने लगी।

पर हमारे सरदार का क्षेत्र दूसरा ही था। वह तो बारडोली में अपनी अलख जगाए बैठा था। वह तो किसान के लिए छटपटा रहा था—

तात को सोच न भ्रात को सोच, न सोच तिया पर लोक तरे को।
गांव को सोच न ठांव को सोच, न खान को सोच न सोच घरे को॥
संग को सोच न अंग को सोच, है सोच कबौं न किएको करे को।
अंग्रेज के चंगुल में फंसि पीड़ित, सोच कृषि जन हाथ धरे को॥

सरकार के पटवारी सभी प्रकार से हार चुके। मुखियों में भी खलबली मच गई। बाहरी अधिकारी भी उदास रहने लगे। जब वे गांव की ओर मुंह करते तो गांव के सीमा में घुसते ही—

"ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः।
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो ऽभवत्॥ गीता. १.१३

इन ध्वनियों को, नगाड़ों को बजते हुए सुन कर चौंक जाते। गांव भी ऐसा सुनसान बन जाता कि मानों कोई है ही नही। सभी घरों पर ताले और सभी का द्वार बन्द। ऐसा लगता कि सभी कमेरे हैं और कहीं काम करने गए हैं। लोगों का अपना घर है, पर सभी के सभी प्रवासी है।

उन अधिकारियों को इतना कष्ट होता कि उठने-बैठने को भी कुछ नहीं मिलता। विवश होकर वे स्वराज्य-भवन की छत्र-छाया में जाते। वहां उनका उचित सत्कार होता। वहीं पानी पीते, भोजन करते और कभी-कभी उनको रात भी वहीं शरणार्थी बन कर काटनी पड़ती। यद्यपि अनेक अधिकारी वल्लभभाई के इस व्यक्तित्व से प्रभावित थे, फिर भी कितनों ने इसे अपना अपमान समझा। फिर भी वे किसानों में फूट डालने के लिए सभी चेष्टाएं करते। पर वे बेकार ही जाती।

अव तो किसानों की सरकार उनका सरदार है। वह जैसा कहेगा उसी प्रकार चलें। उनके हृदय पर सरदार ही राज्य कर सकता है, क्योंकि सरदार के पास हृदय है। सरदार ने अपने हृदय से किसानों के हृदय को जीता है। अत्याचार से हृदय पर अधिकार नही किया जा सकता। वह तो प्रेम की मूर्त्ति है और प्रेम से ही जीवित है। उसको प्रेम से ही जीता जा सकता है।

वल्लभ भाई ने किसानों को जगाया। किसान उनसे चिपट गए। किसानों की छाती चौड़ी होने लगी। उनका शरीर बढ़ने लगा। वे स्वयं अपने बढ़ते हुए बल को देख कर विस्मित होने लगे। गांव गांव के किसानों में प्रेम बन्धन दृढ़ हो गया। उनका संगठन, उनका गीत, उनका प्रेम, यह सभी अलौकिक आनन्द उपजाने वाली बातें थीं।

दिन प्रतिदिन किसानों का शौर्य बढ़ रहा था। उनमें अपूर्व क्षमता बढ़ रही थी। उधर इस बीच अनेक ऐसी घटनाएं हुई जिन से किसान घबराए नहीं, किन्तु सहन-शीलता के साथ उन्होंने उन सब का सामना किया। सरदार ने मिट्टी से मर्द बनाए।

बारडोली की विजय—जब सरकार सब उपद्रव करके थक गई, तो उसको अपनी नीति पर फिर विचार करने को विवश होना पड़ा। अब गवर्नर ने सरदार वल्लभ भाई को बुलाकर उनसे वार्तालाप किया। वल्लभ भाई को यह आश्वासन दिया गया कि सरकार योग्य मामलों में जांच करके बढ़े हुए लगान को माफ कर देगी। उसके बदले में सरकार चाहती थी कि सत्याग्रह संग्राम बन्द कर दिया जाए और लोग पहिले के समान कर देना आरम्भ कर दें।

सरदार पटेल ने गवर्नर की इस बात को स्वीकार करते हुए यह भी मांग उपस्थित की कि जिन लोगों का माल कुर्क हुआ है उनको उनका माल वापिस मिले तथा जिनकी जमीन कुर्क की गई है उनकी जमीन वापिस की जाए। सरकार ने सरदार की इस बात को भी स्वीकार कर लिया। किन्तु जो माल नीलाम हो चुके थे उनको वापिस करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। किन्तु प्रथम तो नीलाम लेने कोई आता ही न था, फिर जिस किसी को बाहिर से बुलाया भी गया था, उनमें से अधिकांश ने नीलाम के माल को सरकार को ही वापिस कर दिया, जिसने उसे उसके मालिक को सौंप दिया।

सरदार ने यह भी माँग की कि जिन पटेलों तथा तलाटियों ने त्यागपत्र दिये हैं उन्हें उसी पुरानी तारीख से फिर नौकरी पर रखा जावे। सरकार ने सरदार की इस मांग को भी स्वीकार कर लिया।

बारडौली की भूमि की वापिसी

गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी यह बात भूल गये। किन्तु जब गांधी जी ने लार्ड इरविन से इस बारे में दोबारा कहा तो उसने उत्तर दिया कि समझौते में इस बात को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, किन्तु सरकार भूमियों को वापिस देने में बाधक नहीं बनेगी। सरदार पटेल ने जब भूमियां वापिस कराई तो एक पारसी जमींदार सरदार गार्डा ने बावला गांव की सारी जमीन जो उसने मोल

ली हुई थी, उसे वापिस करने से इन्कार कर दिया। सरदार ने उस पर सर काऊस जी जहांगीर से दबाव डलवा कर वह भूमि उसके असल किसानों को वापिस कराई। वीर चन्द चेनाजी नामक एक अन्य साहूकार ने गोविन्द पुरुषोत्तम की जमीन ले रखी थी, जिसे उसने वापिस करने से इन्कार कर दिया। गोविन्द पुरुषोत्तम रावबहादुर भीमभाई नायक से कानजीभाई को चुनाव में दो बार हरवा चुका था। यह बात उस समय की है जब कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार किया हुआ था। इस पर कानजीभाई ने ईर्ष्यावश उसकी भूमि वापिस नहीं होने दी। इस समय कानजीभाई भी कांग्रेस मे जा चुका था। और उसने कांग्रेस के पंच फैसले पर भी प्रभाव डाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस कार्य के लिये जो पंच बनाये उनमें कानजीभाई भी थे। अतएव उन्होंने उसे न्याय नहीं मिलने दिया। जब यह बात सरदार के कान तक पहुंची तो उन्होंने इसकी जांच की और कहा कि उसे न्याय इस प्रकार मिलना चाहिये कि ऋण के मामले को राजनीति से अलग रखा जावे। अतएव पंचनामा लिखते समय वह भूमि कांग्रेस के दो जिला नेताओं के नाम बदल दी गई। बाद में पुरुषोत्तम ने पंचफैसले को न्यायालय में चुनौती देकर उसे रद्द करवाया। किन्तु उसकी भूमि तब भी कांग्रेसियों के नाम बनी रही। बाद में सरदार पटेल जब जेल से वापिस आये तो उन्होंने उस भूमि को उसे वापिस दिलवा दिया।

इस प्रकार अक्तूबर १९२८ तक सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारडोली के सत्याग्रह में पूर्ण विजय प्राप्त हुई।

बारडोली की इस विजय पर सारे भारत में प्रसन्नता मनाई गई। गुजरात और विशेषकर बारडोली में तो सरदार को अनेक मानपत्र दिए गए। इस प्रकार सरदार के प्रयत्न से बारडोली का नाम विश्व इतिहास में अमर हो गया।

इस सम्बन्ध में नरसिंहराव नामक एक कवि ने गीता के शब्दों में लिखा है :

यत्र योगेश्वरो गांधी वल्लभश्च धूर्धुरः।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

सरदार वल्लभभाई पटेल ने बारडोली संग्राम के लिये वहां की जनता को इतना अधिक प्रशिक्षित कर दिया था कि १९३० के नमक सत्याग्रह तथा उसके बाद के अन्य सत्याग्रहों में जनता अंग्रेज के विरुद्ध बराबर डटी रही और वह सरदार, गांधी जी तथा अन्य नेताओं के जेल में होने पर भी विचलित न हुई। उसने सन् १९३० में करबन्दी सत्याग्रह तक किया और उनमें से पटेल, तलाटी तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त सभी किसान ब्रिटिश भारत से अपना अपना घर बार छोड़कर गायकवाड़ी राज्य में चले गये। उन्होंने भर बरसात के श्रावण मास मे हिजरत करने का निश्चय किया और इसके दो मास पश्चात् घर का समस्त सामान तथा पशुओं को लेकर अपने-अपने खेतों की कपास की फसल

को खेतों में ही छोड़ कर गायकवाड़ी राज्य में चले गये। सरकार ने उनकी कपास की फसल को उठवाने के लिये सशस्त्र कर्जन पुलिस की भी भर्ती की, किन्तु उसके मालिक किसान की अनुमति के बिना उसको कोई भी न छू सका। अन्त में ४ मार्च १९३१ को गांधी-इरविन समझौता होने पर यह हिजरती किसान गायकवाड़ी राज्य से अपने-अपने घर वापिस आए और तभी उन्होंने कपास की अपनी-अपनी फसल को सम्भाला। किसानों के इस सत्याग्रह संग्राम में उनको किसी नेता का परामर्श नहीं मिला।

अध्याय ४

सन् १९३० से १९३३ तक का आन्दोलन

कलकत्ता कांग्रेस में सम्मान—बारडोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान समस्त देश में बढ़ गया। दिसम्बर १९२८ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पंडित मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ते में हुआ। इसमें बारडोली के सत्याग्रहियों को बधाई देने वाला प्रस्ताव सभापति की ओर से उपस्थित किया गया। प्रस्ताव को सुनते ही सहस्त्रों प्रतिनिधियों तथा दर्शको ने सरदार के दर्शन की मांग की। सरदार बड़े संकोच के साथ अपने स्थान पर खड़े हुए। परन्तु इतने से लोगों को संतोष न हुआ और वह उनके भाषण की मांग करने लगे। सरदार व्याख्यानमंच पर जा नहीं रहे थे। अन्त में उन्हें घसीटकर वहां ले जाकर खड़ा किया गया। अब तो उनके अभिनन्दन तथा जय जयकार के शब्दों से मंडप बहुत समय तक गूंजता रहा। सरदार जनता को धन्यवाद देकर बैठ गए। अब तो समस्त देश वल्लभ भाई पटेल की ओर उत्सुक दृष्टि से देखने लगा। सरदार पटेल ने १९२९ में गुजरात, महाराष्ट्र तथा तामिलनाड के प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलनों का सभापतित्व किया। इसके पश्चात् उन्होंने कर्नाटक तथा बिहार का दौरा किया। मद्रास के एक एक कालेज में उनके भाषण हुए।

पूर्ण स्वतन्त्रता का ध्येय—कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को भारतीय स्वतन्त्रता का लक्ष्य मान कर सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि उसने एक वर्ष के अन्दर उसे स्वीकार न किया तो कांग्रेस अपना ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता बना लेगी। अतएव एक वर्ष बीतने पर कांग्रेस ने दिसम्बर १९२९ में लाहौर में पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अपना ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता बनाया। इस कांग्रेस में यह भी निश्चय किया गया कि २६ जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतन्त्रता दिवस मनाया जावे।

नमक सत्याग्रह—ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने की मांग के उत्तर में सन् १९२६ में सर जान साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बना कर उसे यह कार्य सौंपा था कि वह १९१९ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट में भारत की तत्कालीन स्थिति के अनुसार ऐसे संशोधनों का प्रस्ताव करे, जिससे भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता की मांग को शांत किया जा सके। इस कमीशन ने भारत आकर यहां के राजनीतिक नेताओं की गवाहियां लेने की घोषणा की। किन्तु इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। अतएव कांग्रेस ने इस कमीशन को मानने

से इन्कार कर इसके बहिष्कार की घोषणा की। कमीशन भारत आया, किन्तु उसका सब कहीं काले झण्डों से स्वागत किया गया। सरकार कांग्रेसी स्वयंसेवकों को पिटवाती तथा जेलों में डालती थी, किन्तु बहिष्कार पूर्णतया सफल रहा। यह साइमन कमीशन जब लाहोर गया तो वहां लाला लाजपतराय के नेतृत्व में पूर्ण हड़ताल की गई। पुलिस ने उस समय ऐसा भयंकर लाठी प्रहार किया कि उनसे लाला जी के भयंकर चोटें आई और उन्ही चोटों के कारण वह बाद में मर गए।

इस बहिष्कार आन्दोलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ कर सत्याग्रह करने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा की कि १२ मार्च १९३० को वह नमक कानून भंग करने के लिए दांडी नामक स्थान के लिए कूच करेंगे।

वल्लभ भाई की गिरफ्तारी—उधर वल्लभ भाई अपने "गुरु" के पहले ही आने वाली तपस्या और संकटों के लिए तैयार होने की प्रेरणा देने के लिए गांवों में पहुंच चुके थे। वह नमक कानून भंग का प्रचार तथा महात्मा गांधी के दांडी जाने के मार्ग में उनके मार्ग को प्रशस्त करने वाले थे। इस अवसर पर सरकार ने भी प्रथम प्रहार करने में विलम्ब नहीं किया। जब वल्लभ भाई इस प्रकार गांधी जी के आगे-आगे चल रहे थे तो सरकार ने समझा "यह तो १९०० वर्ष पहले का ईसामसीह का दूत जान बैपटिस्ट है।" अस्तु उसने ७ मार्च १९३० को वल्लभ भाई को रास गांव में पहुंचने पर उन पर भाषण करने का प्रतिबन्ध लगाया, किन्तु सरदार ने उस आज्ञा को न मान कर सत्याग्रह किया। अतएव सरकार ने उनको भाषण देने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चला कर उन्हें पौने चार मास की सादी जेल की सजा दे दी।

गुजरात की समस्त जनता पर इस घटना का भारी प्रभाव पड़ा। वहां का बच्चा-बच्चा सरकार के विरुद्ध हो गया। अहमदाबाद में साबरमती के रेतीले तट पर ७५,००० स्त्री पुरुषों ने एकत्र होकर यह प्रस्ताव पास किया।

"हम अहमदाबाद के नागरिक यह संकल्प करते हैं कि जिस मार्ग पर वल्लभ भाई गए हैं हम भी उसी पर जाएंगे और ऐसा करते हुए स्वाधीनता को प्राप्त करके छोड़ेंगे। हम देश को स्वतन्त्र किए बिना न तो स्वयं ही चैन से बैठेंगे और न सरकार को ही चैन से बैठने देंगे। हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि भारतवर्ष का उद्धार सत्य और अहिंसा से ही होगा।"

इसके पश्चात् १२ मार्च १९३० को महात्मा गांधी अपने ७९ साथियों को लेकर दाण्डी कूच के लिए निकल पड़े। यह विद्रोहियों का कूच था। पर महात्मा गांधी आगे बढ़ते जा रहे थे उधर ग्राम-कर्मचारियों के धड़ाधड़ त्यागपत्र आ रहे थे। ३०० ने नौकरी छोड़ दी। महात्मा जी के कूच के बीच में ही २१ मार्च १९३० को

अहमदाबाद में कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई। इसमें कार्यसमिति तथा कांग्रेसियों से अनुरोध किया गया कि वह अपनी शक्ति नमक-कानन पर केन्द्रित करें। इस प्रस्ताव में यह भी चेतावनी दी गई कि गांधी जी के दाण्डी पहुंचकर नमक कानून तोड़ने से पहले देश में और कहीं सविनय अवज्ञा आरम्भ न की जावे। महासमिति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी गिरफ्तारी पर बधाई दी।

गांधी जी २४ दिन की यात्रा के बाद ५ अप्रैल १९३० को प्रातःकाल दाण्डी पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर नमक बना कर नमक कानून तोड़ा। उसी दिन समस्त भारत में भी नमक कानून तोड़ा गया। प्रत्येक स्थान के स्थानीय नेता ने कुछ तपे हुए कांग्रेसियों को लेकर उस दिन नमक बनाया और जेल में डेरा डाल दिया।

इस समय कांग्रेस अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के समय अपने पिता पंडित मोती लाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी नियत किया, किन्तु पंडित मोती लाल नेहरू भी अधिक समय तक जेल से बाहर न रह सके। जब वल्लभभाई पटेल अपनी चार मास की सजा काट कर २६ जून को बाहर आए तो पंडित मोती लाल नेहरू ने उन्हें कांग्रेस का स्थानापन्न अध्यक्ष नियुक्त किया। सरदार पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष बन कर बम्बई और गुजरात में संगठन को सुदृढ़ एवं सुसंगठित करना आरम्भ किया। उन्होंने आन्दोलन को और भी तीव्र कर दिया। उनके व्याख्यानों से कार्यकर्ताओं को एक नई ध्वनि तथा उत्साह मिलता था। उन्होंने १३ जुलाई १९३० को उस आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में भाषण दिया, जिसके अनुसार देश के सारे कांग्रेस संगठन गैरकानूनी घोषित कर दिये गए थे और कांग्रेस दफ्तर को ज़ब्त कर लिया गया था।

लार्ड इर्विन ने असेम्बली में इन दिनों एक प्रतिगामी भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को पूर्ण शक्ति से कुचलने का संकल्प प्रकट किया था। सरदार पटेल ने वायसराय के उक्त भाषण का मुंह तोड़ जवाब दिया था।

गुजरात के बारडोली और बोरसद ताल्लुकों में जिस प्रकार करबन्दी आन्दोलन सफलतापूर्वक चलाया गया था, वह सारे आन्दोलन के लिए अभिमान का विषय था। किन्तु अधिकारियों ने उसे दबाने के लिए ऐसे-ऐसे जुल्म किए थे कि उनसे तंग आकर ८०,००० व्यक्ति अंग्रेजी सीमा से निकल-निकल कर अपने पड़ौस के बड़ौदा राज्य के गांवों में चले गए थे, जिसका उल्लेख पीछे पृष्ठ ५३ पर किया गया है।

३१ जुलाई १९३० को सरदार मालवीय जी आदि कई नेताओं को साथ लेकर लोकमान्य तिलक की संवत्सरी के अवसर पर बम्बई में एक बहुत बड़े जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे कि सरकार ने उस जुलूस को गैरकानूनी घोषित करके

बम्बई के बिरला भवन में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के पश्चात्। प्यारे लाल, नेहरूजी, मथरादास टीकमजी, बापू, मणिबेन, सरदार पटेल तथा जीवराज मेहता।

गांधी-इर्विन पैक्ट के पश्चात् श्री ब्रजकृष्ण चांदीवाला के मकान पर लिया हुआ चित्र, (बाएं से दाहिने को) (भूमि पर बैठे हुए) १. स्वर्गीय श्री नारायण (ब्रजकृष्ण जी का भतीजा) २. उषा, ३. विमला (ब्रजकृष्णजी की भतीजियां), ४. लाला हनुमान प्रसाद, ५. श्री ब्रजकृष्ण चांदीवाले, ६. लाला रामकृष्ण दास चांदीवाले (ब्रजकृष्ण जी के ज्येष्ठ भ्राता)

(कुर्सियों पर बैठे हुए) १. श्री अब्दुल कादिर बवाजिर (इमाम साहिब), २. डाक्टर अंसारी, ३. सरदार पटेल, ४. श्री जवाहरलाल नेहरू, ५. डाक्टर सैयद महमूद, ६. श्री जे. एम. सेन गुप्ता

(प्रथम पंक्ति में खड़े हुए) १. श्रीप्रकाश, २. श्री राजेन्द्रबाबू, ३. श्री महादेव देसाई, ४. श्री सी. राजगोपालाचारी, ५. डाक्टर पट्टाभि सीतारामैया, ६. काशी निवासी बाबू शिवप्रसाद गुप्त, ७. श्री शंकरलाल बैंकर, ८. श्री अरुण गुहा

(पीछे की पंक्ति में खड़े हुए) श्री प्रभुदयाल, २. सेवक, ३. सेवक, ४. एक दलाल, ५. कुरैशी, ६. ला. राजा लाल, दिल्ली, ७. श्री प्यारेलाल नायर, ८. श्री रामगोपाल, दिल्ली, ९. श्री गोविंद मालवीय, १०. सेठ जमनालाल बजाज, ११. श्री गोपीनाथ जौहरी, दिल्ली, १२. श्री फरीदुल हक अंसारी, १३. श्री जैन, दिल्ली, १४. श्री उपाध्याय (नेहरू जी के प्राइवेट सेक्रेटरी), १५. ला. बनवारी लाल, दिल्ली, १६. सेठ मोतीलाल, दिल्ली, १७. लाला रामस्वरूप, कूचा घासीराम दिल्ली, १८. सेवक, १९. दिल्ली का एक युवक जौहरी

उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर सारा जुलूस भूमि पर बैठ गया और अगले दिन प्रातःकाल तक वहीं बैठा रहा। इस बीच बड़े जोर की मूसलाधार वर्षा हुई, किन्तु सरदार तथा अन्य नेताओं सहित सारा जुलूस वहीं डटा रहा। प्रातःकाल होने पर नेताओं तथा महिलाओं को गिरफ्तार करके भयंकर लाठी प्रहार द्वारा जुलूस को भंग कर दिया गया। सरदार को तीन मास की सजा देकर यरवडा जेल में बन्द कर दिया गया। सरदार ने गिरफ्तार होते समय आज्ञा दी कि "आज से देश में एक एक घर कांग्रेस कमेटी का दफ्तर बन जावे और प्रत्येक मनुष्य कांग्रेस संस्था बन जावे।"

सजा समाप्त कर बाहिर आने पर सरदार जनता को उत्तेजित करने वाले भाषण देने लगे। किन्तु पुलिस उस समय भयंकर अत्याचार कर रही थी।

सरदार की म ता पर अत्याचार—स्वयं सरदार वल्लभभाई की माता—जिनकी आयु उस समय ८० वर्ष से अधिक थी—जब अपना भोजन बना रही थीं तो उनके भोजन बनाने के बर्तन को पुलिस ने नीचे गिरा दिया। पकते हुए चावलों में पुलिस ने पत्थर, बालू और मिट्टी का तेल मिला दिया। उन दिनों पुलिस इस प्रकार के अत्याचार सब कहीं अत्यन्त व्यापक रूप में कर रही थी।

स.दार के दूसरी बार जेल से बाहिर आने पर उनको भाषणबन्दी की आज्ञा दी गई। इस आज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में दिसम्बर १९३० में उनको फिर पकड़ कर नौ मास जेल की सजा दी गई।

गांधी-इर्विन पैक्ट—अब सरकार ने देश की उक्त मांग के सामने झुक कर लंदन में राउंड टेबिल अथवा गोल मेज कांफ्रेंस करने की घोषणा की। किन्तु उसकी रचना में कांग्रेस को कुछ सम्मानपूर्ण स्थान नहीं दिया गया था। अतएव कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार किया और जिस समय १२ दिसम्बर १९३० को लंदन में राउंड टेबिल कांफ्रेंस भारतीय शासन के भावी रूप के सम्बन्ध में विचार करने के लिए बैठी तो उसमें कोई भी सच्चा भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। उन दिनों देश मे सत्याग्रह चल रहा था। वल्लभभाई पटेल सहित पूरी कांग्रेस कार्यसमिति जेल में थी। इंगलैण्ड के तत्कालीन प्रधान मन्त्री रामसे मैकडानल्ड ने १९ जनवरी १९३१ को राउंड टेबिल क.न्फ्रेंस में घोषणा की कि राउंड टेबिल कान्फ्रेंस के फलस्वरूप भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य तक दिया जा सकता है। प्रधान मन्त्री की इस घोषणा के अनुसार २५ जनवरी १९३१ को कांग्रेस कार्यसमिति पर से प्रतिबंध हटा कर उसके महात्मा गांधी, सरदार पटेल आदि २६ सदस्यों को छोड़ कर संधि के लिए वातावरण तैयार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप १९ फरवरी से महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड इर्विन में दिल्ली में संधि वार्तालाप आरम्भ हुआ और ४ मार्च १९३१ को दोनों में एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास

में "गांधी-इर्विन पैक्ट" कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को रोक कर राउंड टेबिल कान्फ्रेंस में भाग लेना स्वीकार किया। सरकार ने कांग्रेस के नमक बनाने के अधिकार को सीमित रूप में मान कर सविनय अवज्ञा के सब कैदियों को छोड़ दिया।

कराची कांग्रेस के सभापति—इसके बाद मार्च १९३१ में कांग्रेस का पैंतालीसवां वार्षिक अधिवेशन सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में किया गया। सरदार ने अपने छोटे से भाषण में अपने सभापति चुने जाने पर कहा कि "यह गौरव किसान को नही—किन्तु गुजरात को, जिसने स्वतन्त्रता के युद्ध में एक बड़ा भाग लिया था, प्रदान किया गया है।" कराची कांग्रेस ने गांधी इर्विन पैक्ट को स्वीकार कर गोलमेज सम्मेलन के लिए अकेले महात्मा गांधी को अपना प्रतिनिधि चुना।

महात्मा जी गोलमेज सम्मेलन के लिए सितम्बर १९३१ में लन्दन पहुंचे। वहां मुसलमानों को वह कोरा चेक देने को तैयार थे। किन्तु हिन्दू-मुस्लिम समझौता किसी भी प्रकार न हुआ।

लन्दन में यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन १५ सितम्बर १९३१ से हुआ। महात्मा गांधी ने उसमें भाग लेते हुए ही ५ नवम्बर को सम्राट् पंचम जार्ज के साथ भेंट की। द्वितीय राउंड टेबिल कांफ्रेंस के १ दिसम्बर १९३१ को समाप्त हो जाने पर आप ५ दिसम्बर को लंदन से चलकर २८ दिसम्बर १९३१ को वापिस बम्बई आ गए।

बारडोली की जांच—गांधी जी के २९ अगस्त १९३१ को लन्दन जाते समय उनको यह आश्वासन दिया गया था कि बारडोली में लगान वसूली के सिलसिले में पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों की जांच की जायेगी। इस जांच का काम बाद में मिस्टर गार्डन को दिया गया। यह जांच ६ अक्तूबर १९३१ को आरम्भ हुई। कांग्रेस के पक्ष को इसमें श्री भूलाभाई देसाई तथा सरदार पटेल ने उपस्थित किया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि किसानों को अपनी शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक लगान देना चाहिए और यदि किसान उन सत्याग्रहियों में से नहीं हैं, जिन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी है, तो उन्हें कर्ज लेकर भी लगान देना चाहिए। श्री देसाई ने अनेक तार पढ़ कर सुनाए। उनमें बारडोली का एक तार यह भी था कि रायम गांव पर कलेक्टर ने पुलिस के १५ सिपाहियों के साथ धावा बोला। अन्य अनेक गांवों पर भी धावा बोला गया। जांच बहुत समय तक चलती रही। भारत सरकार व बम्बई सरकार ने ५ मार्च से २८ अगस्त तक जितनी आज्ञाएं प्रचारित की थीं, सरदार पटेल ने उन्हें पेश करने को कहा। क्योंकि उनसे समझौते में निर्दिष्ट स्टैण्डर्ड के प्रश्न पर काफी प्रकाश पड़ सकता

था, किन्तु मि. गार्डन यह बात न समझ सके कि कांग्रेस की बात सिद्ध करने के लिए सरकार को गवाह के रूप में क्यों बुलाया जावे ? मिस्टर गार्डन ने १२ नवम्बर १९३१ को स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि "सरकारी आज्ञाओं को उपस्थित नहीं किया जा सकता।" श्री देसाई ने इसका विरोध किया। उधर सरदार पटेल ने किसानों के नाम एक वक्तव्य प्रकाशित करते हुए लिखा कि "जांच का रूप विरोधी तथा इकतरफा है।" अन्त में सरदार ने इस जांच का बहिष्कार करके अपने इस कार्य की सूचना १३ नवम्बर को महात्मा गांधी के पास लन्दन भेज दी।

पूना की यरवडा जेल में—यद्यपि महात्मा गांधी ने लन्दन में सितम्बर १९३१ में पहुंच कर द्वितीय राउंड टेबिल कांफ्रेंस में भाग लिया, किन्तु उत्तर प्रदेश के किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में कांग्रेस और सरकार के सम्बन्ध फिर बिगड़ गए। महात्मा गांधी के पीछे अभी उनके लन्दन से लौटने के दिनों में दिसम्बर १९३१ में दोनों ही पक्ष एक दूसरे से अत्यधिक असन्तुष्ट हो गए। महात्मा गांधी ने २८ दिसम्बर को लन्दन से बम्बई पहुंचने पर २९ को वायसराय से मिलने की अनुमति मांगी, किन्तु लार्ड वेलिंगडन ने ३१ दिसम्बर को अपने उत्तर में महात्मा गांधी से मिलने से एकदम इन्कार कर दिया। अन्त में कांग्रेस ने १ जनवरी १९३२ को सविनय अवज्ञा आन्दोलन करने की फिर घोषणा कर दी। सरकार ने भी महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल को ४ जनवरी १९३२ को गिरफ्तार कर पूना की यरवड़ा जेल में बन्द कर दिया। उसी दिन वायसराय ने कांग्रेस कार्यसमिति को गैरकानूनी घोषित करके एकदम चार आर्डीनेंस निकाल कर समस्त भारतवर्ष पर आर्डिनेंसों द्वारा शासन करना आरम्भ किया।

१९३२ का सत्याग्रह आन्दोलन—यद्यपि सरकार ने अपनी जान में कांग्रेस के संभलने से पूर्व ही उस पर इतने प्रबल वेग से आक्रमण किया था कि कांग्रेस आन्दोलन का कहीं नाम तक दिखलाई न दे, किन्तु कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार की इस चोट को भी सह गए और उन्होंने पहिले शराब तथा विदेशी वस्त्र पर धरना देना आरम्भ किया। इन दिनों विदेशी वस्त्र का बहिष्कार अत्यन्त सफल रहा। बम्बई प्रान्त में नमक कानून तोड़ा गया। कुछ स्थानों में जंगल सत्याग्रह किया गया और कुछ स्थानों में करबन्दी आन्दोलन भी आरम्भ किया गया। इस समय कांग्रेस का सन्देश भारतवर्ष के ग्राम ग्राम में जा पहुंचा, जिससे अनेक सरकारी अफसरों तक ने त्यागपत्र दे दिए। इस समय सविनय अवज्ञा आन्दोलन का जोर इतना अधिक बढ़ा कि जनवरी १९३२ में १४,८०३ व्यक्ति समस्त देश में जेल गए। फरवरी में आन्दोलन ने और भी जोर पकड़ा। इस मास में १७,८१८ व्यक्ति जेल गए। इसमें सन्देह नहीं कि सरकार के दमन का पर्याप्त प्रभाव हुआ और बाद के महीनों में गिरफ्तारियों की संख्या कम हो गई। तो भी १९३२ के पूरे वर्ष

में कुल ६६,९४६ व्यक्ति जेल गए। अप्रैल के बाद सविनय अवज्ञा आन्दोलन का जोर घटने लगा।

कांग्रेस अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल ने, अपनी गिरफ्तारी की पूर्ण संभावना से, अपने बाद क्रमशः कार्य करने वाले व्यक्तियों की एक सूची बना दी थी। कांग्रेस कार्यसमिति ने अपने सारे अधिकार अध्यक्ष के नाते सरदार पटेल के सुपुर्द कर दिए थे, जिन्हें सरदार ने अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया था। बाद में वह लोग भी इन अधिकारों को डिक्टेटर के रूप में अपने अपने उत्तराधिकारियों को सौंपते रहे। प्रान्तों में भी जहां कहीं सम्भव हुआ, सारी सत्ता एक व्यक्ति को दे दी गई। इसी प्रकार जिलों, थानों, ताल्लुकों और गांवों तक की कांग्रेस कमेटियों में हुआ।

सरदार पटेल ४ अप्रैल १९३२ से मई १९३३ तक पूरे सोलह मास गांधी जी के साथ यरवडा जेल में रहे। गांधी जी के छूटने के पश्चात् उन्हें लगभग तीन मास यरवडा जेल में रखकर नासिक जेल भेज दिया गया। सरदार पटेल ने सन् १९३० में साबरमती जेल के फाटक में घुसते ही सदा के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया। यरवडा जेल में उन्होंने चाय पीना भी छोड़ दिया। सरदार ने इस जेल प्रवास में लिफाफे बनाए तथा महादेव देसाई से संस्कृत पढ़ी। सरदार के यरवडा जेल के प्रवास के दिनों में ही नवम्बर १९३२ में उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था।

सम्प्रदायिक निर्णय और महात्मा गांधी का उपवास—अगस्त १९३२ में इंगलैण्ड के तत्कालीन प्रधान मन्त्री मिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय दिए हुए अपने वचन के अनुसार साम्प्रदायिक विषयों के सम्बन्ध में अपना निर्णय दिया। उसमें अस्पृश्य जातियों को सामान्य हिन्दुओं से पृथक् करके उनको पृथक् निर्वाचन करने का अधिकार दिया गया। जैसा कि पहिले बतलाया जा चुका है महात्मा गांधी इस समय सरदार पटेल के साथ यरवडा जेल में बन्द थे। उन्होंने प्रधान मन्त्री को १८ अगस्त १९३२ को एक पत्र भेजकर उनके द्वारा किए हुए साम्प्रदायिक निर्णय का प्रतिवाद किया और उनको चेतावनी दी कि यदि उन्होंने अछूतों के सम्बन्ध में अपने निर्णय को न बदला तो वह सितम्बर १९३२ से आमरण अनशन आरम्भ करेंगे। प्रधान मन्त्री ने अपने ८ सितम्बर के पत्र में महात्मा गांधी के अनुरोध को मानने में अपनी असमर्थता प्रकट की। अस्तु, महात्मा गांधी ने २० सितम्बर को ठीक १२ बजे दोपहर से अपना उपवास आरम्भ कर दिया।

नेता सम्मेलन और पूना पैक्ट—महात्मा गांधी के उपवास की घोषणा से सारे देश में क्षोभ फैल गया। पं. मदनमोहन मालवीय ने १३ सितम्बर को अछूतों तथा

सवर्ण हिन्दुओं के नेताओं को इस सम्बन्ध में निर्णय करने के उद्देश्य से बम्बई में एक कान्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित किया। अस्तु १९ सितम्बर से बम्बई में यह सम्मेलन हुआ। यह लोग २० सितम्बर को फिर वाद-विवाद करके पूना गए। वहां उन्होंने २१ और २२ सितम्बर को यरवडा जेल में तथा २३ और २४ सितम्बर को पूना में विचार विनिमय करके एक समझौता किया जिसमें अछूतों को अधिक अधिकार देकर उनको निर्वाचन में हिन्दुओं में ही बने रहने को सहमत किया गया। इस समझौते को वाद में पूना पैक्ट कहा गया। इस पर २४ सितम्बर १९३२ को पूना में हस्ताक्षर किए गए।

महात्मा गांधी का उपवास खोलना—नेताओं ने अपने निर्णय की प्रतिलिपि तार द्वारा वायसराय तथा प्रधान मन्त्री के पास शिमला तथा लंदन को उसी दिन भेज दी। इसके बाद २६ सितम्बर को गृह सदस्य सर हैरी हैग ने नई दिल्ली की केन्द्रीय असेम्वली में घोषणा की कि प्रधान मन्त्री ने साम्प्रदायिक निर्णय के सम्वन्ध में पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया है। इस विषय पर प्रधान मन्त्री की स्वीकृति की एक प्रति २६ सितम्बर को सायंकाल ४। बजे महात्मा गांधी को दी गई। अतएव उन्होंने विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि की उपस्थिति में अपना अनशन भंग कर दिया।

हरिजन सेवक-संघ—महात्मा गांधी के अनशन से सारे देश में अछूतोद्धार की लहर दौड़ गई। २६ सितम्बर को बम्बई में नेताओं के एक और सम्मेलन में "अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ" की स्थापना करके उसका प्रधान सेठ घनश्यामदास बिड़ला तथा प्रधानमन्त्री श्री अमृतलाल वी. ठक्कर को बनाया गया। इसके बाद सारे देश में अछूतोद्धार तथा मन्दिर प्रवेश आन्दोलन बड़े भारी पैमाने पर चलाया जाने लगा। महात्मा गांधी स्वयं जेल के अन्दर से इस आन्दोलन का संचालन करने लगे।

तृतीय गोलमेज सम्मेलन—इन्हीं दिनों लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन की तैयारियां की जा रही थी। उसके प्रतिनिधियों में से सर तेजबहादुर सप्रू, श्री जयकर आदि २९ अक्तूबर को बम्बई से लंदन चले। यह सम्मेलन संदन में १७ नवम्बर १९३२ से २५ दिसम्बर तक हुआ। इसमें शासन सम्बन्धी अनेक बातों पर वाद-विवाद करने के अतिरिक्त कांग्रेस के सहयोग न देने पर खेद प्रकट करके महात्मा गांधी आदि राजबन्दियों को छोड़ने पर बल दिया गया।

कांग्रेस का ४७ वां अधिवेशन—३१ मार्च तथा १ अप्रैल १९३३ को कांग्रेस का ४७ वां अधिवेशन श्रीमती नेली सेन गुप्ता की अध्यक्षता में कलकत्ते में हुआ। सरकार के बड़े बड़े बन्दोबस्त करने पर भी कांग्रेस के इस अधिवेशन में ९२० प्रतिनिधि आए, जिन में से ४४० संयुक्त प्रान्त के, २३६ बंगाल और आसाम

के तथा शेष अन्य प्रान्तों के थे। उनमें से श्रीमती नेलीसेन गुप्ता सहित २४० प्रतिनिधि घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिए गए।

१९३३ के अन्त में सविनय अवज्ञा आन्दोलन धीमा पड़ गया। अब सरकार ने जेलों की भीड़ को कम करने के लिए अप्रैल १९३३ में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के ४७ कैदियों को बिना शर्त छोड़ दिया। उसके बाद के महीनों में और भी कैदी छोड़े गए। इन दिनों सरदार वल्लभभाई के ज्येष्ठ भ्राता विट्ठलभाई पटेल भी केन्द्रीय विधान सभा का अध्यक्ष पद छोड़कर जेल में कष्ट उठा रहे थे। जेल में उनका स्वाथ्य इतना अधिक खराब हो गया कि सरकार को उन्हें समय से पूर्व छोड़ देना पड़ा और वह स्वास्थ्य सुधार के लिए यूरोप चले गए। वास्तव में इसके बाद वह भारत न लौट सके और यूरोप में ही उनका स्वर्गवास हो गया।

१९३२ के आरम्भ में सरकार ने बंगाल के नेताओं के साथ सुभाषचन्द्र बोस को भी नजरबन्द कर लिया था किन्तु फरवरी १९३३ में उनको स्वास्थ्य सुधार के लिए यूरोप जाने की अनुमति दे दी गई। जिस समय विट्ठलभाई का २१-११-३३ को यूरोप में स्वर्गवास हुआ तो सुभाषचन्द्र बोस उनके ही पास थे। अतएव विट्ठल-भाई ने अपने वसीयतनामें में एक बड़ी रकम दान में लिख कर उसका ट्रस्टी सुभाषचन्द्र बोस को बना दिया। बाद में बम्बई हाई कोर्ट ने उनके नाम के स्थान पर उसमें वल्लभभाई का नाम लिखे जाने की आज्ञा दी।

श्री विट्ठल भाई के शव को यूरोप से विमान द्वारा बम्बई लाया गया। सरदार इस समय नासिक जेल में थे। सरकार ने उनसे प्रस्ताव किया के वह अपने ज्येष्ठ भ्राता के अन्त्येष्टि संस्कार में सम्मिलित होने के लिए परोल पर छूट सकते हैं, किन्तु उनको यह वचन देना होगा कि परोल के दिनों में वह कोई भाषण नही देंगे। साथ ही उनको अपनी उपस्थिति की सूचना पुलिस को नियमित रूप से देनी होगी और परोल काल के समाप्त होने पर गिरफ्तारी के लिए निश्चित समय पर आत्मसमर्पण करना होगा। सरदार ने इन बातों को अपमानजनक मानते हुए हुए परोल पर छूटने से इंकार कर दिया।

सन् १९३२ में सरदार की माता, उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री विट्ठलभाई पटेल तथा उनकी पुत्रवधु (श्री डाह्याभाई पटेल की प्रथम पत्नी) इन तीन व्यक्तियों का स्वर्गवास हुआ। इन्हीं दिनों उनके पुत्र डाह्याभाई को पचास दिन तक टाईफाइड ज्वर रहा। श्री वी. जी. खेर के पिता की अन्तिम बीमारी तथा देहान्त पर तथा अन्य व्यक्तियों के ऊपर ऐसी आपत्तियां आने पर सरकार ने उनको परोल पर छोड़ना स्वीकार कर उन पर अपमानजनक शर्ते लगाई थीं, जिससे उन्होंने परोल पर छूटने से इन्कार कर दिया था। इन्हीं अपमानजनक शर्तों के कारण महात्मा गांधी की सहमति से सरदार पटेल तथा कुमारी मणिबेन ने भी

परोल पर छूटने का अनुरोध नहीं किया, यद्यपि उसके लिये उनके जेल सुपरिन्टेन्डैण्ट ने इस विषय में उन दोनों को कई बार परामर्श दिया।

व्यक्तिगत सत्याग्रह—८ मई १९३३ को महात्मा गांधी ने यरवडा जेल में आत्मशुद्धि के लिए २१ दिन का उपवास आरम्भ कर दिया। भारत सरकार ने उनको उपवास आरम्भ करते ही ८ मई को छोड़ दिया। महात्मा गांधी ने भी रिहा होते ही एक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने सत्याग्रह आन्दोलन को ६ सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

इसके पश्चात् १२ जुलाई १९३३ को पूना में कांग्रेस वालों की बैठक हुई। इस बार सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर व्यक्तिगत सत्याग्रह की अनुमति दी गई। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम को तोड़ कर १ अगस्त १९३३ को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए रास नामक गांव की यात्रा करने का निश्चय किया। किन्तु उनको ३१ जुलाई १९३३ को आधी रात के समय ३४ आश्रमवासियों सहित फिर गिरफ्तार कर लिया गया। ४ अगस्त को उन्हें पूना में रहने की आज्ञा देकर फिर छोड़ दिया गया, किन्तु उन्होंने इस आज्ञा का फिर उल्लंघन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक वर्ष जेल की सजा दी गई। अब सारे देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह की फिर धम मच गई। कांग्रेस ने अब कार्यवाहक अध्यक्ष का पद और डिक्टेटरों की नियुक्ति का सिलसिला तोड़ कर युद्ध को सचमुच व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप दे दिया। यह युद्ध अगस्त १९३३ से मार्च १९३४ तक चला।

उचित सुविधा न मिलने के कारण महात्मा गांधी ने २५ अगस्त १९३३ से फिर अनशन करना आरम्भ किया। फलतः भारत सरकार ने उनको २१ अगस्त १९३३ को फिर छोड़ दिया। अब महात्मा गांधी ने अपने को ३ अगस्त तक कैदी मान कर सत्याग्रह न करने का निश्चय किया और वह पूरी शक्ति से हरिजन आन्दोलन में लग गए। इस समय सरकार भी सत्याग्रह के कैदियों को धीरे धीरे छोड़ती जाती थी। छूटने वाले व्यक्ति जेल से इतने हतोत्साह होकर निकलते थे कि प्रायः फिर सत्याग्रह करने का नाम न लेते थे।

सरकार ने सत्याग्रह के बंदियों को धीरे धीरे छोड़ना आरम्भ तो कर दिया था, किन्तु यह स्पष्ट था कि सरदार वल्लभ भाई, पं. जवाहरलाल नेहरू तथा खान अब्दुल गफ्फारखां को रिहा न करने का उसने निश्चय कर लिया था। इनमें से सरदार पटेल और खान अब्दुलगफ्फार खां को, सरकार ने जेल में अनिश्चित समय के लिए बंद कर रखा था। १९३२ के अन्त में उनको १८१८ के विशेष कानून के अनुसार पकड़ा गया था, जिससे सरकार जब तक चाहती उन्हें शाही कैदी के रूप मे जेल में रख सकती थी। किन्तु इस समय सरकार को विवश होकर सरदार को

भी छोड़ना पड़ा। सरदार पटेल को नाक का एक पूराना रोग था जो उन दिनों बहुत बढ़ गया। जुलाई १९३४ के आरम्भ में रोग इतना अधिक बढ़ गया कि उसकी अवस्था अत्यन्त भयंकर हो गई। इस पर सरकार ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया, जिसने बतलाया कि आपरेशन के बिना यह रोग अच्छा नहीं हो सकता और आपरेशन तभी अच्छी तरह हो सकेगा, जब वह स्वतन्त्र होंगे। फलतः सरकार ने सरदार पटेल को १४ जुलाई १९३४ को जेल से छोड़ दिया। इसके पश्चात् सरदार पटेल बम्बई आकर एक नर्सिंग होम तथा अस्पताल में कई मास तक रह कर डाक्टरों से चिकित्सा करवाते रहे। इस समय आपरेशन भी किया गया, जिससे उनका वह रोग बहुत कुछ अच्छा हो गया।

अध्याय ५

कांग्रेस पार्लमेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष

३१ मार्च १९३४ को डाक्टर अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस वालों की एक परिषद् दिल्ली में हुई। इसमें भंग की हुई स्वराज्य पार्टी को फिर से संगठित करके यह निश्चय किया गया कि केन्द्रीय असेम्बली के आगामी निर्वाचन में भाग लिया जावे। महात्मा गांधी ने इसको स्वीकार करके ७ अप्रैल १९३४ को सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित करने का विचार प्रकट किया। इसके पश्चात् १८ तथा १९ मई १९३४ को पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक की गई, जिसमें उसने कौंसिल प्रवेश कार्यक्रम को स्वीकार करके गांधी जी की ७ अप्रैल की सिफारिश के अनुसार सत्याग्रह बन्द कर दिया।

पार्लमेंटरी बोर्ड—सरकार ने उस समय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा मार्ग को छोड़ कर बैध मार्ग पर चलते देख कर ६ जून १९३४ को कांग्रेस, उसकी कमेटियों और सभी शाखाओं के ऊपर से पाबन्दी उठा ली। पटना में कांग्रेस महासमिति ने अपनी बैठक में चुनाव के लिए एक कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड भी बनाया। इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल को बनाया गया। यद्यपि कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिवर्ष बदलते रहे, किन्तु सरदार पटेल इस समय से लगाकर अपने स्वर्गवास के समय तक पार्लमेंट बोर्ड के बराबर अध्यक्ष बने रहे। बोर्ड के अन्य सदस्य यह थे—मौलाना अबुलकलाम आजाद, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, डाक्टर अंसारी तथा पंडित मदनमोहन मालवीय। अक्तूबर १९३४ में बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसको स्वीकार किया गया।

१९३४ के आरम्भ में ब्रिटिश मंत्रीमण्डल ने तीनों राउंड टेबिल कान्फ्रेंसों के परिणामस्वरूप भारतीय शासन के मसविदे को एक श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित किया। इसकी सभी भारतीयों ने निंदा की। उसके साथ ब्रिटिश प्रधानमन्त्री का भारत की विभिन्न सम्प्रदायों के सम्बन्ध में एक साम्प्रदायिक निर्णय भी था। कांग्रेस ने उसकी भी निन्दा की थी। किन्तु मुसलमान लोग उसे अपने लिए लाभप्रद मान रहे थे। केन्द्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड में इस प्रश्न को लेकर मालवीय जी और डा. अंसारी में मतभेद उत्पन्न हो गया। मालवीय जी का कहना था कि कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में उक्त साम्प्रदायिक निर्णय की निंदा की जावे। किन्तु डाक्टर अंसारी की इच्छा थी कि कांग्रेस उसके सम्बन्ध में तटस्थ नीति अपना ले। फलतः मालवीय जी ने कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया। कुछ दिनों बाद डाक्टर

अंसारी का देहान्त हो गया। अतः केन्द्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड के कुल तीन सदस्य ही रह गए। सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेन्द्र बाबू।

केन्द्रीय असेम्बली के निर्वाचन—कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड ने नवम्बर में सारे देश में चुनाव संग्राम की धूम मचा कर केन्द्रीय असेम्बली के ४४ स्थानों पर अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त असेम्बली के कांग्रेस नेशनैलिस्ट सदस्य भी कांग्रेस के ही पक्ष में थे। कांग्रेस की असेम्बली पार्टी के नेता स्वर्गीय श्री भूलाभाई देसाई को बनाया गया। नई असेम्बली का अधिवेशन २६ जनवरी १९३५ से आरम्भ हुआ। इसमें कांग्रेसी सदस्यों ने अन्य दलों के सहयोग से सरकार को कई बार पराजित किया।

बोरसद में प्लेग निवारण—बोरसद में सन् १९३२ से प्लेग का प्रकोप बढ़ना आरम्भ हुआ। १९३२ की मृत्यु संख्या ५८ से बढ़कर १९३५ में ५८९ तक पहुंच गई। १९३२ में प्लेग एक ही गांव में हुआ था, १९३३ में वह दस गांवों में, १९३४ में १४ गांवों में तथा १९३५ में २७ गांवों में फैल गया। इस विषय की प्रजा द्वारा पुकार की जाने पर तहसीलदार ने कई कई बार यह लिखा कि इन इलाकों में कोई प्लेग नहीं है। कई बार ऊपर के अधिकारियों को भी लिखा गया, किन्तु वह भी कान में तेल डाले ही बैठे रहे। जब सरकारी कर्मचारियों ने इस विषय में अपने कर्त्तव्य का पालन नही किया तो सरदार पटेल ने बोरसद ताल्लुके में प्लेग निवारण कार्य करने के लिये स्वयंसेवक दल का संगठन किया। स्वयंसेवकों ने शहर को साफ करने और धुंवा करके तथा दवाई छिड़क कर उन्हें छूतरहित बनाने का कार्य आरम्भ किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बोरसद में कष्ट निवारण केन्द्र तथा बोरसद छावनी में एक प्लेग अस्पताल गैरसरकारी साधनों से खोला। २३ मार्च १९३५ से सरदार पटेल बोरसद में स्वयं बैठ कर इस कार्य का संचालन करने लगे।

इसके विरुद्ध सरकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तो उनके साथ सहयोग नहीं ही करते थे, वरन् उनके रवैये के कारण म्युनिसिपैलिटी ने भी इस कार्य से अपना सहयोग वापिस ले लिया। तथापि सरदार पटेल ने स्वयंसेवकों, कम्पाउण्डरों तथा डाक्टरों का सहयोग लेकर इलाके के प्रत्येक घर की इतनी अधिक सफाई कराई तथा रोगियों की चिकित्सा इतनी उत्तमता से की कि आज इस इलाके में प्लेग की केवल कहानी ही शेष रह गई है।

बोरसद में प्लेग निवारण का यह कार्य सरदार पटेल ने डाक्टर भास्कर पटेल के निरीक्षण में कराया। डाक्टर पटेल इस कार्य के लिये बम्बई की अपनी अच्छी प्रैक्टिस छोड़ कर सरदार के अनुरोध से कई महीने तक बोरसद में रहकर प्लेग अस्पताल का संचालन करते रहे। साथ ही वह सारे इलाके को प्लेग कृमियों से शून्य करने के उद्देश्य से सारे इलाके में घूमते भी रहे।

१९३५ का गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट—इन दिनों ब्रिटिश पार्लमेंट भारत के भावी शासन विधान पर विचार कर रही थी। उसको वहां की पार्लमेंट के दोनों भवनों ने ३० जुलाई १९३५ तक पास कर दिया। २ अगस्त १९३५ को उस पर स्वर्गीय सम्राट् जार्ज पंचम ने अपनी स्वीकृति देकर शाही मुहर लगाई। अब उसको गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट १९३५ कहा जाने लगा। इसके अनुसार भारतीय प्रान्तों को बहुत कुछ स्वतन्त्रता दे कर केन्द्रीय शासन में प्रान्तों और देशी राज्यों का फैडरेशन अथवा संघ बनाने का विचार प्रकट किया गया था।

प्रान्तीय धारा सभाओं के निर्वाचनों की तैयारी—इन दिनों डाक्टर राजेन्द्र-प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब १९३५ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय धारा सभाओं के नए निर्वाचनों के लिए १९३५ में मतदाताओं की नई सूचियां बनाने का कार्य आरम्भ किया गया तो डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने एक विज्ञप्ति निकाल कर जनता को आज्ञा दी कि यद्यपि कांग्रेस ने इन निर्वाचनों में भाग लेने का निश्चय अभी नहीं किया है, किन्तु इस बात का यत्न प्रत्येक कांग्रेसी को करना चाहिए कि मतदाता सूचियों में कांग्रेसियों के नाम अधिक से अधिक आ जावें। अस्तु, इस समय देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से इस उद्योग में जुट गए। सरदार पटेल ने भी देश को इस सम्बन्ध में अच्छा मार्ग प्रदर्शन किया।

कांग्रेस का ४९वां वार्षिक अधिवेशन ९ अप्रैल से १४ अप्रैल १९३६ तक लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। उस में १३ अप्रैल १९३६ को निश्चय किया गया कि नए ऐक्ट के अनुसार किए जाने वाले प्रान्तीय धारा सभाओं के निर्वाचन में कांग्रेस भाग ले। इसमें यह भी तय किया गया कि प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्री मण्डल बनाने के प्रश्न को निर्वाचनों का परिणाम देखने के पश्चात् तय किया जावे।

सरदार वल्लभभाई न तो जवाहरलाल नेहरू के समान एक धनिक कुल में पैदा हुए थे, न महात्मा गांधी के समान भारतीय राजनैतिक क्षितिज में उनका उदय उस धूमकेतु के समान हुआ था, जो उत्पन्न होते ही सारे आकाश को अपने तेज से व्याप्त कर देता है। इसके विपरीत इन्होंने साधारण किसान के घर जन्म लेकर केवल अपनी योग्यता, संगठन शक्ति तथा परदुखकातरता की प्रकृति के कारण अखिल भारतीय ख्याति का सम्पादन किया था। भारतीय जनता को उनके इन गुणों का परिचय बारडोली संग्राम में उनकी विजय से मिला। इससे उनको न केवल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया वरन् अनेक प्रान्तीय सम्मेलनों ने भी उन्हें अपना अध्यक्ष बना कर उनकी योग्यता से लाभ उठाया।

फिर भी जेल जीवन से उनका स्वास्थ्य सदा के लिये बिगड़ गया। मार्च १९३५ में वह गुरुकुल कांगड़ी के पदवीदान समारोह में गए। वहां से मोटर द्वारा

कन्या गुरुकुल देहरादून गए। वहां से दिल्ली आते आते उनको २२ मार्च को निमोनिया हो गया। इसी निर्बलता में उनको लखनऊ कांग्रेस में भाग लेना पड़ा।

कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड की अध्यक्षता—यद्यपि इस समय तक कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड बन चुका था, किन्तु मालवीय जी के त्यागपत्र के कारण वह कुछ अधिक क्रियाशील नहीं था। १० मई १९३६ को डाक्टर अंसारी का स्वर्गवास हो जाने से उसको अपने एक अन्य सदस्य के सहयोग से वंचित होना पड़ा। फिर इन निर्वाचनों के लिए उसके पुर्ननिमार्ण की भी आवश्यकता थी। अतएव १ व २ जुलाई को कांग्रेस पार्लमेंटरी कमेटी की मीटिंग की गई। इसमें सरदार वल्लभभाई पटेल को प्रधान बना कर केन्द्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड का पुर्ननिर्माण किया गया। उसमें सरदार पटेल की प्रेरणा पर यह भी निश्चय किया गया कि आगामी निर्वाचनों के लिए प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय पार्लमेंटरी बोर्ड भी बनाए जावें। इस बैठक में कांग्रेस उम्मेदवारों के लिए शपथ फार्म बनाए गए और कई एक उम्मेदवारों के नामों की घोषणा भी की गई।

अब सारे देश में निर्वाचनों की तैयारी की जाने लगी। २२ और २३ अगस्त १९३६ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक बम्बई में हुई। इसमें सरदार पटेल की अध्यक्षता में पार्लमेंटरी बोर्ड द्वारा बनाए हुए कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। १९३६ के अन्त में देश भर में चारों ओर निर्वाचनों की धूम मच गई, जिसमें सरदार पटेल को बहुत परिश्रम करना पड़ा। दिसम्बर में एक ओर निर्वाचन हो रहे थे तो दूसरी ओर २७ और २८ दिसम्बर १९३६ को महाराष्ट्र के फैजपुर नामक स्थान में कांग्रेस का पचासवाँ अधिवेशन पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ।

इस समय तक पंडित नेहरू का साम्यवाद से सहानुभूति रखने वाला अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रकट हो चुका था। जनता में यह धारणा भी बनती जाती थी कि नेहरू जी तथा सरदार पटेल के दृष्टिकोण में कुछ मौलिक मतभेद है। अतएव सरदार ने फैजपुर कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन से पूर्व एक वक्तव्य दिया। इस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू जी के अतिरिक्त सरदार पटेल के नाम का भी प्रस्ताव किया गया था। उन्होंने गांधी जी के अनुरोध पर नेहरू जी के पक्ष में अपना नाम वापिस लेते हुए निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया—

"मैंने जो अपना नाम वापिस लिया है उसका यह अर्थ नहीं कि मैं जवाहर लाल जी की सारी विचारधारा से सहमत हूं। कांग्रेसजन इस बात को जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातों में हम दोनों में मतभेद है। उदाहरण के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि पूंजीवाद में से उसके सारे दोष दूर किए जा सकते हैं। जहां कांग्रेस स्वतन्त्रता पाने के लिए सत्य और अहिंसा को अनिवार्य समझती है, वहां अपनी निष्ठा के

प्रति तर्कसंगत और सच्चे कांग्रेसियों को इस बात की संभावना में विश्वास रखना चाहिए कि जो निर्दयतापूर्वक जनता का शोषण कर रहे हैं उनको प्रेम से अपनाया जा सकता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जब जनता को अपनी भयंकर दुर्दशा का बोध होता है तो वह उसके लिए स्वयं अपना ढंग चुन लेती है। मैं तो इस सिद्धान्त को मानता हूं कि सारी भूमि और सारी सम्पत्ति सभी की है। किसान होने के नाते और उनकी समस्याओं में दिलचस्पी लेते रहने के कारण मैं यह जानता हूं कि कष्ट कहां है। किन्तु मैं यह भी जानता हूं कि जनशक्ति के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता।

"उद्देश्य के विषय में कोई मतभेद नहीं है। हम सब लोग नए विधान को तोड़ना चाहते हैं। प्रश्न तो यह है कि धारा सभाओं के अन्दर से उसको किस प्रकार तोड़ा जावे। जो लोग कांग्रेस की ओर से धारासभाओं में पहुंचेंगे यह बात उन लोगों की सूझ और योग्यता पर निर्भर है। महासमिति और कार्यकारिणी कांग्रेस की नीति बना देगी, किन्तु उसको कार्यरूप में परिणत करना प्रतिनिधियों के हाथ की बात है।

"इस समय पद-ग्रहण का प्रश्न सामने नहीं है। पर मुझे वह मौका दिखलाई देता है जब अपने उद्देश्य पर पहुंचने के लिए पद ग्रहण करना उचित होगा। तब जवाहर लाल जी में और मुझ में या यों कहिए कांग्रेसियों में मतभेद होगा। हम जानते हैं, जवाहर लाल जी की कांग्रेस के लिए ऐसी निष्ठा है कि एक बार बहुमत से फैसला हो जाने पर, और उनके अपने दृष्टिकोण के खिलाफ होने पर भी वे उसके खिलाफ नहीं जायेंगे। पदग्रहण और पार्लमेंटरी कार्यक्रम से मेरा कोई मोह नहीं है। मैं तो केवल यह कहता हूं कि शायद परिस्थितिवश ऐसा करने की आवश्यकता ही आ पड़े। किन्तु जो कुछ भी हम करेंगे उसमें हम अपने आत्मसम्मान और उद्देश्य की बलि नहीं चढ़ायेंगे। वास्तव में इस कार्यक्रम का मेरी निगाह में गौण स्थान है। असली काम तो धारासभाओं के बाहर है। इसलिए हमें अपनी ताकत को रचनात्मक कार्यक्रम के लिए सुरक्षित रखना है। कांग्रेस अध्यक्ष के निरंकुश अधिकार नहीं होते। वह तो हमारे सुरक्षित संगठन का प्रमुख होता है। वह काम को ठीक ढंग से चलाता है और कांग्रेस के फैसलों पर अमल कराता है। किसी आदमी को चुन देने से कांग्रेस अपने अधिकारों को नहीं खोती, फिर चाहे वह कोई भी आदमी क्यों न हो।

"इसीलिए मैं प्रतिनिधियों को यह बताता हूं कि देश में जो विभिन्न शक्तियाँ काम कर रही हैं, उनका ठीक दिशा में नियंत्रण और निर्देशन करने और साथ ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए जवाहर लाल जी सर्वोत्तम व्यक्ति हैं।"

फैज़पुर के इस अधिवेशन में १९३५ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट की निंदा करते हुए यह विचार प्रकट किया गया कि भारत के भावी शासन विधान को वयस्क

मताधिकार के आधार पर निर्वाचित की हुई संविधान परिषद ही बना सकती है। इस प्रस्ताव में यह भी तय किया गया कि प्रान्तों में कांग्रेस द्वारा मन्त्रीमण्डल बनाए जाने के प्रश्न को निर्वाचनों के पश्चात् अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तय करे। एक प्रस्ताव द्वारा यह भी तय किया गया कि निर्वाचन हो चुकने के बाद कांग्रेस के निर्वाचित सभी कन्द्रीय तथा प्रान्तीय असेम्बली के सदस्यों तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का एक कनवेशन बुलाया जावे, जो असेम्बली के लिए कांग्रेस सदस्यों की कार्यप्रणाली का निश्चय करे।

कांग्रेस की निर्वाचनों में विजय—फरवरी १९३७ के अन्त में भारत की सभी प्रान्तीय असेम्बलियों के निर्वाचन समाप्त हो गए। इन निर्वाचनों के फलस्वरूप भारत के पांच प्रान्तों—मद्रास, युक्तप्रान्त (उत्तरप्रदेश), बिहार और उड़ीसा में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत हो गया। इसके अतिरिक्त बम्बई, बंगाल, आसाम और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में उसके सदस्यों की संख्या असेम्बली के शेष सब दलों से अधिक थी। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या केवल सिन्ध और पंजाब में ही कम थी।

नरीमैन काण्ड—प्रान्तीय असेम्बलियों के निर्वाचन के तत्काल बाद प्रत्येक प्रान्त के असेम्बली के दल के सदस्यों ने अपनी-अपनी बैठक करके अपने-अपने नेता का निर्वाचन किया। इन नेताओं के निर्वाचन का प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि पदग्रहण करने का निर्णय किये जाने पर इसी नेता के अपने प्रान्त का मुख्यमंत्री बनने की आशा थी। बम्बई प्रान्त की असेम्बली के कांग्रेस सदस्यों ने इस समय श्री बालगंगाधर खेर को अपना नेता चुना। इस समय श्री के. एफ. नरीमैन भी बम्बई के अच्छे कांग्रेसी नेता थे। उनको इस बात का पूर्ण विश्वास था कि असेम्बली के कांग्रेस दल का नेता उन्हीं को चुना जावेगा। किन्तु जब उनकी आशा के विपरीत श्री बी. जी. खेर को दल का नेता चुना गया तो उन्हें यह संदेह हुआ कि यह निर्वाचन निष्पक्ष नहीं था, वरन् सरदार पटेल के संकेत पर किया गया था। कांग्रेस कार्य-समिति में जब यह विषय उठाया गया तो सरदार पटेल ने यह सुझाव दिया कि इस मामले की जांच किसी निष्पक्ष पारसी नेता से कराई जावे। बाद में यह कार्य विख्यात विधानशास्त्री श्री डी. एन. बहादुर जी को सौंपा गया। जांच के समय श्री नरीमैन अपने आरोप को सिद्ध नहीं कर सके और निर्णय उनके विरुद्ध किया गया। सरदार पटेल पर पक्षपात करने का एक भी उदाहरण नही दिया जा सका तथा उसका समर्थन कांग्रेस कार्यसमिति तथा कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भी किया। फिर भी डाक्टर हुमायूं कबीर ने मौलाना आजाद के नाम से लिखे हुए अपने ग्रन्थ में इस काण्ड का वर्णन करते हुए सरदार पर जो पक्षपात का आरोप लगाया है वह वस्तुस्थिति की ओर से आंख मूंदने जैसा ही है।

कांग्रेस की इस भारी सफलता का विश्वास उन दिनों सरकार को तो क्या होता, स्वयं कांग्रेस को भी नही था। कांग्रेस ने १५ मार्च से २२ मार्च १९३७ तक दिल्ली में एक बड़ा भारी राष्ट्रीय महोत्सव मनाया। इस अवसर पर दिल्ली में १७ और १८ मार्च को अखिल भारतीय नेशनल कनवेंशन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ७० के विरुद्ध १२७ मतों से निश्चय किया कि "जिन प्रान्तों में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत है, वहां गवर्नर द्वारा विशेष अधिकारों के प्रयोग न किए जाने का स्पष्ट वचन ले कर मंत्रीपदों को ग्रहण किया जा सकता है।" नेशनल कनवेंशन में उसके सब सदस्यों ने कांग्रेस के विधान एवं अनुशासन का पालन करने की शपथ ली।

कांग्रेस मंत्रीम डलों के निर्माण की चर्चा—२० मार्च १९३७ को प्रान्तीय असेम्बलियों के कांग्रेस नेताओं को मंत्रीमण्डल बनाने के गवर्नरों के निमंत्रण दिल्ली में ही मिल गए। इसके फलस्वरूप छै प्रान्तों के कांग्रेस नेताओं ने २३ और २४ मार्च को अपने अपने प्रान्त के गवर्नरों से वार्तालाप करके उनके सामने कांग्रेस का दृष्टिकोण रखा। गवर्नरों ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट कह दिया कि उनको यह अधिकार नहीं कि वह विशेषाधिकार का प्रयोग न करने का आश्वासन दे सकें। अतएव २६ और २७ मार्च को प्रान्तीय असेम्बलियों के कांग्रेस नेताओं ने मंत्रीमण्डल बनाने से इंकार कर दिया। इस पर सरकार ने युक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) तथा बिहार में अल्पमत के नेताओं की सहायता से मंत्रीमण्डल बना लिए।

प्रान्तीय गवर्नरों ने अपने विशेषाधिकार प्रयोग न करने का आश्वासन देने में असमर्थता प्रकट करने के साथ-साथ अपने वक्तव्य भी निकाले। उनके उत्तर में महात्मा गांधी ने ३० अप्रैल १९३७ को एक वक्तव्य निकालकर प्रान्तीय कांग्रेस नेताओं के पक्ष का समर्थन करते हुए कांग्रेस के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। इसके पश्चात् कांग्रेस तथा सरकार के वक्तव्यों की एक लम्बी शृंखला लंदन तथा शिमले में बन गई।

६ मई १९३७ को लार्ड स्नेल ने लंदन के हाउस आफ लार्डस में एक प्रस्ताव उपस्थित किया कि "वायसराय की ओर से महात्मा गांधी को इस आशय का आश्वासन दिलाया जावे कि विशेषाधिकार केवल अनिवार्य परिस्थिति के लिए हैं, काम लेने के लिए नहीं और गवर्नर लोग कांग्रेस मंत्रियों के वैध कार्यों में हरगिज रोड़े नहीं अटकाएंगे।" भारतमंत्री लार्ड जैटलैण्ड ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि "वर्तमान ऐक्ट का आशय बिलकुल यही है और इसीलिए जिन कांग्रेसी प्रान्तों में अल्पमत के मंत्रीमंडल बनाए गए हैं, वहां भी उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया गया है।"

२० जून १९३७ को भारत के वायसराय ने अपने एक ब्राडकास्ट भाषण में इस बात का आश्वासन दिया कि विशेषाधिकार वैधानिक हैं, काम लेने के लिए नहीं। इसके बाद वायसराय ने इस विषय पर अपने २१ जून के वक्तव्य में विशेष प्रकाश डाला।

कांग्रेस द्वारा मंत्रीपद स्वीकार किए जाना—इसके पश्चात् ७ जुलाई १९३७ को कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा में वायसराय के वक्तव्य को संतोषजनक मानते हुए निर्णय किया कि छै प्रान्तों में तुरन्त ही मंत्रीमण्डल बना लिए जाएं।

इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप कांग्रेस बहुमत वाले प्रान्तों में अल्पमत वाले मन्त्रिमण्डलों ने एकदम त्यागपत्र दे दिये। गवर्नर ने अपने २ प्रान्त के कांग्रेस नेताओं को मन्त्रीमण्डल बनाने के निमन्त्रण ि ए। अन्त में १४ जुलाई से १९ जुलाई तक मध्यप्रान्त में डाक्टर एन. बी. खरे ने. और मद्रास में श्री सी. राजगोपालाचारी ने, युक्तप्रान्त में पं. गोविन्द वल्लभपन्त ने, श्री विश्वनाथ दास ने उड़ीसा में, श्री बाल गंगाधर खेर ने बम्बई में और बाबू श्रीकृष्ण सिंह ने बिहार में कांग्रेसी मन्त्रीमण्डल बनाए।

इसके कुछ मास पश्चात् पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में डाक्टर खान साहिब ने अन्य दलों के कुछ सदस्यों को तोड़ कर अपना मन्त्रीमण्डल बनाया। इसी प्रकार आसाम के कांग्रेसी पार्लमेंटरी नेता श्री गोपीनाथ बारदोलाई ने वहां के तत्कालीन प्रधानमन्त्री सर मुहम्मद सादुल्ला के दल के कुछ सदस्यों को तोड़ कर उनके विरुद्ध असेम्बली में अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित किया। सर सादुल्ला ने इस प्रस्ताव का मुकाबला न कर १३ सितम्बर १९३८ को त्यागपत्र दे दिया। अन्त में १७ सितम्बर १९३८ को आसाम में भी कांग्रेस मन्त्रीमण्डल बन गया। इस प्रकार भारत के ग्यारह प्रान्तों में से आठ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रीमण्डल बन गए, जो पार्लमेंटरी बोर्ड के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल के अनुशासन में कार्य करते थे। बंगाल, पंजाब तथा सिंध में कांग्रेस के सदस्य पर्याप्त कम थे। अतः वहां मन्त्रीमण्डल बनाने का उद्योग नहीं किया गया।

बम्बई प्रान्त में कांग्रेस का मन्त्रीमण्डल बन जाने के बाद सरदार ने मंत्रियों से पहला काम यह कराया कि १९३२ से १९३४ तक के पिछले सत्याग्रह संग्राम में गुजरात तथा कर्नाटक में जिन किसानों की जमीनें सरकार ने जब्त करके बेच डाली थीं उनको वह वापिस दिलवा दीं।

सरदार पटेल ने सन् १९३८ में बारडोली ताल्लुके के हरिपुरा नामक स्थान में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इतनी अधिक सफलता के साथ किया कि उनकी प्रबन्ध पटुता की सर्वत्र प्रशंसा की गई। कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में

उन्होंने सभी कांग्रेस मन्त्रियों को अनुशासन में रखने में भी अपनी कुशलता का परिचय अनेक बार दिया। इसके उदाहरणस्वरूप १९३८ में सरदार पटेल ने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री डा. एन. बी. खरे को हटाया। डा. खरे तथा अन्य दो मन्त्रियों पं. रविशंकर शुक्ल तथा पं. द्वारिकाप्रसाद मिश्र में पुराना वैमनस्य था। उनमें बाद में कई बार झगड़ा भी हुआ, जिसमें सरदार को हस्तक्षेप करना पड़ा। डा. खरे उन दोनों को हटाना चाहते थे, किन्तु वह सरदार पटेल को यह आश्वासन दे चुके थे कि वह उनसे परामर्श किये बिना कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। उन्होंने इस आश्वासन को तोड़ कर स्वयं त्यागपत्र दे दिया तथा अपने अन्य मन्त्रियों से भी त्यागपत्र देने को कहा। किन्तु श्री शुकल जी तथा मिश्र जी ने त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया। इस पर गवर्नर ने उनको बर्खास्त कर दिया।

सरदार ने इस पर डा. खरे से स्पष्टीकरण मांगा। कुछ समय बाद कांग्रेस कार्यसमिति से परामर्श कर सरदार पटेल ने डा. खरे से कहा कि वह मुख्यमंत्री पद, कांग्रेस दल के नेतृत्व तथा अपनी धारासभा की सदस्यता तक से त्यागपत्र दे दें। सरदार के इस कार्य का समर्थन पं. नेहरू तथा तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस ने भी किया।

प्रजा परिषदों का नेतृत्व—सन् १९३८-३९ में भारत के अधिकांश देशी राज्यों में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्राप्त करने के लिये प्रबल आन्दोलन किया गया और उनमें से कई एक में—मैसूर, राजकोट, बड़ौदा, लीमरी तथा भावनगर के प्रजा आन्दोलन में सरदार ने स्वयं भी नेतृत्व किया। तीन बार तो—बड़ौदा, राजकोट तथा भावनगर में—उनके प्राणों पर भी संकट आया। यद्यपि उन आन्दोलनों का तत्कालीन कोई ठोस परिणाम नही निकला, किन्तु इन आन्दोलनों के कारण सरदार को देशी राज्यों के राजाओं तथा उनकी प्रजा का इतना अच्छा परिचय मिल गया कि उसी अनुभव के आधार पर १९४७ में भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् सरदार देशी राज्यों की समस्या को अन्तिम रूप से हल कर सके। इस समय सरदार पर जो आक्रमण किये गये वह राजाओं के पिट्ठुओं द्वारा किये गये थे। फिर भी सरदार ने इन राज्यों की समस्या को हल करते समय उनके सम्बन्ध में अपने मन में लेशमात्र भी मैल नहीं आने दिया।

कांग्रेस मन्त्रियों ने शासन ग्रहण करते ही प्रथम आतंकवादी कैदियों को रिहा करना आरम्भ किया। इस समय अनेक आतंकवादी कैदी कालेपानी में भी थे। कांग्रेस मन्त्रियों ने उन सब को अपने अपने प्रान्तों में वापिस बुला कर छोड़ दिया। कुछ कैदियों के सम्बन्ध में गवर्नर बिलकुल सहमत नहीं थे। फलस्वरूप युक्तप्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) तथा बिहार के मन्त्रियों ने त्यागपत्र दे दिये। अन्त

में गवर्नरों को झुकना पड़ा और मन्त्रियों ने त्यागपत्र वापिस लेकर शेष कैदियों को भी छोड़ दिया।

यद्यपि इस प्रकार कांग्रेस ने १९३५ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट के प्रान्तीय शासन की धाराओं को कार्य रूप में परिणत कर दिया, किन्तु उसने इस ऐक्ट की केन्द्रीय भारत सरकार की योजना को मानने से साफ इंकार कर दिया। फलतः भारत की केन्द्रीय सरकार की मौलिक योजना १९१९ के गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार ही चलती रही।

सत्याग्रह आश्रम में सरदार, बापू तथा महादेव देसाई

सेवाग्राम में श्रीमती कस्तूरबा, बापू, सरदार तथा राज-कुमारी अमृतकौर

बापू के स्वर्गवास के पश्चात् सेवा ग्राम की अंतिम यात्रा

कांग्रेस अधिवेशनों में

(ऊपर) महादेव देसाई, श्रीमती सरोजनी नायडू तथा भूला भाई देसाई सहित

अध्याय ६

द्वितीय महायुद्ध तथा कांग्रेस

कांग्रस ने इस प्रकार मन्त्रीमण्डल बनाकर आठ प्रान्तों पर लगभग अढ़ाई वर्ष तक शासन किया। सरदार पटेल केन्द्रीय पार्लमेन्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में न केवल इन आठों प्रान्तों के शासन पर सतर्क दृष्टि रखते थे, वरन् उनकी सभी समस्याओं का बारीकी से अध्ययन कर उनको सुलझाया भी करते थे। प्रत्येक प्रान्त के मुख्य मन्त्री से वह लगभग प्रतिदिन टेलीफोन द्वारा वार्तालाप करके उनको उनके प्रान्त की दैनिक समस्याओं के सुलझाने का दिशानिर्देशन किया करते थे। १९३९ के मध्य में यूरोप पर द्वितीय महायुद्ध के बादल घिर आए और संसार के सभी देश युद्ध की तैयारी करने लगे।

इस बीच जर्मनी ने १ सितम्बर १९३९ को पोलैण्ड पर आक्रमण करके द्वितीय महायुद्ध आरम्भ कर दिया। इस पर ब्रिटेन और फ्रांस ने भी ४ सितम्बर १९३९ को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ४ सितम्बर को भारत सरकार ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस पर कांग्रेस पार्लमेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल ने एक घोषणा द्वारा इस बात पर नाराजगी प्रकट की कि जर्मनी के विरुद्ध भारत की ओर से युद्ध घोषणा करने के लिये भारत सरकार ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा तक की अनुमति नहीं ली। सरदार ने इस घोषणा में यह भी कहा कि भारत को जब तक उसकी स्वतन्त्रता का विश्वास नहीं नहीं दिलाया जाता और जब तक उसको यह विश्वास न हो कि वह स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये युद्ध कर रहा है तब तक युद्ध में भाग नहीं लेगा।

भारत सरकार जानती थी कि भारतीय शासन की बागडोर उसके हाथ में होने पर भी भारतीय जनता के एक बड़े भाग की बागडोर कांग्रेस के हाथ में थी। अतः युद्ध में भारत की सक्रिय सहायता प्राप्त करने के लिये वायसराय ने पहिले महात्मा गांधी को निमन्त्रित किया। वायसराय ने महात्मा गांधी को कुछ प्रस्ताव दिये।

वायसराय के उन प्रस्तावों पर कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा में ८ सितम्बर १९३९ को विचार किया। कांग्रेस कार्यसमिति ने कई दिन के बाद विवाद के पश्चात् १३ सितम्बर १९३९ को निश्चय किया कि ब्रिटिश सरकार पहले सामन्त-वाद तथा साम्राज्यवाद के सम्बन्ध में अपना उद्देश्य स्पष्ट करे तथा यह बतलावे कि उन उद्देश्यों को भारत पर किस प्रकार लागू किया जावेगा। तभी कांग्रेस द्वारा

इस युद्ध में सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में निश्चय किया जावेगा। इस समय कांग्रेस कार्यसमिति ने श्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल तथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की एक उपसमिति बनाकर उसे यह कार्य दिया कि वह बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार इस प्रश्न के सम्बन्ध में कार्य-वाही करे। इसके पश्चात् वायसराय ने महात्मा गांधी आदि कांग्रेस के कई नेताओं से भेंट की। ४ अक्तूबर को उसने सरदार पटेल से भी भेंट की। इस वार्तालाप के परिणामस्वरूप कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक १० अक्तूबर को वर्धा में हुई, जिसमें सरकार से उसके युद्ध उद्देश्यों का अधिक स्पष्टीकरण मांगा गया।

वायसराय ने १६ अक्तूबर को घोषणा की कि "ब्रिटेन का उद्देश्य भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना है। युद्ध समाप्त होते ही १९३५ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट में सभी सम्प्रदायों तथा निहित स्वार्थवालों की सम्मति से संशोधन कर दिया जावेगा।" कांग्रेस ने वायसराय के इस वक्तव्य को अत्यन्त असन्तोषजनक माना। कांग्रेस अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने २० अक्तूबर को घोषणा की कि "वायसराय के वक्तव्य के बाद और बहस करने की गुंजायश नहीं रही। अब कांग्रेसी मन्त्रीमण्डल कायम नहीं रह सकते। वह त्यागपत्र देंगे।" २२ अक्तूबर को कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा में वायसराय की घोषणा पर असन्तोष प्रकट करते हुए निर्णय किया कि कांग्रेसी मन्त्रीमण्डल अपनी अपनी धारासभाओं में कांग्रेस का युद्ध उद्देश्य पूछने का प्रस्ताव पास करके त्यागपत्र दे दें। अस्तु कांग्रेस मन्त्री-मण्डलों ने अपनी-अपनी धारासभाओं में कांग्रेस का युद्ध प्रस्ताव पास करके त्यागपत्र दे दिए।

इस अवसर पर सरदार पटेल ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया—

"हमसे पूछा जाता है कि क्या हम स्वतन्त्रता के योग्य हैं। हमसे यह भी कहा जाता है कि प्रथम हम मुसलमानों अर्थात् मुस्लिम लीग के साथ अपने मतभेद समाप्त करें। किन्तु हम जानते हैं कि उनके साथ मामला तय करते ही हमसे कहा जावेगा कि "अब अपना मामला देशी राज्यों के साथ तय करो।' और यह भी हो जाने पर हमसे निस्सन्देह यह कहा जावेगा कि 'उन यूरोपियनों के विषय में क्या होगा, जिनके देश में इतने अधिक स्वार्थ हैं और जिन्होंने देश में इतनी अधिक पूंजी लगा रखी है।' वह चाहते हैं कि देश में मतभेद बने रहें। उनका कहना है कि 'अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये परमात्मा ने हमको यह पवित्र धरोहर दी है।' हमारा कहना है कि देश की समस्त जनता द्वारा चुनी हुई संविधान परिषद् जो कुछ सिफारिश करे आप हमें दे दीजिये। यदि आप यह स्वीकार करें तो हम मुसलमानों के साथ समझौता करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे।"

इस सम्बन्ध में वायसराय ने कांग्रेस नेताओं से फिर भी वार्तालाप किया।

किन्तु वह संविधान परिषद् द्वारा भारतीय विधान बनाए जाने के अधिकार से कम पर सहमत न हुए।

१० जनवरी १९४० को वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने बम्बई के अपने एक भाषण में घोषणा की कि "ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत को वेस्ट मिनिस्टर स्टैट्यूट के अनुसार औपनिवेशिक स्वराज्य देना है। उसको अल्पतम समय में दिया जाएगा।" किन्तु कांग्रेस कार्यसमिति ने पटने में १ मार्च १९४० को एक प्रस्ताव पास किया कि भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता से कम कुछ नहीं चाहिए।

कांग्रेस का सत्याग्रह का निश्चय—२० मार्च १९४० को कांग्रेस का ५३वां अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद के सभापतित्व में रामगढ़ में हुआ। इसमें पटना के पूर्ण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने अपनी मुहर लगाकर सत्याग्रह करने का निश्चय किया।

अप्रैल १९४० में जर्मनी ने पश्चिम पर भयंकर आक्रमण आरम्भ किया। इससे थोड़े ही दिनों में बेल्जियम, हालैण्ड, डेनमार्क और नार्वे ने एक एक करके जर्मनी के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उसने फ्रांस पर आक्रमण किया। इस पर इंगलैण्ड ने अपनी समस्त सुरक्षित सेना फ्रांस की सहायता के लिये उसकी भूमि में उतार दी। किन्तु जर्मनी ने फ्रांस और इंगलैण्ड की संयुक्त सेनाओं को भी ऐसी भारी पराजय दी कि १४ जून को फ्रांस को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा और ब्रिटिश सेना भारी बदनामी उठाकर डंकर्क से बड़ी कठिनाई से इंगलैण्ड वापिस आ सकी। इसके फलस्वरूप १० मई को ब्रिटेन में मिस्टर चैम्बरलैन के मंत्रीमण्डल का पतन होने पर भारत मन्त्री लार्ड जैटलैण्ड को भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। अत: उस समय ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री मिस्टर चर्चिल तथा भारत मन्त्री मिस्टर एल. एम. एमरी बन गए। भारत मन्त्री ने कामन्स सभा में कहा कि "हमारी नीति का लक्ष्य भारत को ब्रिटिश कामनवैल्थ के अन्तर्गत स्वतन्त्रता तथा समानता का अधिकार देना है।"

भारत के वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी को विस्तृत करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में वार्तालाप करने के लिए महात्मा गांधी से २९ जून १९४० को शिमला में भेंट की। इस भेंट के समय सरदार पटेल आदि कांग्रेस नेता तथा अन्य दलों के नेता भी शिमला पहुंचे। इस वार्तालाप के सम्बन्ध में कांग्रेस कार्यसमिति ने दिल्ली में चार दिन तक विचार विनिमय करके ७ जुलाई को इस निमन्त्रण को अस्वीकार करके निश्चय किया कि ब्रिटिश सरकार भारत में पूर्ण स्वतन्त्रता की एकदम घोषणा करके उसकी तैयारी के लिए केन्द्र में असेम्बली के सब दलों के प्रति उतरदायी सरकार स्थापित करे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यसमिति के इस प्रस्ताव को पूना में २७ जुलाई को स्वीकार कर लिया।

यूरोप में युद्ध की भयंकरता के साथ साथ सरदार के मन में द्विविधा बढ़ती जाती थी। एक ओर वह महात्मा जी के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए उनका विरोध करना नहीं चाहते थे। दूसरी ओर उनको यह विश्वास था कि नात्सी जर्मनी जैसे दुर्दान्त शत्रु को हमारी अहिंसा की नीति मात्र से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता। अतएव उन्होंने २७ जुलाई १९४० के इस अधिवेशन में अपनी स्थिति को इन शब्दों में स्पष्ट किया।

"बापू ने जो कुछ लिखा है वह आप पढ़ेंगे। उनका कहना है कि सरदार को पीछे लौटना पड़ेगा। जब मैं आगे बढ़ा ही नहीं तो मेरे पीछे लौटने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ; मैंने बापू से कह दिया है 'यदि आप मुझे अपना अनुगमन करने की आज्ञा देंगे तो मैं आंख मूंदकर आपकी आज्ञा मानूंगा।' किन्तु वह यह नहीं चाहते। उनकी इच्छा है कि मैं उनका अनुगमन तभी करूं यदि मैं यह मानता हूं कि दृष्टिकोण केवल वही है। किन्तु यदि मैं यह कह सकता कि 'हां मैं सहमत हूं' तो इससे अधिक प्रसन्नता मुझे नहीं हो सकती थी। किन्तु मैं यह कैसे कह सकता हूं कि मैं उनकी कार्यप्रणाली को समझता हूं, जबकि वास्तव में मैं उसे नहीं समझता। मुझे या किसी और को गांधी जी के प्रति असत्य व्यवहार नहीं करना चाहिये।"

किन्तु वायसराय को तो अपनी कार्यकारिणी को विस्तृत करने के प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत करना था। अतएव उन्होंने ८ अगस्त को घोषणा की कि वह अपनी कार्यकारिणी में भारत के सभी दलों के प्रतिनिधि लेकर उसको विस्तृत करेंगे और देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत के सहयोग से एक युद्ध परामर्श बोर्ड बनाएंगे। किन्तु कांग्रेस कार्य समिति से उस पर दो दिन तक विचार करके १९ को उस घोषणा को सर्वथा असन्तोषजनक एवं कांग्रेस के लिए अपमानजनक बताया। इस सिलसिले में २३ अगस्त को चक्रवर्त्ती राजगोपालाचारी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार यदि केन्द्र में उत्तरदायित्वपूर्ण अधिकार दे तो कांग्रेस केन्द्र में मुस्लिम लीग के प्रधान मन्त्री को भी स्वीकार कर लेगी।

दमन का आरम्भ—किन्तु सरकार ने अब कांग्रेस से बात न करके उसका दमन करने का निर्णय कर लिया था। १ सितम्बर से युक्त प्रान्त में गिरफ्तारियों का सिलसिला आरम्भ कर दिया गया। ६ सितम्बर को भारत मन्त्री श्री अमेरी ने कामन सभा में घोषणा की कि "भारत का वायसराय भारत पर मुस्लिम लीग तथा हिन्दू महासभा आदि की सहायता से शासन करता रहेगा और कांग्रेस के विरोध की कोई चिन्ता न की जाएगी।" भारत मन्त्री के इस रवैये की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई में १६ सितम्बर को निन्दा करते हुए इसके प्रतिरोधस्वरूप देश में सत्याग्रह करने की घोषणा की। सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को नेता चुना गया। किन्तु सत्याग्रह को अभी बन्द रखने का ही निर्णय किया

गया। महात्मा गांधी का कहना था कि "हम ब्रिटिश सरकार से केवल यह घोषणा करवाना चाहते हैं कि कांग्रेस युद्ध विरोधी आन्दोलन कर सकती है और सरकार के साथ असहयोग करने का प्रचार कर सकती है। यदि सरकार ने हमारी इस मांग को स्वीकार कर लिया तो हम सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ नहीं करेंगे।"

युद्ध विरोधी सत्याग्रह—महात्मा गांधी ने इस विषय में वायसराय के साथ २७ तथा ३० सितम्बर को बात-चीत भी की। किन्तु उसका कोई परिणाम न निकला और फलतः महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की योजना तैयार कर ली, जिसे कांग्रेस कार्यसमिति ने ११ अक्तूबर १९४० को स्वीकार कर लिया।

सरदार ने युद्ध विरोधी सत्याग्रह की तैयारी के लिये जनता को तैयार करने के उद्देश्य से गुजरात तथा सौराष्ट्र का दौरा किया। उन्होंने कहा—"राष्ट्रीय भावना को संसार की कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। ब्रिटिश सरकार पूछती है कि यदि वे देश छोड़ कर चले जावें तो हमारा क्या बनेगा? निश्चय से यह एक विचित्र प्रश्न है। यह ऐसा प्रश्न है जैसे कोई चौकीदार अपने स्वामी से कहे, 'यदि मैं चला जाऊं तो आपका क्या होगा?' उत्तर यही होगा—'तुम अपना रास्ता नापो। या तो हम दूसरा चौकीदार रख लेंगे या हम अपनी चौकसी आप करना सीख जावेंगे।' किन्तु हमारा यह चौकीदार जाता नहीं, वरन् मालिक को धमकाता है।

महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रही श्री विनोबा भावे को चुना। विनोबा भावे जी ने १७ अक्तूबर १९४० से युद्ध विरोधी व्याख्यान देकर सत्याग्रह आरम्भ किया। सरकार ने पत्रों को आज्ञा दी कि वह विनोबा जी का भाषण न छापें। चार दिन तक भाषण करने के पश्चात् विनोबा जी को २१ अक्तूबर को देवली में गिरफ्तार किया गया। उन पर उसी दिन वर्धा में मुकदमा चला कर उन्हें तीन मास जेल का दण्ड दिया गया। सरकार की विनोबा के भाषण को न छापने की आज्ञा के कारण महात्मा जी ने अपने तीनों पत्रों—हरिजन (इंगलिश) हरिजन सेवक (हिन्दी), तथा हरिजन बन्धु (गुजराती) का प्रकाशन बन्द कर दिया।

महात्मा जी ने विनोबा जी के पश्चात् दूसरे सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम चुना। उनको ६ नवम्बर को इलाहाबाद में युद्ध विरोधी भाषण देने की आज्ञा दी गई। किन्तु सरकार ने उनको सेवाग्राम से इलाहाबाद आते हुए मार्ग में छिउकी में ३१ अक्तूबर को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी गोरखपुर के एक वारण्ट पर की गई, जो उनके किसी पिछले व्याख्यान के कारण निकाला गया था।

नेहरू जी की गिरफ्तारी से भारत भर में आन्दोलन मच गया। इस समय

समस्त देश में हड़ताल की गई। नेहरू जी को गोरखपुर के एक मजिस्ट्रेट ने चार वर्ष जेल की सजा दी।

इसके पश्चात् कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक वर्धा में फिर हुई। उसमें निश्चय किया गया कि केन्द्रीय असेम्बली के कांग्रेस सदस्य असेम्बली में भाग न लें। तो भी उनको आज्ञा दी गई कि वह १९४०-४१ के बजट सम्बन्धी फाइनैन्स बिल को अस्वीकृत करावें। अस्तु श्री भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में कांग्रेस सदस्यों ने मुस्लिम लीग के तटस्थ रहने पर भी बजट को अस्वीकार करा दिया। अन्त में वायसराय को अपने विशेषाधिकार से उसे पास करना पड़ा।

अब महात्मा गांधी ने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारासभाओं के सदस्यों तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को सत्याग्रह के लिए नाम देने के लिए आह्वान किया। अस्तु उनके पास अनेक नाम आने लगे।

सरदार पटेल का सत्याग्रह और उनकी गिरफ्तारी—१७ नवम्बर १९४० को सरदार पटेल ने अहमदाबाद के जिला मैजिस्ट्रेट को सूचना दी कि वह १८ नवम्बर को युद्ध विरोधी नारे लगा कर सत्याग्रह करेंगे। इस पर उन्हें दिन निकलने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ कांग्रेस कार्यसमिति के अन्य सदस्यों, भूतपूर्व प्रधान मन्त्रियों तथा भूतपूर्व मन्त्रियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दो साल से भी कम समय के अन्दर उनमें से अधिकांश को पकड़ पकड़ जेलों में बन्द कर दिया गया। १ जनवरी १९४१ की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस कार्यसमिति के ११ सदस्यों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के १७६ सदस्यों, २९ भूतपूर्व मन्त्रियों, केन्द्रीय धारा सभा के २२ सदस्यों तथा विभिन्न प्रान्तीय धारा सभाओं के ४०० सदस्यों को पकड़ पकड़ कर जेल में ठूंस दिया गया। ३० दिसम्बर १९४० को सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को प्रयाग में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें १८ मास जेल की सजा दी गई।

अब प्रान्तीय तथा आधीन कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को सत्याग्रह के लिए आह्वान किया गया। सत्याग्रहियों की सब सूचियां महात्मा गांधी जी के पास सेवाग्राम जाती थीं। उनकी अनुमति के बिना कोई व्यक्ति सत्याग्रह नहीं कर सकता था। इस समय पंजाब के अतिरिक्त शेष भारत में २३,२२३ सत्याग्रही जेल भेजे गए। जिन सत्याग्रहियों को जेल नहीं भेजा गया उनकी संख्या इसमें सम्मिलित नहीं है। इन लोगों पर ५,४२,७७५।।।) रुपये जुर्माना किया गया। यह सत्याग्रह अक्तूबर १९४० में आरम्भ होकर चौदह मास तक चला।

सत्याग्रह का स्थगित किया जाना—सरदार को गिरफ्तार करके साबरमती जेल में नजरबन्द कर दिया गया था। वहां वह तीन-चार दिन तक १०४ डिग्री

बुखार में अकेले रहे। फिर उनको यरवडा जेल में बदल दिया गया। इस बार जेल में सरदार का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। अंतड़ियां एकत्रित होकर कभी-कभी ऊपर चढ़ जाती थीं। सरकारी डाक्टरों को लगा कि आपरेशन के सिवा इसका कोई इलाज नहीं। आपरेशन भी भयंकर होना था। अतएव सरकार ने उसका उत्तर-दायित्व लेने के बजाय उन्हें २० अगस्त १९४१ को जेल से छोड़ दिया। किन्तु सरदार के निजी डाक्टर आपरेशन करने के विरुद्ध थे। कुछ दिन ऐलोपैथिक औषधियां लेने के बाद होमियोपैथिक औषधियां ली गई। उससे भी कोई लाभ न होने पर सरदार अक्तूबर १९४१ में नासिक गए। वहां भी कोई लाभ न होने पर वह २० अक्तूबर को वर्धा जाकर महात्मा गांधी से प्राकृतिक चिकित्सा कराने लगे। गांधी जी की प्राकृतिक चिकित्सा से यद्यपि उनको कुछ लाभ अवश्य हुआ, किन्तु उन दिनों देश की क्षण-क्षण भर में बदलने वाली स्थिति में उनके लिए दीर्घ काल तक एक स्थान पर जम कर बैठ जाना सम्भव नही था। अतएव १ दिसम्बर १९४१ को उन्होंने वर्धा छोड़ दिया। ३ दिसम्बर १९४१ को सरकार ने कांग्रेस कार्यसमिति के ग्यारहों सदस्यों को छोड़ दिया। उन्होंने छूटते ही २३ से ३० दिसम्बर तक बारडोली में अपनी बैठक की, क्योंकि सरदार इन दिनों वहीं थे। इस अधिवेशन में सत्याग्रह की परिभाषा के सम्बन्ध में कार्यसमिति तथा महात्मा गांधी में मतभेद उत्पन्न हो गया। इस पर महात्मा गांधी को सत्याग्रह के उत्तर-दायित्व से मुक्त कर दिया गया। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा आधीन कांग्रेस कमेटियों को आत्म रक्षा तथा आत्म-निर्भयता का कार्यक्रम अपनाने की प्रेरणा की गई। कार्यसमिति के इन निर्णयों की पुष्टि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी वर्धा की बैठक में कर दी।

१७ मार्च १९४२ को कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा में इसकी विस्तृत योजना बनाई। अब समस्त देश में कांग्रेस स्वयंसेवक भर्ती किए जाने लगे। यद्यपि यह लोग युद्धत्रस्त जनता की सहायता करते थे, किन्तु सरकार उनकी ओर शंकित दृष्टि से देखती थी। महात्मा गांधी ने अपने 'हरिजन' साप्ताहिक को तीनों भाषाओं में फिर निकालना आरम्भ किया। इस समय सैनिकों का व्यवहार जनता के साथ बहुत बुरा हो रहा था। गांधी जी ने जनता को निर्भयता की शिक्षा देते हुए अत्याचार का प्रतिकार करने की प्रेरणा दी। महिलाओं के विषय में उन्होंने १४ मार्च १९४२ के हरिजन मैं लिखा कि यदि सैनिक लोग महिलाओं पर आक्रमण करें तो उनको निर्भयता से उनका मुकाबिला करना चाहिए।

क्रिप्स मिशन—इस समय भारत में दमन के कारण ब्रिटेन को अपने यहां तथा अमरीका में नीचा देखना पड़ रहा था। अतः उसने भारतीय जनता का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने का एक और यत्न सर स्टाफोर्ड क्रिप्स के द्वारा करने का

निर्णय किया। वह रूस में ब्रिटिश राजदूत रह चुके थे। राजनीतिक क्षेत्रों में यह समझा जाता था कि जर्मनी के विरुद्ध रूस को युद्ध क्षेत्र में लाने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त था। इंगलैण्ड वापिस आने पर उनको युद्ध मन्त्री मण्डल में ले लिया गया। अब उन्होंने भारत के प्रश्न पर ध्यान देना आरंभ किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए कुछ नए प्रस्ताव तैयार किए और उन्हें सर स्टाफोर्ड क्रिप्स के द्वारा भारत भेजा। वह २३ मार्च १९४२ को भारत आए। उन्होंने सरदार पटेल आदि कांग्रेस नेताओं तथा अन्य राजनीतिक दल वालों को दिल्ली बुला कर उनको ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव दिखलाए। उन प्रस्तावों का सारांश यह था—

(१) भारत को तत्काल औपनिवेशिक दर्जा दे दिया जावेगा और वह किसी अन्य ब्रिटिश उपनिवेश से दर्जे में कम न होगा।

(२) युद्ध समाप्त होते ही एक संविधान परिषद् का चुनाव सभी दलों की सहमति से किया जाएगा।

(३) प्रथम प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्यों को चुना जाएगा और फिर वह संविधान परिषद् का चुनाव करेंगी।

(४) देशी राज्यों को भी संविधान परिषद् में अपनी जनसंख्या के अनुसार अपने प्रतिनिधि भेजने को आमंत्रित किया जाएगा।

(५) ब्रिटिश सरकार संविधान परिषद् के निर्णयों को स्वीकार करने का उत्तरदायित्व लेगी। किन्तु उसमें निम्नलिखित बातों का समावेश करना होगा—

(अ) किसी भी प्रान्त या देशी राज्य को भारतीय संघ से पृथक् होने का अधिकार होगा, तथा

(आ) ब्रिटिश सरकार के साथ एक संधि द्वारा उसके द्वारा दिए हुए वचनों का सम्मान करना होगा।

(६) भारत का सेना विभाग युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार के निरीक्षण में कार्य करेगा और शेष विभाग लोक प्रतिनिधियों के हाथ में होंगे।

कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी दिल्ली की बैठक में तीन दिन तक विचार करके इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी तो दिल्ली आना भी नहीं चाहते थे, किन्तु सर क्रिप्स के आग्रह पर वह आ गए। कार्यसमिति को सबसे अधिक आपत्ति रक्षा विभाग के सम्बन्ध में थी। अन्त में इस विषय में सर क्रिप्स ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया—

(अ) भारत का प्रधान सेनापति वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बना रहे और "युद्ध सदस्य" कहलाए। साथ ही वह लंदन की युद्ध समिति के भी

आधीन होगा, जिसमें एक भारतीय भी होगा तथा प्रशान्त महासागर की युद्ध समिति में भी एक भारतीय होगा।

(आ) एक भारतीय प्रतिनिधि वायसराय की कार्यकारिणी में भी रक्षा कार्यों—उदाहरणार्थ, सार्वजनिक संबंध, असैनिककरण, युद्धोत्तर-पुनर्निर्माण, सेनाओं की सुविधाएं, सैनिक कैनटीनों के प्रबन्ध, नागरिकों के विपत्तिग्रस्त क्षेत्रों से हटाए जाने तथा युद्ध सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था आदि के नियंत्रण का कार्य करेगा।"

सर स्टाफोर्ड ने आरम्भ में कहा था कि वाएसराय की कार्यकारिणी के सदस्यों की स्थिति मंत्रियों के समान होगी, किन्तु बाद में वह इससे भी पीछे हट गए।

कांग्रेस कार्य समिति ने २ अप्रैल को पास किए हुए अपने अस्वीकृति प्रस्ताव को ११ अप्रैल १९४२ को प्रकाशित किया।

अध्याय ७

अंग्रेज़ चले जाओ

गांधीजी को क्रिप्स प्रस्तावों से बड़ी निराशा हुई। इस समय तक जापान युद्ध में आ कूदा था और वह हांगकांग, मलाया, सिंगापुर तथा बर्मा पर कब्जा कर चुका था। मलाया तथा बर्मा में भारतीयों को वहां के मूल-निवासियों के हाथों महान् कष्ट उठाने पड़े थे; जिससे वह अपनी वहां की समस्त धन-सम्पत्ति वहीं छोड़ कर भाग भाग कर भारत आने लगे थे। किन्तु वहां से आने के साधन भी "गोरों" के लिए ही सुरक्षित थे। भारतीय शरणार्थियों को भूख तथा मृत्यु से युद्ध करके भारत आना पड़ता था। अनेक व्यक्ति तो सहस्रों मील पैदल चल कर भारत आए। बच्चों, वृद्धों, तरुणों और स्त्रियों के शव मार्ग में स्थान-स्थान पर पड़े हुए विभीषिका उत्पन्न कर रहे थे। ब्रिटिश शरणार्थियों को भारत आने की सब सुविधाएं दी गई। यहां तक कि कालों और गोरों के लिए भारत आने के लिए सड़कें भी पृथक् पृथक् थीं। भारत का यह घोर अपमान था।

इस प्रकार के वातावरण में अप्रैल १९४२ के अन्त में प्रयाग में कांग्रेस कार्य समिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठकें की गई। महात्मा गांधी इन बैठकों में स्वयं नहीं आए, किन्तु उन्होंने अपना संदेश भेजा कि "ब्रिटिश सरकार का यह कहना कि वह भारत में अल्पसंख्यकों तथा देशी राज्यों की रक्षा के लिए है धोखा है, क्योंकि यह दोनों उसके ही बनाए हुए हैं। ब्रिटेन भारत की रक्षा करने के अयोग्य है। अतएव उसको यहां से हट जाना चाहिए। यदि ब्रिटेन यहां से हट जाए तो हम जापान को यहां न आने को कहेंगे और यदि जापान फिर भी भारत में आएगा तो हम उस के साथ असहयोग करेंगे।"

कांग्रेस कार्य समिति ने भी क्रिप्स प्रस्तावों पर भारी निराशा प्रकट की। इस प्रस्ताव में अंग्रेजों से भारत छोड़ने को भी कहा गया। यद्यपि इस प्रस्ताव को सरदार पटेल ने उपस्थित किया था, किन्तु पं० नेहरू तथा मौलाना आजाद ने इस प्रस्ताव पर कोई उत्साह नहीं दिखलाया। उनका कहना था कि साम्प्रदायिक एकता स्थापित किये बिना इस प्रकार का पग देशहित में हानि भी पहुंचा सकता है। मौलाना आजाद ने अपने इंगलिश ग्रन्थ 'इंडिया विन्स फ्रीडम' के पृष्ठ ७८ व ७९ पर 'अंग्रेज चले जाओ' प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी एक पृथक् योजना दी है। एक प्रस्ताव द्वारा बर्मा के शरणार्थियों के साथ विभेदात्मक व्यवहार किए जाने की निन्दा की गई। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा भारतीय, ब्रिटिश तथा

आस्ट्रेलियन सैनिकों द्वारा भारतीय महिलाओं के सतीत्व पर आक्रमण किए जाने की निन्दा भी की गई।

श्री राजगोपालाचारी का कांग्रेस से त्यागपत्र—इस समय श्री राजगोपालाचारी का कांग्रेस से मतभेद बढ़ता जाता था। उन्होंने मद्रास की कांग्रेस असेम्बली के नेता के रूप में असेम्बली सदस्यों की एक विशेष बैठक में उनसे दो प्रस्ताव स्वीकार करा लिए थे। एक प्रस्ताव में कांग्रेस द्वारा मन्त्री-पद ग्रहण करने की मांग की गई थी और दूसरे में मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की मांग को पूर्ण करने का अनुरोध किया गया था। किन्तु यह दोनों ही प्रस्ताव कांग्रेस की घोषित नीति के प्रतिकूल थे। सरदार पटेल ने कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री राजगोपालाचारी को एक पत्र लिख कर इस को नापसन्द करते हुए उनका स्पष्टीकरण मांगा। इस पर श्री राजगोपालाचारी ने कांग्रेस कार्य समिति की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, जिससे वह अपने विचारों का खुल कर प्रचार कर सकें। उन्होंने पाकिस्तान सम्बन्धी अपना प्रस्ताव प्रयाग की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गैरसरकारी प्रस्ताव के रूप में उपस्थित किया, किन्तु वह अत्यधिक बहुमत से हरा दिया गया।

प्रयाग की बैठक के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से "भारत छोड़ो" की अपनी मांग पर जोर देना आरम्भ किया। उसका भारतीय जनता ने बड़े उत्साह से स्वागत किया। किन्तु ब्रिटेन और अमरीका में इस पर नाराज़गी प्रकट की गई।

'अंग्रेज चले जाओ' आन्दोलन—महात्मा गांधी ने अब पूरी शक्ति के साथ "अंग्रेज चले जाओ" आन्दोलन चलाने का निश्चय किया। जुलाई १९४२ के अंत में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में बुलाई गई। इस बैठक में सेवा ग्राम में इस प्रस्ताव पर कई दिन तक विचार किया गया। अन्त में समिति ने इस संबन्ध में प्रस्ताव पास कर दिया। उसको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पुष्ट कराना रह गया।

'अंग्रेज चले जाओ' आन्दोलन के सम्बन्ध में नेताओं को जनता को बतलाने का कुछ भी अवसर नहीं मिला। इसके १५ दिन बाद ही उनको बम्बई में एकत्रित होना था। अतः अपने-अपने घर जाकर उन्होंने जो कुछ उन को सूझा जनता को बतलाया। सरदार पटेल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग ले कर सीधे अहमदाबाद आए। वहां उन्होंने २६ जुलाई १९४२ को एक लाख जन समूह के सामने लोकल बोर्ड के मैदान में जनता को 'अंग्रेज चले जाओ' आन्दोलन की रूप रेखा बतलाई। वास्तव में सरदार ने अपने मन में इस आन्दोलन की एक निश्चित रूप-रेखा बना ली थी। उसके दो दिन बाद २८ जुलाई को सरदार पटेल ने अहमदाबाद में पत्रकार परिषद में इस आन्दोलन के सम्बन्ध में एक

उत्तम भाषण दिया। सरदार पटेल ने २६ जुलाई १९४२ को अहमदाबाद के लोकल बोर्ड के मैदान में एक लाख जन समूह के सामने 'अंग्रेज चले जाओ' आन्दोलन का कार्यक्रम बतलाते हुए कहा—

"· · · · ऐसा समय फिर नहीं आयेगा। आप मन में भय न रखें। यह प्रसंग फिर से नहीं आयेगा। उन्हें यह कहने को न मिले कि गांधीजी अकेले थे। जब वे ७४ वर्ष की आयु में हिन्दुस्तान की लड़ाई लड़ने के लिये उसका भार उठाने के लिये निकल पड़े हैं, तब हमें समय का विचार कर लेना चाहिये। आप से मांग की जाय या न की जाय, समय आये या न आये, परन्तु आपके लिए कुछ पूछने की बात नहीं रह जाती। अब क्या कार्यक्रम है, यह पूछ कर बैठे मत रहिये। १९१९ के रौलट ऐक्ट के विरोध से लेकर आज तक जितने भी कार्यक्रम रहे हैं, उन सबका समावेश इस में हो जायेगा। 'टेक्स मत चुकाओ' आन्दोलन, कानून भंग और इसी तरह दूसरी लड़ाइयां, जो सीधे रूप में सरकारी शासन के बन्धन तोड़ने वाली हैं, उन्हें कांग्रेस अपना लेगी। रेलवे वाले रेलें बन्द करके, तार वाले तार विभाग बन्द करके, डाकखाने वाले डाक का काम छोड़ कर, सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ कर और स्कूल-कालेज बन्द करके सरकार के तमाम यंत्रों को स्थगित कर दें। यह लड़ाई इस किस्म की होगी। इसमें आप सब भाई साथ दीजिए। इस लड़ाई में आपका हार्दिक सहयोग होगा, तो यह लड़ाई थोड़े ही दिन में खत्म हो जायगी और अंग्रेजों को यहां से चला जाना पड़ेगा। काम करने वालों को सरकार पकड़ ले, तो भी हर एक हिन्दुस्तानी अपने आपको कांग्रेसी समझे और उसी तरह अपना फर्ज अदा करे, और पुकार होते ही लड़ने को तैयार हो जाय, तो स्वतन्त्रता दरवाजा खटखटाती हुई आकर खड़ी हो जाएगी · · · ·।"

२८ को उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर भी दिए। इसी दिन सरदार पटेल ने अहमदाबाद के कालेज विद्यार्थियों के अन्दर भी इस विषय पर भाषण दिया। इसके अगले दिन उन्होंने अहमदाबाद के राष्ट्रीय विद्यार्थी मण्डल के सामने इस आन्दोलन की रूपरेखा पर प्रकाश डाला।

३० जुलाई को सरदार पटेल ने, अहमदाबाद की महिलाओं की एक सभा में भी इस विषय का प्रतिपादन किया। उसी दिन उन्होंने अहमदाबाद के मसकती मारकेट में व्यापारियों को भी इस सम्बन्ध में उनके कर्तव्य का स्मरण कराया।

कांग्रेस कार्य समिति के निश्चय की सम्पुष्टि बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा की जानी थी। फलतः सरदार पटेल १ अगस्त को ही अहमदाबाद से बम्बई चले गए।

२ अगस्त १९४२ को सरदार पटेल ने बम्बई में चौपाटी पर दिये हुए अपने भाषण में कहा—

"....आपको यही समझकर यह लड़ाई छेड़नी है कि महात्मा गांधीजी और नेताओं को पकड़ लिया जावेगा। गांधीजी को पकड़ा जाय, तो आपके हाथ में ऐसा करने की ताकत है कि २४ घंटे में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो जाय। आपको सब कुंजियाँ बता दी गई हैं। उनके अनुसार अमल कीजिए। सरकार का शासन चलाने वाले सभी लोग अगर हट जायं, तो सारा शासन भंग हो जायगा....।"

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बम्बई में ७ तथा ८ अगस्त को की गई। महात्मा गांधी ने उसमें अपना 'अंग्रेज चले जाओ' प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा कि "इस आन्दोलन को आरम्भ करने से पूर्व में वाएसराय को एक पत्र लिखूंगा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा और यदि वह सहमत हुए तो उनसे भेंट भी करूंगा।" सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में "अंग्रेज चले जाओ" वाले प्रस्ताव पर ७ अगस्त १९४२ को अपने भाषण में कहा—....मारपीट करके तो हमें छुड़ाना नहीं है। यह हमारा रास्ता नहीं है। हमारा शस्त्र अहिंसा का है। वह हथियार चाहे कैसा ही हो, परन्तु पिछले बीस साल में इसी के द्वारा दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ी है। फिर इस लड़ाई में ऐसी तो कोई शर्त नहीं है कि दिल में भी अहिंसा ही होनी चाहिये। यह तो सिर्फ कार्य की बात है। कार्य में अहिंसा चाहिये। सब पूछते हैं: "कार्यक्रम क्या है?" लड़ाई के समय हमारा कार्यक्रम हमेशा गांधीजी ने तैयार किया है। जब तक वे बैठे हैं, वे जो हुक्म देंगे वही हम मानेंगे। नरम हो या गरम, जो वे कहें वही करना सिपाहियों का काम है। हमें बड़ी-बड़ी धमकियां दी जा रही हैं। हुकूमत का तरीका सबको मालूम है। वह सबको पकड़ेगी। बहुत सी सूचियां और आर्डिनेंस तैयार किये गये हैं और किये जायेंगे। वह तो पिछली लड़ाइयों के समय से दफ्तरों में तैयार ही रखे थे। उस में नई बात क्या है? मगर हमें अपनी जिम्मेदारी सोच लेनी है, समझ लेनी है। जब तक गांधीजी मौजूद हैं, तब तक वह जो हुक्म दें, जो हिदायत जारी करें, एक के बाद एक जो कदम उठाने को कहें, वही उठाना है। न जल्दबाजी की जाय, न पीछे रहा जाय। हर एक व्यक्ति को आज्ञा और अनुशासन का पालन करना है। लेकिन मान लीजिये कि सरकार ने ही कुछ किया, सबको पहले से ही पकड़ लिया, तो क्या किया जाय? ऐसा हो, अगर सरकार गांधीजी को पकड़ ले, तो ऐसे मौके पर कदम कदम की बात नहीं हो सकती। फिर तो हर एक हिन्दुस्तानी का—जिन्होंने इस देश में जन्म लिया है उन सबका—यह फर्ज होगा कि इस देश की आजादी तुरन्त हासिल करने के लिये उसे जो सूझे वही कर डाले। दुनिया में आज हमारी परीक्षा हो रही है। उस में हिन्दुस्तान कहां है यह दिखाना हममें से

हर एक का कर्तव्य होगा। सन् १९१९ से लेकर आज तक हमने समय-समय पर जिन-जिन कार्यक्रमों पर अमल किया है, यह समझ लीजिये कि वे सभी इस बार की लड़ाई में आ जाते हैं। सब एक साथ, इकट्ठे ही, अलग-अलग नहीं। सबको और हर एक को आजाद हिन्दुस्तानी के नाते काम करना है। एक अहिंसा की मर्यादा रखकर सभी कुछ कर गुजरना है। एक भी चीज, बाकी नहीं छोड़नी है। संक्षिप्त और तेज लड़ाई करनी है। यह मौका फिर नहीं आयेगा। यह काम जल्दी खत्म करना है। जापान के यहां आने से पहले ही आजाद होकर उसका मुकाबला करने को तैयार रहना है। इस में इस समय किसी सलाह मशविरे की गुंजाइश नहीं है। जो यहाँ बैठे हैं, वे सब इतनी बात यहीं से लेते जायं। जब तक गाधीजी हैं तबतक वह हमारे सेनापति हैं। परन्तु वह पकड़े जायं, तो किसी की जिम्मेदारी किसी पर नहीं रहेगी। सारी जिम्मेदारी अंग्रेजों के सिर रहेगी। अराजकता की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होगी। अराजकता का डर अब देश को नहीं रोक सकेगा।"

"दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। हमें आजाद होना है। गुलामी अब एक क्षण भी हमें बरदाश्त नहीं हो सकती।"

महात्मा गांधी तथा सरदार पटेल के भाषणों के पश्चात् मौलाना आज़ाद तथा पं० नेहरू ने भी नम्र शब्दों में इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अन्त में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया।

गांधीजी, पटेल व कार्य समिति की गिरफ्तारी—किन्तु महात्मा जी को वाएसराय को पत्र लिखने का अवसर न मिल सका। बम्बई की पुलिस ने ८ अगस्त की रात को ही बम्बई के समस्त टेलीफोन काट दिए। इसके बाद उसने महात्मा गांधी, सरदार पटेल तथा कांग्रेस कार्य समिति के सभी अन्य १४ सदस्यों को ९ अगस्त को प्रातः ४ बजे गिरफ्तार करके अहमदनगर किले में बंद कर दिया। महात्मा गांधी गिरफ्तार होते समय केवल इतना ही कह सके "करो या मरो"। उनको आगाखां महल पूना में सबसे पृथक् रखा गया।

१९४२ का जन युद्ध—९ अगस्त को सारे भारत ने नेताओं की गिरफ्तारी के समाचार को क्रोध, घृणा तथा प्रतिहिंसा की भावना में सुना। भारत सरकार ने बम्बई सरकार को यह भी आज्ञा दी कि वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के २०० से अधिक सदस्यों को भी गिरफ्तार कर ले। किन्तु बम्बई में उनमें से बहुत कम को पकड़ा जा सका। उनमें से कई एक अपने २ घर पहुंच कर गुप्त रूप से कार्य करने लगे। सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों को गैरकानूनी करार दे दिया। अकेले बम्बई में ही ९ अगस्त को १५० कार्यकर्ता पकड़े गए। कुल भारत में ९ अगस्त को कई सहस्र व्यक्ति पकड़े

गए। भारत रक्षा नियमों के आधीन कुछ दिनों में ही भारत की सब जेलें भर गईं। अन्त में सरकार को तम्बू डाल कर कैम्प जेलें बनानी पड़ीं। समस्त देश में उन दिनों कम से कम एक लाख व्यक्ति अवश्य पकड़े गए। कुछ को लम्बी २ सजाएं दी गईं तथा अनेक को अनिश्चित काल के लिए नजरबन्द कर दिया गया। अनेक निर्दोष व्यक्तियों को भी लोभ के कारण पकड़ा गया और धन मिलने पर छोड़ दिया गया।

११ अक्तूबर को अखबारों पर भी भारी पाबन्दियां लगा दी गई। अतएव अनेक राष्ट्रीय पत्रों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया। इस समय लगभग ९६ पत्र बंद हो गए।

सरकार ने सारे देश में बल प्रयोग से काम लेना आरम्भ कर दिया। अश्रु गैस, लाठी चार्ज तथा गोली चलाना रोज की घटनाएं हो गई। जनता इतनी उग्र हो गई कि उसने रेल की लाइनें उखाड़ना, तार काटना, डाकखानों, थानों तथा अन्य सरकारी इमारतों को आग लगाना आरम्भ कर दिया। यह आन्दोलन नगरों से गांवों तक जा पहुंचा। गांवों में तो पुलिस और सेना ने बड़े-बड़े भयंकर अत्याचार किए। अनेक घरों में आग लगा दी जाती थी। उनके सामान को लूट लिया जाता था और महिलाओं पर पाशविक अत्याचार किए जाते थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस आन्दोलन में कम से कम १५,००० भारतवासी मारे गए। घायल तो असंख्या हुए। महिलाओं का अपहरण तथा उन पर बलात्कार करते समय ८ और ९ वर्ष की बच्चियों से लेकर साठ २ वर्ष की वृद्धाओं को भी नहीं छोड़ा गया। अनेक गांवों पर भारी २ जुर्माने किए गए। चिमूर, मिदनापुर, मैसूर, पटना, पूना, नागपुर तथा अन्य असंख्य स्थानों में लोमहर्षक अत्याचार किए गए।

इस युद्ध में विद्यार्थियों ने बड़ी वीरता प्रदर्शित की। नेताओं के गिरफ्तार होने पर उन्होंने अपने २ स्कूल तथा कालेज छोड़ कर जनता का मार्गप्रदर्शन किया। छात्राएं भी छात्रों से पीछे नहीं रहीं। उनमें से अनेक को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। सरकार ने विद्यार्थियों को रोकने का बहुत यत्न किया। किन्तु सब व्यर्थ। अनेक विद्यालय पूर्णतया बंद हो गए। इस आन्दोलन में श्रमिकों ने भी कम भाग नहीं लिया। अहमदाबाद में सरदार पटेल ने उनमें जान फूंक ही दी थी। अहमदाबाद में १०० से भी अधिक मिलें बंद हो गई। यह सरदार के अनेक व्याख्यानों का परिणाम था। तीन मास तक यह आन्दोलन अत्यंत भयंकरता से चला।

अहमदनगर किले में—कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को ९ अगस्त १९४२ को ब्राह्ममुहूर्त में ही गिरफ्तार करके एक स्पेशल ट्रेन में अत्यन्त गुप्त रूप

से बिठलाया गया। दोपहर बाद उनको अहमदनगर के उस किले में पहुंचाया गया, जिसे चांद बीबी ने बनवाया था। लगभग तीन सप्ताह तक उनको बाह्य संसार से कैसा भी संपर्क नहीं करने दिया गया। फिर भी उनके रहने के लिये ब्रिटिश सेनाओं द्वारा खाली किये हुए क्वार्टरों को शीघ्रतापूर्वक उपयुक्त रूप दे दिया गया। उनके भोजन का समुचित प्रबन्ध करके एक अंग्रेज डाक्टर को उनका जेलर बनाया गया।

सरदार पटेल को ९ अगस्त १९४२ को प्रातःकाल जब उनके बम्बई के निवास स्थान नम्बर ६८ मेरीन ड्राइव से गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ उनकी पुत्री कुमारी मणिबेन तथा कांग्रेस के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी आचार्य जे० बी० कृपलानी को भी—जो बम्बई में उनके पास ठहरा करते थे—गिरफ्तार किया गया। कुमारी मणिबेन को यरवडा जेल में रखा गया था। क्योंकि सरोजिनी नायडू आदि महिला सत्याग्रहियों का वहीं प्रबन्ध किया गया था। इस समय आचार्य कृपलानी की धर्मपत्नी श्रीमती सुचेता कृपलानी तथा कांग्रेस कार्यालय भी सरदार के निवास स्थान में ही थे। श्रीमती कृपलानी इन गिरफ्तारियों के बाद लगभग डेढ़ मास तक वहीं ठहरी रहीं। इस बीच सरदार पटेल के सुपुत्र श्री डाह्याभाई पटेल ने सरदार तथा गांधी जी के इस अवसर पर दिये हुए भाषणों की प्रतियां तैयार करा के उनको प्रचारार्थ व्यापक रूप में जनता में वितरित किया। इस बीच वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आर्थिक सहायता भी करते रहे। इससे सरकार ने श्री डाह्याभाई को अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित १९ नवम्बर १९४२ को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों भाई बहिनों को बिना मुकदमा चलाये लगभग दो वर्ष तक नजरबन्द रखा गया।

वह लोग यहां लगभग चौंतीस मास तक एक साथ रहे। इस बीच में सरदार वल्लभ भाई उनमें से प्रत्येक के जीवन क्रम का बारीकी से अध्ययन किया करते थे। वह इस बात को जानते थे कि मौलाना का नेहरू जी पर भारी प्रभाव था। वहां उनको इस बात को प्रत्यक्ष देखने का अवसर भी मिला। भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् इस तथ्य की पुष्टि हो गई और मौलाना आजाद ने भी अपने ग्रन्थ में इसका समर्थन किया है। सभी नेता अपना समय अध्ययन, वाद-विवाद तथा ताश खेलने में व्यतीत करते थे। सरदार को ब्रिज खेलना अधिक पसंद था।

अहमदनगर किले में प्रायः सभी नेताओं के कमरे अलग-अलग थे। केवल नेहरूजी और डाक्टर सैयद महमूद एक कमरे में थे। एक दूसरे कमरे में डाक्टर पट्टाभि सीतारामैया तथा श्री शंकर राव देव को भी साथ-साथ रखा गया था। वह सभी वहां लिखने पढ़ने के कार्य किया करते थे। पंडित नेहरू ने अपना ग्रन्थ

'डिस्कवरी आफ इंडिया' इन्हीं दिनों लिखा, जिसमें प्रसिद्ध इतिहासज्ञ आचार्य नरेन्द्र देव ने उनकी पर्याप्त सहायता की।

सायंकाल के समय वह सब किले के छोटे से आंगन में टहला करते थे। नेहरू जी बागबानी करते तथा कभी-कभी कोई खाद्य वस्तु अपने हाथ से स्वयं पकाया करते थे। कुछ लोग खेलते भी थे। किन्तु सरदार पटेल केवल टहलने का ही व्यायाम किया करते थे। खाली बैठने पर वह गीता अथवा कोई अन्य पुस्तक पढ़ा करते थे, किन्तु उनको लिखने का शौक नहीं था।

आचार्य कृपलानी का कहना है कि अहमदनगर किले में जाने के लगभग डेढ़ वर्ष बाद उनमें कई बार 'अंग्रेज चले जाओ' आन्दोलन के औचित्य के सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ। इनमें डाक्टर सैयद महमूद, मौलाना आज़ाद तथा आसफअली की यह राय थी कि महात्मा गांधी तथा कांग्रेस को यह आन्दोलन आरम्भ नहीं करना चाहिए था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी दबे हुए शब्दों में उन्हीं का समर्थन किया करते थे। बापू ने जब प्रथम बार 'अंग्रेज चले जाओ' आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उपस्थित किया था, तब भी यह सब लोग उसके विरुद्ध थे। पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त का मत भी बहुत कुछ वैसा ही था। इस प्रस्ताव के विरोधियों का कहना था कि इस आन्दोलन से भारत चांगकाई शेक की चीन सरकार तथा अमरीका की—जो भारत को स्वतंत्र कराने के पक्ष में थे—सहानुभूति खो बैठेगा। वह इस आन्दोलन को ऐसी नज़र से देखेंगे कि हम उनके युद्ध प्रयत्नों में बाधा डाल रहे हैं और इस प्रकार जर्मनी के हिटलर की सहायता कर रहे हैं। नेताओं में इस प्रकार के वाद-विवाद सन् १९४४ या ४५ में हुए थे।

सरदार पटेल अहमदनगर किले में अधिकतर अस्वस्थ ही रहे। उन्होंने यह समझ लिया था कि वह अधिक समय तक जीवित नही रहेगे। वास्तव में उनको रोग के कारण किये जाने वाले परहेज़ का जीवन पसन्द नही था। किन्तु फिर भी वह इस विषय में किसी से भी कुछ नही कहते थे। १९४२ के 'अंग्रेज चले जाओ' आन्दोलन के बह प्रबल समर्थक थे।

यद्यपि इस आन्दोलन के विरोधी आरम्भ में निराश थे, किन्तु जब उनको पता चला कि देश ने सरकार को उसके दमन का इतना अच्छा उत्तर दिया तो उनको भी प्रसन्नता हुई। फिर तो यह प्रसन्नता धीरे-धीरे बढ़ती ही गई। सरदार पटेल पर सबसे बुरा प्रभाव महादेव भाई देसाई के स्वर्गवास का हुआ। उसका उन्हें बहुत सदमा हुआ। उनका स्वर्गवास ११ अगस्त, १९४२ को होने पर भी उनको यह समाचार १५ अगस्त, १९४२ को टाइम्स आफ इंडिया से मिला। वास्तव में उनको तब से ही समाचार पत्र मिलने आरम्भ हुए थे।

इन लोगों की नजरबन्दी काल के प्रथम ३२ मास में जब तक श्रीमती सुचेता कृपलानी जेल से बाहर रहीं, इन लोगों को फल तथा औषधियां भेजती रहीं। श्री डाह्या भाई की पत्नी श्रीमती भानुमती, भी इन लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखती थीं।

उनमें से डा० सैयद महमूद को बहुत पहले छोड़ दिया गया, जिससे उनके सब साथियों को आश्चर्य हुआ। इस समय देश में यह अफवाह भी फैल गई कि डा० सैयद महमूद सरकार से माफी मांग कर जेल से छूटे हैं। बाद में उनके द्वारा सरकार को लिखा हुआ उक्त पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनको कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य न होते हुए भी उस समय गिरफ्तार किया गया, जबकि उनका पत्र-व्यवहार मिस्टर चर्चिल के साथ उनका निजी सचिव बनने के विषय में चल रहा था।

नेताओं के जेल से छूट जाने पर भी कांग्रेस के तत्कालिन जनरल सेक्रेटरी आचार्य जे० बी० कृपलानी ने गांधीजी के संकेत की उपेक्षा करके भी डा० सैयद महमूद को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उपस्थित होने का विशेष निमंत्रण नहीं भेजा। बिहार में कांग्रेस मंत्रीमंडल का निर्माण होने पर भी कृपलानी जी ने डा० महमूद के उसमें लिए जाने का विरोध किया। किन्तु डा० राजेन्द्र प्रसाद ने नेहरू जी तथा मौलाना आजाद का रुख देख कर उनको मंत्री बनवा ही दिया।

यहां यह बात स्मरण रखने योग्य है कि नेहरू जी सदा से स्वप्नदर्शी रहे हैं। वह सोते सोते समय में प्रायः बड़बड़ाते हैं और चौंक भी पड़ते हैं। गांधी इर्विन पैक्ट के बाद जब उसको इलाहाबाद की बैठक में कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार किया तो नेहरू जी अर्ध रात्रि के समय सोते से उठ कर अचानक इतने जोर-जोर से रोने लगे कि उससे सरदार की नींद भी टूट गई। सरदार के रोने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि 'यह क्या हो गया ? हम तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे।' इसी प्रकार वह अहमदनगर के किले में भी सोते में बड़बड़ाया करते थे।

अहमदनगर किले में जो नेता नजर बन्द थे उनमें सबसे बड़े सरदार पटेल तथा सबसे छोटे डा० हरेकृष्ण महताब थे। जैसाकि उनकी नीचे दी हुई जन्म की तारीखों से प्रगट है :

	जन्म तिथि
१—डा० हरे कृष्ण महताव	जनवरी १९००
२—प्रफुल्ल बाबू	२४-१२-१८९१
३—शंकर राव देव	४-१-१८९५
४—जवाहरलाल नेहरू	१४-११-१८८९

५—सरदार-पटेल	३१-१०-१८७५
६—पंत जी	२७-१-१८८३ (अनन्त चतुर्दशी)
७—डा० सैयद महमूद	दिसम्बर, १८८९
८—आसफअली	१८८८
९—मौलाना अबुल कलाम आज़ाद	१८८८
१०—कृपलानी	१८८८
११—नरेन्द्रदेव	७-११-१८८९ (कार्तिक शुदी ९)
१२—डा० पट्टाभि सीतारमैया	२४-११-१८८०

अहमदनगर में सरदार का आन्त्र रोग फिर उभर आया। १९४३ की गर्मियों में उनका वजन १५ पौण्ड कम हो गया।

इस आन्दोलन में सभी देशी राज्यों की जनता ने पूर्ण भाग लिया। सभी राज्यों में प्रजा मण्डलों ने अपने २ शासकों से अपील की कि वह ब्रिटिश राज्य से अपना सम्बन्ध नोड़ लें। किन्तु बदले में उनको भयंकर दमन का उसी प्रकार सामना करना पड़ा, जैसा ब्रिटिश भारत में किया जा रहा था।

जनता के व्यापक विद्रोह के कारण उन दिनों अनेक जिलों में सरकार का शासन कार्य ठप्प हो गया। बड़े २ स्थानों पर तो सरकार कई २ मास बाद शासन की पुनः स्थापना कर पाई।

सरकार ने इस सारे आन्दोलन का दोषी कांग्रेस कार्य समिति को ठहराया। कांग्रेस कार्य समिति ने भी जेल से छूटने पर जनता को बधाई दी कि उसने ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी राष्ट्रीय आन्दोलन को मरने नहीं दिया। यद्यपि उन्होंने हिंसात्मक कार्यों के लिये खेद भी प्रकट किया, किन्तु जनता के उत्साह तथा धैर्य के लिए उसे बधाई दी गई।

सरकार ने इन समाचारों के भारत से बाहिर जाने पर पाबन्दी लगा दी थी। किन्तु जापानी तथा जर्मन रेडियो द्वारा यह संवाद अतिरंजित रूप में सारे संसार में फैला दिये गए।

महात्मा गांधी का उपवास—देश में इस प्रकार दमनचक्र चल रहा था कि महात्मा गांधी के २१ दिन के उपवास का समाचार पत्रों में छपा। इस समाचार के साथ महात्मा गांधी तथा वाएसराय का पत्र व्यवहार भी प्रकाशित किया गया। उससे पता चला कि महात्मा गांधी ने १ जनवरी १९४३ को वाएसराय लार्ड लिंनलिथगो को पत्र लिखा कि "इन दिनों जो सरकार देश में दमन कर रही है और मुझको उसका उत्तरदायी बतलाती है वह अनुचित है।" वाएसराय ने उसके उत्तर में अपने आरोपों की सम्पुष्टि की। किन्तु महात्मा जी का कहना था कि

"इसकी उत्तरदायी सरकार थी, क्योंकि सत्याग्रह बिना वाएसराय को पत्र लिखे आरम्भ न होता। किन्तु सरकार ने वार्तालाप का कोई अवसर न देकर सारे देश में गिरफ्तारियां कर लीं। बिना नेताओं की जनता इसके अतिरिक्त और कर ही क्या सकती थी ?" किन्तु वाएसराय की सम्मति में उससे परिवर्तन होता न देख कर महात्मा गांधी ने आत्म शुद्धि के लिए २१ दिन के उपवास की घोषणा की।

जैसा कि पीछे बतलाया गया है महात्मा गांधी इन दिनों आगाखां महल पूना में नजरबन्द थे। अतएव उपवास वहीं किया गया, जो १० फरवरी १९४३ से आरम्भ होकर २१ दिन तक चला।

इन दिनों दिल्ली में सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह महात्मा गांधी को छोड़ दे। किन्तु सरकार इन दिनों इतनी निष्ठुर हो गई थी कि वह महात्मा गांधी को मर जाने देने को तैयार थी। वाएसराय की कार्यकारिणी में भी यह मामला उठाया गया। किन्तु लार्ड लिनलिथगो टस से मस न हुए। इसके प्रतिवाद स्वरूप वाएसराय की कार्यकारिणी के निम्न तीन सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिए—लोकनायक बापू जी अणे, सर नलिनी रंजन सरकार तथा सर होमी मोदी। महात्माजी के उपवास के कारण १९४२ के अत्याचारों की झांकी शेष संसार को मिल गई, किन्तु उपवास समाप्त होते ही फिर सब कुछ ठण्डा हो गया।

बंगाल का अकाल—जिन दिनों कांग्रेस जेल में थी उन्हीं दिनों बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। यह अकाल इतना भयंकर था कि उसमें लाखों स्त्री, पुरुष और बच्चे मक्खियों और मच्छरों की तरह भूख से तड़प-तड़प कर मर गए। सरकार ने आरम्भ में इस घटना को छिपाने का यत्न किया, किन्तु एक एंग्लो इण्डियन पत्र ने भाण्डा फोड़ दिया। अन्त में इस अकाल के लिए भारत सरकार को सामान्य रूप से और बंगाल सरकार को विशेष रूप से सारे संसार के सामने नीचा देखना पड़ा। इंग्लैण्ड तथा अमरीका में सभी जगह इसके कारण ब्रिटिश सरकार को लज्जित होना पड़ा।

महात्मा गांधी को ६ मई १९४५ को जेल से छोड़ दिया गया। इस समय महात्मा गांधी भयंकर रूप से बीमार थे और सरकार उनको बीमारी के कारण जेल में मरने देना नहीं चाहती थी। अतएव उसने उनको जेल से छोड़ दिया।

अध्याय ८

समझौते के प्रयत्न

महात्मा गांधी ने बीमारी से अच्छा होने पर १७ जून १९४५ को वाएसराय को पत्र लिख कर अपने साथी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों से मिलने की अनुमति मांगी। किन्तु वाएसराय ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। इसके पश्चात् महात्मा गांधी ने एक इंगलिश पत्रकार से भेंट करते हुए यह कहा कि "१९४५ का वर्ष १९४२ नहीं है। अतएव उनकी इच्छा सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करने की नहीं है। आज १९४२ की 'अंग्रेज़ चले जाओ' मांग को भी नहीं दुहराया जा सकता। यदि आज केन्द्र में पूर्ण सत्तावाली राष्ट्रीय सरकार बन जाती है तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगा। ऐसी सरकार केन्द्रीय असेम्बली के चुने हुए सदस्यों में से बनाई जाए। यह एक प्रकार से भारत को स्वतन्त्र करने जैसा कार्य होगा। उसमें वाएसराय इंगलैण्ड के राजा जैसा वैधानिक शासक मात्र होगा। ऐसा होने पर प्रान्तों में भी लोकप्रिय मंत्रियों की सरकारें बना ली जाएंगी। रक्षा मंत्री लोकप्रिय मंत्री होगा। किन्तु प्रधान सेनापति तथा वाएसराय का युद्ध कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण होगा।"

महात्मा गांधी ने इस भेंट का उल्लेख करते हुए वाएसराय को भी एक पत्र लिखा। वाएसराय ने महात्मा जी के इन प्रस्तावों को भी अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि (१) युद्ध काल में वैधानिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। (२) भारत के सम्पूर्ण शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार और गवर्नर जनरल के हाथों में ही रहना चाहिए तथा (३) यदि कोई परिवर्तन होना भी है तो वह हिन्दू मुसलमानों की सहमति से ही होगा।

महात्मा जी की जिना से भेंट—महात्मा गांधी के उपवास के दिनों में श्री राजगोपालाचारी ने उनको अपनी हिन्दू-मुस्लिम समस्या की योजना दिखलाई थीं। महात्मा गांधी ने उस समय उसको पसंद कर लिया था। जेल से छूटने के बाद महात्मा गांधी ने जिना को पत्र लिख कर उससे मिलने का समय मांगा। महात्मा गांधी तथा जिना की यह भेंट बम्बई में हुई। यह वार्तालाप ९ सितम्बर १९४५ से लेकर २७ सितम्बर तक चला। किंतु जिना ने श्री राजगोपालाचारी की योजना को पसंद नहीं किया। फलतः यह वार्तालाप इतने दिन चल कर भी असफल हो गया।

गांधीजी की पाकिस्तान के विषय में क्या राय थी, इस सम्बन्ध में बहुत गलतफहमी है। गांधीजी बहुत उदार थे। वह जिना को संतुष्ट करने को बहुत कुछ सीमा तक जाने को तैयार थे। यह समझकर वायसराय लार्ड

वावेल ने जुलाई, १९४५ में इंगलैण्ड को लिखा कि 'सत्ता परिवर्तन' की तैयारी की जाये। इसमें समझौता होने की गुंजायश है।" इस समय इंगलैण्ड में मज़दूर दल की सरकार बन चुकी थी। गांधी जी के अभिप्राय को जानकर तथा उनकी उदार वृत्ति को समझते हुये जिना ने अपनी मांग को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुये कहा कि 'गांधीजी तो दीमक लगा पाकिस्तान देना चाहते हैं।'

जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है सरदार पटेल इस समय ९ अगस्त १९४२ से अहमदनगर किले में नज़रबन्द थे। महात्मा जी के छोड़ दिये जाने पर सरदार का उनसे बराबर सम्पर्क बना रहा।

महात्मा गांधी से सम्पर्क बनाये रखने के अतिरिक्त सरदार पटेल जेल में रहते हुए अन्तर्राष्ट्रीय घटना चक्र की न केवल यथावत् जानकारी रखते थे, वरन् उसका गम्भीर अध्ययन भी करते रहते थे। उनका यह अध्ययन पुस्तकों के अतिरिक्त निजी पत्र-व्यवहार द्वारा भी चलता रहता था। जो पत्र वह लिखते थे वह सैन्सर होने पर भी कई बार ऐसी सांकेतिक भाषा में होते थे कि उनका भारत के तत्कालीन राजनीति में पूर्ण परामर्श होते हुए भी सैन्सर अधिकारी उससे वह तत्व नहीं निकाल पाते थे।

इस प्रकार के विचार-विमर्श तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के अध्ययन के फलस्वरूप सरदार को जेल में रहते हुए भी इस बात का विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार अनिवार्य स्थिति के सामने सिर झुकाने को तैयार है और भारत छोड़ने की उसकी इच्छा वास्तविक थी। अतएव सरदार इस समय सरकार के साथ किसी प्रकार के संघर्ष की आवश्यकता नहीं मानते थे। किन्तु उनका यह भी विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के साथ युद्ध समाप्त होने पर साम्प्रदायिक तत्वों के साथ संघर्ष अवश्यम्भावी है।

शिमला सम्मेलन—१४ जून १९४५ को वायसराय ने अपने एक ब्राडकास्ट भाषण में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कुछ नए प्रस्ताव किए। उनका प्रस्ताव यह था कि अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय राजनीति के कुछ नेताओं को शिमला बुला कर उनके साथ वायसराय की कार्यकारिणी का अधिक प्रतिनिधिपूर्ण ढंग पर पुनर्निर्माण करने के उद्देश्य से वार्तालाप किया जाए। उनका प्रस्ताव था कि वायसराय की कार्यकारिणी में हिन्दुओं तथा मुसलमानों को बराबर-बराबर स्थान दिए जाएं। उसमें वायसराय तथा प्रधान सेनापति के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय हों। वैदेशिक विभाग का कार्य भी—जो अब तक स्वयं वाएसराय करता था—भारतीय सदस्य को दे दिया जाएगा। समिति वर्तमान विधान के आधीन ही कार्य करे। वाएसराय केवल वैधानिक प्रमुख बना रहे। समिति के मुख्य कार्य यह होंगे—(क) जापान के विरुद्ध युद्ध का संचालन, (ख) जब तक नया

विधान बन कर पास न हो जाए वर्तमान भारत सरकार के काम को चलाना, (ग) एक सर्वसम्मत हल ढूंढ़ने का यत्न करते रहना।"

वाएसराय ने अपने ब्राडकास्ट भाषण में यह भी कहा कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को जेल से छोड़ देने की आज्ञा दी जा चुकी है। तदनुसार सरदार वल्लभ-भाई पटेल तथा कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सब सदस्य १५ जून १९४५ को जेल से छोड़ दिए गए।

नेताओं के छूटने से देश में व्यापक रूप से प्रसन्नता का साम्राज्य छा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने छूटते ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई। यह मीटिंग २१ तथा २२ जून को बम्बई में हुई। यह बैठक तीन वर्ष बाद हुई थी। कमेटी को यह निर्णय करना था कि वह वाएसराय द्वारा शिमला में २५ जून १९४५ को बुलाए हुए सम्मेलन में भाग ले या न ले। कार्य समिति के सामने इस सम्बन्ध में भारत-मन्त्री के वक्तव्य के अतिरिक्त वह पत्र व्यवहार भी रखा गया, जो महात्मा गांधी तथा वाएसराय में ब्राडकास्ट भाषण के कुछ अंशों के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में हुआ था। कार्य समिति ने निर्णय किया कि शिमला सम्मेलन में भाग लिया जावे।

उक्त सम्मेलन शिमले में २५ से २८ जून तक हुआ। अतएव इस सम्मेलन में सरदार पटेल ने भी भाग लिया। इसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता करने का यत्न किया गया, जो कि असफल हुआ।

अंत में यह सम्मेलन २८ जून को १५ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य दल वाले वाएसराय की कार्यकारिणी के लिए अपने अपने नाम दे सकें।

शिमला का स्थगित सम्मेलन १४ जुलाई से फिर आरम्भ हुआ। वाएसराय ने उसमें सम्मेलन की विफलता स्वीकार कर ली। कांग्रेस ने अपने द्वारा दिए हुए नामों में सभी दलों के नाम दिए थे। मुस्लिम लीग ने कोई नाम नहीं दिए। वाएसराय ने इस पर सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए भंग कर दिया।

जुलाई १९४५ में इंगलैण्ड में मिस्टर ऐटली की मज़दूर दली सरकार बनी। १४ अगस्त १९४५ को जापान के आत्मसमर्पण कर देने पर मिस्टर ऐटली ने भारतीय समस्या की ओर भी ध्यान दिया। वास्तव में ब्रिटेन का मज़दूर दल भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिये वचनबद्ध था। इसलिये उसके नेता मिस्टर क्लेमेंट ऐटली भारत के लिए कुछ करने के लिये उत्सुक थे। राजनीतिक क्षेत्रों में यह समझा जाता है कि यदि ब्रिटेन में उस समय मज़दूर दल की सरकार न बनती तो भारत इतनी सुगमता से स्वतन्त्र नहीं हो सकता था।

बम्बई में कांग्रेस महासमिति की बैठक—कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक सितम्बर १९४५ में पूना में की गई। उसके पश्चात् अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बम्बई में की गई। इस बैठक में (१) १९४२ के आन्दोलन और उसके परिणाम, (२) कांग्रेस की नीति, (३) वैधानिक परिवर्तन, (४) आजाद हिन्द फौज, (५) ब्रिटिश सरकार के नए प्रस्ताव तथा (६) निर्वाचनों के सम्बन्ध में विचार किया गया।

कमेटी ने सरदार पटेल के प्रस्ताव पर १९४२ के आन्दोलन के लिए राष्ट्र को बधाई दी। कांग्रेस की नीति अब भी शान्तिमय उपायों से पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना रखी गई। समिति ने कांग्रेस विधान में परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए एक उपसमिति बना दी।

आजाद हिन्द फौज—इस समय देश के सामने आजाद हिन्द फौज का मामला अत्यन्त प्रमुखता लिए हुए था। इसको मलाया तथा बर्मा में सुभाषचन्द्र बोस द्वारा बनाया गया था। इस समय उसके अनेक अफसर पुरुष और स्त्रियां भारत की विभिन्न जेलों में मुकदमा चलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ को तो उनसे सहानुभूति रखने के कारण दिल्ली के लाल किले के तहखानों में रखा गया था। इस सेना ने अपने आदर्शों तथा परिस्थितियों के अनुसार भारतीय स्वतन्त्रता के लिए युद्ध किया था। देश में उसके लिए सर्वत्र सहानुभूति तथा प्रशंसा की भावना थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव द्वारा उन को छोड़ देने की मांग की। कांग्रेस कार्य-समिति ने आजाद हिन्द फौज के ऊपर चलने वाले मुकदमों की पैरवी के लिए एक रक्षा समिति भी बनाई। इस कमेटी के यत्न से आजाद हिन्द फौज का सच्चा इतिहास जनता के सामने आ गया और लाल किले के मुकदमे में कर्नल शाहनवाज, ढिल्लन और सहगल छूट गए।

जिन दिनों कार्यसमिति की बैठक हो रही थी, वाएसराय लार्ड वावेल तथा ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री ऐटली ने १९ सितम्बर १९४५ के अपने ब्राडकास्ट भाषण में भारतीय समस्या को हल करने के लिए कुछ और प्रस्ताव उपस्थित किए। उन्होंने क्रिप्स द्वारा १९४२ में उपस्थित किए हुए प्रस्तावों को ही कुछ परिवर्तन के साथ उपस्थित किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा सभाओं के नए निर्वाचन अविलम्ब किए जाएंगे। कार्यसमिति ने इन प्रस्तावों को अस्पष्ट, अपर्याप्त तथा असन्तोषजनक मानते हुए भी नए निर्वाचनों में भाग लेने का निश्चय किया। उसने उम्मीदवारों का निर्वाचन करने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय निर्वाचन कमेटी भी बनाई। इसके सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, गोविन्दवल्लभ

पन्त, आसफअली, पट्टाभि सीतारमैया तथा शंकरराव देव को बनाया गया। कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र निकालने का निर्णय भी किया गया।

भारत के स्वतन्त्र होने पर सरदार ने बम्बई के फिल्म निर्माताओं की सहायता से आजाद हिन्द फौज के कार्य कलाप की एक फिल्म बनवाई। इस फिल्म से कई लाख रुपये की आय हुई, जिसका उपयोग सरदार ने आजाद हिन्द फौज के बेरोज-गार सैनिकों तथा उनके कुटुम्बियों की सहायता में किया। यद्यपि १९३९ में त्रिपुरी कांग्रेस के अवसर पर श्री सुभाषचन्द्र बोस तथा उनके साथियों ने सरदार पटेल का व्यापक रूप में विरोध किया था, किन्तु सरदार ने इन सब बातों पर ध्यान न देकर श्री बोस की आजाद हिन्द फौज की पूर्ण सहायता की।

कम्युनिस्टों का निष्कासन—कार्यसमिति की बैठक इसके पश्चात् अक्तूबर १९४५ में कलकत्ता में की गई। इसमें कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के विषय में भी कार्यसमिति को तय करना था। जब सारा देश युद्ध का बहिष्कार कर जेल आदि की यंत्रणा भोग रहा था तो कम्युनिस्ट लोग युद्ध को लोकयुद्ध बतलाकर पाकिस्तान का प्रचार कर रहे थे। महात्मा गांधी ने उनके सम्बन्ध में भूलाभाई देसाई को एक रिपोर्ट देने को कहा। भूलाभाई देसाई की रिपोर्ट कार्यसमिति के पूना अधिवेशन में उपस्थित की गई थी। उसने उस समय उसके ऊपर विचार करने को एक और समिति बनाई, जिसके सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त निश्चित किए गए थे। इस उपसमिति में कम्युनिस्टों के सम्बन्ध में सरदार पटेल तथा पं० नेहरू का मतभेद स्पष्ट रूप से देखने में आया। सरदार पटेल गांधी जी के समान कम्युनिस्ट विचार धारा के इसलिये विरुद्ध थे कि उनकी कार्यप्रणाली में हिंसा का समावेश रहता था और उनको निर्देश विदेशों से मिलते थे। किन्तु पं० नेहरू के हृदय में कम्युनिस्टों के लिये कोमल भावना थी। अन्त में बहुत कुछ विचार विमर्श के पश्चात् इस समिति ने भी कम्युनिस्टों के विरुद्ध ही रिपोर्ट दी। यह रिपोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमन्त्री को भेज दी गई, जिसने उसका उत्तर २७ नवम्बर को दिया। उपसमिति को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कार्यसमिति के सन्मुख प्रस्ताव किया कि कम्युनिस्टों को कांग्रेस के सभी निर्वाचित पदों से हटा दिया जाए। कार्य समिति ने उपसमिति के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कम्युनिस्टों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों सभी की सदस्यता से हटा दिया गया।

कार्य समिति की इस बैठक में आजाद हिन्द फौज का मामला भी दुबारा उपस्थित किया गया। कार्यसमिति ने एक उपसमिति आजाद हिन्द फौज के कष्टों

की जांच करके उनको दूर करने के लिए बना दी। कमेटी को यह भी कार्य दिया गया कि वह आजाद हिन्द फौज के उन सैनिकों के कुटुम्बियों का पता भी लगाए, जो युद्ध में मारे जा चुके थे। इस कमेटी का अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल को बनाया गया। आजाद हिन्द फौज के मुकदमों तथा उनके कुटुम्बियों की सहायता के लिए देश ने दिल खोल कर दान दिया।

इसके पश्चात् कांग्रेस कार्य समिति की बैठक मार्च १९४६ में बम्बई में की गई। इसमें अन्न तथा वस्त्र के अभाव की समस्या पर विचार करके एक लम्बा प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

भारतीय नौसेनाओं में विद्रोह—सन् १९४६ के आरम्भ में राष्ट्रीय असंतोष की ज्वाला सेनाओं में भी पहुँच गई। उनको शिकायत थी कि उनके साथ ब्रिटिश सेनाओं की अपेक्षा बुरा व्यवहार किया जाता है। अतएव ३०० नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने अपने अंग्रेज अफसरों को खदेड़ कर २० जंगी जहाजों पर अधिकार कर लिया। उनकी सहानुभूति में कराची, मद्रास तथा कलकत्ते के नौसेनिकों ने भी हड़ताल कर दी। २१ फरवरी १९४६ को शाही वायुसेना के वायुसैनिकों ने भी हड़ताल कर दी।

इस विषम स्थिति में इस आपत्ति से सरकार की रक्षा सरदार पटेल ने की। उन्होंने विद्रोहियों से अपील की कि वह अपने झगड़ों को शान्तिपूर्वक वार्तालाप द्वारा सुलझा लें। उन्होंने बम्बई के कारखाना मजदूरों से अनुरोध किया कि वह सेनाओं की सहानुभूति में हड़ताल न करें। मजदूरों ने सरदार की बात मान कर हड़ताल करने का विचार त्याग दिया। विद्रोहियों के नेताओं ने व्यक्तिगत रूप में सरदार से परामर्श किया। इसके फलस्वरूप सरदार के निवासस्थान—मैरिन ड्राइव—पर कई बार गरमागरम वाद विवाद हुए। सरदार ने उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि शिकायतें दूर करवाने की उनकी शैली विवेकपूर्ण नहीं थी। सरदार ने उनको चेतावनी दी कि वह इस प्रकार सफल नहीं हो सकते। सरदार ने उनको आश्वासन दिया कि कांग्रेस की उनके साथ सहानुभूति है। विभेदात्मक व्यवहार बन्द होना चाहिए और कांग्रेस उनके मामले का समर्थन करेगी। किन्तु उनको बिना शर्त आत्मसमर्पण करना चाहिए और कांग्रेस पर न्याय प्राप्त करने का विश्वास करना चाहिए। सरदार ने उनको आश्वासन दिया कि वह अपनी शक्ति भर उनको दण्ड नहीं मिलने देंगे। विद्रोहियों ने सरदार पर विश्वास करके २३ फरवरी १९४६ को आत्म समर्पण कर दिया।

वायु सेना तथा जलसेना के विद्रोह के समय ब्रिटिश सरकार का एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डल भारत का दौरा कर रहा था। महात्मा गांधी के अत्यन्त विश्वासी श्री सुधीर घोष को उसके साथ रह कर यह अवसर मिला था कि वह उसे भारत

की यथार्थ स्थिति का ज्ञान करा दें। उसने आजाद हिन्द फौज के मुक्दमे के सम्बन्ध में उनके विषय में देश की व्यापक सहानुभूति को भी देखा था। फरवरी १९४६ में लन्दन लौटने पर उन्होंने प्रधान मन्त्री ऐटली से अनुरोध किया कि वह भारतीय गतिरोध को दूर करें।

सरदार पटेल के ट्रेड यूनियन कार्य

सरदार पटेल अहमदाबाद पोस्टल एम्पलाईज़ यूनियन और बी.बी. एंड सी. आई. आर. रेलवे के कर्मचारियों के यूनियन के चैयरमैन थे। जब से वह सन् १९१७-१८ में सार्वजनिक क्षेत्र में आये उन्होंने ये दो यूनियनें बनाईं और उनके चेयरमैन रहे। एक बार उन्होंने पोस्टल यूनियन की ओर से सरकार को हड़ताल का नोटिस दिया था। सरदार सदा जो भी काम किया करते थे उसको पूरा अवश्य किया करते थे। सरदार ने पोस्टमैनों के यूनियन और उनके कष्टों का मामला सरकार के सम्मुख उपस्थित किया। जब उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो उन्होंने हड़ताल करने का नोटिस दे दिया। इसके पश्चात् उन्होंने सार्टरों की हड़ताल का नोटिश दिया। सरदार ने फिर दुबारा एक १५ दिन का भी नोटिस दिया। उन दिनों विलायत की डाक हवाई जहाज़ से नहीं जाती थी। विलायत से जो डाक आया करती थी वह प्रथम जहाज़ द्वारा बम्बई बन्दरगाह पर आया करती थी। रेल की पटरी जहाज़ के घाट तक बिछाई गई थी। फ्रंटीयर मेल वहां पहले से खड़ा रहता था। अतएव जहाज़ के यात्री तथा बम्बई के अतिरिक्त शेष भारत की सारी विलायती डाक जहाज से फ्रंटीयर मेल में लाई जाती थी। जब फ्रंटीयर मेल बम्बई से दिल्ली को चलता था तो सार्टर लोग उस चलती गाड़ी में डाक छांट कर उसमें से वाएसराय आदि की सरकारी डाक को अलग किया करते थे। जब सरकार ने देखा कि यदि हड़ताल हो गई तो उसकी डाक का सब कार्य ठप्प हो जायेगा तो वह घबरा गई। उस समय पोस्टल यूनियन के सेक्रेटरी श्री मणीलाल कोठारी थे। वह सर्वत्र घूम घूम कर लोगों को प्रोत्साहित करते रहते थे।

अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन में भी सरदार का बहुत बड़ा हाथ था। इस यूनियन की स्थापना गांधी जी ने की थी। इस यूनियन ने केवल एक बार ही हड़ताल की। जब यूनियन ने मिल मालिकों को हड़ताल का नोटिस दिया तो मिल मालिकों ने पहले तो मालवीय जी को अपना पंच मान लिया और यह वचन दिया कि जो कुछ वह फैंसला करेंगे वह मान लेंगे। किन्तु पंच नामा हो जाने के बाद वह लोग अपनी बात से पीछे हट गये। इस पर महात्मा जी ने मिल मालिकों के विरुद्ध २१ दिन का उपवास किया और कहा कि मिल मालिकों को अपना वचन पूरा करना चाहिए।

मिलों की हड़ताल के दिनों में सरदार पटेल अहमदाबाद म्यूनिसिपिलीटी के चैयरमैन थे। उन्होंने हड़ताली मजदूरों को सम्मति दी कि या तो वह लोग अपने अपने गांवों में वापिस चले जावें और वहाँ अपनी खेती बाड़ी आदि के कुछ भी कार्य करें, किन्तु जो मजदूर गांवों में न जाना चाहें उनके लिए सरदार ने विशेष सहायता का प्रबन्ध किया। उन्होंने कार्पोरेशन में सड़क बनाने आदि के नये कार्य विशेष रूप से निकाल कर उन कामों पर हड़तालियों को लगा कर उनकी सहायता की। इस प्रकार हड़ताली मजदूरों में साहस बढ़ा और उन्होंने सरदार के कहने के अनुसार कार्य किया।

सन् १९४६ में जब सरकार ने गांधी जी तथा कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों को जेल से छोड़ा तो पोस्टल कर्मचारियों की यूनियन के सेक्रेटरी श्री वी. जी. डालवी थे। उन्होंने सरकार को एक नोटिस हड़ताल का दिया। यद्यपि नोटित १५ दिन का दिया गया था, किन्तु हड़ताल १५ दिन से पूर्व ही आरम्भ कर दी गई। उस समय पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ के डायरेक्टर जनरल कृष्ण प्रसाद थे। वाएसराय लार्ड वावेल ने उनके द्वारा मिस्टर जिना से हड़ताल तुड़वाने में सहायता मांगी। किन्तु उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता प्रकट की। श्री जिना से निराश होकर वायसराय ने श्री कृष्ण प्रसाद को गांधी जी के पास भेजा। गांधी जी ने कहा कि यद्यपि हमारा सरकार के साथ असहयोग है, किन्तु इस हड़ताल के कारण सारी जनता कष्ट में है। अतएव इस हड़ताल को रुकवाना ही चाहिए। कृष्ण प्रसाद ने गांधी जी से यह भेंट श्री मंगलदास पकवासा के द्वारा की थी। गांधी जी ने अपना संदेश देकर कृष्ण प्रसाद को सरदार पटेल के पास भेजा। उस समय सरदार पटेल बम्बई में बीमार पड़े हुए थे। फिर भी उन्होंने कृष्ण प्रसाद का संदेश पाकर उन्हें अपने पास बलवाया। कृष्णप्रसाद वहां लगभग १० दिन ठहरे और सरदार के पास प्रति दिन कई कई बार जाते रहे। इस बीच उनका जो वार्तालाप हुआ करता था, वह उसकी पूरी रिर्पोर्ट सरकार को भेजा करते थे। सरदार ने श्री डालवी को भी बुलवाया और उनसे कहा कि यदि हड़ताल हुई तो न केवल सरकार को ही, वरन् हमारी अपनी जनता को भी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए।

यह हड़ताल क्रमशः पोस्ट आफिस के सभी विभागों में हुई। अर्थात् एक बार पोस्टमैनों की, दुबारा क्लर्कों की, तिबारा सार्टरों आदि की हड़ताल हुई और सरकार का सारा काम ठप्प हो गया।

सरदार ने हड़ताल तुड़वाने के अलावा कर्मचारियों के कष्टों को दूर करन का भी प्रयत्न किया, जिससे अन्त में वह हड़ताल तोड़ने को मान गये। सरदार ने

उनको स्पष्ट सम्मति दी कि उनकी हड़ताल से उनके अपने देशवासियों की हानि होगी। अतः उनको हड़ताल में नहीं पड़ना चाहिए।

उपरोक्त घटनाओं का विवरण प्राप्त करने के लिए जब इन पंक्तियों का लेखक श्री कृष्ण प्रसाद से मिला तो उनसे निम्नलिखित विवरण भी मिला।

महात्मा गांधी के नाम से स्टाम्प बनाई गई तो उसके बारे में फोटोग्राफ का चुनाव किया गया, जिससे उसे छापा जावे। इस कार्य को पूरा करने में सरदार ने बहुत दिलचस्पी ली। उन्होंने उसमें पूर्ण सहयोग देते हुए अपनी ओर से सब कार्य किया और इस प्रकार यह स्टाम्प का कार्य पूरा हुआ।

कैबीनेट मिशन—भारत मंत्री लार्ड पैथिक लारेंस ने ब्रिटिश लोक सभा में घोषणा की कि ब्रिटिश मंत्रीमण्डल ने भारत के वैधानिक गति अवरोध को दूर करने के लिए भारत को ब्रिटिश मंत्री मण्डल का एक प्रतिनिधि मण्डल भेजने का निर्णय किया है। तदनुसार सर स्टाफोर्ड क्रिप्स, मिस्टर ए० वी० अलेग्जेंडर और स्वयं भारत मंत्री लार्ड पैथिक लारेंस कैबीनेट मिशन के तीनों सदस्य भारत २३ मार्च १९४६ को आए। उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक दलों के नेताओं से आते ही भेंट करना आरम्भ कर दिया। मिशन का प्रस्ताव था कि केन्द्र में एक संघ सरकार स्थापित की जाए। कैबीनेट मिशन के सदस्यों ने वाएसराय से कहा कि भारत के किसी भी नेता से मिलने से पूर्व वह गांधीजी से मिलना चाहते हैं। किन्तु गांधीजी उस समय पूना से ३० मील दूर उरुली कंचन नामक गांव में थे। अतएव वाएसराय ने एक विशेष विमान में श्री सुधीर घोष को गांधीजी को लाने के लिये पूना भेजा। महात्माजी को वहां से दिल्ली लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन का प्रबन्ध भी किया गया। गांधीजी दिल्ली में २६ मार्च को आकर भंगी कोलोनी में ठहरे। केबीनेट मिशन के तीनों सदस्य नं० २ वेलिंगडन क्रेसेंट में ठहरे हुए थे। उन्होंने उसी दिन सायंकाल के समय अपने निवास स्थान पर महात्मा गांधी से भेंट की।

कांग्रेस कार्य समिति ने कैबिनेट मिशन तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से शिमला में वार्त्तालाप करने का कार्य कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल तथा खान अब्दुल गफ्फार खाँ को सौंपा। कैबीनेट मिशन भारत विभाजन के विरुद्ध था।

यह कांफ्रेंस शिमला में ५ मई १९४६ को आरम्भ हुई। किन्तु उसमें कोई सफलता दिखलाई न देने से कैबीनेट मिशन शिमला से दिल्ली आ गया।

कैबीनेट मिशन के तीनों मंत्रियों ने २३ मार्च से लेकर १६ मई तक लगभग ५० दिन तक भेंट की। वह चाहते थे कि भारतीय नेता आपस में परामर्श करके

कुछ निर्णय कर लें। अंत में उनके किसी निर्णय पर न पहुंचने पर १६ मई को मिशन ने एक वक्तव्य निकाल कर अपने निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किए—

(१) ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों को मिला कर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जावे, जिसके हाथ में विदेशी मामले, रक्षा तथा आवागमन के साधन हों। उसको इन विभागों का व्यय निकालने के लिए कर लगाने का भी अधिकार हो।

(२) संघ की एक कार्यकारिणी तथा एक धारा सभा हो, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य दोनों के प्रतिनिधि हों।

(३) शेष सभी विषय प्रान्तीय विषय हों।

(४) प्रान्तों को अपने गुट या वर्ग बनाने का अधिकार होगा। वह चाहें तो अपने वर्ग की सरकार तथा धारा सभा भी बना सकेंगे।

(५) दस वर्ष बाद इस विधान पर दुबारा विचार किया जा सकेगा।

(६) संविधान परिषद् का निर्वाचन प्रान्तीय धारा सभाओं के नव-निर्वाचित सदस्य इस प्रकार करेंगे कि संविधान परिषद् में १० लाख जनसंख्या का एक प्रतिनिधि होगा। प्रान्तों के प्रतिनिधियों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुसार होगी। प्रत्येक सम्प्रदाय के सदस्य अपने ही सम्प्रदायों का चुनाव करेंगे।

(७) इन प्रस्तावों के लिए हिन्दू, मुसलमान तथा सिक्ख केवल यह तीन सम्प्रदाय ही स्वीकार किए जाएंगे।

(८) मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों तथा परिगणित क्षेत्रों के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् उपसमितियां विचार करेंगी।

(९) केन्द्र में अविलम्ब एक राष्ट्रीय अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी।

कांग्रेस अध्यक्ष ने इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तुरन्त ही कांग्रेस कार्यसमिति की मीटिंग बुलाई। कार्यसमिति ने कई दिन तक विचार विनिमय करने के उपरान्त तय किया कि जब तक वह केन्द्र में तुरन्त बनने वाली अस्थायी सरकार की रूपरेखा नहीं देख लेती, इस योजना के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकती। इस सम्बन्ध में सरदार अधिक आशान्वित नहीं थे। वह समझते थे कि इस योजना से भारत के टुकड़े टुकड़े हो जावेंगे। वह यह भी अनुभव करते थे कि यदि मुस्लिम लीग को अन्तर्कालीन सरकार के मुस्लिम सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया तो अन्तर्कालीन सरकार किसी प्रकार भी नहीं चल सकेगी। कांग्रेस की योजना भारी भरकम थी। कांग्रेस कार्यसमिति ने बंगाल तथा आसाम में यूरोपियनों के प्रतिनिधित्व

पर भी आपत्ति की। कमेटी ने अपना कार्य २४ मई को समाप्त कर ९ जून को फिर बैठने का निर्णय किया। इस बार की बैठक २६ जून तक होती रही। इस बीच उसको कैबीनेट मिशन तथा वाएसराय से कई बार मिलने का अवसर मिला। यूरोपियनों के प्रतिनिधित्व पर अनेक प्रकार के प्रश्न सामने आये। इस बारे में यूरोपियनों के प्रतिनिधि गांधी जी, सरदार पटेल तथा अन्य नेताओं से मिलते रहे। सरदार पटेल ने उन्हें समझाया कि कि अब तक जो वह साम्राज्य की छत्रछाया के नीचे अपना व्यापार बढ़ाते रहे उसका समय निकल गया और शासक जाति के विशेष प्रतिनिधि के रूप में उनके विशेषाधिकार भविष्य में जारी नहीं रह सकते। इस बात को स्वीकार करके यूरोपियनों ने घोषणा की कि वह अपनी ओर से संविधान परिषद् के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे। वाएसराय ने यह भी आश्वासन दिया कि अन्तरिम सरकार के सदस्यों को शासन कार्य में मन्त्रियों जैसी ही स्वतन्त्रता होगी और उनके दैनिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वाएसराय ने अपनी कार्यकारिणी के नामों की भी घोषणा कर दी। श्री जिना ने मंत्रीमण्डल मिशन की योजना को इसलिये स्वीकार किया था कि उसे विश्वास था कि कांग्रेस उसे अस्वीकार करेगी; अतएव शासनतन्त्र उसके हाथ में होगा। सरदार ने इसी घटना से इस वार्त्तालाप में अग्रिम भाग लेना आरम्भ किया, क्योंकि वह जिना की नीयत को समझ गये थे, जिसे कांग्रेस में कोई नहीं समझ सका।

भारतीय नेताओं के साथ मंत्रीमंडल के तीनों सदस्यों को इतना अधिक वार्तालाप करना पड़ा कि वह बहुत थक जाते थे। सर स्टाफोर्ड क्रिप्स तो एक बार इतने अधिक बीमार हो गए कि उनकी पत्नी को लंदन से दिल्ली आना पड़ा। फिर भी उनके प्रयत्न का कोई परिणाम न निकला। अंत में लार्ड पैथिक लारेंस को सरदार पटेल का ध्यान आया। वह जानते थे कि जहां भारत के अन्य नेता किसी निश्चय पर पहुंचने में विलम्ब करके भी उससे फिसल जाते थे, सरदार पटेल दृढ़ निश्चय वाले थे। लार्ड पेथिक लारेंस क्वेकरों की एक मीटिंग में प्रति रविवार को पार्लमेंट स्ट्रीट वाले वाई. डब्ल्यू. सी. ए. हाल के एक कमरे में जाया करते थे। उसमें सुधीर घोष को लेकर महात्मा गांधी भी आया करते थे। लार्ड पेथिक लारेंस ने २३ जून की मीटिंग के बाद सुधीर घोष से सरदार पटेल को मिलाने को कहा, जो उन दिनों बिरला भवन में ठहरे हुए थे। किन्तु बिरला भवन जाने पर उनको पता चला कि वह महात्मा गांधी से मिलने भंगी कोलोनी गए हुए हैं। जब वह दोनों भंगी कोलोनी जा रहे थे तो सरदार पटेल गोल डाकखाने के पास गिरजाघर के सामने उधर से लौटते हुए मिल गए। उन्होंने उनकी मोटर रोक कर उनसे बातचीत करने की इच्छा प्रकट की। इस पर वह तथा मणिबेन उनकी मोटर में बैठ कर नं० २ वेलिंगडन क्रेसेंट गए, जहां उनका वार्तालाप तीनों मंत्रियों से दिल खोल कर हुआ। उन्होंने सरदार को समझाया कि यदि कांग्रेस ने दीर्घकालीन योजना को स्वीकार

कर लिया तो वह भारत के लिए विधान निर्मात्री परिषद् बना कर उसकी अमूल्य सेवा कर सकेगी। उन्होंने सरदार को यह भी आश्वासन दिया कि अंतरिम सरकार के निर्माण की योजना को अभी छोड़ा जा सकता है। सरदार को उनका यह दृष्टिकोण पसंद आ गया।

अगले दिन २४ जून को मिशन के तीनों मंत्रियों, सरदार पटेल तथा सुधीर घोष ने भंगी बस्ती में गांधीजी से इस विषय पर वार्तालाप किया। सोमवार का दिन होने के कारण यह वार्तालाप लिख कर हुआ, जिसकी सारी चिटें श्रीसुधीर घोष के पास अब भी हैं। इस योजना को महात्मा जी ने भी पसंद कर लिया।

तारीख २५ जून मंगलवार को वाएसराय भवन में इस विषय पर सरकारी तौर से मीटिंग की गई। इसमें तीनों मंत्रियों ने सरदार पटेल को विशेष रूप से बुलाया। इस वार्तालाप के फलस्वरूप सरदार पटेल सहित कांग्रेस कार्यसमिति ने २६ जून को बहुत कुछ सोच विचार के बाद १६ जून १९४६ के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। कार्यसमिति ने अस्थायी सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करके भी संविधान परिषद् के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लगभग तीन मास के वादविवाद के पश्चात् यह मामला समाप्त हुआ। मुस्लिम लीग ने सारी योजना को स्वीकार करके अन्तरिम सरकार बनाने की अनुमति मांगी, किन्तु वाएसराय ने अकेली मुस्लिम लीग को उत्तरदायित्व देने से इन्कार कर दिया।

केबीनेट मिशन के तीनों सदस्य इंगलैण्ड जाते समय महात्माजी की अनुमति से श्री सुधीर घोष को भी अपने साथ लंदन ले गए। वह वहां जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर तीन महीने तक रह कर उनके साथ बराबर परामर्श करते रहे। ब्रिटिश सरकार की ३ सितम्बर की घोषणा में उनका भी कम परिश्रम नहीं था।

श्री सुधीर घोष की यह विशेषता थी कि उनका ब्रिटेन के सभी राजनैतिक नेताओं से घनिष्ट परिचय था। उनकी दूसरी विशेषता यह थी कि वह प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुन कर यथावत् स्मरण रखते थे और उसको उन्हीं शब्दों में दुहरा सकते थे। गांधीजी, सरदार पटेल तथा कैबीनेट मिशन के साथ वार्त्तालाप में उनकी इस विशेषता की मुख्य भमिका रही।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जुलाई १९४६ में कार्यसमिति के निर्णय को २५ के विरुद्ध २०४ मत से स्वीकार किया।

कांग्रेस के चुनाव—इस समय की कांग्रेस छै वर्ष पूर्व चुनी गई थी। अतः कांग्रेस प्रतिनिधियों, कांग्रेस महासमिति के सदस्यों तथा कांग्रेस अध्यक्ष का नया चुनाव किया गया। २९ जुलाई १९४६ को पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस

के नए अध्यक्ष चुने गए। पंडित नेहरू ने अपनी नई कांग्रेस कार्यसमिति बनाई। सरदार वल्लभभाई पटेल इसमें भी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने रहे।

वर्धा की मीटिंग—नई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में ८ अगस्त से १३ अगस्त १९४६ तक हुई। इसमें तय किया गया कि कांग्रेस का आगामी अधिवेशन नवम्बर १९४६ में युक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तरप्रदेश) में किया जावे।

कार्य समिति की ओर से सरदार पटेल ने सिक्खों से अपील की कि वह संविधान परिषद् का बहिष्कार न करें। सिक्ख पंथ ने कांग्रेस के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस नेताओं ने निश्चय कर लिया कि भारत का भावी रक्षा मन्त्री सरदार पटेल की पसन्द का ही होगा। सरदार ने यह विभाग बाद में अपनी देखरेख में सरदार बलदेवसिंह को दिया। कृष्णामेनन को उनके जीवन काल भर भारत सरकार का कोई कार्य नहीं दिया जा सका।

कांग्रेस ने श्रम समस्या पर विचार करके निश्चय किया कि इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान मजदूर सेवक संघ के सहयोग से कार्य किया जावे। इस सम्बन्ध में सरदार वल्लभभाई पटेल, श्री गुलजारीलाल नन्दा तथा पी. एच. पटवर्द्धन की एक उपसमिति बनाकर इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत करने को कहा गया।

इस बीच वाएसराय ने कांग्रेस अध्यक्ष के नाते नेहरू जी को केन्द्र में अस्थायी सरकार बनाने का निमन्त्रण १२ अगस्त १९४६ को दिया। कार्य समिति ने नेहरू जी को अधिकार दिया कि वह इस उद्देश्य के लिए वाएसराय के निमन्त्रण को स्वीकार कर लें। इस विषय में भावी कार्यवाही के लिए पडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभभाई पटेल तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की एक उपसमिति भी बना दी गई। यद्यपि पं. नेहरू तथा सरदार पटेल का मतभेद इस उपसमिति में कई बार देखने में आया, किन्तु उन्होंने उसे उपसमिति के बाहर प्रकट नहीं होने दिया।

श्री ऐटली की मजदूर दली सरकार को यह विश्वास हो गया था कि भारत की स्वतन्त्रता की भावना को अब अधिक दिन तक नहीं दबाया जा सकेगा और शासनसत्ता का परिवर्तन करना ही होगा। इससे यही बेहतर है भारतीयों को शान्तिपूर्वक सत्ता का हस्तान्तरीकरण करके उसकी सदभिलाषा प्राप्त की जावे, जिससे भारत के साथ ब्रिटेन के भविष्य में भी मधुर सम्बन्ध बने रह सकें।

अध्याय ९

नेहरू जी की अस्थायी राष्ट्रीय सरकार

नेहरू सरकार का निर्माण—पंडित नेहरू ने कार्य समिति की बैठक के बाद श्री जिना से बम्बई में भेंट कर उनको अस्थायी राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया। किन्तु जिना ने कहा कि वह केवल अपनी शर्तों पर ही पद ग्रहण कर सकते हैं। इसके पश्चात् पंडित नेहरू ने बिना मुस्लिम लीग के २ सितम्बर १९४६ को अपना मंत्रिमण्डल बनाया और उसमें अपने अतिरिक्त निम्नलिखित ११ सदस्य रखे :—

१—सरदार वल्लभभाई पटेल, २—डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, ३—शरत्‌चन्द्र बोस, ४—जगजीवनराम, ५—राजगोपालाचारी, ६—आसिफअली, ७—ज न मथाई, ८—सरदार बलदेवसिंह, ९—सर शफात अहमद खां, १०—सैयद अली जहीर, तथा ११—श्री सी. एच. भाभा।

सरदार पटेल गृहमन्त्री—इस सरकार में नेहरू जी प्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री, सरदार बलदेवसिंह रक्षा मन्त्री और सरदार वल्लभभाई पटेल गृहमन्त्री बनाए गए। सरदार के गृहमन्त्री बनने का स्वागत समस्त देश ने किया और इस का आगे चलकर उत्तम परिणाम भी हुआ।

सितम्बर १९४६ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली में इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया।

पंडित नेहरू ने अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बना कर सितम्बर १९४६ में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके बाद ६ अक्तूबर १९४६ को आचार्य जे. बी. कृपलानी नए कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए।

१९४५ में केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचन के पश्चात् १९४६ के आरम्भ में प्रान्तीय विधानसभाओं के भी निर्वाचन किये गए।

प्रान्तीय धारा सभाओं के निर्वाचन—इस समय सभी प्रान्तों में चुनाव हो रहे थे। १६ मार्च १९४६ को पंजाब में भी कांग्रेस, लीग तथा यूनियनिस्ट दल की संयुक्त सरकार मलिक खिजर हयात खां तिवाना के प्रधानमन्त्रित्व में बन चुकी थी। द्वितीय महायुद्ध १९४६ के फर्वरी में ही समाप्त हो चुका था, जिसका ७ मार्च १९४६ को भारत सरकार की ओर से विजयोत्सव भी मनाया जा चुका था। ७ मार्च १९४६ को डाक्टर खान साहब ने सीमाप्रान्त में अपने मन्त्रीमण्डल

डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, पंडित नेहरू तथा लार्ड वेवल से वार्तालाप करते हुए

लार्ड तथा लेडी
माउंटबेटन से
परामर्श

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रीमण्डलों में

का पुनर्गठन किया। अप्रैल के आरम्भ तक सभी प्रान्तों के चुनाव समाप्त हो गए।

सन् १९३७ के प्रान्तीय चुनावों में १५८५ स्थानों में से कांग्रेस ७०४ स्थान प्राप्त करने में सफल हुई थी, किन्तु मार्च-अप्रैल १९४६ के चुनावों में उसकी शक्ति बढ़ कर ९३० हो गई। सन् ३७ में कांग्रेस को केवल पांच प्रान्तों में ही विशुद्ध बहुमत प्राप्त हुआ था, जब कि इस बार विशुद्ध कांग्रेसी बहुमत वाले प्रान्तों की संख्या ८ हो गई। बंगाल, पंजाब तथा सिंध की असेम्बलियों में कांग्रेस को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। बंगाल में कांग्रेस सदस्यों की संख्या ५२ से बढ़कर ८६, पंजाब में १९ से बढ़कर ५८ तथा सिंध में ७ से बढ़कर २१ हो गई। अब सभी प्रान्तों में गवर्नरों का दफा ९३ का शासन समाप्त होकर अप्रैल के अन्त तक निर्वाचित मन्त्रीमण्डल बन गए। बाद में जुलाई १९४६ में प्रान्तीय धारासभाओं के इन्हीं सदस्यों ने भारत का भावी विधान बनाने के लिए भारतीय संविधान परिषद् के सदस्यों का भी चुनाव किया।

३ जून १९४६ को वाएसराय ने सर बी. एन. राऊ को संविधान परिषद् का परामर्शदाता नियुक्त किया। नेहरू सरकार ने सितम्बर १९४६ में एक विज्ञप्ति निकाली कि भारतीय संविधान परिषद् का अधिवेशन उसके नई दिल्ली स्थित विशेष भवन में ९ दिसम्बर १९४६ से आरम्भ किया जायगा।

साम्प्रदायिक दंगों का प्रथम दौर—कांग्रेस की चुनावों में इस भारी सफलता से मुस्लिम लीग एकदम खीझ उठी और उसने मई से ही देश के अनेक भागों में साम्प्रदायिक दंगे आरम्भ करा दिये। जब उसका इससे भी मन न भरा तो उसने २९ जुलाई १९४६ को तय किया कि १६ अगस्त १९४६ को समस्त भारत में "सीधी कार्यवाही" दिवस मनाया जावे। बंगाल में इन दिनों श्री शहीद सुहरावर्दी की सरकार थी। वहां १६ अगस्त को मुसलमानों ने व्यापक रूप में हिन्दुओं पर आक्रमण आरम्भ कर दिए।

सुहरावर्दी के मुस्लिम लीगी मंत्रीमण्डल ने १६ अगस्त को छुट्टी कर दी। मुसलमानों की एक भारी सभा में उनको दंगा करने की खुल्लमखुल्ला प्रेरणा की गई। चार दिन तक कलकत्ता नगर पर गण्डों का आधिपत्य रहा। फिरोज खां नून ने एक मीटिंग में कहा कि मुसलमान ऐसी स्थिति कर देंगे कि लोग चंगेज खां तथा हलाकूखां के हत्याकाण्डों को भूल जावेंगे। कलकत्ते का हत्याकांड दिल्ली में नादिर शाह के विशाल हत्याकांड के बाद सबसे अधिक भयंकर हत्याकांड था। पुलिस में प्राय: मुसलमान ही थे। इन दंगों में पुलिस केवल दर्शकमात्र ही बनी रही। उसने हिन्दुओं के बदला लेने पर ही अपना मौन तोड़ा। कलकत्ते की नालियों में खून बहने लगा। इन दंगों नें कम से कम ४००० मारे गए तथा सहस्त्रों घायल हुए।

करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को लूट लिया गया अथवा जला दिया गया। किन्तु हिन्दू भी शीघ्र ही तैयार हो गए और उन्होंने बड़े वेग से प्रत्याक्रमण करके दंगों का रूप पलट दिया। कलकत्ते के दंगे में मुसलमानों को भारी क्षति उठानी पड़ी। अंत में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप से कलकत्ते का दंगा शांत हुआ। कलकत्ते के बाद आगरा, दिल्ली, बम्बई, अलीगढ़, सिलहट, क्वेटा तथा आरा में भी दंगे हुए। २६ सितम्बर से कलकत्ते में दंगे की आग फिर भड़क उठी। सितम्बर १९४६ के अंत में मुजफ्फरपुर (बिहार) में भी दंगा आरम्भ हो गया। २३ अक्तूबर से पूर्वी बंगाल के नोआखली स्थान में मुसलमानों ने हिन्दुओं से कलकत्ते के दंगे का बदला लिया। नोआखली का बदला लेने को २६ अक्तूबर से बिहार में भी दंगे आरम्भ हो गए। छपरा, पटना तथा भागलपुर जिलों में व्यापक रूप में बदले लिए गए। किन्तु महात्मा गांधी ने अपने उपवास की धमकी देकर वहां के दंगे रोक दिए। महात्मा जी कलकत्ते में शान्ति स्थापित करके ६ नवम्बर को नोआखाली की यात्रा पर गए।

उनके साथ २५ प्रचारक भी गए। यद्यपि उनके जाने से नोआखाली में वास्तव में शान्ति स्थापित हो गई, किन्तु बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद, गढ़-मुक्तेश्वर, अहमदाबाद, बम्बई, दिल्ली तथा ढ़ाका में फिर भी दंगे होते रहे।

मुस्लिम लीग का अन्तर्कालीन सरकार में भाग—अक्तूबर के आरम्भ में नवाव भोपाल तथा वाएसराय लार्ड वावेल के प्रयत्न से मुस्लिम लीग ने अन्तरिम सरकार में भाग लेने के प्रश्न पर फिर विचार करना आरम्भ किया।

नवाब भोपाल की दुरभिसंधि—नवाब भोपाल कूटनीति में अत्यधिक कुशल था। वह समझता था कि यदि कांग्रेस मुस्लिम लीग के बिना भारत का शासन करती रही तो साम्प्रदायिक मुसलमान घाटे में रहेंगे। अन्त में १३ अक्तूबर १९४६ को लीग ने वाएसराय के निमन्त्रण को स्वीकार कर अन्तर्कालीन सरकार में पांच स्थान स्वीकार किए। अतएव १५ अक्तूबर को श्री शरत्चन्द्र बोस, शफात अहमद खां तथा सैयद अली जहीर ने अन्तर्कालीन सरकार से त्यागपत्र दे दिए और वाएसराय ने मुस्लिम लीग के निम्नलिखित पांच सदस्यों को अन्तरिम सरकार का मन्त्री बनाया—(१) ल्याकतअली खां, (२) चुन्दरीगर, (३) अब्दुररब निश्तर, (४) गज़नफार अली खां तथा (५) जोगेन्द्रनाथ मण्डल। मुस्लिम लीग ने सरकार में भाग लेकर विभागों के पुनर्विभाजन की मांग की। उसका आग्रह गृहविभाग लेने का था। वाएसराय लार्ड वावेल इसके लिये तैयार भी था। अतएव उसने सरदार पटेल से गृहविभाग मुस्लिम लीग को देने का अनुरोध किया। इस पर सरदार ने गृहविभाग देने की अपेक्षा सरकार से अपना त्यागपत्र देने का प्रस्ताव किया। किन्तु वाएसराय जानता था कि सरदार के त्यागपत्र का अर्थ था सभी

कांग्रेसी सदस्यों का सरकार से हट जाना। अतएव उसने मुस्लिम लीग को गृहविभाग न देकर अर्थ विभाग दिया। प्रोफेसर हुमायूँ कबीर ने मौलाना आजाद के नाम से लिखे हुए अपने ग्रन्थ में इस सम्बन्ध में सरदार की आलोचना की है कि सरदार ने अर्थविभाग जैसा महत्त्वपूर्ण विभाग मुस्लिम लीग को गृहविभाग के बदले में दे कर गलती की। किन्तु मुस्लिम लीग द्वारा शासन कार्य में डाली हुई अड़ंगेबाजी ने सरदार के निर्णय की उपयुक्तता को सिद्ध कर दिया।

गृह विभाग सरदार के हाथ में होने के कारण ही सरदार देशी राज्यों की समस्या को इतनी जल्दी हल कर सके। यह विभाग किसी और के हाथ में होता तो वह देशी राज्यों की समस्या को हल न कर पाता। गृह विभाग मुस्लिम लीग को न देने की सरदार के निर्णय की उपयुक्तता इससे भी सिद्ध होती है।

सरदार ने यह पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मुस्लिम लीग अपने दो-राष्ट्र वाले सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए पुलिस आदि सभी सेवाओं का उपयोग करेगी। बाद में लीग ने संचार विभाग जैसे विभाग का विनाशात्मक उद्देश्यों के लिये, विदेशी व्यापार का साम्प्रदायिक बदले के लिये तथा अर्थविभाग का उद्योगपतियों (जिनमें प्रायः हिन्दू थे) पर असह्य भार डालने में उपयोग किया।

इस समय देश की स्थिति विस्फोटपूर्ण थी। साम्प्रदायिकता का सब कहीं बोलवाला था। खाद्य पदार्थों की कमी, मूल्य वृद्धि तथा मजदूरों में अशान्ति के कारण सारे देश में असतोष बढ़ रहा था। उसके लिये दृढ़ शासन नीति की आवश्यकता थी। अतएव सरदार ने उस समय अपने पास गृहविभाग रख कर देश की भारी सेवा की। नेहरू जी को आशा यह थी कि मुस्लिम लीगी सदस्य मन्त्री-मण्डल में सहयोग से कार्य करेंगे। किन्तु उन्होंने पग पग पर रोड़े अटकाए, जिससे नेहरू जी को काम चलाने में पर्याप्त अड़चनें आई।

सरदार पटेल का सरकार में महत्त्वपूर्ण कार्य—सरदार पटेल को अन्तरिम सरकार में गृह विभाग तथा सूचना और आकाशवाणी विभाग दिए गए थे। उन्होंने शासन संभालने पर ५ सितम्बर को प्रथम आज्ञा यह दी कि दफ्तर के सभी कर्मचारी यदि चाहें तो कोट पतलून के स्थान पर राष्ट्रीय पोशाक धोती कुर्त्ता पहिन कर भी दफ्तर आ सकते हैं। इसके पश्चात् ७ सितम्बर को भारत सरकार ने एक आज्ञा निकाली कि भविष्य में वाएसराय की कार्यकारिणी के सदस्यों को मन्त्री लिखा जाया करे।

सरदार साम्यवादियों तथा साम्प्रदायिक विचारधाराओं के विरुद्ध थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को साम्प्रदायिकता के मार्ग से हटाने का बहुत यत्न किया। किन्तु जब उन्होंने देखा कि संघ अपने मार्ग से हटना नहीं चाहता तो उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया।

मेरठ कांग्रेस से पूर्व साम्प्रदायिक दंगे—इन दिनों मेरठ में कांग्रेस के ४५ वें अधिवेशन की तैयारी बड़े जोरों से की जा रही थी। कांग्रेस का यह अधिवेशन साढ़े छै वर्ष के लम्बे समय के पश्चात् किया जा रहा था। अस्तु जनता के हृदय में पर्याप्त उत्साह था। कांग्रेस अधिवेशन २३ नवम्बर १९४६ को आरम्भ होने वाला था। किन्तु ८ व ९ नवम्बर को मेरठ में भी साम्प्रदायिक उपद्रव आरम्भ हो गए। यह निश्चित था कि यह देशव्यापी दंगे मुस्लिम लीग की नीति के कारण हुए थे। १३ नवम्बर को युक्त प्रान्त की मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि जब तक उनको युक्तप्रान्त की सरकार में सम्मिलित न किया जाएगा साम्प्रदायिक दंगों को बन्द करने में सरकार की सहायता न की जावेगी। इन दिनों मिस्टर जिना भी मुसलमानों पर आक्रमण होने के अतिरंजित समाचारों का प्रचार कर रहे थे। अतएव १४ नवम्बर को जबलपुर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मौलाना बुरहानुल हक़ ने मिस्टर जिना के उस वक्तव्य का खण्डन किया, जिसमें मिस्टर जिना ने जवलपुर, कटनी तथा मध्य प्रान्त के अन्य स्थानों पर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत की थी। मौलाना बुरहानुल हक ने घोषणा की कि यह सब शिकायतें असत्य थीं।

सरदार का मेरठ कांग्रेस में भाषण—यद्यपि मेरठ में कांग्रेस की तैयारी बराबर की जाती रही, किन्तु कुछ गुण्डों ने उसके पंडाल तक में कांग्रेस होने के कुछ दिन पूर्व आग लगा दी। फलतः यह घोषणा की गई कि मेरठ कांग्रेस में दर्शक न आवें। किन्तु आने वाले तब भी न माने और २३ तथा २४ नवम्बर को आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में मेरठ कांग्रेस का अधिवेशन बड़ी धूमधाम से हुआ। उसमें सरदार वल्लभभाई पटेल ने जो भाषण दंगों के सम्बन्ध में दिया, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण था और उसमें स्पष्टवादिता इतनी अधिक मात्रा में थी कि कई राष्ट्रीय मुसलमानों ने भी उस भाषण से बुरा माना।

उस समय कांग्रेस में रफी अहमद किदवई ही एकमात्र असाम्प्रदायिक मुसलमान थे। शेष राष्ट्रीय मुसलमान अपना अस्तित्व हिन्दुओं से अलग बनाए रखने में ही अपना कल्याण मानते थे। क्योंकि अपने अल्पसंख्यक रूप में ही उनको रियायतें मिल सकती थीं। उनके लिये मुसलमान राज्य में एक धार्मिक अल्पसंख्यक थे, जिनको संरक्षणों तथा सुविधाओं का मिलना आवश्यक था। स्वयं मौलाना आज़ाद ने विधान बनाते समय मुसलमानों के लिये स्थान सुरक्षित रखने के पक्ष का समर्थन किया था।

इस्लाम के इन हिमायतियों ने भी "इस्लाम खतरे में है" के घोष का सरदार के विरुद्ध प्रयोग किया। उन्होंने सरदार के विरुद्ध गांधी जी से शिकायत की, किन्तु उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि सरदार के लिये हिन्दू तथा मुसलमान सभी बराबर हैं। उन्होंने सरदार के भाषणों के कुछ अंश तोड़ मरोड़ कर पंडित नेहरू के

भी कान भरे। उनका कहना था "सरदार मुसलमानों पर संदेह करते हैं और उनके विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों की उपेक्षा करते हैं।" किन्तु सरदार पर इन बातों का कोई प्रभाव न पड़ा और उन्होंने अपनी बात सदा निर्भीकता से रखी।

सरदार पटेल तथा नेहरू जी में आरम्भ से ही कुछ मतभेद था, जो कि सरदार की स्पष्टवादिता के कारण बराबर बढ़ता गया। मुसलमानों की शिकायत सुन कर पंडित नेहरू ने भी सरदार की शिकायत महात्मा गांधी से की। किन्तु गांधी जी इस विषय में लाचार थे, क्योंकि सरदार को मंत्रीमण्डल, कांग्रेस कार्य-समिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। फिर भी सरदार नेहरू जी के कम प्रशंसक नहीं थे। वह उनके अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की प्रायः प्रशंसा किया करते थे और उसको भारत की निधि मानते थे। शेख अब्दुल्ला पर उनको विश्वास नहीं था और वह उसके विषय में नेहरू जी को चेतावनी दे चुके थे।

लंदन में गोल मेज सम्मेलन—नेहरू जी की अन्तरिम सरकार संविधान परिषद बुलाने की घोषणा कर चुकी थी। किन्तु मुस्लिम लीग उससे न केवल असहयोग कर रही थी, वरन् वह उसके कार्यों में अनेक प्रकार की अड़ंगेबाजियां भी लगा रही थी। अस्तु प्रान्तों के गुटों के विषय में कैबीनेट मिशन की घोषणा के सम्बन्ध में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार में नवम्बर में मतभेद हो गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री ऐटली ने इस सम्बन्ध में नेहरू जी को लंदन आने का निमन्त्रण दिया। ऐटली के बराबर आग्रह करने पर पंडित नेहरू तथा सरदार बलदेव सिंह ३० नवम्बर १९४६ को विमान द्वारा लंदन गए। सरदार पटेल ने स्वयं लंदन जाना उचित नहीं समझा। लार्ड वावेल तथा ल्याक़तअली खां भी एक पृथक् विमान द्वारा लंदन गए। विशेष निमंत्रण पर जिना भी लंदन जा पहुंचे। इस बीच देश में यह अफवाह फैल गई कि नेताओं को इस समय लंदन बुलाने का उद्देश्य यह है कि भारतीय संविधान परिषद् की बैठक ९ दिसम्बर से आरम्भ न हो सके। किन्तु सरदार पटेल ने १ दिसम्बर को बम्बई में एक ओजस्वी भाषण देते हुए घोषणा की कि भारतीय संविधान परिषद की बैठक नेताओं के लंदन से वापिस न आने पर भी ९ दिसम्बर से अवश्य आरम्भ होगी। नेहरू जी की अनुपस्थिति में सरदार पटेल को वाएसराय की कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष बनाया गया।

लंदन में भारतीय नेताओं का गोल मेज सम्मेलन ३ दिसम्बर से ६ दिसम्बर तक हुआ। उसकी समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि "प्रान्तों की गुट-बंदी का मामला भारत के फेडेरल कोर्ट के सामने उपस्थित किया जा सकता है। संविधान परिषद का विधान किसी भी राजनीतिक दल पर जबर्दस्ती नहीं थोपा जाएगा।"

नेहरू जी आदि भारतीय नेता ७ को लंदन से चल कर ८ को दिल्ली आ गए ।

भारतीय संविधान परिषद् की बैठक—भारतीय संविधान परिषद की प्रथम बैठक नई दिल्ली में ९ दिसम्बर १९४६ को ११ बजे आरम्भ हुई । उसमें भारत के दस प्रान्तों के २०९ निर्वाचित प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिनमें ९ महिलाएं भी थीं । सरदार पटेल के साथ उनकी पुत्री कुमारी मणीबेन पटेल भी आई थी, किन्तु वह सदस्या न होने कारण परिषद के गोष्ठी भवन में एक विशेष कुर्सी पर बैठी रहती थीं । मुस्लिम लीग ने इस परिषद का बहिष्कार किया । संविधान परिषद का अस्थायी अध्यक्ष डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा को बनाया गया । उन्होंने ११ को डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को नियमानुसार निर्वाचित अध्यक्ष घोषित करके उनको अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी । परिषद ने निश्चय किया कि वह अपने को स्वयं ही भंग कर सकेगी, उसे अन्य कोई भंग नहीं कर सकेगा । उसको भंग करने के लिए भी $\frac{2}{3}$ मत आवश्यक होंगे ।

सरदार पटेल अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी संविधान परिषद में बड़ी लगन के साथ भाग लिया करते थे । वह उनकी निम्नलिखित तीन उपसमितियों के अध्यक्ष थे—

मौलिक अधिकार उपसमिति, राज्यों के विधान की उपसमिति तथा अल्पसंख्यकों के मामलों की उपसमिति ।

मुस्लिम लीग का साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी उत्तरदायित्व—नेहरू मंत्री-मण्डल के एक मुस्लिम लीगी सदस्य गजनफारअली ने २ दिसम्बर १९४६ को कराची की एक चुनाव सभा में कहा "मुस्लिम लीग अन्दर से सीधी कार्यवाही करने के लिए अन्तर्कालीन सरकार में सम्मिलित हुई है । मैं घर से निकलते समय समझता था कि मुझे जेल में रहना होगा, किन्तु मुझे अन्तर्कालीन सरकार में स्थान मिला । मार्ग केवल दो हैं—या तो कांग्रेस झुके, अन्यथा मार काट होगी ।"

अपनी इसी प्रकार की भावनाओं के कारण मुस्लिम लीग ने उन दिनों देश भर में साम्प्रदायिक विष फैला रखा था । किन्तु जब वह नेहरू सरकार तथा युक्त प्रान्त की सरकार को दंगों द्वारा न झुका सकी तो उसने सीमा प्रान्त में डाक्टर खान साहिब की सरकार के विरुद्ध दंगे आरम्भ कराए । जनवरी १९४७ के आरम्भ में हजारा जिले में उपद्रव आरम्भ हुए । उधर आसाम मुस्लिम लीग ने जबर्दस्ती जमीनों पर अधिकार करने के लिए मुसलमानों के दल के दल भेजने आरम्भ कर दिए । जब प्रान्तीय सरकार ने इन गैरकानूनी अधिकार करने वालों को बेदखल करना आरम्भ किया तो आसाम प्रान्तीय मुस्लिम लीग ने बेदखलियों के विरुद्ध सत्याग्रह करने की घोषणा की ।

मुस्लिम लीग ने सीमा प्रान्त तथा आसाम के पश्चात् पंजाब में भी आन्दोलन आरम्भ किया। किन्तु पंजाब सरकार ने २४ जनवरी १९४७ को मुस्लिम नेशनल गार्ड और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों पर पाबन्दी लगा दी। तलाशी में बाधा उपस्थित करने के कारण पंजाब मुस्लिम लीग के प्रधान खान इफ्तिखारुद्दीन हुसैन खां ममदोत, मियां इफ्तखारुद्दीन, मुमताज दौलताना, बेगम शाहनवाज़, शौकत हयात खां, फिरोज खां नून तथा मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के प्रान्तीय सालार सैयद अमीर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर पंजाब मुस्लिम लीग ने व्यापक रूप में प्रतिबन्ध आज्ञा को भंग करना आरम्भ किया। अन्त में २४ जनवरी को पंजाब सरकार ने गिरफ्तार किए हुए लीगी नेताओं को जेल से छोड़ दिया। २८ जनवरी को उसने मुस्लिम नेशनल गार्ड तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर से भी पाबन्दी उठा ली। तौ भी ७ फरवरी तक लीग के सत्याग्रह के कारण पंजाब असेम्बली के ७९ लीगी सदस्यों में से ७४ जेलों में पहुंच गए। इधर मुस्लिम लीग अड़ंगे पर अड़ंगे लगाती जाती थी, उधर नेहरू जी उसके विषय में ब्रिटिश सरकार को लिखते जाते थे। १४ फर्वरी तक नेहरू जी ने इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार को एक और पत्र दिया। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार के पूर्ण अधिकार न देने के कारण ही भारत में यह अशान्ति है।

ब्रिटिश सरकार को भारत का औपनिवेशिक स्वराज्य देने की घोषणा—अन्त में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री क्लेमेंट ऐटली ने २० फर्वरी १९४७ को कामंस सभा में एक वक्तव्य देते हुए कहा कि 'ब्रिटेन जून १९४८ तक भारतीयों को पूर्ण सत्ता सौंप देगा। नेहरूजी को लार्ड वावेल से भारी शिकायत थी कि उसने मुस्लिम लीग को उनकी अन्तरिम सरकार में पीछे के द्वार से प्रवेश कराया। अस्तु लार्ड वावेल के स्थान पर लार्ड लुई माउन्टबेटन को मार्च १९४७ से भारत का वाएसराय बनाया गया। इस समय यह भी घोषणा की गई कि यदि भारतीय संविधान परिषद् एक सर्वसम्मत विधान न बना सकी तो शासनाधिकार तत्कालीन केन्द्रीय सरकार अथवा वर्तमान प्रान्तीय सरकारों अथवा किसी अन्य को देकर देशी राज्यों पर से भी ब्रिटिश राज्य की सार्वभौमिकता को समाप्त कर दिया जावेगा।"

मुस्लिम लीग का सीमा प्रान्त तथा पंजाब में साम्प्रदायिक आन्दोलन—ब्रिटिश सरकार की इस घोषणा से जहां राजनैतिक खेंचातानी बहुत कम हो गई, वहां देश की साम्प्रदायिक स्थिति एकदम बिगड़ गई। मुस्लिम लीग का तो इससे यह पक्का विश्वास हो गया कि वह अधिक से अधिक जितने भी प्रान्तों को अपने प्रभाव तथा नियंत्रण में ले लेगी, उन सब का अधिकार अंग्रेज भारत से अपनी अधिकार सत्ता समाप्त करके जाते समय उसी को दे जावेंगे। बंगाल तथा सिन्ध

पर तो उसका बहुत कुछ नियंत्रण था ही, अस्तु उसने सीमा प्रान्त तथा पंजाब में मुस्लिम शासन पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने की योजना बनाई। इस समय सीमा प्रान्त में डाक्टर खान साहिब का कांग्रेसी मंत्रीमण्डल तथा पंजाब में खिजर हयात खां का सर्वदली यूनियनिस्ट मंत्रीमण्डल था। लीग ने आसाम में भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा करके एक नई समस्या उत्पन्न कर दी थी, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है।

सीमा प्रान्त में कांग्रेस और खुदाई खिदमतगारों के विरुद्ध उन्हें बुरा-भला कहने और बदनाम करने का एक बेहूदा आन्दोलन चलाया गया। वहां अल्प-संख्यक हिन्दुओं और सिक्खों के विरुद्ध भी साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाई गई, जिसके फलस्वरूप वहां व्यापक रूप में हत्या, अग्निकांड तथा लूट आदि की घटनाएं हुईं। आतंक तथा भय से त्रस्त हो वहां के हिन्दू भागने लगे। कांग्रेस तथा खुदाई खिदमतगारों ने उनकी सहायता करने का यत्न किया, किन्तु मुस्लिम लीग के दूषित प्रचार के कारण वह उनकी कुछ अधिक सहायता न कर सके।

पंजाब के दंगे—यद्यपि इन दिनों समस्त भारत में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे, किन्तु पंजाब एकदम शान्त था। तथापि मुस्लिम लीग इस प्रान्त की असेम्बली में बहुमत न होने पर भी उसमें गड़बड़ कर रही थी। जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है—पंजाब तथा सीमाप्रान्त दोनों प्रान्तों के सरकारी कर्मचारी—जिनमें इन दोनों प्रान्तों के गवर्नर तथा अंग्रेज़ अफसर भी सम्मिलित थे—इस आन्दोलन में मुस्लिम लीग के साथ थे। उन्होंने मुस्लिम लीग के कानून विरुद्ध कार्यों को दबाना तो दूर, उन्हें बराबर प्रोत्साहन दिया। इससे पंजाब का प्रधान मन्त्री खिजर हयात खां तिवाना बहुत घबरा गया और उसने ३ मार्च १९४७ को अपने पद से त्याग-पत्र देकर मुस्लिम लीग के लिए मैदान खाली कर दिया। किन्तु मुस्लिम लीग पंजाब में फिर भी अपना मन्त्री-मण्डल न बना सकी। सिक्खों तथा हिन्दुओं ने उसके साथ मंत्री मण्डल में सम्मिलित होने से इंकार कर दिया। फलतः गवर्नर ने प्रान्त में दफा ९३ का शासन आरम्भ कर दिया।

हिन्दुओं तथा सिक्खों ने ४ मार्च को लाहौर में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किया। इस पर मुसलमानों ने उन पर आक्रमण कर दिया। क्रमशः सारे प्रान्त में हिंसा का बोलबाला हो गया। हत्याएं, अग्निकाण्ड, बलात्कार तथा अपहरण खिलवाड़ हो गए। लाहौर, अमृतसर तथा मुलतान सभी बर्बाद हो गए। लाहौर से चलने वाली २२ पैसेन्जर गाड़ियां बंद कर दी गईं। लाहौर से अन्य नगरों का टेलीफोन सम्बन्ध भी तोड़ दिया गया। ६ को जालंधर, स्यालकोट तथा रावलपिंडी में भी दंगे आरम्भ हो गए।

कांग्रेस कार्य समिति ने पंजाब की इस भयानक परिस्थिति पर ५ मार्च से

८ मार्च तक नई दिल्ली में विचार करके प्रस्ताव पास किया कि इन भयंकर घटनाओं ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि पंजाब में इस समस्या का समाधान हिंसा तथा बल प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता। बल प्रयोग के आधार पर किया हुआ कोई भी प्रबन्ध स्थायी नहीं हो सकता। अतएव यह आवश्यक है कि इस स्थिति से निकलने का ऐसा उपाय खोजा जावे, जिसमें कम से कम अनिवार्यता हो। इससे पंजाब को दो भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है, जिससे मुस्लिम-बहुल भाग को गैर-मुस्लिम भाग से अलग किया जा सके। इससे दोनों सम्प्रदाय एक-दूसरे के भय तथा आतंक से मुक्त हो जावेंगे। कार्य समिति की यह बैठक मौलाना आजाद की उपस्थिति में आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में हुई थी। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया था। किन्तु कांग्रेस कार्य समिति के इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह सम्पूर्ण पंजाब तथा बंगाल को पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहती थी।

पंडित नेहरू पंजाब की स्थिति अपनी आंखों से देखने के लिए १४ मार्च को विमान द्वारा पंजाब गये। २० को उन्होंने प्रस्ताव किया कि पंजाब को तीन भागों में विभक्त कर दिया जाये।

कांग्रेस कार्य समिति पर इस भयंकर मारकाट की विषम प्रतिक्रिया हुई। उसने ८ मार्च १९४७ को ही भारत विभाजन की उस समय मांग की थी जब कि लार्ड माउण्टबेटन भारत में भी नहीं आए थे। इस वाद-विवाद में सरदार तथा पंडित नेहरू ने मुख्य भाग लिया तथा इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। बाद में १४ जून १९४७ को भारत विभाजन का यह प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उपस्थित किया गया तो मौलाना आजाद ने भी उसका समर्थन किया। उस समय यह प्रस्ताव २९ के विरुद्ध १५३ मत से पास किया गया। ३६ सदस्य तटस्थ रहे। मौलाना आजाद ने अपनी पुस्तक में जो भारत विभाजन के प्रथम प्रस्तावक होने का श्रेय लार्ड माउण्टबेटन को दिया है वह ठीक नहीं है। महात्मा गांधी ने भारत विभाजन के इस प्रस्ताव को हारे मन से स्वीकार किया।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अनुमान था कि ४ मार्च तक पंजाब के दंगों में २०४९ मरे तथा ११०३ भयंकर रूप से घायल हुए। २१ को मास्टर तारासिंह ने कहा कि दंगे पंजाब के उन्हीं जिलों में हुए जहां अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर थे। इन डिप्टी कमिश्नरों को गवर्नर के अतिरिक्त वाएसराय का भी संरक्षण प्राप्त था। इसीलिये सरदार गृहमन्त्री होते हुए भी उनका तबादला न करा सके। वाएसराय ने उन डिप्टी कमिश्नरों के बारे में सरदार की सभी शिकायतों को सुना अनसुना कर दिया।

पं० नेहरू की सीमा प्रान्त की यात्रा

सीमा प्रान्त के पठानों के सम्बन्ध में पं० नेहरू को यह आशा थी कि वहां कांग्रेस का पर्याप्त प्रचार है। खान अब्दुल गफ्फार के खुदाई खिदमतगारों की कांग्रेस भक्ति के कारण वह इस विषय में और भी अधिक आशान्वित थे। ब्रिटिश सरकार जब तक भारत में शासन करती रही, पठानों के ऊपर प्रायः बम बरसा कर युद्ध स्थिति को जारी रखती रही। वास्तव में सीमा प्रान्त भारत की ब्रिटिश सेनाओं का आरम्भिक युद्ध का ट्रेनिंग केन्द्र था, जिसका कांग्रेस विरोध किया करती थी।

अन्तर्कालीन सरकार बनने पर नेहरूजी ने प्रस्ताव किया कि वह सीमा प्रान्त के पठानों की स्थिति को अपने नेत्रों से स्वयं देखें। अधिकारियों ने उनको ऐसा करने से मना किया और अपने निश्चय को बदलने का परामर्श दिया। किन्तु, पं० नेहरू सीमा प्रान्त की यात्रा को चल पड़े। इस यात्रा में यद्यपि पं० नेहरू ने सीमा प्रान्त के कबीलों की दशा को अपने नेत्रों से कई स्थान पर देखा, फिर भी कबीले वालों ने अंग्रेज़ों के षड्यंत्र के कारण उनके ऊपर गोली चलाई, जिसको उनके रक्षकों ने व्यर्थ कर दिया। अब जाकर पं० नेहरू को सीमा प्रान्त के सम्बन्ध में अपने विचार बदलने पड़े। वास्तव में अब उनकी यह आशा भंग हो गई कि सीमा प्रान्त पूरी तरह कांग्रेस का साथ देगा।

यहां यह बात ध्यान देने की है कि मौलाना आजाद कैबीनेट मिशन की मूल योजना के पक्षपाती थे। अपने ग्रन्थ 'इंडिया विन्स फ्रीडम' में तो उन्होंने यहां तक लिखा है कि कैबीनेट मिशन ने इस योजना को उनके सुझाव पर स्वीकार किया था। किन्तु श्री जिना तथा मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक दगे भड़काने तथा नेहरू जी की सीमा-प्रान्त-यात्रा से ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री ऐटली को यह विश्वास हो गया कि मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों मिल कर भारतीय शासन में तीन टांग की दोड़ नहीं लगा सकतीं। यद्यपि लार्ड पैथिक लारेंस तथा वाएसराय लार्ड वावेल सहित भारतीय सिविल सर्विस के प्रायः कर्मचारियों का झुकांव मुस्लिम लीग की ओर था, किन्तु साम्प्रदायिक दंगों के समाचार पाकर प्रधानमंत्री श्री क्लेमेंट ऐटली का विश्वास श्री जिना तथा मुस्लिम लीग पर से हट गया।

अध्याय १०

भारत विभाजन तथा औपनिवेशिक स्वतन्त्रता

२४ मार्च को लार्ड माउण्टबेटन ने लंदन से नई दिल्ली आकर भारत के वाएसराय पद की शपथ ली। उन्होंने २६ को महात्मा गांधी तथा श्री जिना दोनों को बातचीत के लिए बुलाया। महात्मा गांधी ने उनसे ३१ मार्च को वार्तालाप किया। इसके पश्चात् उन्होंने कई मास तक कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के सदस्यों से परामर्श करके २ मई १९४७ को निम्नलिखित घोषणा की—

१—कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही भारत विभाजन को अनिवार्य समझती हैं।

२—पंजाब तथा बंगाल के विभाजन के लिए एक सीमा कमीशन नियत किया जावेगा।

३—विभाजन से पूर्व उस प्रदेश के असेम्बली सदस्यों को विभाजन पर सम्मति देने का अधिकार होगा।

४—जो प्रान्त विभाजन चाहेगा उसके असेम्बली सदस्य संविधान परिषद् के लिए प्रतिनिधि चुनेंगे। वर्त्तमान भारतीय संविधान परिषद् में भाग न लेने वाले व्यक्ति उसके सदस्य नहीं रहेंगे।

५—सीमा प्रान्त में गवर्नर को बदल कर वहां दफा ९३ के आधीन नया चुनाव कराया जायेगा।

इस समय पंजाब तथा सीमा प्रान्त से हिन्दू तथा सिक्ख बराबर शरणार्थी बन कर चले आ रहे थे।

लार्ड माउण्टबेटन की इस योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही पूर्ण सत्ता हस्तान्तरित किए जाने की शर्त पर स्वीकार कर लेने का आश्वासन दे दिया था। अस्तु लार्ड माउण्टबेटन १८ मई को इस योजना के सम्बन्ध में परामर्श करने लन्दन गए। वह २० को लन्दन पहुंचे। २१ को यह योजना चर्चिल को भी दिखलाई गई, जिसने इसको स्वीकार कर लिया। लार्ड माउण्टबेटन लन्दन से चलकर ३० मई को वापिस भारत आए।

२ जून को लार्ड माउण्टबेटन ने भारत विभाजन की इस योजना को प्रकाशित किया। इसको ३ जून को कांग्रेस कार्य समिति तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अपनी २ बैठक में स्वीकार कर लिया। सिक्खों ने भी उसे स्वीकार कर लिया।

योजना में यह स्पष्ट था कि १५ अगस्त १९४७ को भारत के हिन्दुस्तान तथा ।किस्तान दो भाग हो जाएंगे और अंग्रेज़ दोनों की सरकार को पूर्ण शासन सत्ता हस्तान्तरित कर भारत छोड़ देंगे ।

इस योजना को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी १५ जून १९४७ की अपनी बैठक में स्वीकार कर लिया ।

सरदार अत्यधिक दूरदर्शी थे । अतएव वह पहिले ही इस निष्कर्ष पर आ चुके थे कि भारतीय समस्या को केवल विभाजन द्वारा ही सुलझाया जा सकता है । उनका कहना था कि जहरवाद फैलने से पूर्व ही गले हुए अंग को आपरेशन करके कटवा देना चाहिये । इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने नवम्बर १९४७ में संविधान परिषद् की बैठक में कहा था—

"मैंने विभाजन को अंतिम उपाय के रूप में तब स्वीकार किया था, जब सम्पूर्ण भारत के हमारे हाथ से निकल जाने की सम्भावना हो गई थी । मुस्लिम लीग के पांच सदस्य देश विभाजन कराने के लिये ही अन्तर्कालीन सरकार में सम्मिलित हुए थे । . . . . हम इस शर्त पर विभाजन के लिये सहमत हुए थे कि पंजाब तथा बंगाल का विभाजन किया जावे । . . . . मिस्टर जिना कटा छंटा पाकिस्तान नही चाहते थे । किन्तु उन्हें उसको स्वीकार करना पड़ा । मैंने एक शर्त यह भी रखी थी कि दो मास के अन्दर अन्दर शासन सत्ता का परिवर्तन कर दिया जावे और ब्रिटिश संसद यह अधिनियम पास करे कि देशी राज्यों के सम्बन्ध में ब्रिटेन हस्तक्षेप नहीं करेगा । इस समस्या को हम सुलझावेंगे . . . . प्रथम उनकी सर्वोच्च सत्ता तो समाप्त हो ।"

कांग्रेस के इस निश्चय से महात्मा गांधी को भारी धक्का लगा । अतएव उन्होंने इसके विकाय में सरदार पटेल से विवरण मांगा । उन्होंने कहा—"पंजाब विषयक प्रस्ताव की व्याख्या करनी कठिन है । वह गम्भीरतम विचार विमर्श के पश्चात् पास किया गया था । जल्दबाजी में अथवा पूर्ण विचार के बिना कुछ भी नहीं किया गया । उनको यह समाचार पत्रों से ही पता चला कि आपके विचार उसके विरुद्ध हैं । किन्तु आपको निश्चय से वह सब कहने का अधिकार है जो आप ठीक समझते हैं ।"

भारत का विभाजन—उपरोक्त योजना के अनुसार बंगाल और पंजाब को उसके असेम्बली सदस्यों का मत लेकर मुस्लिम बहुल तथा हिन्दू बहुल क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया । आसाम के सिलहट जिले को पाकिस्तान में मिला दिया गया । बलोचिस्तान को भी पाकिस्तान में मिला दिया गया । सीमाप्रान्त में असेम्बली के निर्णय की उपेक्षा करके नए चुनाव किए गए, जिनका खान अब्दुल-गफ्फार खां के लाल कुर्ती दल ने बहिष्कार किया । फलतः सीमाप्रान्त को भी

पाकिस्तान में मिला दिया गया। भारत तथा पाकिस्तान दो उपनिवेश बनाने के लिए ब्रिटिश पार्लमेंट ने एक कानून पास किया। १५ अगस्त १९४७ को इन दोनों उपनिवेशों को पृथक्-पृथक् कर दिया गया। लार्ड माउण्टबेटन का वाएसराय पद तोड़ दिया गया। वह केवल भारत के गवर्नर जनरल रह गए। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल जिना को बनाया गया। अब गवर्नर जनरल मन्त्री मण्डल के सामने वैधानिक शासकमात्र रह गया।

पन्द्रह अगस्त—अंग्रेजों का भारत छोड़ जाना एक ऐतिहासिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटना थी। यद्यपि इसके लिए समस्त भारत में प्रसन्नता मनाई गई, किन्तु भारत विभाजन की कसक भी जनता के हृदय में विद्यमान थी। अब भारत न केवल अपने भाग्य का निर्णय करने में स्वाधीन था, वरन् वह समस्त विश्व के भविष्य का निर्माण करने में भी स्वतन्त्रतापूर्वक भाग ले सकता था। १५ अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई। दिल्ली में सबसे अधिक समारोह हुए। प्रातः ८ बजे गवर्नर जनरल लार्ड माउण्टबेटन, प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू, उप-प्रधान मन्त्री सरदार पटेल तथा अन्य मन्त्रियों ने शपथ ली। १४ अगस्त की रात्रि से भारतीय संविधान परिषद ने सर्वोच्च सत्ता ग्रहण की। उसके सदस्यों ने भी देश सेवा की शपथ ली।

पंडित नेहरू को मई १९४६ में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के कारण प्रधान मन्त्री बनाया गया था। किन्तु भारत की कुल १५ प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों में से १२ ने सरदार पटेल के सम्बन्ध में तथा केवल ३ ने पं. नेहरू के सम्बन्ध में मत दिया था। किन्तु महात्मा गांधी ने सरदार से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वह नेहरू जी को प्रधान मन्त्री बन जाने दें। वास्तव में नेहरू जी महात्मा गांधी की मुख्य निर्बलता थे। वह कई बार सार्वजनिक रूप से उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। इसीलिये उन्होंने सरदार से अनुरोध किया कि वह कांग्रेस में अपने बहुमत पर ध्यान न देकर नेहरू जी को प्रधानमन्त्री बन जाने दें। सरदार पटेल महात्मा जी को सदा ही अपना गुरु मानते हुए उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अपना कर्त्तव्य समझते थे। देशसेवा के लिये अपना जीवन अर्पित करते समय सरदार के मन में कभी भी यह भावना नहीं रही कि वह कभी उसका पुरस्कार भी लेंगे। अतएव महात्मा गांधी के प्रस्ताव को उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके मनुष्य जीवन के सबसे बड़े स्वार्थत्याग का परिचय दिया। इस प्रकार उनकी कार्यकारी सहायता से नेहरू जी को प्रधान मन्त्री बनाया गया। इसके पश्चात् २४ अगस्त १९४७ को उनको डिप्टी प्रधान मन्त्री बनाया गया। वास्तव में मंत्रीमण्डल के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकांश सदस्य मार्ग-प्रदर्शन के लिये उनका मुंह देखा करते थे। उनका कांग्रेस संगठनों तथा कांग्रेस सेवा दल

पर भी पूर्ण प्रभुत्व था। उनके द्वारा वह प्रान्तों के मंत्रीमण्डलों तथा कांग्रेस के आंतरिक संगठनों की सदा सतर्क दृष्टि से निगरानी किया करते थे।

विभाजन के परिणाम—इस समय विभाजन के कारण देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। नागरिक तथा सैनिक कर्मचारियों तथा सामग्री का भी विभाजन हो गया। विभाजन का सबसे अधिक प्रभाव हृदय पर पड़ा। पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिक्खों का रहना असम्भव कर दिया गया। १५ अगस्त से समस्त पश्चिमी पंजाब में वह भयंकर मारकाट हुई कि बड़े बड़े क्रूर हृदय वाले भी उसके वर्णन को सुनकर कांप उठे। जवान पुरुषों तथा वृद्धों सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। दुधमुंहे बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया और स्त्रियों के साथ सामूहिक रूप में बलात्कार कर के उन का अपहरण कर लिया गया। बाद को उनमें से अनेक को विदेशों में ले जाकर बेच दिया गया। जिन हिन्दुओं ने मुसलमान होना स्वीकार किया उन को भी अपने स्त्री, बच्चों तथा सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ा। पश्चिमी पंजाब के इन दंगों का प्रतिक्रिया पूर्वी पंजाब में भी हुई। वहां भी मीलों तक मुसलमानों के गांवों को साफ कर दिया गया।

सितम्बर १९४७ में दिल्ली में भी साम्प्रदायिक उपद्रव आरम्भ हो गए। इस समय दिल्ली की सिविल पुलिस में ६० प्रतिशत तथा सशस्त्र पुलिस में ८० प्रतिशत मुसलमान थे। दिल्ली में मैजिस्ट्रेट भी प्रायः मुसलमान थे। सशस्त्र पुलिस के लगभग २५० कांस्टेबिल भाग कर दंगाइयों से मिल गए। किन्तु वह अपने शस्त्र नहीं ले जा सके। दिल्ली के मुसलमानों के पास इस समय भारी मात्रा में बन्दूकें, कारतूस तथा अन्य युद्ध सामग्री थी। वह शस्त्र बल से दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। दिल्ली की इस भयंकर मारकाट की रोकथाम सरदार ने गुरखा सैनिकों को बुला कर की। सरदार ने उस समय बंगाल तथा मध्यप्रदेश से भी सेना बुलाई।

दिल्ली के दंगों को शान्त करने के लिये मंत्रीमण्डल की एक विशेष एमर्जेंसी कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष लार्ड माउण्टबेटन थे। उसका सेक्रेटरी श्री वी. पी. मेनन को बनाया गया था। इस कमेटी में कुछ मन्त्रियों के अतिरिक्त दिल्ली के कुछ हिन्दू तथा मुसलमान नेता भी थे। इसका एक कार्यालय दिल्ली टाउन हाल में भी था। इसकी बैठकें दिल्ली के दंगों के दिनों में कम से कम एक प्रतिदिन होती थीं। आवश्यक होने पर इसकी बैठकें एक एक दिन में कई कई बार भी हुआ करती थीं। दिल्ली के दंगे की स्थिति का विवरण प्रतिदिन सुनकर यह कमेटी तदनुसार आज्ञाएं दिया करती थी। इस प्रकार दिल्ली के दंगों से सरदार पटेल का सीधा सम्बन्ध कोई भी नहीं था। इससे प्रकट है कि मौलाना आजाद ने जो अपनी पुस्तक में दिल्ली के दंगों का दोष सरदार पटेल पर लगाया है वह ठीक नहीं है।

सरदार के लिये हिन्दू और मुसलमान दोनों बराबर थे। उन्होंने अत्याचारों से दोनों की रक्षा की। प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने मौलाना आजाद के नाम से लिखे हुए अपने ग्रन्थ में सरदार को न केवल मुसलमानों का विरोधी बतलाया है, वरन् उसमें उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली के मुसलमानों के हत्या-काण्ड के लिए हिन्दुओं को प्रोत्साहन दिया और हत्याकारियों के जुल्मों के सम्बन्ध में गांधी जी तक से असत्य भाषण किया। उस ग्रन्थ में यह भी लिखा है कि सरदार के इस असत्य भाषण के विरोध में तथा मुसलमानों का हत्याकाण्ड बन्द कराने के लिये ही महात्मा गांधी नें १२ जनवरी १९४८ से अनशन किया था। मौलाना आजाद के इस आरोप की अवास्तविकता इस तथ्य से एकदम प्रकट हो जाती है कि दिल्ली के दंगे अक्तूबर १९४७ में ही पूर्णतया शान्त हो चुके थे। वास्तव में महात्मा गांधी के अनशन का उद्देश्य भारत सरकार पर दबाव डाल कर पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपयों की वह रकम दिलवाना था, जो पाकिस्तान के भाग में आए थे और जिसको भारत सरकार इस आशंका के कारण नहीं देना चाहती थी कि उस रकम से पाकिस्तान काश्मीर में युद्ध करने के लिये शस्त्र मोल लेगा। वास्तव में भारत सरकार पचपन करोड़ रुपये की इस रकम को रोक कर पाकिस्तान को इस बात के लिये विवश करना चाहती थी कि वह भारत के साथ अपने लेने देने का सम्पूर्ण हिसाब करके अपने जिम्मे निकलने वाला भारत का रुपया उसे चुका दे। किन्तु महात्मा गांधी के उपवास के कारण पाकिस्तान भारत की देनदारी को चुकाने से उस समय तो बच ही गया, उसे वह आज तक भी चुकाने को तैयार नहीं है।

जनसंख्या का परिवर्तन—अन्त में जब यह प्रत्यक्ष हो गया कि पूर्वी तथा पश्चिमी पंजाब में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे तो भारत तथा पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकारों ने आपस में मिल कर यह निर्णय किया कि सारी जनसंख्या का परिवर्तन कर लिया जावे। अब दोनों ओर से शरणार्थियों को सैनिक सुरक्षा में पहुंचाया जाने लगा। इस प्रकार दोनों ओर से लगभग एक करोड़ जनसंख्या की अदला बदली की गई।

इस समय भारतीय मुसलमानों के लिये पाकिस्तान जाने का सीधा मार्ग अमृतसर हो कर था, किन्तु अमृतसर के सिक्ख पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा किए हुए सिक्खों के सामूहिक हत्याकाण्ड तथा महिलाओं के अपमान से इतने क्षुब्ध थे कि उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि अमृतसर होकर किसी भी मुसलमान को जीवित पाकिस्तान नहीं जाने दिया जावेगा। इस समय भारतीय मुसलमानों के सुरक्षित पाकिस्तान पहुंचने का उत्तरदायित्व स्थल सेनाध्यक्ष जनरल तिमैया पर था। उनसे इस समस्या के सम्बन्ध में सुनकर सरदार पटेल श्री वी. पी. मेनन को लेकर स्वयं अमृतसर पहुंचे। वहां उन्होंने प्रथम सिक्ख जत्थेदारों को समझा

कर उन्हें मारकाट न करने की प्रेरणा की। उन्होंने इस अवसर पर अमृतसर में ३० सितम्बर १९४७ को सिक्ख नेताओं को सम्बोधित करते हुए कहा :

"मैं सिक्ख नेताओं से अपील करता हूं कि वह शान्ति स्थापित करने में अपनी पूर्ण शक्ति लगा दें। यह उन लाखों पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के लिये आवश्यक है, जिनमें से अनेक अपने सम्बन्धियों के बीच निवास करने की अंतिम आशा से जघन्यतम-संभव शारीरिक तथा भौतिक परिस्थितियों का साहसपूर्वक मुकाबला करते हुए तीन सप्ताह से पश्चिमी पाकिस्तान से यहां चले आ रहे हैं।

"इसलिये यह सामान्य रूप से समग्र भारत के तथा विशेष रूप से पूर्वी पंजाब के व्यापक हित में है कि सिक्ख लोग इस प्रकार परस्पर संगठित हों कि भारत से जाने वाले मुस्लिम शरणार्थियों को पाकिस्तान जाने का मार्ग सुरक्षित मिले, भले ही वह पैदल, रेल द्वारा अथवा ट्रकों में जा रहे हों।

"मैं इस बात में सब का अपमान मानता हूं कि उनको यातायात सुविधाएं देने के लिये सैनिक शक्ति का उपयोग करने के लिये विवश होना पड़े। इसके विरुद्ध आपको अपनी शान, वीरता की ख्याति तथा अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिये इस प्रकार के स्वयंसेवक दल बनाने चाहियें, जो आगे बढ़कर उन शरणार्थियों को आक्रमणों से सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन दे सकें।

"आप सब जानते हैं कि मैं सिक्खों को कितना प्यार करता हूं। आप यह भी जानते हैं कि मेरे हृदय में सिक्खों के कल्याण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं यह अनुभव करता हूं कि आप के समाज तथा पूर्वी पंजाब में आप की भावी समृद्धि के लिये यह आवश्यक है कि हमारे शरणार्थी यहां यथासंभव अधिक से अधिक शीघ्रता से आ जावें। तभी आप पूर्वी पंजाब में वह बगीचा लगा सकेंगे, जो आपने अपने प्रयत्नों से पश्चिमी पंजाब में लगाया था। और तब आप संसार को यह दिखला सकेंगे कि इस पवित्र भूमि में मानवता के पुष्प खिले हुए हैं।

"मैं आप से अपील करता हूँ कि आप कम से कम एक सप्ताह के लिये आक्रमणों के इस व्यापक प्रसार को रोक दें और फिर यह देखें कि क्या इसका उत्तर संतोषजनक मिला। यदि आप को निराश होना पड़ा, तो इस बात को सारा संसार जान जावेगा कि वास्तविक अपराधी कौन है।

फिर उन्होंने महाराजा पटियाला तथा मास्टर तारासिंह आदि सिक्ख नेताओं को इस समस्या के ऊंच-नीच फलितार्थों को समझा कर उनके द्वारा तथा स्वयं सिक्खों से यह अपील की कि वह इस विषय में अपना आग्रह छोड़ दें। इस सम्बन्ध में एक बार तो ऐसा अवसर भी आया कि सरदार एक सच्चे सत्याग्रही के रूप में सिक्खों के सन्मुख स्वयं उपस्थित हुए और फिर उन्होंने उनसे कहा कि

मुसलमानों पर चोट करने से पूर्व वह उन पर चोट करें। अन्त में सरदार की तेजस्विता, वाग्मिता तथा अधिकार-सम्पन्नता के सामने सिक्खों को अपने दुराग्रह को छोड़ना पड़ा और भारतीय मुसलमानों के लिये पाकिस्तान जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

भारतीय क्षेत्र में शरणार्थी केवल पश्चिमी पंजाब से ही नहीं आए, वरन् सीमा प्रान्त, सिंध एवं बिलोचिस्तान से भी आए। उन दिनों पूर्वी बंगाल के अतिरिक्त पाकिस्तान के प्रत्येक भाग के शरणार्थी भारत आए।

शरणार्थी समस्या—इससे शरणार्थियों की एक विकट समस्या देश के सामने उपस्थित हो गई। सर्वप्रथम प्रश्न उसको स्थान देने का था, फिर उनको वस्त्र तथा रोजगार भी देना था।

सर्वप्रथम सरदार पटेल ने 'शरणार्थी सहायता फण्ड' शरणार्थियों की सहायता के लिए खोला। किन्तु नेहरू जी ने उसमें कोई रुचि नहीं ली। बाद में जब उन्होंने देखा कि सरदार के इस फण्ड में बड़े भारी परिमाण में धन आ रहा है तो उन्होंने सरदार से वार्तालाप करके शरणार्थियों को सरकारी संरक्षण देना आरम्भ किया। इस विषय में भारत सरकार ने आरम्भ में प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपये व्यय किये। किन्तु अब वह इस समस्या को बहुत कुछ सुलझा चुकी है।

महात्मा गांधी का उपवास—इस समय सन् १९४७ के अन्त में सारे देश में साम्प्रदायिक विष फैलता जा रहा था। अतएव पाकिस्तान तथा भारत में अधिक मनोमालिन्य बढ़ गया तथा पाकिस्तान ने काश्मीर पर भी आक्रमण कर दिया था। अतएव भारत सरकार पाकिस्तान सरकार को पचपन करोड़ रुपये की वह रकम देना नहीं चाहती थी, जिसको पाकिस्तान को उसके भाग में से सहायता के रूप में देने का वचन दिया गया था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की पाकिस्तान पर इससे कई गुनी अधिक लेनदारियां भी थीं। इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सरदार पटेल ने बम्बई की एक सभा में १८ फर्वरी १९४८ को कहा था—

"मैंने इस बात पर बल दिया कि पाकिस्तान के साथ सारे समझौते एक साथ तय करके सभी मामले सुलझाये जावें। मैं इस बात पर कभी सहमत नहीं हो सकता था कि लाभ सब उनको मिले तथा घाटा हमारे सिर लादा जावे। किन्तु उन्होंने ५५ करोड़ रुपये की रकम को बिना शर्त मांगा। हम सबने यह निश्चय किया कि यह पूर्णतया गलत था और इसका विरोध किया जाना चाहिये।"

पाकिस्तान के आर्थिक विभाजन सम्बन्धी वार्तालाप में भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक सभी विवादास्पद मामलों का निपटारा न हो जावे ५५ करोड़ रुपये की इस रकम को अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया

जावेगा। काश्मीर का मामला तय न होने तक तो एक पैसा भी नहीं दिया जावेगा। पाकिस्तानी प्रतिनिधि इस मामले पर मौन रहे, जिस को भारतीय प्रतिनिधियों ने उनकी स्वीकृति माना। किन्तु आर्थिक रकम ५५ करोड़ रुपया निश्चित हो जाने पर उन्होंने उसको अन्य मामलों से अलग करने पर बल देते हुए तत्काल चुकाने की मांग की। भारत सरकार को यह भी सन्देह था कि इस रुपये से पाकिस्तान काश्मीर में लड़ने के लिये शस्त्रास्त्र मोल लेगा।

महात्मा गांधी उन दिनों देश के साम्प्रदायिक उपद्रवों के कारण अत्यन्त दुःखी रहा करते थे। अतएव उन्होंने सरदार के अत्यधिक विरोध करने पर भी १३ जनवरी १९४८ को प्रातः ११ बजे भोजन करके उपवास आरम्भ कर दिया। महात्मा गांधी के उपवास से देश भर में घबराहट फैल गई। इस समय महात्मा गांधी ने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह स्पष्ट किया कि उनका उपवास सरदार पटेल अथवा गृह विभाग के विरुद्ध नहीं था, बल्कि भारत के हिन्दुओं तथा सिक्खों तथा पाकिस्तान के मुसलमानों के विरुद्ध था। नेताओं ने साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए अत्यन्त व्यापक रूप में तैयारियां कीं। इधर भारत सरकार ने भी १५ जनवरी को यह निश्चय किया कि महात्मा गांधी के उपवास की प्रतिक्रियास्वरूप पाकिस्तान को वह ५५ करोड़ रुपया दे दिया जावे, जो उसने रोक लिया था। अन्त में साम्प्रदायिक तथा राष्ट्रीय नेताओं के शान्ति का आश्वासन दिलाने पर महात्मा गांधी ने १२१ घंटे बाद १८ जनवरी को दोपहर १२-४० पर अपना उपवास भंग किया।

महात्मा गांधी की हत्या—इन दिनों महात्मा गांधी नई दिल्ली के बिरला भवन में रहते थे और प्रतिदिन सायंकाल ५ बजे प्रार्थना किया करते थे। उनकी प्रार्थना में अत्यधिक भीड़ हुआ करती थी। २० जनवरी को उनके प्रार्थना-स्थल के किनारे एक बम फटा। इस पर सरदार पटेल ने बिरला भवन में पुलिस की संख्या कई गुनी बढ़ा दी; जिस पर वहां के निवासियों ने बुरा भी माना। सरदार ने गांधी जी से अनुरोध किया कि वह उनको संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी लेने दें। किन्तु महात्मा जी इस की अनुमति देने के लिए किसी प्रकार भी तैयार न हुए। ३० जनवरी १९४८ को दोपहर बाद सरदार ने गांधी जी से भेंट की तथा अनुरोध किया कि वह उनको त्यागपत्र देने की अनुमति दें। सरदार ने महात्मा जी से कहा कि मौलाना आज़ाद आदि कुछ व्यक्ति उनके तथा जवाहरलाल के बीच मनोमालिन्य बढ़ाने का बराबर यत्न करते रहते हैं। ऐसा करने में उनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि मंत्रीमण्डल पर उनका (सरदार का) प्रभाव न रहे, जिससे नेहरू जी के साथ मिल कर वह अपनी मनमानी कर सकें। गांधी जी ने उनकी बात सुन कर उनके सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि वह इस मामले

पर बहुत समय से विचार कर रहे थे। लार्ड माउण्टबेटन ने उनसे यह बल दे कर कहा था कि सरदार तथा नेहरू दोनों का मंत्रीमण्डल में रहना राष्ट्रहित की दृष्टि से आवश्यक है। उचित यही है कि असन्तुष्ट लोग अपना सिर बादलों तक ऊंचा किये हुए भी उस व्यक्ति के साथ हाथ में हाथ मिला कर काम करें, जिसके चरण पृथ्वी पर दृढ़ता से जमे हुए हैं। देश के लिये यही सम्मिलन आदर्श होगा। गांधी जी ने यह भी कहा कि पहले उनका यह मत बन गया था कि सरदार तथा नेहरू में से कोई एक मंत्रीमण्डल से पृथक् हो जावे। किन्तु अब वह इस दृढ़ परिणाम पर आ चुके हैं कि वहां दोनों का रहना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि आज प्रार्थना के पश्चात् वह इसी विषय पर भाषण करेंगे। इस पर सरदार ने वचन दिया कि वह नेहरू जी को सदा पूर्ण सहयोग देते रहेंगे।

सरदार पटेल के चले जाने के पश्चात् महात्मा गांधी प्रार्थना सभा की ओर चले। सायंकाल पांच बजकर पांच मिनट पर जब वह प्रार्थना मंच पर चढ़ रहे थे तो नाथूराम गोडसे नामक एक महाराष्ट्रीय युवक ने उनके ऊपर पिस्तौल से गोलियां छोड़ीं। एक गोली महात्माजी के सीने में तथा दो पेट में लगीं। उन्होंने मुंह से "हे राम" कहा और गिर पड़े। पांच बजकर चालीस मिनट पर उनका देहान्त हो गया। आक्रमणकारी को पुलिस ने पकड़ लिया। महात्माजी का ७९ वर्ष की आयु में स्वर्गवास हुआ।

प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने अपने ग्रन्थ में मौलाना आजाद के नाम से जो यह आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी की हत्या का कारण सरदार पटेल तथा पुलिस की अकर्मण्यता थी, वह मिथ्या था।

इस सम्बन्ध में श्री अनन्तशयनम् अय्यंगर के एक अल्पकालीन प्रश्न के उत्तर में सरदार पटेल ने भारतीय संविधान परिषद् में दो फरवरी १९४८ को निम्नलिखित व्वक्तव्य दिया—

"बम विस्फोट से पूर्व बिरला भवन में जहां गांधी जी ठहरे हुए थे एक हेड कांस्टेबिल तथा चार कांस्टेबिल रक्षा के लिये रखे गये थे। बम विस्फोट के बाद वहां रक्षा के लिये निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये :

१—एक असिस्टेंट सब इन्सपैक्टर, दो हेड कांस्टेबिल तथा सोलह कांस्टेबिल प्रवेश द्वार पर, मुख्य भवन के समीप विभिन्न महत्वपूर्ण नाकों पर तथा प्रार्थना-स्थल पर नियुक्त किये गये थे। उनको यह आज्ञा दी गई थी कि वह संदिग्ध गतिविधि वाले सभी व्यक्तियों को रोक लें।

२—सादे वस्त्रों में एक सब इन्सपैक्टर, चार हेड कांस्टेबिल तथा दो कांस्टेबिल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये रखे गये थे। उन सबको पिस्तौलें दी हुई थीं।

उनका कार्य प्रार्थना-सभा में संदिग्ध गतिविधि वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखना तथा दंगा होने अथवा हत्या का प्रयत्न किये जाने पर तत्काल कार्यवाही करना था। वह प्रार्थना सभा में श्रोताओं के बीच में घुल-मिलकर कार्य करते थे।

३—तीन सादे वस्त्रों वाले व्यक्ति उस मार्ग पर लगाये गये थे, जो मुख्य भवन से प्रार्थना स्थल को जाता था। उनका कार्य संदिग्ध व्यक्तियों अथवा महात्मा जी पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों को रोकना था।

४—एक नान-कमीशण्ड आफीसर की कमान में बीस से अधिक सैनिकों का एक दस्ता सहन की रखवाली के लिये रखा गया था। सीमा की दीवार को लांघ कर आने वालों को रोकना भी उसका ही कर्त्तव्य था। पुलिस का कहना था कि जब तक वहां आनेवाले प्रत्येक नये आगन्तुक की तलाशी न ली जावे, उपरोक्त प्रबन्ध से भी सुरक्षा के विषय में निश्चिन्तता नहीं हो सकती। नई दिल्ली के पुलिस सुपरिन्टेन्डैण्ट ने इस आशय की प्रार्थना गांधी जी के साथियों से की, किन्तु उनसे कहा गया कि गांधी जी इस पर सहमत नहीं होंगे। डी. आई. जी. के प्रयत्न का भी वही परिणाम हुआ। इस पर डिप्टी इन्सपैक्टर जनरल पुलिस ने स्वयं गांधी जी से भेंट कर उनसे कहा कि "जीवन का खतरा वास्तव में है। अतएव उनकी तलाशी लेने की अनुमति दी जावे। अन्यथा कोई अवान्छित घटना हो जाने पर उनको ही दोष दिया जावेगा।" किन्तु गांधी जी सहमत नहीं हुए। उन्होंने उत्तर दिया कि 'उनका जीवन ईश्वर के हाथ में है यदि उनको मरना ही है तो किसी प्रकार की सावधानी के प्रयत्न भी उनको नहीं बचा सकते। वह यह सहन नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति को प्रार्थना सभा में आने से रोका जावे अथवा कोई व्यक्ति उनके तथा श्रोताओं के बीच में हस्तक्षेप करे। मैंने स्वयं भी गांधी जी से तर्क किया कि वह पुलिस को उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य का पालन करने दें। किन्तु गांधी जी सहमत न हुए।"

आक्रमणकारी नाथूराम गोडसे के लिये आत्मा चरण नामक एक विशेष जज ८ मई १९४८ को नियुक्त किया गया। २७ मई को यह मुकदमा लाल किले में आरम्भ करके १० फर्वरी १९४९ को उसे फांसी का दण्ड दिया गया। दो मई १९४९ को उसकी अपील पंजाब हाईकोर्ट में की गई, जिसे २१ जून १९४९ को अस्वीकार कर दिया गया। १२ अक्तूबर १९४९ को उसकी अपील प्रीवी कौंसिल में की गई, किन्तु जूडीशियल कमेटी ने १५ नवम्बर १९४९ को उसे भी अस्वीकार कर दिया। ७ नवम्बर १९४९ को गवर्नर जनरल ने उसकी दया की प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार नाथूराम गोडसे को १५ नवम्बर १९४९ को फांसी पर लटका दिया गया।

गांधी जी के स्वर्गवास के पश्चात् सरदार में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन

देखने में आया। उनके नेत्रों तथा होठों से हंसी गायब हो गई और वह उदास रहने लगे। मणिबेन ने उनके छोटे से नाती—डाह्याभाई के पुत्र गौतम—को बम्बई से बुलवाया, किन्तु सरदार का उसके साथ खेलने में भी मन नहीं लगता था। तब मणिबेन को महादेव भाई की डायरी के यह शब्द याद आने लगे "सरदार ने गांधी जी से कहा था कि आपके स्वर्गवास के बाद मेरी भी जीने की इच्छा नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम दोनों की मृत्यु साथ साथ हो।" गांधी जी के स्वर्गवास से सरदार को इतना अधिक दुःख हुआ कि पन्द्रह बीस दिन के अन्दर ही उनको हृदय रोग हो गया और उनको स्वास्थ्य लाभ के लिये देहरादून जाना पड़ा।

अध्याय ११

देशी राज्यों का एकीकरण

भारत में विभिन्न राज्यों का अस्तित्व उसके सभ्यता काल के आरम्भ से ही था। पहिले राजाओं का निर्वाचन किया जाता था, किन्तु बाद में उनको वंशानुगत क्रम से शासन करने का अधिकारी मान लिया गया। इस पर प्रजा के निर्वाचित प्रतिनिधियों की अपेक्षा राजा के अधिकार क्रमशः अधिकाधिक बढ़ते गए। यहां तक कि वह पूर्णतया निरंकुश होकर शासन करने लगे। अब राजाओं की ओर से यह प्रचार किया जाने लगा कि राजा में ईश्वरीय अंश होता है। अतएव उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। देश में आरम्भ से ही राजाओं की संख्या बहुत अधिक थी और वह सभी अपने अपने राज्य का विस्तार करने की इच्छा से एक दूसरे के साथ प्रायः युद्ध करते रहते थे, जिससे उनके कारण प्रजा को बराबर कष्ट पहुंचता रहता था। कालान्तर में कुछ विशेष बलवान राजाओं ने उन सब राजाओं को एकछत्र शासन में लाने के उद्देश्य से भारत में एक केन्द्रीय सरकार स्थापित करने के भी प्रयत्न किये। इन प्रयत्नों को राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ अथवा चक्रवर्ती की दिग्विजय नाम दिया गया। इस प्रकार का सर्वप्रथम प्रयत्न ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने किया था। इसी से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके पश्चात् नहुष, ययाति, राजा दशरथ, रामचन्द्र आदि अयोध्या के राजाओं तथा शाकुन्तल भरत तथा युधिष्ठिर आदि हस्तिनापुर के राजाओं ने भी यह प्रयत्न किया। किन्तु उनमें सबसे अधिक संगठित प्रयत्न मगध साम्राज्य के संस्थापक जरासन्ध का था। क्योंकि जहां अयोध्या तथा हस्तिनापुर के चक्रवर्ती राजा अन्य राजाओं से अपनी आधीनता स्वीकार करा कर ही सन्तुष्ट हो जाते थे, वहां जरासन्ध ने उनको राज्यच्युत कर उनके राज्य पर अधिकार करने की प्रथा चलाई। बाद में जब मगध सम्राट् श्रेणिक बिम्बसार ने मगध साम्राज्य की पुनः स्थापना की तो उसने, उसके उत्तराधिकारी सम्राट् अजातशत्रु, उदायी, नन्दिवर्द्धन, महापद्म नन्द तथा महानन्द ने इस प्रथा पर अधिकाधिक कठोरता से आचरण किया। तब भी इन राजाओं के हृदय में देशभक्ति की भावना की अपेक्षा व्यक्तिगत मान-मर्यादा की भावना ही अधिक प्रबल थी। इसी से मौर्य सम्राट् अशोक के आक्रमण का मुकाबला कलिंग जैसे छोटे से राज्य ने सात वर्ष तक किया। किन्तु भारत के एकीकरण का यह प्रयत्न विन्ध्याचल के उत्तर में ही किया गया। दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण श्रेणिक बिम्बसार के पौत्र तथा अजातशत्रु के पुत्र उदायी ने ख्रीष्टपूर्व ४९० में किया था। उसने इस सेना को अपने पुत्र अनिरुद्ध की

आधीनता में भेजा। अनिरुद्ध ने दक्षिण को विजय कर श्री लंका को भी जीता और वहां अपने नाम से अनिरुद्ध पुर (अनुराधपुर) नामक नगर बसाया। पुष्यमित्र सुंग, समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने तो देशभक्ति की भावना से ही विभिन्न राज्यों को एक करने का प्रयत्न किया। किन्तु उनकी सफलताओं का कारण बहुत कुछ उनका व्यक्तित्व था। अतएव उनके स्वर्गवास के बाद उनमें से किसी का भी कार्य स्थायित्व प्राप्त न कर सका। पठान शासकों में अलाउद्दीन खिलजी ने भी भारत को एक करने का प्रयत्न किया, किन्तु उसका उद्देश्य धन-लिप्सा तथा धर्मान्धता होने के कारण उसके उद्देश्य के साथ किसी भी ऐतिहासिक विद्वान् की सहानुभूति नहीं पाई जाती। मुगल शासकों में से हम अकबर के हृदय को देश-भक्ति से ओत-प्रोत पाते हैं। इसी से उसका साम्राज्य कई पीढ़ियों तक स्थायी रहा और वह औरंगजेब की धर्मान्धता की चट्टान से टकरा ही छिन्न-भिन्न हुआ।

वास्तव में भारत को एकछत्र शासन में सबसे अधिक संगठित अंग्रेजों ने किया। उनके १५० वर्ष के लम्बे शासन काल में जहां भारतीयों को स्थिर तथा सुसंगठित शासन, निष्पक्ष न्याय तथा व्यक्तित्व एवं सम्पत्ति की सुरक्षा का अपूर्व लाभ प्राप्त हुआ, वहां भारतीयों को विदेशों में तथा अपने देश में भी अंग्रेजों तथा अन्य गोरी जातियों के सामने पग पग पर अपमानित होना पड़ा। इससे हमारे जातीय आत्मसम्मान को ठेस लगी। फलतः देश में देशभक्ति की भावना जाग्रत हुई। महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई आदि नेताओं ने भारतीयों की देशभक्ति की उसी भावना का समुचित विकास कर देश को अंग्रेजों की दासता के बंधन से छुड़ाया। इस समय तक ब्रिटिश भारत ही स्वतंत्र हुआ था। देशी राज्यों में अभी तक न केवल निरंकुश शासन था, वरन् वहां प्रजा पर अनेक प्रकार के अत्याचार भी किये जा रहे थे।

देशी राज्यों की प्रजा का संघर्ष—गत पृष्ठों में १९३० से १९३४ तक स्वतन्त्रता के लिये किये गए जिस राजनीतिक सघंर्ष का वर्णन किया गया है, उसमें देशी राज्यों की प्रजा ने भी बहुत अच्छा भाग लिया था। कांग्रेस ने पहिले से ही गांधी जी के परामर्श के अनुसार देशी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति अपना रखी थी। १९३८ तथा १९३९ में उत्तर में काश्मीर से लेकर दक्षिण में ट्रावँनकोर तथा पूर्व में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में काठियावाड़ तक अनेक देशी राज्यों की प्रजा ने उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्राप्त करने के लिये सघंर्ष किया। उत्तर में काश्मीर और नाभा राज्य में तथा राजस्थान के अलवर, उदयपुर और जयपुर राज्यों में प्रजा ने उत्तरदायित्पूर्ण शासन के लिये अच्छा संघर्ष किया।

विभिन्न देशी राज्यों में सन् १९३८–३९ में प्रजा मण्डलों के सघंर्ष का

इतिहास बड़ा दिलचस्प है। सरदार उन सभी संघर्षों में पूर्ण रुचि लेते थे। मैसूर, माणसा (उत्तर गुजरात) तथा बड़ौडा राज्य के संघर्षों के पश्चात् सरदार को राजकोट में कठिन परिश्रम करना पड़ा।

राजकोट सत्याग्रह—राजकोट यद्यपि एक छोटा सा राज्य था, किन्तु काठियावाड़ की एजेन्सी का केन्द्र होने के कारण राजकोट नगर तथा राज्य का काठियावाड़ में अधिक महत्व था। गांधी जी के पिता कबा गांधी (कर्मचन्द गांधी) किसी समय राजकोट में दीवान थे। राजकोट के भूतपूर्व ठाकुर लाखाजीराज गांधी जी को पिता तुल्य मानते थे। किन्तु उनके पुत्र धर्मेन्द्रसिंह बिल्कुल भिन्न प्रकार के थे। उन्हें राजकोट के राजकुमार कालेज में शिक्षा मिली थी। सरदार कहा करते थे कि "उस कालेज में मनुष्य को पशु बनाया जाता है। वहां वही राजकुमार होशियार माना जाता है, जिसे अनेक प्रकार की शराबों के नाम और उनका पीना आता हो। वहां यही सिखाया जाता है कि प्रजा से किस प्रकार पृथक् रहा जावे।" वहां शिक्षा प्राप्त कर धर्मेन्द्रसिंह विलायत गये। इस विषय में सरदार ने कहा है कि "यहां जानवर जैसा बनाने के बाद राजाओं को इण्गलैण्ड ले जाया जाता है। मैंने देखा है कि वहां से कितने ही राजा गंवार बन कर आते हैं।" यही दशा राजकोट के राजा की हुई। उन्होंने वेश्याओं के नाच, गान, शराब तथा भोगविलास में राज्य की पूंजी को नष्ट कर खजाना खाली कर दिया। अतएव दीवान वीराबाला ने राज्य की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उलटे मार्ग अपनाने आरम्भ किये। नगर में दियासलाई, चीनी, बर्फ तथा सीनेमा आदि के ठेके दिये जाने लगे। धानमण्डी जैसे मकान बेचे जाने लगे। नगर का बिजलीघर गिरवी रखने की बात भी चली। राज्य में "कार्निवाल" को बुलाकर उसे जुआ खेलने का ठेका दिया गया।

इन्हीं दिनों राज्य के स्वामित्व वाली कपड़े की मिल के मजदूरों ने अपना संगठन बनाकर इस बात का विरोध किया कि उनसे लगातार चौदह घण्टे काम न लिया जावे। वीराबाला ने उन के कुछ नेताओं को राज्य से निकाल दिया, किन्तु मजदूरों की हड़ताल से प्रभावित होकर उसने उनके निर्वासन की आज्ञाएं रद करदीं।

इसके पश्चात् राज्य में जुए के विरुद्ध वातावरण तैयार करने के लिये १५ अगस्त १९३८ को एजेंसी की सीमा में एक सार्वजनिक सभा की गई। दीवान वीरा-बाला ने यह प्रबन्ध किया कि इस सभा पर पहिले एजेंसी की पुलिस और बाद में राज्य की पुलिस लाठी प्रहार करे। राजकोट के नेता ढेवर भाई यह समाचार सुन कर एजेंसी के अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट से मिले। उन्होंने उनसे कहा "हमारा झगड़ा एजेंसी के साथ नहीं है, किन्तु सभा की घोषणा हो चुकी है। अतएव जनता तो एकत्रित होगी ही। आप सभा बन्दी की आज्ञा दें तो हम बिना झगड़ा किये शान्ति-

बड़ौदा में सरदार का स्वागत
(बाएं से) डाक्टर जीवराज मेहता, सरदार, महाराजा बड़ोदा, श्री विद्या शंकर
तथा कुमारी मणिबेन

राजकोट के ठाकुर
द्वारा सरदार का
स्वागत

श्री महादेव देसाई तथा गांधी जी के साथ

नई दिल्ली के लोदी गार्डेन में

पूर्वक सारी सभा को लेकर राज्य की सीमा में चले जावेंगे। ढेवर भाई यह प्रबन्ध करके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अफसर के साथ सभा स्थल में आए। परन्तु पुलिस अफसर के सभा बन्दी की आज्ञा सुनाने वे पहिले ही पुलिस ने अपनी पहले की व्यवस्था के अनुसार एक दम सभा पर लाठी चलाना आरम्भ कर दिया। उस अफसर ने सीटी बजा कर पुलिस को रोका और मंच पर से जनता से क्षमा प्रार्थना की। फिर ढेवरभाई सारी सभा को वहां से राजकोट नगर की सीमा में ले गए। किन्तु वहां भी पुलिस ने बिना सभा बन्दी की आज्ञा दिये सभा पर लाठियां बरसाईं। ढेवर भाई आदि नेताओं पर भी मार पड़ी। साथ ही ढेवर भाई आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके प्रतिवादस्वरूप नगर में भारी हड़ताल हुई। अब तो जिस चौक में लाठी प्रहार हुआ था, वहां प्रतिदिन रात्रि को सभाएं होने लगीं। बाद में वहां लाठी प्रहार तो नहीं किया गया, किन्तु भाषण देने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। पांच दिन बाद गोकुल अष्टमी के दिन ढेवर भाई आदि सभी नेताओं को जेल से छोड़ दिया गया।

सरदार पटेल ने यह समाचार पढ़ कर २२ अगस्त १९३८ को कराची जाते हुए गाड़ी पर से उन्हें छूटने पर बधाई देते हुए संदेश दिया की कि वह एकाध सप्ताह में राजकोट राज्य की समस्त प्रजा की एक आम सभा करें और उस सभा के सामने उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के लिये एक मांग उपस्थित की जावे। अपने इस संदेश में सरदार ने यह भी कहा कि कराची से लौटने पर उस आम सभा में वह भी उपस्थित होंगे।

सरदार का यह संदेश मिलने पर यह निश्चय किया गया कि राजकोट राज्य की प्रजा परिषद् का यह सम्मेलन ५ सितम्बर को किया जावे। दरबार वीराबाला के विरोधी प्रचार करने पर भी परिषद् अत्यन्त समारोहपूर्वक हुई। सरदार पटेल ने इसमें एक प्रभावशाली भाषण देते हुए राज्य में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के स्थापित किये जाने की मांग उपस्थित की।

दरबार वीराबाला ने उसी दिन सरदार को चाय के लिये अपने बंगले पर बुलाया। दोनों में अच्छी तरह वार्तालाप हुआ। दरबार वीराबाला एक ओर तो सरदार के साथ राज्य में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के लिये वार्तालाप कर रहे थे, दूसरी ओर उन्होंने ठाकुर साहिब से रेजीडैण्ट मिस्टर गिब्सन के नाम एक पत्र द्वारा उनसे अनुरोध करवाया कि वह एक पुराने आई. सी. एस. अंग्रेज सर पैट्रिक केडल को राज्य का दीवान बनाने में सहायता दें। अस्तु सर पैट्रिक केडल ने १२ सितम्बर को दीवान का काम संभाल लिया और दरबार वीराबाला ठाकुर साहिब के निजी परामर्शदाता बने।

केडल साहिब ने ढेवर भाई से दो एक बार कुछ वार्तालाप किया, किन्तु

उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसलिये ढेवर भाई ने ठेकेवाली दियासलाई की पेटी का सार्वजनिक नीलाम करके सत्याग्रह का मंगलाचरण कर दिया। इस पर ढेवर भाई को गिरफ्तार कर उन्हें १५ दिन की सजा दी गई। राज्य में सभाओं तथा जुलूसों पर पाबन्दी लगा दी गई। तथापि लोग इन आज्ञाओं का उल्लघन कर जेल जाने लगे। यह आन्दोलन जब गांवों तक जा पहुंचा तो केडल साहिब घबराए और ठाकुर साहिब से बातचीत करने गए। किन्तु ठाकुर ने उनको समय देकर भी उनसे वार्तालाप नहीं किया।

दरबार वीराबाला यह समझ गया कि केडल से उसकी आशा पूरी नहीं होगी। अतएव उसने ठाकुर साहिब से रेजीडैण्ट को दूसरा पत्र लिखवा कर उन्हें वापिस बुला लेने की मांग की। रेजीडैण्ट इसमें वीराबाला की चाल को भांप गया और उसने केडल को न हटा कर वीराबाला को यह आज्ञा दी कि वह राज्य से चला जावे। बड़ी कठिनता से वीराबाला राजकोट से विदा हुआ।

१ नवम्बर को ढेवर भाई को फिर पकड़ लिया गया। अब सभाओं का इतना जोर बढ़ा कि पुलिस को एक ही दिन में ११ बार लाठी चार्ज करना पड़ा। ११ नवम्बर को प्रजामण्डल के तत्वावधान में बम्बई में एक सभा हुई, जिसमें सरदार पटेल ने राजकोट में अत्याचार करने वालों को काफी आड़े हाथों लिया। इसके पश्चात् राजकोट के विषय में सरदार ने एक अन्य भाषण २१ नवम्बर १९३८ को अहमदाबाद की एक सार्वजनिक सभा में दिया।

ढेवर भाई के १ नवम्बर को दुबारा पकड़े जाने के बाद सरदार ने ११ नवम्बर को अपनी पुत्री मणिबेन को राजकोट भेजा। वहां उन्हें ५ दिसम्बर को गिरफ्तार कर लिया गया। यह समाचार सुनकर अहमदाबाद से मृदुला बहिन साराभाई तथा उनकी माता सरला देवी राजकोट गईं। किन्तु उनको रेलवे स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

राजकोट के इस आन्दोलन से काठियावाड़ के अन्य राजा तथा दीवान भी घबराने लगे। उन्होंने समझौता कराना चाहा। भावनगर के दीवान श्री अनंत राय पट्टणी ने दरबार वीराबाला को राजकोट बुलाकर उनके साथ ठाकुर साहिब से भेंट की। इस समय ठाकुर साहिब भी समझौता करना चाहते थे। इसलिये श्री अनन्त राय पट्टणी गांधी जी से मिलने वर्धा गए। गांधी जी ने समझौते का मस्विदा बना दिया। उसे लेकर अनन्त राय अहमदाबाद में सरदार से मिल कर बाद में राजकोट में ठाकुर साहिब तथा दीवान सर पैट्रिक केडल से मिले। ठाकुर साहिब ने उस मस्विदे को स्वीकार कर लिया। इस पर यह निश्चय किया गया कि केडल सरदार से बम्बई में मिले। तदनुसार श्री अनन्त राय ने सरदार के साथ बम्बई में केडल से भेंट २९ नवम्बर को कराई। इस भेंट में सब कुछ तय हो गया। किन्तु केडल

तथा रेजीडैण्ट समझौता नहीं चाहत थे। अतएव केडल ने राजकोट जा कर १४४ धारा की अवधि दो मास के लिये और बढ़ा दी।

केडल के समझौते से मुकर जाने पर दरबार वीराबाला ने उसका यश स्वयं लेने का निश्चय किया। उसका प्रस्ताव था कि ध्रांगंध्रा के राजा मध्यस्थ बनें। अतएव ठाकुर साहिब ने ६ दिसम्बर १९३८ को इस विषय में ध्रागंध्रा के एक सज्जन श्री दुर्गाप्रसाद को एक पत्र लिखा। इस पत्र में ठाकुर साहिब ने सरदार के विषय में लिखा कि "यही एक समझदार व्यक्ति है, जिनके साथ उचित समझौता हो सकता है और जो इस झगड़े को समाप्त करा सकते हैं।"

यह दुर्गाप्रसाद राजकोट के ठाकुर साहिब का पत्र लेकर बम्बई में सरदार से मिले। ठाकुर साहिब ने सरदार को राजकोट आने का निमन्त्रण दिया। इस पर सरदार २५ दिसम्बर १९३८ को विमान द्वारा राजकोट पहुंचे। सरदार का ठाकुर साहिब से आठ घण्टे तक वार्तालाप हुआ। इस वार्तालाप के समय दीवान सर पैट्रिक केडल तथा कौंसिल के दो अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इस वार्तालाप के फलस्वरूप एक समझौता हो गया, जिसपर रात के दो बजे ठाकुर साहिब ने हस्ताक्षर किये। इस समझौते में छै धारायें थीं। यह निश्चय किया गया कि "दस सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जावेगी, जिनमें से तीन राज्य के कर्मचारी तथा सात प्रजा के प्रतिनिधि होंगे। प्रजा के प्रतिनिधियों के नाम सरदार वल्लभभाई बतलाएंगे और उनको बिना परिवर्तन के ठाकुर साहिब स्वीकार कर लेंगे।'

"यह समिति राज्य में शासन सुधार की ऐसी योजना बनाकर ठाकुर साहिब के सामने जनवरी १९३९ के अन्त तक उपस्थित करेगी, जिसमें प्रजावर्ग को अधिक से अधिक सत्ता दी जा सके तथा ठाकुर साहिब के सम्राट् के प्रति कर्त्तव्यों और राजा के नाते उनके अधिकारों में बाधा भी न आवे।

"ठाकुर साहिब ने यह वचन दिया कि इस समिति द्वारा उपस्थित की हुई योजना को वह पूर्णतया कार्यान्वित करेंगे।

"उस समय सविनय अवज्ञा के सब कैदियों को छोड़ देने, वसूल किये जुर्मानों को लौटा देने और दमनकारी कार्यवाहियों को वापिस लेने का निश्चय भी किया गया।"

इस समझौते को प्रातःकाल २६ दिसम्बर १९३८ को गजट निकाल कर प्रकाशित कर दिया गया। उसी दिन सारे कैदियों को भी छोड़ दिया गया। यद्यपि इस समझौते के सम्बन्ध में देश भर में प्रसन्नता प्रकट की गई, किन्तु रेज़ीडेण्ट मिस्टर गिब्सन को यह समझौता पसन्द नहीं आया। उसने राजकोट के ठाकुर साहिब को बुलवा कर उन्हें हलकी फटकार दी। किन्तु ठाकुर साहिब सर केडल

को नहीं रखना चाहते थे। अतएव वह ७ जनवरी को राजकोट छोड़ कर चला गय। और दरबार वीराबाला फिर दीवान बन गया। समझौता दीवान वीराबाला ने ही करवाया था। किन्तु रेजीडेण्ट का विरोधी रुख देखकर वह भी बदल गया और इस समझौते से निकल जाने का उपाय सोचने लगा।

सरदार पटेल ने ४ जनवरी १९३९ को प्रजा के प्रतिनिधियों के नाम ठाकुर साहिब के पास भेजे। दरबार वीराबाला की ओर से इन नामों पर यह आपत्ति की गई कि वह उसके पास आने से पूर्व ही अखबारों में छप गये। दूसरी आपत्ति यह उठायी गई कि उनमें जागीरदारों, मुसलमानों तथा दलितवर्ग का कोई प्रतिनिधि नहीं था। इसलिये सरदार के सात नामों में से ठाकुर साहिब के दीवान वीराबाला ने कुल चार नाम ही पसन्द किये। राज्य की ओर से जागीरदारों, मुसलमानों तथा दलितवर्ग को आन्दोलन करने को उकसाया भी गया। महात्मा गांधी ने जब यह सुना तो उन्होंने राजकोट के ठाकुर साहिब को एक पत्र भेज कर उनको समझौते पर डटे रहने की प्रेरणा की। किन्तु ठाकुर साहिव ने २१ जनवरी १९३८ को एक विज्ञप्ति द्वारा कुछ और नाम ही रखे और इस प्रकार सरदार पटेल के साथ किये हुए समझौते को भंग कर दिया। इस पर सरदार ने २५ जनवरी १९३९ को एक वक्तव्य निकाल कर समझौता भंग करने की घोषणा करते हुए उस षड्यन्त्र का विवरण भी प्रकाशित किया, जो समझौता भंग कराने के लिये रेजीडैण्ट तथा दरबार वीरावाला ने किया था।

इस समय ठाकुर साहिब ने राज्य में आर्डिनेन्स द्वारा दमन करना आरम्भ किया और ढेवर भाई आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अतएव प्रजा ने इस समय पूर्ण हड़ताल की। सभाएं तो कानून तोड़ कर प्रतिदिन ही की जाती थीं। राज्य पुलिस स्वयंसेवकों को पकड़ पकड़ कर अज्ञात स्थानों में ले जाकर पहले वहां उनकी खूब पिटाई करती और फिर उनको झाड़ झण्कर में डाल आती तथा कांटों में घसीटती थी। कुछ को नंगा करके छोड़ दिया जाता था।

इन समाचारों को सुनकर माता कस्तूर बा से नही रहा गया। वह गांधी जी से राजकोट जाने की अनुमति मांगने लगीं। इस पर गांधी ने उन्हें कहा कि वह सरदार पटेल की अनुमति से ही राजकोट जा सकती हैं, अन्यथा नहीं। जब वह सरदार से अनुमति मांगने गई तो पहिले तो उन्होंने उनको राजकोट जाने से मना किया और जब वह न मानीं तो उन्होंने अपनी पुत्री मणिबेन को उनके साथ कर दिया। राजकोट जाने पर उन दोनों को गिरफ्तार कर वहां से लगभग सोलह मील दूर सणोसरा गांव के दरबारी निवासस्थान में रखा गया। यह स्थान बेहद पुराना, सील, बदबू, मच्छरों तथा गन्दगी से भरा हुआ था। रसोइया भी इतना गंदा था कि उसके हाथ का भोजन लेने से जी मिचलाने लगता था। उसे खाना

बनाना भी नहीं आता था। बादमें मणिबेन को उनसे अलग करके राजकोट जेल में रखा गया तो उन्होंने वहां तब तक खाने से इन्कार कर दिया, जब तक बा के पास उनकी कोई परिचित स्त्री न रखी जावे। दूसरे दिन उनको बा के पास सणोसरा ले जाकर उन दोनों को वहां से हटा कर त्रंबा के अतिथिगृह में पहुंचा दिया गया।

इस बीच वहां कैदियों पर इतने अधिक अमानुषिक अत्याचार किये गये कि उन्होंने उनके प्रतिकारस्वरूप अनशन आरम्भ कर दिया। यह समाचार पाकर महात्मा गांधी २५ फरवरी १९३९ को राजकोट चले। चलते समय उन्होंने सरदार को राजकोट में सत्याग्रह संग्राम रोकने की आज्ञा दी। अतएव सरदार की आज्ञा से राजकोट में सत्याग्रह रोक दिया गया।

गांधी जी २७ फरवरी १९३९ को राजकोट पहुंचे। वहां उनका कौंसिल के प्रथम सदस्य फतह मुहम्मद खां ने स्वागत किया। उनसे कहा गया कि कैदियों के साथ अत्याचार की बात असत्य है। जेलों में विशेष सफाई करा कर तथा कैदियों को साफ कपड़े पहना कर उन्हें जेल ले जाया गया, किन्तु अत्याचारों के प्रमाण मिलते ही गये। गांधी जी बा से मिलने त्रंबा भी गये। फिर वह ठाकुर साहिब से मिले। वहां दरबार वीराबाला भी उपस्थित थे। अगले दिन गांधी जी रेजीडैण्ट मिस्टर गिब्सन से भी मिले। इस सारे वार्तालाप से उन्हें इतनी अधिक अन्तर्वेदना हुई कि उन्हें रात को देर तक नीद नहीं आई। प्रातःकाल उठकर उन्होंने ठाकुर साहिब को पत्र लिखा कि "यदि मेरी मांगें नही मानी गई तो दूसरे दिन तीन मार्च से मेरा उपवास आरम्भ हो जावेगा।" अपने इस पत्र में गांधी जी ने जो मांगें उपस्थित कीं, उनमें मुख्य यह थीं:—

१—तारीख २६ दिसम्बर १९३८ के गजट में जो आपकी घोषणा छपी है वह कायम है। ऐसी दुबारा प्रजा के सामने घोषणा की जावे।

२—तारीख २१ जनवरी १९३९ के गजट की घोषणा को रद किया जावे।

३—समिति के सदस्यों में राजकोट प्रजा परिषद् का बहुमत रहे।

४—सत्याग्रही कैदियों को छोड़ दिया जावे। जब्तियां माफ की जावें तथा जुर्माने लौटा दिये जावें।

इस पत्र की नकलें रेजीडेण्ट तथा दरबार वीराबाला को भी भेजी गई। सरदार पटेल को भी सारी परिस्थिति से सूचित कर दिया गया।

ठाकुर साहिब का उत्तर न आने पर ३ तारीख को बारह बजे दोपहर से उपवास आरम्भ कर दिया गया। ४ तारीख को गांधी जी ने अपने

उपवास और उसके कारण की सूचना रेजीडेण्ट के द्वारा वाएसराय के पास भी भेज दी। ६ मार्च को श्रीमती कस्तूर बा, मणिबेन तथा मृदुला साराभाई को जेल से बिना शर्त छोड़ दिया गया, जिससे वह गांधी जी के पास पहुंच गईं।

गांधी जी का पत्र पहुंचा तो वाएसराय दौरे पर गये हुए थे। वह अपना दौरा बीच में ही छोड़ कर ६ को ही दिल्ली लौट आये। ७ को उन्होंने मिस्टर गिब्सन के द्वारा गांधी जी के पास यह सन्देश भेजा।

"मैं देखता हूं ठाकुर साहिब की जिस घोषणा की पूर्ति बाद में उनके द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल को लिखे गये पत्र से की गई थी उसके अर्थ के बारे में शंका की गुंजायश हो सकती है। मेरे विचार से ऐसी शंका के निवारण करने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि उसका अर्थ देश के सबसे बड़े न्यायाधीश सर मारिस ग्वायर से करा लिया जावे।"

महात्मा गांधी ने वाएसराय के इस अनुरोध को स्वीकार कर अपना उपवास उसी दिन भंग कर दिया। सत्याग्रह के सभी कैदियों को उसी दिन छोड़ दिया गया।

सर मारिस ग्वायर ने दिल्ली में दोनों पक्ष की युक्तियों को कई दिन तक सुन कर गांधीजी के पक्ष में निर्णय ३ अप्रैल को दिया। ७ अप्रैल को वाएसराय की ओर से एक पत्र द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि ठाकुर साहिब अपना वचन पूरी तरह पालन करेंगे।

९ अप्रैल को गांधीजी दिल्ली से तथा सरदार बम्बई से चलकर राजकोट पहुंचे। उनके राजकोट पहुंचते ही मुसलमानों, जागीरदारों और दलितवर्ग वालों ने उनसे मिल कर बनने वाली कमेटी में अपना प्रतिनिधित्व मांगा। इतना ही नहीं, उन्होंने गांधीजी के प्रत्येक कार्यक्रम में हुल्लड़ मचा कर बाधा पहुंचाई। सरदार को वह शारीरिक चोट भी पहुंचाना चाहते थे, जो उस दिन प्रजामण्डल के काम से अमरेली गए थे। किन्तु सरदार के कार्यक्रम का ठीक २ पता न लगने से उनकी अभिलाषा मन की मन में ही रह गई। अन्त में गांधीजी ने घोषणा की कि परिषद् इस कमेटी से बिल्कुल पृथक् रहेगी। ठाकुर साहिब सारी कमेटी को अपनी घोषणा के अनुसार स्वयं ही मुकर्रर करें। यह कमेटी एक मास चार दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे। प्रजा परिषद के सात सदस्य उस रिपोर्ट की जांच कर लें और आवश्यक समझें तो अपनी भिन्न रिपोर्ट दें। वह दोनों रिपोर्टें भारत के प्रधान न्यायाधीश के सामने उपस्थित की जावें और उनके निर्णय को दोनों पक्ष मान लें।' परन्तु दरबार वीराबाला ने यह सुझाव नहीं माना। अन्त में गांधीजी सारे लाभ ठाकुर साहिब के पक्ष में छोड़ कर राजकोट से चले आये। उन्होंने यह अनुभव किया कि हृदय परिवर्तन के बिना सार्वभौम सत्ता के दबाव से कराया

हुआ निर्णय भी हिंसा ही है। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के निर्णय को सिर झुका कर स्वीकार कर लिया।

राजकोट के बाद बड़ौदा, लीमड़ी तथा भावनगर में भी प्रजामण्डलों ने आन्दोलन किये। राजकोट सत्याग्रह के सम्बन्ध में देश तथा विदेशों में पर्याप्त प्रतिकूल आलोचनाएं हुई हैं। किन्तु इन आलोचनाओं में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि इस असफलता का मुख्य कारण था इस विषय में श्री ढेवर भाई की अदूरदर्शिता। सरदार पटेल ने अपने जीवन काल में जितने भी सत्याग्रह किये उन सबके लिये वह जनता को प्रशिक्षित करके पहले से ही पूर्ण तैयारी किया करते थे। किन्तु श्री ढेवर ने इस प्रकार की कोई तैयारी न कर दियासलाई की पेटी का नीलाम कर जल्दबाजी में सत्याग्रह आरम्भ कर दिया। उन्होंने न तो राजकोट की जनता को समझाया कि सत्याग्रह क्यों किया जा रहा है, उसमें क्या-क्या बाधाएं आवेंगी और जनता को उसमें क्या-क्या कष्ट भोगने पड़ेंगे, न उन्होंने राज्य से बाहिर की जनता में प्रचार कर उसकी सहानुभूति प्राप्त करने का ही यत्न किया। इस प्रकार इस सत्याग्रह के लिये न तो जनता को शिक्षिक किया गया, न कोई पूर्व योजना बनाई गई और न इस सम्बन्ध में नेताओं से कोई पूर्व परामर्श किया गया। उनके इस अदूरदर्शितापूर्ण पग के कारण सरदार को इस कार्य को अपने हाथ में लेना पड़ा। जब माता कस्तूर बा राजकोट जाने लगीं तो सरदार ने पहिले तो उनको वहां जाने से मना किया और जब वह न मानीं तो उनके साथ अपनी पुत्री मणिबेन को भेजा। इस प्रकार महात्मा गांधी को भी उसमें भाग लेने को विवश होना पड़ा। वास्तव में ढेवर भाई ने अपनी जल्दबाजी तथा अदूरदर्शिता से राजकोट में यह ऐसा काण्ड रच डाला कि उसमें सरदार के तो प्राणों तक पर संकट आ गया था। महात्मा गांधी तथा सरदार पटेल श्री ढेवर की इस अदूरदर्शिता को समझते थे, किन्तु उन्होंने अपनी स्वाभाविक उदारता-वश इसका उल्लेख नहीं किया।

भारत के औपनिवेशिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने की १२ मई १९४७ की घोषणा का कई देशी राज्यों ने यह अर्थ लगाया कि वह भी पूर्णतया स्वतन्त्र हो जावेंगे। इस प्रसंग में ट्रावनकोर ने स्वतन्त्र रहने की अपनी इच्छा की घोषणा ११ जून को ही कर दी। बाद में नीजाम ने भी ऐसी ही घोषणा की। इस पर पं० नेहरू तथा सरदार पटेल ने इस मामले को पार्टी नेताओं की बैठक में १३ जून १९४७ को उपस्थित किया। इस मीटिंग को लार्ड माउण्टबेटन ने बुलाया था। इसमें कांग्रेस की ओर से पं० नेहरू, सरदार पटेल तथा आचार्य जे०बी० कृपलानी (तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष) तथा मुस्लिम लीग की ओर से मि० जिना, श्री लियाकत अली खां तथा श्री अब्दुर-रब-निश्तर, सिखों की ओर से सरदार

बलदेव सिंह तथा राजनीतिक परामर्शदाता सर कानराड कारफील्ड ने भाग लिया। नेहरूजी तथा सरदार पटेल के देशी राज्यों की अलग रहने की नीति का विरोध करने पर श्री जिना ने उनकी अलगाव की नीति का समर्थन किया। अन्त में बहुत वाद विवाद के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि देशी राज्यों से सम्पर्क रखने के लिये भारत सरकार एक नए विभाग की स्थापना करे। इस सम्बन्ध में राव बहादुर वी० पी० मेनन को—जो अब तक गवर्नर जेनेरल के विधान सम्बन्धी परामर्शदाता थे—एक नोट प्रस्तुत करने को कहा गया। श्री मेनन के नोट के अनुसार २५ जून १९४७ को अन्तरिम सरकार के मन्त्रीमण्डल ने रियासती विभाग की स्थापना सरदार वल्लभभाई पटेल की आधीनता में करने का निश्चय किया। ५ जुलाई १९४७ को इस विभाग की स्थापना की जाने पर सरदार पटेल ने श्री वी० पी० मेनन को ही इसका सेक्रेटरी बनाया। इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी राज्यों के नाम एक संदेश में उनसे अनुरोध किया कि वह भारत सरकार के साथ शीघ्र ही यथापूर्व समझौते करके अपने रक्षा, विदेशी सम्बन्ध तथा यातायात के विषय केन्द्रीय सरकार को सौंप दें। १० जुलाई को कई राजाओं तथा देशी राज्यों के मन्त्रियों ने सरदार के निवास स्थान पर उनसे भेंट की। उनमें पटियाला तथा ग्वालियर के महाराजा भी थे। उन्होंने सरदार के साथ दिल खोल कर वार्तालाप किया और यह स्वीकार किया कि देश-भक्ति के दृष्टिकोण से भी देशी राज्यों तथा शेष भारत का इस प्रकार का सह-योग वांछनीय है। श्री जिना ने इस योजना का एक सार्वजनिक वक्तव्य द्वारा विरोध किया। २५ जुलाई १९४७ को कतिपय राजाओं तथा उनके मन्त्रियों ने सरदार पटेल से उनके निवास स्थान पर फिर भेंट करके श्री जिना के वक्तव्य से असहमति प्रकट की।

यथापूर्व समझौते—लार्ड माउण्टबेटन ने १५ जुलाई १९४७ को नरेन्द्र-मण्डल की एक पूरी बैठक बुलाई। उसमें उन्होंने राजाओं से अनुरोध किया कि वह अपने रक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा यातायात के साधनों के विषय अपने-अपने समीप के क्षेत्र भारत या पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार को सौप दें। इसी बैठक में यथापूर्व समझौतों का मस्विदा बनाने के लिये भी एक उपसमिति बनाई गई। इस समिति ने यथापूर्व समझौतों तथा सम्मिलन समझौतों की रूपरेखा भारत सरकार के परामर्श से तैयार कर ली और उस पर १५ अगस्त १९४७ तक हैदराबाद, काश्मीर तथा जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी देशी राज्यों के शासकों के हस्ताक्षर हो गये, यद्यपि इसके पश्चात् सरदार पटेल, लार्ड माउण्टबेटन तथा श्री वी०पी० मेनन को राजाओं तथा उनके मन्त्रियों से कई-कई बार मिलकर स्थिति को स्पष्ट करना पड़ा। जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर के राजाओं को श्री जिना ने पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिये बहुत कुछ फुसलाया। जोधपुर के महा-

राजा हनुवंतसिंह इसके लिय सहमत भी हो गए, किन्तु बाद में उन्होंने लार्ड माउण्टबेटन, श्री वी०पी० मेनन तथा सरदार पटेल से दिल्ली में भेंट करके उपरोक्त समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिये। नवाब भोपाल तथा इन्दौर नरेश ने इन समझौतों पर बड़ी कठिनता से हस्ताक्षर किये। सम्मिलन समझौतों (Instruments of accession) द्वारा राज्यों पर भारत सरकार की प्रभुसत्ता की स्थापना हो गई। यथापूर्व समझौतों के द्वारा भारत सरकार तथा देशी राज्यों की पिछली संधियों को दुबारा स्वीकार किया गया।

उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों का विलय—उन दिनों इन राज्यों में प्रजा-मण्डलों ने उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्राप्त करने के लिये बल प्रयोग करना आरम्भ कर दिया। शासकों ने भी राजभक्तों का दल बनाकर गुरखों की भर्ती की तथा धेनकतल के राजा से सहायता की याचना की। इस पर अक्तूबर १९४७ के अन्त में आदिवासियों ने इन राज्यों में विद्रोह कर किसानों की भूमि तथा अन्न भंडार पर अधिकार करना आरम्भ किया। बाद में उन्होंने गांवों पर आक्रमण करके लूट-मार करना भी आरम्भ कर दिया। यह कहा जाता था कि नीलर्गिरि के राजा ने उनको प्रजामण्डलों पर आक्रमण करने के लिये उकसाया था। किन्तु राजा का कहना था कि अपने आर्थिक संकट के कारण वह बिना उकसाए हुए ही लूटमार कर रहे थे।

बिहार सरकार से उन मामलों की शिकायत पाने पर सरदार पटेल ने बिहार सरकार के द्वारा बालासोर के कलेक्टर को आदेश भेजा कि वह नीलगिरि राज्य पर अधिकार कर ले। अतएव १४ नवम्बर १९४७ को नीलगिरि पर अधिकार कर लिया गया।

इस समय उड़ीसा में हीराकुण्ड बांध के लिये सरकार किसानों की भूमि पर अधिकार कर रही थी। पटना के राजा ने किसानों को सरकार के विरुद्ध सक्रिय पग उठाने के लिये भड़काया।

उन दिनों यह भी पता चला कि बस्तर के शासक वहां की खनिज सम्पत्ति को हैदराबाद के पास गिरवी रख रहे थे। सरदार पटेल ने इसका कागजी सबूत पाने पर बस्तर के अल्पवयस्क राजा को दिल्ली बुलाकर ऐसा न करने की चेतावनी दी।

उड़ीसा के मुख्यमन्त्री श्री हरेकृष्ण मेहताब से इन राज्यों के विरुद्ध इस प्रकार की अनेक शिकायतें पाने पर सरदार पटेल ने उन सब राज्यों के सम्बन्ध में २० नवम्बर १९४७ को अपने अधिकारियों से परामर्श कर यह अनुभव किया कि राज्यों का आकार छोटा होने के कारण वह उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के व्यय का भार सहन नहीं कर सकते। सरदार ने यह भी अनुभव किया कि प्रजा के सहयोग

के बिना राज्यों में कानून तथा व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती और ऐसी दशा में भारत सरकार को उन राज्यों का शासन अपने हाथ में लेने को विवश होना पड़ेगा। इसका अन्तिम हल यही दिखलाई दिया कि शासक गुजारा लेकर अपना २ राज्य भारत सरकार को सौंप दें। गुजारे के प्रश्न पर अनेक दृष्टिकोण से विचार करने के उपरान्त यह निश्चय किया गया कि रियासत की वार्षिक आय के आधार पर गुजारे की रकम इस प्रकार निश्चित की जावे कि प्रथम एक लाख की वार्षिक आय पर १५ प्रतिशत, अगले चार लाख की वार्षिक आय पर १० प्रतिशत तथा पांच लाख से अधिक की समस्त आय पर साढ़े सात प्रतिशत दिया जावे। यह भी निश्चय किया गया कि दस लाख रुपये वार्षिक से अधिक किसी को भी न दिया जावे। इसके लिये १९४५-४६ के वर्ष की आय को आधार माना गया। राजाओं की व्यक्तिगत सम्पत्ति आदि के सम्बन्ध में भी उचित निर्णय किया गया। इतनी तैयारी के पश्चात् सरदार पटेल श्री वी०पी० मेनन को साथ लेकर १३ दिसम्बर १९४७ को कटक पहुंचे। सरदार ने १४ दिसम्बर को प्रथम छोटे छोटे राजाओं की मीटिंग बुलाकर उनके सन्मुख एक प्रभावशाली भाषण दिया। उसमें उन्होंने यह बतलाया कि उनके राज्य की आन्तरिक अशान्ति को दूर करने का उपाय केवल यही है कि या तो उनके शासन को भारत सरकार हस्तगत कर ले, अथवा वे स्वेच्छा से गुजारा लेकर अपना अपना राज्य भारत सरकार को सौंप दें। इस समय राजाओं को विलय संधिपत्रों की प्रतियां भी दी गईं। पर्याप्त वाद-विवाद तथा प्रश्नोत्तर के पश्चात् उन सब राजाओं ने विलय पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके पश्चात् सरदार पटेल ने बड़े-बड़े राजाओं को बुला कर उनसे भी वार्तालाप किया। उन लोगों का वार्तालाप यद्यपि कुछ लम्बा चला, किन्तु अन्त में उन सबने भी विलय पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिये।

उड़ीसा के राज्यों की समस्या को सुलझा कर सरदार १५ दिसम्बर १९४७ को विमान द्वारा नागपुर पहुंचे। वहां उन्होंने उसी दिन छत्तीसगढ़ के राजाओं से भेंट कर उनके सामने तत्कालीन परिस्थिति का वर्णन करते हुए उड़ीसा के राज्यों का उदाहरण उपस्थित किया। नागपुर की इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ के ३८ राजाओं के अतिरिक्त सरदार पटेल, मध्यप्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री मंगलदास पकवासा, रियासती विभाग के सचिव श्री वी०पी० मेनन तथा मध्य प्रान्त के मुख्य मन्त्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने भी भाग लिया। इस बैठक में उन सभी राजाओं ने अपने-अपने राज्यों को भारत में विलय करने का निर्णय किया और बाद में वह मध्य प्रान्त में विलीन हो गए। यह सारा कार्य शीघ्रतापूर्वक समाप्त कर सरदार पटेल १६ दिसम्बर १९४७ को दिल्ली लौट आए। उन्होंने उसी दिन राज्यों की समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया, जिस में उन्होंने बतलाया कि अंग्रेजों के भारत छोड़ देने से रजवाड़ों की प्रजा भी उत्तर-

दायित्वपूर्ण शासन के लिये छटपटाने लगी है। किन्तु अधिकांश राज्य इतने छोटे हैं कि वह उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की संस्थाओं के व्यय को सहन नहीं कर सकते। ऐसी दशा में प्रजा का आन्दोलन इतना बढ़ सकता है, जिसमें राज्य के अस्तित्व तक के समाप्त होने की सम्भावना है। अपने इस वक्तव्य में सरदार पटेल ने उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि 'उन सभी राज्यों को प्रजामण्डलों के आन्दोलन के कारण ही भारत में मिलने का निर्णय करना पड़ा। अब इन राज्यों के राजा अपनी आजीविका तथा सम्मान का उत्तर-दायित्व भारत सरकार को सौंप कर शेष भारत के भाग्य का निर्णय करने में भी भाग ले सकते हैं। इन राज्यों की प्रजा अपने कष्टों को दूर करने के लिये कांग्रेस सरकारों से कह सकेगी।'

इसी दिन सरदार पटेल ने श्री वी० पी० मेनन से कहा कि वह इस सारी परिस्थिति का विवरण महात्मा गांधी तथा पं० नेहरू के सामने उपस्थित करें। उन दोनों ने श्री मेनन से भेंट कर इस सारे कार्य पर अपनी सहमति प्रकट की। गांधी जी ने तो इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए यहां तक कहा—"सरदार ने तो यह सौदा बड़े सस्ते में निबटा लिया।" इसके पश्चात् सरदार पटेल के इस कार्य को मन्त्री मण्डल ने भी स्वीकार कर लिया। इन राज्यों के विलय से सरदार पटेल को एक नवीन अनुभव हुआ और उन्होंने अन्य राज्यों के मामलों पर भी विचार करना आरम्भ किया।

सरदार ने इन ५५२ देशी राज्यों के भाग्य का निर्णय तीन प्रकार से किया। कुछ को प्रान्तों में मिला दिया गया। कुछ को भारत सरकार के अधिकार में रखा गया और कुछ को आपस में मिला कर उनके संघ बना दिये गए।

सरदार के सामने देशी राज्यों की समस्या कम से कम सन् १९३९ के उस समय से थी जब महात्मा गांधी ने राजकोट के ठाकुर साहब के वचन भंग से दुखी होकर वहां उपवास किया था। पंडित नेहरू भी काश्मीर में पर्वत से टक्कर मार कर इसी निश्चय पर पहुंचे थे कि भारत से अंग्रेजों के चले जाने तक देशी राज्यों की समस्या को स्थगित रखा जावे।

अंग्रेजों के भारत छोड़ देने पर देशी राज्यों के अपनी-प्रजा पर किये जाने वाले अत्याचारों को ढकने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। फलतः लगभग सभी राज्यों में प्रजामण्डलों ने उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के लिये केवल शान्तिपूर्ण आन्दोलन पर निर्भर न रह कर बल प्रयोग करना भी आरम्भ कर दिया। इससे अनेक राज्यों का शासन कार्य ठप्प हो गया और वहां भारत सरकार की ओर से सरदार पटेल को हस्तक्षेप करना पड़ा। उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों के प्रान्तों में विलय से सरदार पटेल को वह मार्ग मिल गया, जिस पर चल कर देशी राज्यों

की गम्भीर समस्या को सदा के लिये सुलझाया जा सकता था। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि भारत के किसी भी देशी राज्य की स्वतन्त्र सत्ता न रहने दी जावे। अस्तु उन्होंने इस कार्य के लिये क्रमशः अनेक राज्यों में अपने सेक्रेटरी तथा सहायक श्री वी०पी० मेनन को भेजना आरम्भ किया। अब सभी देशी राज्यों के शासकों को भी यह दिखलाई देने लगा कि उनका भविष्य क्या है। तथापि कुछ राज्य अंग्रेजों के भारत छोड़ने से पूर्व ही विलय का निश्चय कर चुके थे। इनमें से कई राज्य बम्बई प्रान्त में थे। इन दक्षिणी राज्यों में से कुछ के शासकों ने २८ जुलाई १९४६ को पूना में महात्मा गांधी से भेंट कर उनसे अपने राज्यों के उस संघ के लिये आशीर्वाद मांगा, जिसको बनाने का वह निश्चय कर चुके थ। महात्मा जी ने इस विचार को पसन्द न करते हुए उनको सुझाव दिया कि वह इस सम्बन्ध में पं० नेहरू से वार्तालाप करें। पं० नेहरू ने इस विचार का समर्थन करते हुए भी राजाओं को यह सुझाव दिया कि प्रथम वह अपने-अपने राज्य में उत्तर-दायित्वपूर्ण शासन की स्थापना करें। अन्त में दक्षिणी राज्यों के एक संघ राज्य का विधान बनाया गया। उसमें यह व्यवस्था की गई कि विलय होने वाले सभी शासकों की एक समिति बनाई जावे, जिसका नाम "राज-मण्डल" हो। इस समिति को प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से बारी-बारी से अपना एक अध्यक्ष चुनना था, जिसे राजप्रमुख कहा जाने वाला था। एक अन्य सदस्य को उपराजप्रमुख बनाने की बात भी थी। कांग्रेस ने डा० राजेन्द्रप्रसाद, डा० वी० पट्टाभि सीतारामैया तथा श्री शंकर राव देव की एक उपसमिति बना कर उसे यह कार्य सौंपा कि वह प्रत्येक राजा के लिये गुजारे की रकम (प्रिवी पर्स) निश्चित करे। १७ अक्तूबर १९४७ को इसके अन्तिम विधान पर औंध, भोर आदि के आठ राजाओं ने हस्ताक्षर किये। औंध नरेश को उसका प्रथम राजप्रमुख तथा भोर नरेश को उसका प्रथम उपराजप्रमुख चुना गया। संघ का अन्तिम विधान बनाने के लिये २१ सदस्यों की एक संविधान परिषद का भी निर्वाचन किया गया। किन्तु प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण इस संघ को मूर्तरूप न दिया जा सका। प्रथम तो इन आठों राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से न मिलने के कारण उनका एक संगठित राज्य नहीं बन सकता था, दूसरे राजेन्द्र बाबू, डा० पट्टाभि तथा शंकर राव देव की उपसमिति भावना. प्रधान होते हुए भी इसका व्यवहारिक हल न खोज सकी। फिर ५७ राज्यों में से कुल आठ राज्यों ने ही संघ बनाने का निर्णय किया था। इसी समय जामखण्डी नरेश ने घोषणा की कि यदि उनकी प्रजा चाहे तो वह अपने राज्य का बम्बई प्रान्त में विलय कर देंगे।

इसके पश्चात् संघ बनाने वाले उन राजाओं में से कुछ ने श्री वी०पी० मेनन से भेंट की। इस प्रसंग में बात चलने पर सरदार पटेल ने कहा कि यदि वह अपनी प्रजा की सहमति से बम्बई प्रान्त में विलीन हो जावें तो वह उसको स्वीकार कर

लेंगे। उड़ीसा के राज्यों का विलय हो जाने पर दक्षिण के वह राज्य भी विलय की ओर झुकने लगे। अन्त में २१ दिसम्बर १९४७ को राज्य मण्डल ने विलय के पक्ष में प्रस्ताव पास किया। बाद में यह सभी राज्य ८ मार्च १९४८ को एक एक करके बम्बई प्रान्त में मिल गए। यहां यह उल्लेखनीय है कि पं० नेहरू, डा० राजेन्द्रप्रसाद तथा श्री शंकर राव देव की उपसमिति ने इन राज्यों की समस्या का जो हल सुझाया था, वह अव्यवहारिक होने के कारण ही कागज का कागज में धरा रह गया और जब वह सुलझा तो सरदार की व्यवहारिकता द्वारा ही सुलझा।

सौराष्ट्र संघ—राज्यों की विलय प्रक्रिया में संघों का निर्माण सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा। इसको सर्वप्रथम काठियावाड़ में आरम्भ किया गया। काठियावाड़ में १४ सलामी वाले राज्य, १९१ छोटे राज्य तथा ४४९ ऐसे राज्य थे, जिन्हें जागीरदारों से अधिक, किन्तु राजाओं से कुछ अधिक अधिकार थे। उनमें कई राज्यों के भाग एक दूसरे के भाग में भी सम्मिलित थे, जिससे काठियावाड़ का मानचित्र ८६० भागों में बंटा हुआ था। भारत के स्वतन्त्रता प्राप्त करने पर उनमें भी प्रजा न उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्राप्त करने के लिये आन्दोलन आरम्भ किये, जिससे वहां की कानून तथा व्यवस्था भंग होने लगी। फलतः कई राज्यों में शासन कार्य ठप्प होने लगा। उदाहरणार्थ, पुर्ली के छोटे से राज्य में आन्दोलनकारियों ने न्यायालयों, सरकारी भवनों तथा जेल पर बलात् अधिकार कर लिया। अनेक स्थानों में आन्दोलनकारी सरदार पटेल के नाम का भी खुल कर उपयोग करते थे। भारत सरकार ने उनके इस कार्य की स्पष्ट शब्दों में निन्दा भी की। बड़े राज्यों में सर्वप्रथम भावनगर में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की मांग के दबाव को अनुभव किया गया। महाराजा ने महात्माजी से परामर्श किया, किन्तु महात्माजी ने उन्हें सरदार पटेल के पास भेज दिया। यह तय किया गया कि बलवन्तराय मेहता को राज्य का दीवान बनाया जावे और राजा गुजारा लेकर शासन कार्य के हाथ खींच ले। इसका काठियावाड़ के बड़े राज्यों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। काठियावाड़ की समस्या के सम्बन्ध में विचार करने पर सरदार के सन्मुख कई सुझाव रखे गये, किन्तु वह सभी त्रुटिपूर्ण थे। राज्यों के पास उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के योग्य साधनों का अभाव था। अन्त में यह निश्चय किया गया कि काठियावाड़ के राज्यों का एक संघ बनाया जावे। दो लाख जनता का एक प्रतिनिधि के आधार पर उसके लिये एक संविधान परिषद का भी निर्वाचन किया जाना था।

सौराष्ट्र संघ के इन राज्यों का संघ बनाने की योजना को जनवरी १९४८ में अन्तिम रूप दिया गया। इस राज्य संघ की यह विशेषता थी कि उसमें पांच सदस्यों का एक सभापति-मण्डल बनाया गया, जिनमें से राजप्रमुख

तथा उपराजप्रमुख का निर्वाचन किया जाना था। नवानगर तथा भावनगर के राजाओं को इस सभापति-मण्डल में स्थान दिया गया। शेष तीन स्थान राजाओं द्वारा निर्वाचित किये जाने के लिये छोड़ दिये गये। इस राज्य संघ के निर्माण के संधिपत्र पर सभी राजाओं ने १३ जनवरी १९४८ को हस्ताक्षर करके उसका नाम सौराष्ट्र राज्य संघ रखा। इसका उद्घाटन सरदार पटेल ने १५ फर्वरी १९४८ को भावनगर में किया।

जूनागढ़ की समस्या—जूनागढ़ का नवाब साम्प्रदायिक मुस्लिम मनोवृत्ति का था। यद्यपि उसकी सीमा पाकिस्तान को कहीं भी स्पर्श नहीं करती थी, किन्तु उसने भारत में सम्मिलित होने का आश्वासन देकर भी पाकिस्तान के साथ मिलना पसन्द किया। यद्यपि वह यह निर्णय करने योग्य नहीं था और यह निर्णय उसके दीवान सर शाहनवाज खां भुट्टो का था। क्योंकि नवाब तो केवल अपने आमोद प्रमोद तथा कुत्तों में ही रात दिन लगा रहता था। जूनागढ़ के साथ मानवदर तथा मांग्रोल की समस्याएं भी जुड़ी हुई थीं। मानवदर का क्षेत्रफल कुल १०० मील था। उसके तीन ओर जूनागढ़ तथा उत्तर की ओर गोंडल राज्य था। मांग्रोल पोरबन्दर तथा जूनागढ़ के बीच में था। दोनों की अधिकांश प्रजा हिन्दू होते हुए भी उनके शासक मुसलमान थे। मांग्रोल के २१ गावों पर जूनागढ़ का आधिपत्य होने के कारण वह जूनागढ़ की आधीनता भी मानता था। उसने इस शर्त पर भारत के साथ सम्मिलन तथा यथापूर्व समझौतों पर हस्ताक्षर किये कि उसके ऊपर जूनागढ़ का प्रभुत्व न रहे। ब्रिटिश सरकार की ३ जून की घोषणा के अनुसार उसके ऊपर से जूनागढ़ का प्रभुत्व स्वयंमेव समाप्त हो जाना था। अतएव भारत सरकार ने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। किन्तु मांग्रोल का शेख जूनागढ़ के दबाव के कारण फिर अपने समझौते से मुकर गया। बावरियावाद ५१ गावों का राज्य था और जूनागढ़ के प्रभाव में था। जूनागढ़ ने वहाँ सेना भेज कर उस पर तथा मांग्रोल पर अधिकार कर लिया। बावरियावाद ने इसकी शिकायत भारत सरकार से की ओर उसमें सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। सरदार गड़ तथा वेतना राज्यों का मामला भी मांग्रोल तथा बावरियावाद जैसा ही था। मानवदर यद्यपि पाकिस्तान में शामिल हो गया, किन्तु वहां हिन्दुओं पर अत्याचार किये जा रहे थे। अतएव अक्तूबर के अन्त तक मांग्रोल, बावरियावाद तथा मानवदर इन तीनों पर भारतीय सेना ने अधिकार कर लिया।

अब जूनागढ़ में पाकिस्तान से गुण्डे आ-आ कर वहां की हिन्दू प्रजा को अनेक प्रकार के कष्ट देने लगे। प्रजा ने भारत सरकार से पुकार की, किन्तु वैधानिक अड़चन के कारण सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस मामले में सीधे हाथ

डालना उचित नहीं समझा। अतएव जूनागढ़ की प्रजा विद्रोह के लिये तैयार हो गई। उसने सांवल दास गांधी के नेतृत्व में सैनिक रूप में संगठित होकर नवाब को चुनौती दे दी। अब प्रजा की सेना जूनागढ़ राज्य का एक-एक स्थान जीतती हुई आगे बढ़ती जाती थी और नवाब को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करती जाती थी। जब नवाब ने देखा कि आत्मसमर्पण किए बिना काम नहीं चलेगा और उसे पाकिस्तान से कोई सहायता नही मिल सकती तो वह २५ अक्तूबर १९४७ को अपने परिवार, प्यारे कुत्तों तथा एक करोड़ रुपये से भी अधिक की धन सम्पत्ति तथा सरकारी सेक्युरिटियों को लेकर हताश होकर विमान द्वारा पाकिस्तान भाग गया। उसके प्रधान मन्त्री ने ७ नवम्बर को पाकिस्तान भागते समय भारत सरकार से प्रार्थना की कि वह राज्य के शासन को अपने हाथ में लेकर वहां रक्तपात को रोके। फलतः ९ नवम्बर १९४७ को भारत सरकार ने वहां का शासनभार संभाल लिया और वहां सांवलदास गांधी सहित तीन लोक प्रतिनिधियों की सरकार अपने प्रशासक की आधीनता में स्थापित कर दी। फर्वरी १९४८ में भारत सरकार ने वहां जनमत लेकर जनता से यह जानना चाहा कि वह भारत अथवा पाकिस्तान में से किस में मिलना चाहती है। जनता ने सर्व-सम्मति से भारत के पक्ष में निर्णय किया। दिसम्बर १९४८ में वहां के लोक प्रति-निधियों ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि जूनागढ़ को सौराष्ट्र संघ में सम्मिलित कर दिया जावे और उसके प्रतिनिधियों को सौराष्ट्र की विधान सभा में बैठने का अधिकार दिया जाए। इसी प्रकार के प्रस्ताव मानवदर, मांग्रोल, बटवा, बावरियावाड़ तथा सरदारगढ़ के प्रतिनिधियों भी पास करके भारत सरकार के पास भेजे। फलतः उचित कानूनी कार्यवाही के पश्चात् जूनागढ़ आदि उक्त राज्यों को २० जनवरी १९४९ को सौराष्ट्र में सम्मिलित कर दिया गया।

सांवलदास गांधी बाद में प्रशासक के रूप में जूनागढ़ के मुख्यमन्त्री बन गए थे। उन्होंने अपना मंत्री मण्डल भी बनाया था। जिस समय उनकी प्रेरणा पर जूनागढ़ सोराष्ट्र संघ में मिला तो सौराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री यू० एन० ढेबर ने (जो बाद में कांग्रेस अध्यक्ष भी बने) उनको अपने मन्त्री मण्डल में स्थान दिया। किन्तु श्री गांधी का मुख्य मन्त्री श्री ढेबर से शीघ्र मतभेद हो गया और उनको सरदार पटेल के स्वर्गवास से कुछ मास पूर्व ही सौराष्ट्र मंत्रीमण्डल से हटना पड़ा। इसके कुछ समय बाद उनका अत्यन्त निर्धन परिस्थिति में स्वर्गवास हो गया। कांग्रेस नेताओं के उनके परिवार की सुध न लेने पर श्री वी० पी० मेनन ने उनकी विधवा पत्नी को निज़ाम के फण्ड से दो सौ रुपये मासिक की सहायता दिलवाई, जिसके वह एक ट्रस्टी थे।

मालवा का राज्यसंघ—इसके पश्चात् सरदार पटेल ने ग्वालियर तथा

मालवा ऐजेन्सी के राज्यों की ओर ध्यान दिया। यद्यपि इन सभी राज्यों में भाषा सम्बन्धी तथा भौगोलिक एकता थी, किन्तु ग्वालियर तथा इन्दौर की प्रतिस्पर्द्धा इसके निर्माण में बाधक बन रही थी। श्री मेनन से इन समस्याओं का विवरण सुनकर सरदार ने इन सब का एक संघ बनाने का आदेश दिया। सरदार ने कहा कि राजाओं का हित विलय में ही अधिक है। क्योंकि ऐसी दशा में उनको प्रीवि पर्स देने तथा उनकी सम्पत्ति की देखभाल करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार का होगा। यदि सलामी वाले बड़े राज्यों को पृथक् रहने दिया गया तो उनके शासकों के अधिकार तथा सुविधाएं स्थानीय धारा सभाओं की दया पर निर्भर रहेंगे, जिनसे शासकों को पूर्णतया निराश होना पड़ेगा। सरदार ने यह भी कहा कि यदि ग्वालियर तथा इन्दौर को पृथक् पृथक् केन्द्र बना कर दो संघ बनाये जावेंगे तो छोटे राज्यों का अस्तित्व इन दोनों बड़े राज्यों में विलीन हो जावेगा और फिर भी इन दोनों संघ की जनता में पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा बनी रहेगी। सरदार ने कहा कि ग्वालियर तथा इन्दौर द्वारा किये हुए छोटे राज्यों के शोषण के उदाहरण पर अन्य बड़े राज्य भी उनका अनुकरण करेंगे। तब क्यों न पटियाला, नालागढ़ तथा कैलसिया को अपने में सम्मिलित कर ले और क्यों न बीकानेर जैसलमेर को निगल जावे ? क्यों न उदयपुर अपने चारों ओर के राज्यों को हड़प कर अपना विस्तार करे ? अतः सरदार ने कहा कि इन सब कारणों से इन सब राज्यों का केवल एक संघ बनाना चाहिये। अन्त में इस संघ के राजाओं की एक सभा २०, २१ तथा २२ अप्रैल सन् १९४८ को सरदार पटेल की उपस्थिति में हुई। इसमें इस संघ का नाम "ग्वालियर, इन्दौर तथा मालवा का संयुक्त राज्यसंघ" रखा गया। इसका निर्माण करने के संधिपत्र पर सम्बद्ध राजाओं ने २२ अप्रैल १९४८ को हस्ताक्षर किये। इसमें महाराजा ग्वालियर को राजप्रमुख तथा महाराजा इन्दौर को उपराजप्रमुख बनाया गया। इस राज्य संघ का उद्घाटन प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने २८ मई १९४८ को किया। बाद में सरदार पटेल ने इसकी विधान सभा का उद्घाटन ४ दिसम्बर १९४८ को किया।

फरीदकोट पर अधिकार—इस समय पंजाब में सिक्खों के साम्प्रदायिक दल अपने अपने भावी लाभ की दृष्टि से विलय के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे कि फरीदकोट के राजा ने शेख अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कार्य करने वाले प्रजामण्डल के राजबन्दियों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि वहां से मुसलमान लोग शरणार्थी बन कर भागे और उन्होंने राजा फरीदकोट के विरुद्ध सरदार पटेल तथा श्री मेनन से शिकायतें कीं। इस सम्बन्ध में परामर्श किये जाने पर लार्ड माउण्टबेटन ने सुझाव दिया कि फरीदकोट के राजा के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने से पूर्व कुछ बड़े राजाओं से परामर्श कर लिया जावे। अतएव ग्वालियर, बीकानेर तथा पटियाला के महाराजाओं तथा नवानगर के जामसाहब

को तत्काल दिल्ली बुलाया गया। इस मीटिंग का सभापतित्व लार्ड माउण्टबेटन ने किया। इसमें सर्वसम्मति से निश्चय किया गया कि भारत सरकार फरीदकोट राज्य पर अधिकार कर ले। अतएव फरीदकोट के राजा को झुकना पड़ा और उसके राज्य पर अगले ही दिन अधिकार कर लिया गया।

इस मीटिंग के सिलसिले में एक दिलचस्प घटना हो गई। इस मीटिंग के लिये महाराजा ग्वालियर को तत्काल दिल्ली आने का सन्देश भेजा गया था। उनके पास उस समय कोई सवारी न होने से उनको लाने के लिये एक विमान ग्वालियर भेजा गया। इस प्रकार तत्काल बुलाये जाने पर महाराजा घबरा गये। देश में यह अफवाह गर्म थी कि महात्मा गांधी की हत्या में कुछ राजाओं का भी हाथ था। महाराजा अलवर को यह आज्ञा दी जा चुकी थी कि वह सरकार को सूचना दिये बिना दिल्ली से न जावें। महाराजा को सन्देह हुआ कि उनको इसी विषय में दिल्ली बुलाया गया है। अतएव विमान में बैठने से पूर्व उन्होंने उदास मुख से अपनी पत्नी तथा मित्रों से विदाई ली। महाराजा के मुख से यह घटना सुनकर सरदार पटेल आदि सभी उपस्थित व्यक्ति बहुत हंसे।

पटियाला तथा पंजाब राज्य संघ—इस समय सिक्ख लोग पंजाब के देशी राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने का आन्दोलन कर रहे थे। सरदार इन दिनों हृदय के दौरे के कारण देहरादून में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। तौ भी सिक्खों के राजनीतिक दाव-पेंचों की उनको पूर्ण जानकारी थी। अतएव श्री मेनन ने उनसे देहरादून में भेंट करके इस सम्बन्ध में निर्देश मांगा। अनेक प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त यह तय किया गया कि पूर्वी पंजाब (आजकल पंजाब) तथा हिमाचल प्रदेश को छुए बिना पटियाला सहित पंजाब के सभी राज्यों का एक संघ बना दिया जावे। इस संघ का नाम 'पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ' रखा गया। इसके विधान पर ५ मई १९४८ को हस्ताक्षर किये गये। सरदार के इस कार्य से मास्टर तारासिंह सहित अकाली सिक्ख, राष्ट्रीय सिक्ख तथा ज्ञानी करतार सिंह सभी सन्तुष्ट हो गये। इस संघ का उद्घाटन करने के लिये सरदार पटेल तथा श्री मेनन १५ जुलाई १९४८ को पटियाला पहुंचे। उन्होंने इस संघ का मन्त्रीमंडल भी इस प्रकार बनाया कि चार स्थान कांग्रेस को, दो लोक सेवा सभा को तथा दो अकालियों को दिये गये। एक तटस्थ सिक्ख मुख्य मन्त्री के रूप में सरदार पटेल द्वारा नियुक्त किया जाने वाला था। अन्त में सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला को उसका मुख्य मन्त्री बनाया गया।

इसी प्रकार बाद में गुजरात के राजा भी बम्बई प्रान्त में मिल गये। उनमें १७ पूर्ण अधिकार प्राप्त तथा १२७ अर्द्ध अधिकार प्राप्त राज्य थे। इसके बाद

दांता राज्य भी बम्बई प्रान्त में मिल गया। किन्तु कोल्हापुर राज्य के विलीनीकरण के लिये श्री मेनन तथा सरदार पटेल को अधिक परिश्रम करना पड़ा। फर्वरी १९४९ में कोल्हापुर नरेश ने भी अपने राज्य को बम्बई प्रान्त में मिलाना स्वीकार कर लिया।

विंध्यप्रदेश—अब सरदार ने निश्चय किया कि भारत के शेष राज्यों के स्वतन्त्र अस्तित्व को भी समाप्त कर दिया जावे। प्रथम उन्होंने बुन्देशखण्ड तथा बघेलखण्ड के राज्यों की ओर ध्यान दिया। श्री वी० पी० मेनन के समझाने पर बुन्देलखण्ड तथा बघेलखण्ड के सभी राजाओं ने मार्च १९४८ में विलय पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिये। इन सब राज्यों का एक संघ बना कर उसे विंध्यप्रदेश नाम दिया गया। उसका उद्‌घाटन अप्रैल १९४८ में किया गया। बाद में विंध्यप्रदेश को एक उपराज्यपाल के आधीन एक प्रयक् प्रान्त बना दिया गया।

राजस्थान संघ—राजस्थान में प्रथम अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के चार राजाओं ने २८ फर्वरी १९४८ को मत्स्य संघ बनाया। इसके पश्चात् राजस्थान संघ का निर्माण तीन बार में किया गया। प्रथम छोटे छोटे नौ राज्यों का संघ २५ मार्च १९४८ को बनाया गया। बाद में मेवाड़ के महाराणा के उसमें मिलने का निर्णय करने पर दूसरे राजस्थान संघ का उद्‌घाटन पं० जवाहर-लाल नेहरू के हाथों १८ अप्रैल १९४८ को किया गया। इसके पश्चात् जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर के राजाओं द्वारा भी राजस्थान संघ में मिलने का निश्चय किये जाने पर ३० मार्च १९४९ को तीसरे राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। इस अवसर पर सरदार पटेल ने राजप्रमुख महाराजा जयपुर को राजप्रमुखपद की शपथ दिला कर राजस्थान संघ का उद्‌घाटन किया। बाद में मत्स्य संघ के चारों राज्यों को भी १५ मई १९४९ को राजस्थान संघ में मिला दिया गया। इस समय यह भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ था। उसमे पन्द्रह प्राचीन राज्यों का लगभग डेढ़ लाख वर्गमील क्षेत्रफल, १ करोड़ ३१ लाख जनसंख्या तथा लगभग दस करोड़ वार्षिक आय थी।

ट्रावनकोर-कोचीन—१३ अप्रैल १९४९ को ट्रावनकोर तथा कोचीन राज्यों के मन्त्रियों ने सरदार पटेल से भेंट कर के दोनों राज्यों का एक संघ बनाने की अनुमति मांगी। ट्रावनकोर के राजा को इसका राजप्रमुख बनाया गया। यद्यपि इसके उद्‌घाटन के लिये सरदार पटेल नहीं जा सके, किन्तु मई १९५० में उन्होंने उस स्थान की यात्रा करते हुए १९ मई १९५० को इस राज्य संघ के मुख्यमन्त्री टी० के० नारायण पिल्ले के साथ कुमारी अन्तरीप जाकर वहां कन्याकुमारी के मन्दिर की यात्रा की।

रामपुर—रामपुर राज्य का क्षेत्रफल ९०० वर्गमील था। उसके नवाब

सरदार पटेल राज-स्थान संघ का उद्घाटन करते हुए महाराजा जयपुर को राजप्रमुख पद की शपथ दिला रहे हैं

सरदार का राजस्थान के महाराजप्रमुख महाराजा उदयपुर द्वारा स्वागत

सरदार का ग्वालियर हवाई अड्डे पर महाराजा ग्वा-लियर तथा महाराजा इंदौर द्वारा स्वागत

भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री जान मथाई तथा उनकी पत्नी के साथ

ट्रावनकोर महाराज सहित

कोचिन महाराज सहित

सर सैयद रजा अली खां एक प्रगति शील विचारों के शासक थे। भारत विभाजन के समय भारत के साथ यथापूर्व तथा सम्मिलन समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले वह प्रथम मुस्लिम शासक थे। रामपुर के विलय का प्रश्न उपस्थित होने पर मई १९४९ में वहां साम्प्रदायिक तत्वों ने विद्रोह कर दिया। इस समय रामपुर में भी अन्य मुस्लिम राज्यों के समान पुलिस तथा सेना में ९९ प्रतिशत मुसलमान थे। राज्य के अन्य अधिकारियों में भी हिन्दुओं की संख्या नगण्य थी। मुसलमानों के इस विद्रोह में राज्य की पुलिस तथा सेना की पूर्ण सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। इसके विरुद्ध नवाब स्वयं साम्प्रदायिक भावनाओं से शून्य थे। अतएव रामपुर में विद्रोह होने पर वह वहां से गुप्त रूप से भाग कर नई दिल्ली आकर सरदार पटेल से मिले। उनसे मिल कर उन्होंने १५ मई १९४९ को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। अब सरदार पटेल ने सेनाओं को शीघ्रतापूर्वक रामपुर भेजा। विद्रोह पूर्णतया शान्त कर दिया गया और १ जुलाई १९४९ को रामपुर पर अधिकार कर लिया गया। इसके पांच मास बाद उसे उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया।

भोपाल—भोपाल के वर्तमान नवाब सर हमीदउल्ला खां १९२६ में गद्दी पर बैठे थे। अंग्रेजों के भारत छोड़ते समय नवाब भोपाल नरेन्द्र मण्डल के चैंसेलर थे। भारत में अन्तर्कालीन सरकार बनने पर तथा उसमें मुस्लिम लीग के न आने से नवाब भोपाल को खेद हुआ और उन्होंने वायसराय लार्ड वावेल से जोड़ तोड़ करके मुस्लिम लीग को अर्न्तकालीन सरकार में पीछे के द्वार से प्रवेश कराया। जुलाई १९४७ में जब राज्यों के भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी एक में सम्मिलित होने के लिये राजाओं की मीटिंग २५ जुलाई १९४७ को की गई तो वह उसमें सम्मिलित नहीं हुए। क्योंकि वह सम्मिलन के विरुद्ध थे। नवाब भोपाल की इच्छा भारत तथा पाकिस्तान दोनों से सम्बन्ध स्थापित करने की थी। अधिकाश राज्यों के यथापूर्व समझोतों तथा सम्मिलन समझोतों पर हस्ताक्षर कर देने के उपरान्त भी वह यही सोचते रहे कि वह सम्मिलन समझौते पर हस्ताक्षर किये बिना केवल यथापूर्व समझोते पर हस्ताक्षर करें। बहुत कुछ हिचर मिचर के पश्चात् उन दोनों पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने इस बात का अनुरोध किया कि इस घटना को १० दिन तक गुप्त रखा जावे।

अप्रैल १९४८ में भोपाल में प्रजामण्डल ने उतरदायित्वपूर्ण शासन के लिये आन्दोलन आरम्भ किया। इस पर नवाब ने सरदार पटेल से परामर्श किया। इस परामर्श में बहुत समय लगा। नवाब ने समझौते की एक एक धारा पर वकीलों के समान बहुत अधिक वादविवाद किया। उसने इस बात पर भी बल दिया कि उसके राज्य के विलय की बात को अभी कुछ समय तक गुप्त रखा जावे। इस समय यह भी तय किया गया कि भोपाल को मध्य भारत में विलीन न करके चीफ कमिश्नर

के प्रान्त के रूप में उसका पृथक् राज्य बनाया जावे। भोपाल पर १ जून १९४९ को अधिकार किया गया। बाद में उसे मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, जिसकी वह आजकल राजधानी है।

बड़ौदा—बड़ौदा नरेश सर प्रतापसिंह गायकवाड़ सन् १९३९ में गद्दी पर बैठे थे। तीन चार वर्ष तक राज्य करने के उपरान्त वह बुरे परामर्शदाताओं की संगति में पड़ गये और उन्होंने दूसरा विवाह किया, जिससे उनके सम्मान को भारी धक्का लगा। उनका प्रथम विवाह १९२९ में कोल्हापुर के घोरपड़े परिवार की महारानी शान्ता देवी से हुआ था। इससे उनके आठ बच्चे हुए। १९४४ में उन्होंने मद्रास राज्य के एक जमींदार की पुत्री सीतादेवी के साथ विवाह किया। सीतादेवी का पहिले भी १९३३ में एक और विवाह हो चुका था। उसके प्रथम पति से उसके एक पुत्र भी था। किन्तु अक्तूबर १९४३ में उसने मुसलमान बनने की घोषणा की और धर्म परिवर्तन के आधार पर अपने पूर्व पति से न्यायालय द्वारा तलाक़ ले लिया। दिसम्बर १९४३ में आर्य समाज ने उसकी शुद्धि करके उसे फिर हिन्दू बना लिया। इसके शीघ्र बाद उसका विवाह सर प्रतापसिंह के साथ हो गया। सन् १९४४ में सर प्रतापसिंह ने अपनी प्रिवी पर्स २३ लाख रुपये से बढ़ा कर ५० लाख रुपये प्रति वर्ष कर ली।

यद्यपि भारतीय संविधान की रचना होने पर देशी राज्यों की ओर से सर्व-प्रथम उन्होंने ही उसमें अपना प्रतिनिधि भेजा था; साथ ही उन्होंने अगस्त १९४७ में अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर भी भारत के साथ सम्मिलन समझौते पर हस्ताक्षर करके अन्य राजाओं को मार्ग प्रदर्शन किया था, किन्तु बाद में जब भारत पाकिस्तान तथा जूनागढ़ के कारण कठिनता में पड़ गया तो उन्होंने उसके साथ सौदेबाजी करके अपने सभी किये कराये पर पानी फेर दिया। वह अपने राज्य का विस्तार करना तो चाहते ही थे, अपनी सेना को भी विस्तृत करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वह गुजरात तथा काठियावाड़ के "किंग" भी बनना चाहते थे। अपनी यह इच्छाएं उन्होंने सरदार पटेल को लिखे हुए अपने २ सितम्बर १९४७ के पत्र में प्रकट की थीं। जनवरी १९४८ में उनकी प्रजा ने उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्राप्त करने के लिये आन्दोलन आरम्भ किया, जिसके लिये वह अप्रैल १९४८ में हारे मन से तैयार भी हो गये। वह डा० जीवराज मेहता को अपना दीवान बना कर मई १९४८ में योरुप चले गये।

डा० जीवराज मेहता को चार्ज लेने पर पता लगा कि महाराजा ने राज्य के सुरक्षित कोष से बड़ी बड़ी रकमें निकाली थीं और वह अनेक रत्नों को बेच भी चुके थे। उधार की रकम २२० लाख रुपये थी। २९ मई १९४८ को उन्होंने १०५ लाख रुपये खजाने से और भी लिये। इस पर प्रजा के प्रतिनिधियों ने दीवान की

अध्यक्षता में एकत्रित होकर दो प्रस्ताव पास किये। एक में उन्होंने घोषणा की कि सर प्रतापसिंह राज्य करने योग्य नहीं हैं और उनको अपने बड़े पुत्र के पक्ष में राज्य-त्याग कर देना चाहिये। इस विषय में भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह राज्य में रिजेंसी कौंसिल बनाकर अल्पवयस्क शासक के स्वत्वों की रक्षा करे। दूसरे प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह राज्य के हिसाब की विस्तृत जांच पड़ताल करके सुरक्षित कोष की रक्षा करे और महाराजा से उसकी क्षतिपूर्ति करावे।

सर प्रताप सिंह यह समाचार सुनकर योरुप से लौट आये और दिल्ली आकर सरदार पटेल से मिले। अब वह अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित करने के लिये सहमत हो गये। इस समय वह इस बात पर भी सहमत हो गये कि राज्य के शासन कार्य का संचालन एक रिजेंसी कौंसिल करे, जिसमें महारानी शान्तादेवी, दीवान जीवराज मेहता तथा न्यायमन्त्री हों। वह इस बात पर भी सहमत हो गये कि भारत सरकार राज्य के सुरक्षित कोष के हिसाब की जांच पड़ताल करे, जिसके समस्त ऋण चुकाने का उन्होंने वचन दिया।

भारत सरकार की जांच से यह पता चला कि १९४३ से १९४७ तक के बीच में खजाने से ६ करोड़ रुपये निकाले गये थे। साथ ही यह भी पता चला कि अनेक बहुमूल्य रत्न, जिनमें प्रसिद्ध सात लड़वाला मोतियों का हार, हीरों का हार तथा तीन अमूल्य रत्न हटाये जाकर इंगलैण्ड भेज दिये गये थे। सभी राज्यों में यह प्रथा थी कि इन रत्नों को धारण करने के उपरान्त जवाहर खाने में लौटा दिया जावे। बाद में महाराजा तथा उनके मन्त्रियों में भी पर्याप्त मतभेद बढ़ गए। इस पर सरदार पटेल जनवरी १९४९ में स्वयं बड़ौदा आये और पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि बड़ौदा राज्य को बम्बई प्रान्त में विलीन कर दिया जावे। इस प्रस्ताव को राज्य की कौंसिल ने २८ फर्वरी १९४९ को स्वीकार कर लिया। सर प्रतापसिंह की प्रिवी पर्स २६ लाख ५० हजार रुपया वार्षिक निश्चित की गई। उन्होंने एक एक करोड़ रुपये के उन दोनों ट्रस्टों को भी राज्य को सौंपना स्वीकार कर लिया, जिन्हें उनके पूर्वजों ने बनाया था। इन दोनों ट्रस्ट्रों में से एक की धन राशि से बाद में सरदार पटेल की प्रेरणा से महाराजा सरदारजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय बनाया गया। महाराजा सर प्रताप सिंह ने राज्य का उधार चुका कर उन रत्नों को भी ला देने का वचन दिया, जो इंग्लैण्ड पहुंचा दिये गये थे। किन्तु उन रत्नों को वह श्री वी० पी० मेनन के बार बार तकाजा करने पर ही बड़ी कठिनता से इंगलैण्ड से वापिस लाये। किन्तु मुक्ताहार की सात लड़ों में से एक लड़ ग़ायब हो चुकी थी। जौहरियों का कहना था कि वैसे मोती लाखों रुपये व्यय करके भी नही मिल सकते। हीरक हार को तोड़ दिया गया

था, किन्तु तीन प्रसिद्ध रत्न वापिस मिल गए। मोतियों के दोनों फर्श कभी भी वापिस नहीं मिले।

किन्तु महाराजा सर प्रताप सिंह का हृदय फिर बदल गया और जिस समय सरदार पटेल दिसम्बर १९५० में बम्बई में मृत्यु शय्या पर पड़े हुए थे, उन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिख कर बड़ौदा के विलय की वैधानिकता को चुनौती दी।

१५ दिसम्बर १९५० को सरदार पटेल का स्वर्गवास होने पर श्री एन० गोपाल स्वामी ऐयंगर को संचार साधनों के अतिरिक्त राज्य विभाग का मन्त्री भी बनाया गया। उनकी सम्मति से महाराजा बड़ौदा को उनके उपरोक्त पत्र के उत्तर में एक चेतावनी दी गई। किन्तु उन पर उस चेतावनी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने बम्बई में विलय विरोधी राजाओं का एक संघ बनाने का यत्न किया। इस कार्य में महाराजा जोधपुर की भी सहानुभूति देखने में आई। उन लोगों का कार्यक्रम यह था कि भारत तथा पाकिस्तान का युद्ध आरम्भ होने पर वह अपने अपने राज्य को वापिस ले लें। भारत सरकार में इन समाचारों पर बड़ी गम्भीर प्रतिक्रिया हुई। बहुत कुछ सोच-विचार के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि भारतीय संविधान की धारा ३६६ की उपधारा २२ के अनुसार सर प्रताप सिंह को दी हुई मान्यता वापिस ले ली जावे और उनके स्थान पर उनके पुत्र युवराज फतह सिंह को महाराजा बड़ौदा बनाया जावे। इस आज्ञा को महाराजा सर प्रतापसिंह पर उनके दिल्ली के निवास स्थान में १२ अप्रैल १९५१ को तामील किया गया।

यद्यपि महारानी शान्ता देवी को सर प्रताप सिंह के हाथों अनेक कष्ट सहने पड़े थे, किन्तु अपने पति की इस आपत्ति में वह उसकी रक्षा के लिये तैयार हो गई। वह अपने पति को लेकर दिल्ली आई और श्री वी० पी० मेनन, श्री गोपाल स्वामी ऐयंगर, प्रधान मन्त्री पं० नेहरू तथा राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद से मिली और उनसे प्रार्थना की कि वह महाराजा का अपराध क्षमा कर दें। किन्तु उनका प्रार्थना पत्र २० मई १९५१ को अस्वीकार कर दिया गया। बाद में सर प्रताप सिंह के पास 'हिज हाईनेस' की उपाधि रहने दी गई और गुजारे के लिये उनको कुछ रकम भी दी गई।

काश्मीर की समस्या—जम्मू तथा काश्मीर राज्य आरम्भ में भारत या पाकिस्तान किसी में भी न मिल कर स्वतन्त्र रहना चाहता था। किन्तु पाकिस्तान ने २० अक्तूबर १९४७ के लगभग कबाइलियों की सेना से उस पर आक्रमण करा दिया। उस समय काश्मीर राज्य के पास सैनिक शक्ति नाम मात्र को ही थी। लुटेरे सार्वजनिक विनाश का दृश्य उपस्थित करते हुए श्रीनगर के द्वार तक आ

गय । काश्मीर के महाराजा हरिसिंह अपने समस्त परिवार तथा सामान सहित श्रीनगर से भाग निकले और दिल्ली आकर २६ अक्तूबर १९४७ को उन्होंने उसी प्रकार के सम्मिलन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये, जिस प्रकार अन्य राज्यों ने किये थे । किन्तु नेहरूजी ने तब भी काश्मीर का मामला रियासती विभाग को न देकर अपने पास ही रखा । इस पर भारत सरकार ने काश्मीर की रक्षा के लिये विमानों द्वारा सेना भेजी, जिसने लुटेरों को पीछे भगा दिया । बाद में पाकिस्तानी सेना भी काश्मीर के मैदान में आ गई । इस पर नेहरूजी ने सरदार पटेल के विरोध करने पर भी पाकिस्तान द्वारा काश्मीर में हस्तक्षेप करने की शिकायत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में की । किन्तु सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन तथा अमरीका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया और उसे काश्मीर में आक्रमक न मान कर भारत पर दबाव डाला कि वह काश्मीर के विषय में पाकिस्तान के साथ समझौता कर ले । तब से अब तक सुरक्षा परिषद की ओर से भारत में अनेक प्रतिनिधि समझौता कराने आये, किन्तु भारतीय दृष्टिकोण से मौलिक मतभेद होने के कारण वह समझौता न करा सके । १८ नवम्बर १९४९ को काश्मीर के तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेख अब्दुल्ला ने प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में काश्मीर गवर्नमेंट कला भवन में एक भोज दिया, जिसमें सरदार पटेल ने बख्शी गुलाम मुहम्मद के साथ काश्मीर के भविष्य के सम्बन्ध में वार्तालाप किया । इससे पूर्व सरदार पटेल महात्मा गांधी से कई बार यह कह चुके थे कि शेख अब्दुल्ला विश्वसनीय नहीं है, किन्तु नेहरूजी ने महात्मा गांधी के द्वारा यह बात सुन कर भी उस पर ध्यान नहीं दिया । तथापि बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि इस विषय में सरदार का दृष्टिकोण उचित था ।

काश्मीर में काश्मीर संविधान परिषद अपना नया विधान बना चुकी है और उस विधान के अनुसार काश्मीर में वहां के युवराज कर्णसिंह वहां का शासन कार्य चला रहे हैं । १४ नवम्बर १९५२ को काश्मीर संविधान परिषद ने उनको अपना प्रथम "सदरे रियासत" चुना, जिसे भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने १५ नवम्बर १९५२ को स्वीकार कर लिया ।

३ जून १९५३ को काश्मीर जेल में संसद सदस्य डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी का स्वर्गवास हुआ । इस समय काश्मीर के मुख्य मन्त्री शेख अब्दुल्ला का काश्मीर भर में अविश्वास किया जाने लगा था । अतः ८ अगस्त १९५३ को सदरे रियासत युवराज कर्णसिंह ने उनको पदच्युत करके ९ अगस्त को बख्शी गुलाम मुहम्मद को नया मुख्य मन्त्री बनाया । बख्शी गुलाम मुहम्मद ने मुख्य मन्त्री बनते ही ९ अगस्त को शेख अब्दुल्ला को ३० साथियों सहित पाकिस्तान भागते हुए गुलमर्ग में गिरफ्तार करवाया । तब से शेख अब्दुल्ला अभी तक नजरबन्द है और उस पर

षड्यन्त्र का मुकदमा चलाया जा रहा है, जिस पर भारत सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है।

अब काश्मीर संविधान परिषद ने काश्मीर का संविधान बनाने का कार्य अपने हाथ में लिया। उसने नवम्बर १९५६ में सर्व सम्मति से यह निर्णय किया कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। काश्मीर की भावी विधान सभा में पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के प्रतिनिधियों के लिये भी स्थान सुरक्षित रखे गये। इस संविधान को २७ जनवरी १९५७ से काश्मीर पर लागू किया गया। इसके बाद काश्मीर संविधान परिषद भंग हो गई। काश्मीर संविधान परिषद के सदस्यों ने इस संविधान की चार प्रतियों पर १९ नवम्बर १९५६ को हस्ताक्षर किये।

इस लिये पाकिस्तान का काश्मीर में जनमत संग्रह कराने का आग्रह किसी प्रकार भी उचित नहीं है। काश्मीर की संविधान परिषद भारत में मिलने का स्पष्ट निर्णय कर चुकी है और उसकी संपुष्टि उसके पश्चात् काश्मीर के दो दो निर्वाचनों में की जा चुकी है।

सरदार पटेल का सुझाव था कि काश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर उसे भारत में पूर्णतया मिला कर वहां शरणार्थियों को बसाया जावे और वहां जाने की अन्य भारतवासियों पर जो पाबन्दी लगी हुई है उसे हटाया जावे। किन्तु पं० नेहरू ने केवल भावुकतावश सरदार पटेल के इन दोनों सुझावों को अस्वीकार कर दिया।

सरदार का कहना था कि यदि काश्मीर का मामला उनके निर्देशन में सुलझाया जावे तो उसका निर्णय १५ दिन में हो सकता है। किन्तु पंडित नेहरू ने सरदार की बात नहीं मानी, जिसके फलस्वरूप काश्मीर की समस्या को १५ वर्ष हो जाने पर भी नहीं सुलझाया जा सका और देश के कई करोड़ रुपये काश्मीर पर प्रति वर्ष खर्च होते हुए भी इसके विषय में भारत की बदनामी संसार भर में हो रही है।

भारत विभाजन के फलस्वरूप हम से ३,६४,७३७ वर्गमील भूमि तथा आठ करोड़ तीस लाख जन संख्या छिन गई, किन्तु राज्यों के एकीकरण से हमको लगभग ५ लाख वर्गमील भूमि तथा आठ करोड़ सत्तर लाख जनसंख्या मिली। इसमें जम्मू तथा काश्मीर के अंक सम्मिलित नहीं है।

भारत के इस प्रकार के विस्तार से यह अनुभव किया गया कि भारत में शासन कार्य चलाने योग्य अफसरों की पर्याप्त कमी थी। अंग्रेजों के भारत से चले जाने तथा भारत विभाजन के फलस्वरूप अनेक अफसरों के पाकिस्तान चले जाने

से प्रशिक्षित अफसरों की कमी विशेष रूप से हो गई। अतएव सरदार ने अन्य मुख्यमन्त्रियों की सहमति प्राप्त कर पुरानी सिविल सर्विस के ढंग पर भारतीय प्रशासन सेवा (Indian Administrative Service) की स्थापना की। उन्होंने इस के लिये योग्य व्यक्तियों की भर्ती करके उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध भारत में ही किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अखिल भारतीय आधार पर 'भारतीय पुलिस सर्विस' की भी स्थापना की।

इसमें संदेह नहीं कि इन राज्यों की समस्या को हल करने में सरदार को अपना दिन रात एक करना पड़ा। जिस प्रकार गत पृष्ठों में इन राज्यों की विलीनीकरण प्रक्रिया को दिया गया है उनके एक करने में उससे कई सहस्र गुनी शक्ति सरदार पटेल को लगानी पड़ी। वास्तव में अपने केवल एक इसी कार्य के कारण सरदार आज इतिहास में अमर बन गए हैं। इतना ही नहीं, वरन् वह आधुनिक भारत के एक महान् निर्माता के रूपमें भावी इतिहास में स्मरण किये जावेंगे।

अध्याय १२

हैदराबाद की समस्या

हैदराबाद राज्य की स्थापना मीर कमरुद्दीन ने अठारवीं शताब्दी के आरम्भ में की थी। उसे दिल्ली के बादशाह फर्रुखसियर ने १७१३ में नीज़ामुल-मुल्क की उपाधि देकर दक्षिण का सूबेदार बनाया था। बाद में सम्राट् मुहम्मद शाह ने उसे आसिफ़ जाह की उपाधि दी। इसी से इस वंश को आज आसिफ़जाही वंश कहा जाता है। १७२४ में उसने दिल्ली साम्राज्य से पृथक् होकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, यद्यपि यह घराना दिल्ली के शासक वंश की १८५८ में समाप्ति होने तक नाममात्र को उसके आधीन बना रहा।

सन् १७६६ में तीसरे नीज़ाम नीज़ाम अली खां ने अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार किया। वर्तमान नीज़ाम उस्मान अली खां सातवीं पीढ़ी पर है। वह २९ अगस्त, १९११ को गद्दी पर बैठा था। १९१८ में उसे "हिज एक्ज़ाल्टेड हाइनेस' की वंशानुगत उपाधि मिली।

इस राज्य की ८५ प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू थी, फिर भी नागरिक सेवाओं, पुलिस तथा सेना में मुसलमान ही मुसलमान रखे गये थे। यहां तक कि १९४६ में बनाई हुई विधान सभा के कुल १३२ सदस्यों में भी मुसलमानों की संख्या हिन्दुओं से १० अधिक थी।

नीज़ाम के वंश में न तो कोई नीज़ाम और न कोई उनका प्राइम मिनिस्टर वीरता के लिए चमका, परन्तु जहां उनकी वीरता में कमी रही, वहां उन्होंने उसकी पूर्ति चतुरता से कर ली। व्यवहारिक दृष्टि एवं चाणक्य नीति के खेल में शायद ही कोई इस वंश से बाज़ी ले सका। नीज़ाम के पास एक विशाल राज्य बिना किसी युद्ध के आ गया था। उसकी सीमा की कल्पना इसी से की जा सकती है कि आज के महाराष्ट्र के बराबर के चारों जिले एवं मराठावाड़ा के पांचों जिले तथा मैसूर राज्य के तीन जिले एवं लगभग समूचा वर्तमान आन्ध्र प्रदेश इस वंश को अनायास मुगलों से मिला। युद्ध तो इस वंश को कई लड़ने पड़े, पर किसी भी युद्ध में यह यशस्वी नहीं हो पाया। हर युद्ध में मार खाने पर भी यह राज्य न सिर्फ टिका रहा, बल्कि ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा राज्य बना रहा। यही काफी सबूत है इस बात का कि नीज़ाम ने चाणक्य नीति से पूरा पूरा लाभ उठाया था। उस जमाने में उसके गुप्तचर पूना, मैसूर, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मुख्य मुख्य स्थानों पर नियुक्त थे और उनसे इन्हें पूरी-पूरी खबरें मिलती थीं। हर पराभव पर

२५ फरवरी १९४९ को बेगमपेठ हवाई अड्डे पर नीजाम सरदार का अभिवादन कर रहे हैं

आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री वी. रामकृष्ण राव सरदार का हैदराबाद में स्वागत करते हुए (बाएं से) श्री विनायक राव विद्यालंकार, श्री वेलोडी तथा श्रीमती वेलोडी आदि। (मंच पर) श्री बिन्दु, सरदार तथा मणिबेन बैठे हैं।

नीजाम द्वारा दिये हुए उद्यान भोज में।

सरदार के स्वागत म श्री बिन्दु तथा श्री बी. रामकृष्ण राव

नीज़ाम ने कामयाबी के साथ समझौते की बात की। और हर बातचीत में आमतौर पर वह सफल निकल आया।

जब अंग्रेज सर्वोपरि सत्ता के रूप में उभर आये और फ्रेंच, पुर्तगाल एवं डच आदि को भारत से खदेड़ दिया गया तो अंग्रेज़ों ने अपने रेजीडेंट को हैदराबाद में नियुक्त किया और मूसा नदी के एक ओर अपनी विशाल कोठी बनाई। कन्टोनमेंट के तौर पर बहुत बड़ा भाग उन्होंने हासिल कर लिया था, जिन भागों में धीरे-धीरे रेजीडेंसी बाजार, सिकन्दराबाद, बुकारम एवं तिरमिलगिरी जैसे नगर निकल आये। उस सारे ज़माने में जब कि अंग्रेज़ों की चतुर नीति के सामने किसी भी देशी नरेश ने कोई नई चीज़ हासिल नहीं की और हर अवसर पर कुछ न कुछ खोया, नीज़ाम एवं उसके प्रधान मंत्रियों ने हर बार एक-एक करके कई चीजें प्राप्त कीं। सर्वप्रथम 'हिज एग्ज़ाल्टेड हाइनेस' की और उसके बाद "दि फेथफुल ऐली आफ ब्रिटिश एम्पायर" की उपाधियां हासिल कीं। बरार पर अपने सार्वभौमिकता के अधिकारों को स्वीकार कराया। रेजीडेंसी बाजार एवं सिकन्दराबाद को प्राप्त किया। रेजीडेंसी बाज़ार का नाम वर्तमान नीज़ाम ने सुलतान बाज़ार रख दिया।

नीजाम के राज्य में ८५ प्रतिशत जनता हिन्दू थी और वह तीन भाषाओं —तेलगू, मराठी एवं कन्नड़ में विभक्त थी। नीज़ाम ने इसका पूरा लाभ उठाया और भेद नीति का अवलम्ब कर अपनी सत्ता को मजबूत किया। उसने हिन्दुओं में भी एक वर्ग ऐसा तैयार किया, जिसकी वफादारी नीज़ाम के साथ अधिक थी और जिसका कोई सम्पर्क स्थानीय हिन्दुओं से स्वाभाविक तौर पर हो नहीं पाता था। इसी प्रकार नीज़ाम ने कई व्यापारियों को भी राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश से बुलाया।

इस बात की चिन्ता नीज़ाम ने शुरू से ही की कि ब्रिटिश भारत का कम से कम सम्पर्क उसके राज्य की जनता से हो और वहां की जागृति का असर उसके राज्य में न फैलने पावे। यही कारण है कि जब रेल के मार्ग निर्धारित होने लगे तब उसने हैदराबाद को मुख्य मार्ग पर न आने दिया। हैदराबाद उस ज़माने में तीसरा बड़ा शहर था। इसके बावजूद न तो हैदराबाद दिल्ली मद्रास के मार्ग पर पड़ता है और न बम्बई मद्रास के मार्ग पर। इसका परिणाम यह निकला कि बाहर के बहुत कम नेता हैदराबाद आ पाये और हैदराबाद की जनता में जागृति बढ़ा सके। गांधीजी, जो समूचे भारत का कई बार विस्तार के साथ भ्रमण कर चुके थे, हैदराबाद केवल दो बार ही आये थे और वह भी केवल एक दो दिन के लिए। केवल लोकमान्य तिलक एक पारिवारिक घटनाके कारण हैदराबाद राज्य में काफी घूमे थे और यही कारण है कि जहां जहां लोकमान्य तिलक गये थे, वहां सबसे पहले राजनीतिक जागृति प्रारम्भ हुई।

शिक्षा के प्रसार में भी नीज़ाम ने बड़ी धूर्तता बरती। उर्दू को माध्यम बना कर उसने दो उद्देश्यों को एक साथ साधा। अंग्रेजी के मुकाबले में देशी भाषा को प्राथमिकता देकर उसने सारे भारतवर्ष में नाम कमाया। परन्तु उसका असली उद्देश्य था कि इस माध्यम के कारण मुसलमान कम संख्या में होने पर भी अधिक परिमाण में शिक्षा प्राप्त करें और हुआ भी यही। स्नातक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में मुसलमानों की संख्या हिन्दुओं से अधिक थी। हिन्दुओं में भी बहुत बड़ा भाग कायस्थों और ब्रह्म खत्रियों से आया था। इस प्रकार नीज़ाम ने पूरे राज्य को अपने प्रभाव में जकड़ लिया।

इसके साथ ही उसने इस बात की कोशिश की कि व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रगति में बाहर वालों का कम भाग रहे। निस्संदेह इससे हैदराबाद आर्थिक रूप में पिछड़ा रहा, लेकिन उसे इसकी कोई चिन्ता नहीं थी। जो भी थोड़े से उद्योग हैदराबाद राज्य में शुरू हुए वह लगभग मुसलमानों के हाथ में थे। व्यापार उत्तर भारतीय हिन्दुओं के हाथ में था। इस प्रकार बाहर की जनता का बहुत कम सम्पर्क रहा और राजनैतिक जागृति नहीं के समान हो पाई।

फिर भी धीरे-धीरे राजनैतिक शक्ति जागृत होने लगी। गणेशोत्सवों द्वारा धार्मिक आवरण में राजनैतिक एवं सामाजिक विषयों पर चर्चा होने लगी। यही कारण है कि हैदराबाद के समूचे राज्य में गणेशोत्सव लोकप्रिय हुए, यद्यपि गणेशोत्सव आम तौर पर महाराष्ट्र में ही मनाये जाते हैं। पुस्तकालय आन्दोलन भी प्रारम्भ हुआ और धीरे-धीरे हर पुस्तकालय राजनीतिक कार्य का स्थल बनने लगा। आन्ध्र महासभा, महाराष्ट्र परिषद् तथा कर्नाटक परिषद् जैसी संस्थाओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में सामाजिक कार्य के नाम पर राजनैतिक कार्य करना शुरू किया। फिर भी उग्रगामियों की प्यास इससे बुझ नहीं सकती थी। अतः हैदराबाद राजनैतिक परिषद की स्थापना हुई। इसके तीन सम्मेलन हुए और वह तीनों भी हैदराबाद राज्य के बाहर ही हुए।

अप्रैल १९३८ में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना हुई। तत्कालीन प्रधान मंत्री सर अकबर हैदरी ने फौरन उस पर प्रतिबन्ध लगाया। इस प्रतिबन्ध के विरोध में सत्याग्रह हुआ।

कांग्रेस के सत्याग्रह के साथ-साथ हिन्दू महासभा ने भी अपना सत्याग्रह प्रारम्भ किया। उसी समय आर्य समाज ने भी बहुत बड़े पैमाने पर सत्याग्रह आन्दोलन चलाया। इस प्रकार यह तीनों सत्याग्रह साथ-साथ चलते रहे। गांधीजी के आदेशानुसार कांग्रेस का सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया और हिन्दू महासभा का सत्याग्रह फीका पड़ गया। परन्तु आर्य समाज के सत्याग्रह ने बहुत जोर पकड़ा। हजारों की संख्या में सत्याग्रही आते थे और नीजाम सरकार को उन्हें सम्भालना

मुश्किल हो जाता था। नई-नई जेलें खुल गई और बाद में सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करने से इन्कार कर दिया गया। इस प्रकार इन आन्दोलनों ने हैदराबाद के अन्दर बहुत बड़ा जन-जागृति निर्माण का कार्य किया और पहली बार हैदराबाद जन आन्दोलन की चर्चा भारत भर के पत्रों में की जाने लगी।

३ जून, १९४७ की घोषणा के बाद नीजाम ने घोषणा की कि वह भारत अथवा पाकिस्तान किसी की भी संविधान परिषद् में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेगा और १५ अगस्त १९४७ को सर्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्र कहलावेगा। किन्तु भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा ७ उसकी इस इच्छा में बाधक थी। अतएव ११ जुलाई को उसने एक प्रतिनिधि मंडल नवाब छतारी की अध्यक्षता में भारत सरकार के पास दिल्ली भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने भारत सरकार के सम्मुख मांग रखी कि बरार नीजाम को वापिस किया जावे तथा हैदराबाद को औपनिवेशिक स्वतंत्रता दी जावे। वह सम्मिलन समझौते पर हस्ताक्षर किये बिना केवल यथापूर्व समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता था। किन्तु सरदार का रुख स्पष्ट था। उन्होंने सम्मिलन समझौते पर हस्ताक्षर करने पर जोर दिया और २५ जुलाई १९४७ को नवाब छतारी को नरेन्द्र मंडल की वार्तालाप समिति में सम्मिलित कर लिया। किन्तु नवाब छतारी ने उसमें भाग नहीं लिया और हैदराबाद का प्रतिनिधि मंडल बिना किसी निर्णय के वापिस लौट गया। हैदराबाद को अपने निर्णय पर पुर्नविचार करने के लिए दो मास का समय दिया गया।

इस बीच हैदराबाद में 'इत्तिहादुल मुसलमीन' नामक एक साम्प्रदायिक संगठन ने साम्प्रदायिक विष फैलाना आरम्भ किया। सैयद क़ासिम रिज़वी उसका अध्यक्ष था। उसने रज़ाकार नाम से एक स्वयंसेवी सैनिक संगठन भी बनाया हुआ था। इन लोगों के आतंक तथा साम्प्रदायिक अत्याचारों से हैदराबाद के हिन्दुओं में असंतोष बढ़ता जाता था। इस समय सर वाल्टर मांटकन नीजाम का विधान संबंधी परामर्शदाता था। किन्तु वहां के मुस्लिम साम्प्रदायिक पत्रों ने उसके विरुद्ध भी विष उगलना प्रारम्भ किया।

सर वाल्टर मांटकन ने प्रस्ताव किया कि सम्मिलन समझौते में कुछ सुधार कर नीजाम के लिए उसका नाम बदल दिया जावे। किन्तु सरदार पटेल ने इस विचार को बिल्कुल पसन्द नहीं किया। क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसा करने का अर्थ था अन्य राज्यों के साथ विश्वासघात। सरदार का कहना था कि "निर्णय का अधिकार नीजाम का नहीं, वरन् उसकी प्रजा का है।" सरदार का यह भी कहना था कि बरार के सम्बन्ध में भी वह नीजाम की प्रजा के निर्णय को स्वीकार कर लेंगे। किन्तु नीजाम ने अपनी प्रजा को ऐसा अधिकार देना स्वीकार नहीं किया।

इसी समय नीजाम ने ३० लाख पौंड के मूल्य के शस्त्रास्त्र ज़ेकोस्लोवाकिया से मोल लेने का यत्न किया। इस समय नीजाम ने जिना से अनुरोध किया कि वह उसको सर ज़फरुल्ला खां को अपनी सेवा में लेने दें। किन्तु सर ज़फरुल्ला खां संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के प्रतिनिधि बन कर चले गये।

इस बीच नीजाम के कई प्रतिनिधि मंडल दिल्ली आये। एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य नवाब अली यावर जंग ने लार्ड माउंटबेटन से कहा कि यदि हैदराबाद भारतीय संघ में मिल गया तो हैदराबाद नगर की मुस्लिम जनसंख्या-जो वहां ५० प्रतिशत है–-इसे सहन न करेगी और वह वहां इतना भयंकर संघर्ष करेगी कि उसे दबाना तो दूर, वह राज्य के सभी जिलों में फैल जावेगा। इस पर लार्ड माउंटबेटन ने उनसे पूछा कि 'यदि राज्य की हिन्दू प्रजा को काट दिया गया तो क्या वह यह समझते हैं कि भारत सरकार उसे शान्तिपूर्वक देखती रहेगी ?'

हैदराबाद से प्रतिनिधि मंडल फिर भी आते रहे। किन्तु इस वार्तालाप का कोई परिणाम न निकला। अन्त में भारत सरकार ने यह सोच कर कि कहीं नीजाम पाकिस्तान में सम्मिलित न हो जावे, एक समझौते की रूप-रेखा बनाई। उसे सरदार पटेल, पंडित नेहरू तथा लार्ड माउंटबेटन के अतिरिक्त हैदराबाद के प्रतिनिधियों—सर वाल्टर मांटकन, नवाब छतारी तथा सर सुलतान अहमद ने भी स्वीकार कर लिया। वह उसे लेकर २२ अक्तूबर, १९४७ को उस पर नीजाम की स्वीकृति लेने के लिए हैदराबाद चले गये और २६ को वापिस आने का वचन दे गये।

नीजाम ने उस पत्र को देख कर उसके सम्बन्ध में अपनी कार्यकारिणी समिति का परामर्श मांगा। कार्यकारिणी के ९ सदस्य थे। उन्होंने उस पर तीन दिन तक विचार करने के उपरान्त उसे ३ के विरुद्ध ६ मत से स्वीकार कर लिया। नीजाम ने भी उसे २५ की रात को स्वीकार कर लिया। किन्तु उस पर हस्ताक्षर उसने २७ तक भी नहीं किये।

२७ अक्तूबर को प्रातःकाल २५-३० सहस्र रज़ाकारों ने सर वाल्टर मांटकन, नवाब छतारी तथा सर सुलतान अहमद के घरों को घेर लिया और उनसे मांग की कि वह वापिस दिल्ली न जावें। इस अवसर पर हैदराबाद पुलिस का एक भी सिपाही वहां न था।

बड़ी कठिनता से नवाब छतारी सैनिक अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर सके, जिससे उन तीनों तथा लेडी मांटकन को वहां से हटा कर सेना के एक अंग्रेज अफसर के यहां पहुंचा दिया गया। कुछ घन्टे बाद नीजाम ने भी उनको संदेश दिया कि वह दिल्ली न जावें।

अगले दिन नीजाम ने कासिम रिज़वी को बुलवाया। उसका कहना था कि भारत सरकार इस समय काश्मीर में फंसी होने के कारण हैदराबाद के साथ झुक कर बात करने को बाध्य होगी और वह स्वयं भी भारत सरकार को झुकने के लिए विवश करेगा। जब नीजाम ने सर वाल्टर मांटकन, नवाब छतारी तथा सर सुलतान अहमद के विरोध करने पर भी कासिम रिज़वी की बात को मानने पर बल दिया तो तीनों ने अपने-अपने त्यागपत्र दे दिए। नीजाम ने लार्ड माउंटबेटन के पास एक पत्र सर सुलतान अहमद के द्वारा ३१ अक्तूबर को भेजा। उसमें नीजाम ने धमकी दी थी कि भारत के साथ समझौता वार्ता टूट जाने पर वह पाकिस्तान के साथ पत्र-व्यवहार करेगा। सर सुलतान अहमद ने लार्ड माउंटबेटन को यह भी बतलाया कि नीजाम ने दो व्यक्ति कराची भेजे थे, जो २९ अक्तूबर को वापिस आ गये। सर सुलतान को आशा थी कि नीजाम को पाकिस्तान से कोई संदेश मिला होगा।

नीजाम की कार्यकारिणी के जिन तीन सदस्यों ने समझौते प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया था उनमें नवाब मोइन नवाज़ जंग तथा अब्दुल रहीम प्रमुख थे। अब्दुल रहीम इत्तिहादुल मुसलमीन का सदस्य होने के कारण पक्का साम्प्र-दायिकतावादी था। यह दोनों भारत के साथ समझौते के विरुद्ध थे। नीज़ाम ने उन दोनों के साथ पिगले वेंकटरमण रेड्डी को सम्मिलित करके उनको ३१ अक्तूबर को दिल्ली भेजा। सरदार पटेल नए प्रतिनिधिमण्डल के आने से रुष्ट हुए। यह प्रतिनिधिमण्डल बिना किसी परिणाम के ७ नवम्बर १९४७ को हैदराबाद लौट गया।

इस बीच नीज़ाम ने नवाब छतारी का त्यागपत्र स्वीकार कर मीर लायक अली को अपनी कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया। लायक अली, हैदराबाद का एक प्रमुख व्यापारी था और संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान का प्रतिनिधि रह चुका था। यह नियुक्ति उसने क़ासिम रिज़वी के कहने से श्री थी। कार्य-कारिणी में भी क़ासिम रिज़वी के कई आदमी लिये गए, जिससे हैदराबाद का शासन व्यवहारतः क़ासिम रिज़वी के हाथ में आ गया।

इस बीच क़ासिम रिजवी भी दिल्ली आकर सरदार पटेल तथा श्री वी० पी० मेनन से मिला। उसका वार्तालाप धमकी से भरा हुआ था।

२५ नवम्बर को हैदराबाद से नया प्रतिनिधि मण्डल आया। उसने समझौते में संशोधन कराने के लिये पर्याप्त संघर्ष किया। फलतः नीज़ाम ने दो दस्तावेज़ों पर २९ नवम्बर, १९४७ को हस्ताक्षर कर दिये।

इस यथापूर्व समझौते में ५ धारायें थीं। उसकी प्रथम धारा में रक्षा, परराष्ट्र

सम्बन्ध तथा संचार साधनों के हैदराबाद की ओर से भारत सरकार द्वारा बनाए रखने की बात थी। किन्तु उसमें भारत सरकार को यह अधिकार नहीं दिया गया था कि वह आन्तिरिक सुरक्षा में नीज़ाम को सहायता करने के लिए अथवा युद्ध स्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति में हैदराबाद में सेना भेज सके या रख सके। धारा दो के अन्तर्गत नीज़ाम तथा भारत सरकार ने अपने-अपने एजेंट जेनेरल हैदराबाद तथा दिल्ली में रखने का निश्चय किया। धारा तीन के अनुसार यह निश्चय किया गया कि भारत सरकार को हैदराबाद के ऊपर उच्च सत्ता नहीं माना जावेगा। धारा चार के अनुसार यह निश्चय किया गया कि भावी झगड़ों को पंच फैसले द्वारा सुलझाया जावेगा। धारा पांच के अनुसार यह तय किया गया कि यह समझौता तत्काल लागू होगा और एक वर्ष तक रहेगा।

संलग्न पत्र में नीज़ाम ने कहा कि वह सर्व प्रभुत्व सम्पन्न शासनाधिकारी के रूप में अपने अधिकार को न छोड़ते हुए यथापूर्व समझौते के लागू होते समय कुछ मामलों में अपने अधिकार को स्थगित कर रहा है। विदेशों में अपने राजनीतिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति, हैदराबाद राज्य को शस्त्रास्त्र मिलते रहने, सैनिक महत्व की हल्की गाड़ियों के आयात, राज्य से भारतीय सैनिकों के हटाये जाने, छावनियों की वापिसी, मुद्रा, सिक्कों तथा डाक आदि के सम्बन्ध में उसके अधिकारों को बनाए रखने जैसे मामले अभी स्थगित किये जाते हैं।

इसके उत्तर में भारत सरकार की ओर से लार्ड माउंटबेटन ने यह आशा प्रकट की कि यह यथापूर्व समझौता सन्तोषजनक दीर्घावधि समझौते के लिये आधार का काम देगा। उसमें इस बात पर बल दिया गया था कि हैदराबाद का हित भारत के साथ संलग्न है। इसलिये इस समझौते की अवधि समाप्त होने के पूर्व हैदराबाद सम्मिलन समझौते पर हस्ताक्षर कर देगा। उठाए गए प्रश्नों के सम्बन्ध में इस बात का आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार उनके सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। लार्ड माउंटबेटन के नाम लिखे हुए एक गुप्त पत्र में नीज़ाम ने इस बात का वचन दिया कि वह पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होगा। उस पत्र में यह भी कहा गया कि यदि भारत ने राष्ट्रमण्डल छोड़ने का निर्णय किया तो नीज़ाम अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने को स्वतन्त्र होगा और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध होने पर वह तटस्थ रहेगा।

२९ नवम्बर १९४७ को सरदार पटेल ने इस समझौते की घोषणा भारतीय संविधान परिषद् में की।

इस समझौते की धारा दो के अनुसार भारत सरकार ने श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को हैदराबाद में अपना एजेंट जेनेरल नियुक्त किया।

उसके थोड़े समय पश्चात् नीजाम ने दो आर्डिनेंस निकाले। एक के द्वारा हैदराबाद से भारत को मूल्यवान धातुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया और दूसरे आर्डीनेंस द्वारा भारतीय मुद्रा को हैदराबाद में अवैध कर दिया गया। नीज़ाम के यह दोनों कार्य समझौते के विरुद्ध थे। किन्तु उसने भारत सरकार के इस विषय के विरोध पत्र का गोलमोल उत्तर ही दिया। इसके पश्चात् भारत सरकार को पता चला कि नीजाम सरकार ने पाकिस्तान को भारत की प्रतिभूतियों में बीस करोड़ पौंड का ऋण दिया है। इस ऋण का वार्तालाप नवाब मोइन नवाज जंग ने दिल्ली में समझौता वार्ता करते समय किया था। नीजाम ने भारत सरकार से परामर्श किये बिना कराची में अपना एक जनसम्पर्क अधिकारी भी नियुक्त किया था।

३० जनवरी १९४८ को नवाब मोइन नवाज जंग की अध्यक्षता में हैदराबाद का एक प्रतिनिधि मण्डल दिल्ली आया। उसने इस बात की शिकायत की कि भारतीय पत्रों में हैदराबाद के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा था। साथ ही उसने इस बात की शिकायत भी की कि हैदराबाद को शस्त्रास्त्र तथा अन्य आयातों पर अंकुश लगा हुआ है।

इन दिनों रज़ाकार लोग पूरे राज्यभर में हिन्दुओं के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। सम्पत्ति के अतिरिक्त महिलाओं के ऊपर भी आक्रमण किये जाते थे। भारतीय पत्रों में इन अत्याचारों के समाचार प्रकाशित होते रहते थे, जिससे भारतीय जनता में भी उत्तेजना फैल रही थी। हैदराबाद सरकार रजाकारों के इन अत्याचारों के प्रति केवल मूक दर्शक मात्र बनी हुई थी। रजाकारों ने मद्रास राज्य की सीमा में भी उपद्रव किये थे, जिसकी शिकायत मद्रास सरकार ने भारत सरकार से की थी।

इस प्रतिनिधि मण्डल में लायकअली भी था। उसने सरदार पटेल से भी भेंट की थी। सरदार ने उससे हैदराबाद में साम्प्रदायिक शांति बनाए रखने पर जोर दिया था। इस भेंट के समय सरदार को महात्मा गांधी की हत्या का समाचार मिला। अतएव लायक अली तथा उसके साथी हैदराबाद लौट गए।

कासिम रिज़वी इन दिनों साम्प्रदायिक विष भडकाने वाले व्याख्यान दिया करता था। अपने एक व्याख्यान में उसने कहा कि भारत सरकार हैदराबाद के हिन्दुओं को शस्त्रास्त्र दे रही है। एक अन्य व्याख्यान में उसने कहा कि रज़ाकार भारतीय मुसलमानों के रक्षक हैं। रज़ाकारों के सीमा संघर्षों को रोकने के लिये मद्रास, बम्बई तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की एक कान्फ्रेन्स २१ फर्वरी को नई दिल्ली के राज्य मंत्रालय में हुई। इसमें मद्रास तथा बम्बई के गृह मन्त्री तथा श्री के० एम० मुंशी भी उपस्थित थे। इस कान्फ्रेन्स की अध्यक्षता

सरदार पटेल ने की थी। अपने भाषण में सरदार ने हैदराबाद सरकार के नियम विरुद्ध कार्यों तथा रज़ाकारों के हिन्दुओं पर किये जाने वाले अत्याचारों का वर्णन किया। उन्होंने मुद्रा सम्बन्धी आर्डिनेंस तथा पाकिस्तान को दिये गये बीस करोड़ पौंड ऋण का उल्लेख भी किया, जो यथापूर्व समझौते का स्पष्ट उल्लंघन के कार्य थे। उन्होंने कहा कि या तो हैदराबाद भारत में मिल जावे अथवा अपनी प्रजा को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दे।

मुख्य मंत्रियों के वाद-विवाद में मद्रास के मुख्य मंत्री ने कहा कि उनके राज्य की सीमा पर दिन में रज़ाकार तथा रात्रि में साम्यवादी शासन करते थे। राज्य सरकारों को कहा गया कि वह सैनिक पुलिस का उपयोग कर स्थिति को सम्भालें। अन्य अनेक निश्चय भी किये गये।

इस समय तक नीजाम ने सर वाल्टर मौंटकन को लंदन से फिर वापिस बुला लिया था। वह लायक अली तथा नवाब मोइन नवाज जंग के साथ २ मार्च १९४८ को दिल्ली आया। यहां लार्ड माउंटबेटन तथा श्री वी. पी. मेनन ने उससे समझौता भंग करने वाली उपरोक्त सभी घटनाओं का उत्तर मांगा। रजाकारों के सम्बन्ध में लायक अली ने कहा कि 'हैदराबाद के मुसलमान अपने प्राणों पर संकट समझते हैं। रज़ाकार उनकी रक्षा करते हैं।' लायक अली ने कराची जाकर ४ मार्च को वहां से लौट कर लार्ड माउंटबेटन को बतलाया कि पाकिस्तान सरकार ने उसको यह वचन दिया है कि २० करोड़ पौंड के ऋण को तब तक वसूल नहीं किया जावेगा, जब तक हैदराबाद के साथ यथापूर्व समझौता लागू है। (किन्तु १९४८ में नीज़ाम के लंदन स्थित एजेंट ने बीस करोड़ पौंड की नीज़ाम की प्रतिभूतियां पाकिस्तान के लंदन स्थित हाई कमिश्नर के हिसाब में जमा करा दीं। भारत सरकार की सहायता से नीज़ाम ने लंदन के एक न्यायालय द्वारा इस रक़म को लंदन के वेस्टमिंस्टर बैंक में रुकवा दिया।) लार्ड माउंटबेटन ने कहा कि 'सरदार पटेल मुझसे मिलकर अभी २ गए हैं। उनका कहना है कि 'यदि हैदराबाद में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जावे तो सारी मुसीबतें हल हो जायेंगी और फिर हम सम्मिलन समझौते पर भी बल नहीं देंगे।' लार्ड माउंटबेटन ने कहा कि यदि नीजाम ने अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी तो उसका तथा उसके उत्तराधिकारियों का राज्य सदा बना रहेगा, अन्यथा उसे अपने राज्य से वंचित होना पड़ेगा।

अंत में एक संयुक्त विज्ञप्ति तैयार की गई, किन्तु अचानक सरदार को हृदय का दौरा पड़ गया, जिससे विज्ञप्ति न निकाली जा सकी।

लायक अली ने हैदराबाद लौट कर राज्य कांग्रेस से वार्तालाप करना चाहा तो उसने उत्तर दिया कि जब तक उनका नेता स्वामी रामानन्द तीर्थ जेल में है वह

कोई बात नहीं करेंगे। रज़ाकारों के अत्याचार घटने के बजाये बढ़ते ही गए।

२३ मार्च १९४८ को श्री वी. पी. मेनन ने श्री लायक अली को एक पत्र भेजकर निम्नलिखित घटनाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया, जिनके कारण यथापूर्व समझौता भंग हो रहा था—

१ (क) परराष्ट्र सम्बन्ध में समझौता भंग करने की घटनायें

१—पाकिस्तान को बीस पौंड का ऋण दिया गया,

२—कराची में जनसम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया,

२ (ख) रक्षा सम्बन्ध में समझौता भंग की घटनायें—

१—भारत के देशी राज्यों की सेनाओं की १९३९ की योजना के उत्तरदायित्व को कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया,

२—भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये बिना राज्य की सेनाओं की संख्या बढ़ाई गई,

३—राज्य की पुलिस की संख्या के सम्बन्ध में वार्षिक विवरण नहीं भेजा गया,

४—रज़ाकारों की अनियमित सेना का हैदराबाद के मन्त्रालय तथा राज्य पुलिस के साथ-साथ उपयोग किया जा रहा है।

३—संचार साधनों के सम्बन्ध में समझौता भंग करने की घटना यूनाइटेड प्रेस आफ अमरीका के साथ किया हुआ वह समझौता था, जिसके द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना हैदराबाद में संप्रेषण तथा संग्राहक यंत्र लगाये गये थे।

४—सामान्य उपयोग के मामलों में समझौता भंग करने की घटनायें:

१—हैदराबाद राज्य में भारतीय मुद्रा को गैरकानूनी घोषित किया गया।

२—भारत को स्वर्ण, मूंगफली तथा अन्य तिलहनों का निर्यात बन्द किया गया।

श्री मुंशी ने भारत सरकार का यह पत्र जब श्री लायक अली को दिया तो उसने कहा कि 'नीजाम एक शहीद के समान मृत्यु का आलिंगन करने को प्रस्तुत है। उसके साथ अन्य लाखों मुसलमान भी मरने को तैयार हैं।'

वास्तव में रज़ाकारों के प्रोत्साहन के कारण इस समय हैदराबाद के शासकों की पूरी मनोवृत्ति सैनिक बन गई थी। नीजाम के परामर्शदाताओं का कहना था कि यदि भारत ने हैदराबाद की आर्थिक नाकाबन्दी की तो उसका मुकाबला कई

मास तक किया जा सकता है। हैदराबाद के सैनिक शासक भारत को सैनिक रूप से बहुत ही निर्बल समझते थे। उनको यह विश्वास था कि संसार के सभी मुसलमान देश हैदराबाद के मित्र थे। वह हैदराबाद पर सैनिक आक्रमण नहीं होने देंगे। हैदराबाद रेडियो यहां तक घोषणा करता था कि युद्ध होने पर सैंकड़ों पठान भारत में घुस आवेंगे।

रज़ाकारों की सभाएं भी प्रतिदिन भिन्न-भिन्न स्थानों पर हुआ करती थीं। उनके नेता युद्ध की बात किया करते थे। हैदराबाद की सेनाओं के प्रधान सेनापति एल एदरूस ने अपने रेडियो भाषण में संकट कालीन स्थिति के लिये तैयार होने को कहा था।

इत्तिहादुल मुसलमीन ने शस्त्र तथा उनके लिये धन एकत्रित करने के लिये 'हैदराबाद शस्त्र सप्ताह' मनाया था। इस की एक सभा में ३१ मार्च को भाषण देते हुए क़ासिम रिज़वी ने कहा था कि 'हैदराबाद के मुसलमान तब तक अपनी तलवार को म्यान में नहीं रखेंगे, जब तक कि इस्लाम के प्रभुत्व के उद्देश्य की पूर्त्ति नहीं होती।' उसने यह भी कहा 'एक हाथ में कुरान तथा दूसरे हाथ में तलवार लेकर शत्रु पर टट पड़ो। यह स्मरण रखो कि भारत के साढ़े चार करोड़ मुसलमान हमारे पांचवें कालम का काम करेंगे।'

लायक अली ने ५ अप्रैल १९४८ को पंडित नेहरू के पास १७ टाइप किये पृष्ठों का एक लम्बा पत्र भेजा, जिसमें समझौता भंग करने के दोषों से इंकार करते हुए उल्टे भारत सरकार के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे। इस पत्र के अंत में यह प्रस्ताव किया गया था कि विवादास्पद मामलों को पंचनिर्णय द्वारा सुलझा लिया जावे। नीज़ाम ने भी एक पत्र लार्ड माउंटबेटन को भेजते हुए लायक अली के पत्र का समर्थन किया था।

८ अप्रैल को लार्ड माउंटबेटन ने नीज़ाम के पत्र का उत्तर देते हुए रिज़वी के उत्तेजक भाषणों का उल्लेख किया। इसके पश्चात् १५ अप्रैल को लायक अली ने दिल्ली जाकर पंडित नेहरू से भेंट की। उसने कहा कि क़ासिम रिज़वी ने ऐसे कोई भाषण नहीं दिये। लायक अली ने १६ अप्रैल को सरदार पटेल से भी भेंट की। सरदार ने कहा कि 'क़ासिम रिज़वी के व्याख्यानों से इंकार नहीं किया जा सकता। हैदराबाद का भाग्य अन्य राज्यों से भिन्न नहीं हो सकता। यदि पुराना पोलिटिकल डिपार्टमेंट आज होता तो हैदराबाद की वर्तमान स्थिति को एक क्षण भी सहन नहीं किया जा सकता था। अन्त में चेतावनी देते हुए सरदार ने कहा :

"आप और मैं दोनों ही इस बात को जानते हैं कि शक्ति किस के पास है और हैदराबाद में वार्तालाप का भाग्य अन्तिम रूप से किस के हाथ में है। वह व्यक्ति, (क़ासिम रिज़वी) जो हैदराबाद पर छाया हुआ है, उत्तर दे चुका। उसने स्पष्ट

रूप से कहा है कि यदि भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया तो उसे वहां के डेढ़ करोड़ हिन्दुओं की हड्डियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। यदि स्थिति यह है तो यह नीज़ाम तथा उसके सम्पूर्ण वंश की जड़ खोद रही हैं। मैं आप से इसलिये स्पष्ट भाषण कर रहा हूं कि मैं आपको किसी प्रकार की ग़लतफहमी में रहने देना नहीं चाहता। हैदराबाद की समस्या निश्चय ही उसी प्रकार सुलझेगी, जिस प्रकार अन्य रियासतों की सुलझी है। इसका दूसरा मार्ग संभव नहीं है। हम एक ऐसे एकाकी स्थल को बने रहने देने के लिये सहमत नहीं हो सकते, जो हमारे उसी संघ को नष्ट कर देगा, जिसे हमने अपने रक्त तथा परिश्रम से बनाया है। साथ ही हम मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना चाहते हैं और इसीलिए हम मित्रतापूर्ण हल की तलाश में हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम हैदराबाद की स्वतन्त्रता के लिये कभी भी सहमत होंगे। यदि वह स्वतन्त्र रहने की अपनी मांग पर अड़ा रहा तो उसे निश्चय ही असफल होना पड़ेगा।'

अन्त में सरदार ने लायक अली को वापिस हैदराबाद जाने तथा नीज़ाम से परामर्श करने के उपरान्त एक अन्तिम निश्चय करने को कहा, जिससे 'हम दोनों को इस बात का पता लग जावे कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है।'

इस वार्तालाप के समय श्री वी. पी. मेनन भी उपस्थित थे। उनका कहना है कि सरदार के साथ भेंट करते समय लायक अली घबड़ाया हुआ सा दिखलाई देता था। लायक अली के उन दिनों के वार्तालाप के दिनों में ही लार्ड माउंटबेटन, पंडित नेहरू, सर वाल्टर मांटकन तथा श्री वी. पी. मेनन से भी कई बार पारस्परिक परामर्श कर नीज़ाम की सहमति के लिये चार बातें तय कीं गईं।

१—रज़ाकारों को वश में लाने के लिये उनके जुलूसों, प्रदर्शनों, सभाओं तथा व्याख्यानों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

२—राज्य कांग्रेस के सभी व्यक्तियों को जेल से छोड़ दिया जावे।

३—वर्तमान सरकार का इस प्रकार मौलिक रूप से तत्काल पुनर्निर्माण किया जावे कि सभी समाजों का उसमें प्रतिनिधित्व हो, तथा

४—वर्ष के अन्त तक एक विधान निर्मात्री परिषद् की रचना की जावे और उत्तरदायी सरकार की स्थापना तत्काल की जावे।

लायक अली ने १७ अप्रैल को सरदार के साथ फिर भेंट की। उसने अपनी नेहरू जी के साथ भेंट का वृत्तान्त सुनाते हुए सरदार से कहा कि 'वैधानिक सुधारों के सम्बन्ध में स्थिति जटिल थी, क्योंकि उसे विभिन्न समुदायों का अनुपात तय करना था।' सरदार ने उत्तर दिया कि लायक अली के मन में जो कुछ था वह अपने वास्तविक अर्थ में उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार नहीं था, किन्तु यह मामला विस्तार

का है। आवश्यकता सिद्धान्तों के सम्बन्ध में समझौता करने की है। यदि नीज़ाम ने अन्य राज्यों के समान कार्य करना तथा जनता की वास्तविक इच्छा को कार्यरूप में परिणत करना स्वीकार कर लिया तो उससे न केवल हैदराबाद में शान्ति स्थापित होगी, वरन् उसका अपना तथा उसके वंश का भविष्य भी निश्चय से स्थायी हो जायेगा। लायक अली को रज़ाकारों द्वारा बम्बई राज्य की सीमा में उपद्रव किये जाने तथा नीज़ाम द्वारा समझौता भंग करने की घटनाएँ भी बतलाई गईं।

लायक अली और उसके साथी हैदराबाद लौट गए, किन्तु वहां जाकर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इस पर लार्ड माउंटबेटन ने नीज़ाम को दिल्ली बुलाया। किन्तु नीज़ाम ने दिल्ली न आकर लार्ड माउंटबेटन को ही हैदराबाद बुलाया।

इस बीच सीमा संघर्ष और बढ़ गये तथा मद्रास से बम्बई जाने वाली एक गाड़ी पर हैदराबाद राज्य के अन्दर गंगापुर में आक्रमण किया गया, जिसमें दो मारे गए, ११ भयंकर रूप से घायल हुए तथा १३ लापता हुए, जिनमें ४ महिलाएं तथा दो बच्चे थे। इस समय हैदराबाद का एक पुलिस अफसर भी बंदूक लिये हुये प्लेटफार्म पर उपस्थित था। किन्तु इस आक्रमण को वह चुपचाप देखता रहा। सरदार उस समय मसूरी में थे।

लायक अली ने दिल्ली तथा हैदराबाद के फिर भी कई चक्कर लगाए। किन्तु परिणाम कुछ भी न निकला।

१३ जून को लार्ड माउंटबेटन, पंडित नेहरू तथा श्री वी. पी. मेनन सरदार पटेल से मिलने देहरादून गए। उन्होंने लार्ड माउंटबेटन को समझौता कराने का अधिकार दिया। एक समझौता हो भी गया, किन्तु नीज़ाम ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। यह समझौता भारत सरकार ने बहुत झुक कर किया था।

२१ जून १९४८ को लार्ड माउंटबेटन भारत से चले गये और उनके स्थान पर श्री सी. राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लार्ड माउंटबेटन को नीज़ाम के समझौता स्वीकार न करने से बड़ी निराशा हुई।

इस बीच रज़ाकारों के अत्याचार इतने अधिक बढ़ गए कि उनके प्रतिवाद-स्वरूप नीज़ाम की कार्यकारिणी के एक सदस्य श्री जे. वी. जोशी ने त्यागपत्र दे दिया। इस समय कम्युनिस्ट भी रज़ाकारों से मिल गये। इस प्रकार के अनेक मामले हुए जब रज़ाकारों तथा हैदराबाद की पुलिस ने लूटने, आग लगाने, हत्या, अपहरण तथा महिलाओं के सतीत्व भंग के कार्य किये। इससे राज्य के हिन्दू निराश होकर राज्य से बाहर भागने लगे। श्री जोशी ने अपने त्यागपत्र में लिखा कि :

'परमानी तथा नन्देद जिलों में पूर्णतया आतंक का राज्य है। लोहा में मैंने

विनाश का ऐसा दृश्य देखा कि मेरे नेत्रों में आंसू आ गये। ····ब्राह्मणों को जान से मार कर उनकी आंखें निकाल ली गईं, औरतों को भगा लिया गया और उनके साथ व्यभिचार किया गया। मकानों को सामूहिक रूप में जलाया गया। मेरा हृदय निराशा से धड़कता रहा। ····ऐसी स्थिति में मैं ऐसी सरकार में अपना नाम नहीं रख सकता, जो इस प्रकार के हृदयविदारक अत्याचारों को, जिन्हें मैं अपने नेत्रों से देख चुका हूं—रोकने में शक्तिहीन है।'

राज्य के अन्दर इस प्रकार के अत्याचार केवल कांग्रेसियों अथवा हिन्दुओं के ऊपर ही नहीं किये जा रहे थे, वरन् उन मुसलमानों के ऊपर भी किये जा रहे थे जो रज़ाकारों के अत्याचारों से सहमत नहीं थे। लगभग १० सहस्त्र कांग्रेसी जेल में थे। कांग्रेस सँगठन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था। क़ासिम रिज़वी ने अपने एक भाषण में कहा था 'जो मुसलमान उनके विरुद्ध हाथ उठायेगा उसके हाथ काट दिये जायेंगे।' उसी रात सोईबुल्ला खां का, जो राष्ट्रीय वृत्ति के मुसलमान और एक राष्ट्रीय पत्र के सम्पादक थे, कत्ल किया गया। कातिलों ने उनके दोनों हाथ तलवार से काटे। इसी के साथ-साथ बाकिर अली मिर्ज़ा एवं उनके ६ मुसलमान साथियों की—जिन्होंने रज़ाकारों के विरुद्ध वक्तव्य दिया था और नीज़ाम को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की सलाह दी थी—जानें भी जोखम में पड़ गयीं।

इस समय हैदराबाद में चोरी से शस्त्रास्त्र पहुंच रहे थे। सिडनी काटन नामक एक आस्ट्रेलियन यह शस्त्रास्त्र अपने विमान द्वारा कराची से हैदराबाद राज्य में रात्रि के समय बीदर तथा वारंगल में पहुंचाया करता था। फिर भी वह पाकिस्तान में न केवल स्वतन्त्रतापूर्वक घूमता था, वरन् उसने कराची में भारतीय हाई कमिश्नर श्री प्रकाश से मिलकर यह शेखी मारी कि वह हैदराबाद को शस्त्र देता रहेगा और भारत सरकार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी।

इस समय पाकिस्तान ने नीज़ाम द्वारा दी हुई २० करोड़ पौंड की प्रतिभूतियों (सिक्यूरीटिज़) को भी भुनाना आरम्भ किया। अतएव भारत सरकार ने एक आर्डिनेन्स निकाल कर उनका भुनाना रोक दिया। हैदराबाद में सोना, चांदी, जवाहरात तथा भारतीय मुद्रा का भारत से जाना बन्द कर दिया गया, जिससे वह उन से शस्त्रास्त्र मोल न ले सके।

फिर भी हैदराबाद में दो लाख रज़ाकारों के अतिरिक्त ४२ हज़ार और सेना भी थी। पठानों की अनिश्चित संख्या उनके अतिरिक्त थी। रज़ाकार लोग हैदराबाद राज्य के चारों ओर पड़ोसी राज्यों में आक्रमण कर रहे थे। अतएव जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिये मई १९४८ में हैदराबाद की चारों ओर की सीमा पर भारतीय सेनाएं तैनात कर दी गईं।

इस समय देश में यह व्यापक रूप में मांग की जा रही थी कि रज़ाकारों के

इन अत्याचारों को रोकने के लिये भारत सरकार प्रभावशाली कार्यवाही करे। रज़ाकारों द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण पर कोई कार्यवाही न करने पर भारत सरकार की खुले आम निन्दा की जा रही थी। रेलगाड़ियों पर आक्रमण के कारण उनमें सशस्त्र सैनिक रक्खे जा रहे थे।

इस बीच लायक अली हैदराबाद के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की योजना बना रहा था। नीज़ाम ने अमरीका के राष्ट्रपति को एक पत्र लिख कर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था, किन्तु उसने उसे स्वीकार नहीं किया।

अगस्त के अन्त में हैदराबाद का एक प्रतिनिधि मंडल नवाब मोइन नवाज़जंग के नेतृत्व में कराची गया और वहां से अमेरीका जाकर उसने सुरक्षा परिषद् में हैदराबाद का मामला उपस्थित किया।

इस समय भारत सरकार की ओर से नीज़ाम को कई पत्र लिखे गये कि वह रज़ाकारों के अत्याचारों को बन्द करने के लिये उन पर पाबन्दी लगावे, किन्तु उसने रज़ाकारों के अत्याचारों की घटनाओं को निरी कपोलकल्पित बतलाया।

भारत सरकार के मन्त्रीमण्डल की रक्षा समिति में इस प्रश्न पर कई बार झगड़ा हुआ। सरदार पटेल रज़ाकारों द्वारा हिन्दुओं पर किये जाने वाले अत्याचारों से क्षुब्ध थे, किन्तु नेहरू जी को सरदार पटेल के इस असाम्प्रदायिक दृष्टिकोण में साम्प्रदायिकता की गन्ध आती थी। अतएव वह हैदराबाद के सम्बन्ध में किसी प्रकार के भी वल प्रयोग के विरुद्ध थे। यह वाद-विवाद रक्षा समिति में एक बार तो इतना अधिक उग्र हो उठा कि सरदार पटेल विरोध स्वरूप रक्षा समिति की बैठक से उठ कर चले गए। साथ ही उन्होंने अपना त्यागपत्र भी दे दिया। दूसरे दिन तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सरदार को मना कर वापिस लाए। उसी दिन कनाडा के राजदूत ने नेहरू जी से रज़ाकारों द्वारा ईसाई महिलाओं पर आक्रमण किये जाने की शिकायत की। तब जाकर नेहरू जी ने हारे मन से हैदराबाद पर अधिकार करने की सहमति दी। फलतः सरदार पटेल ने सेनाओं को आज्ञा दी कि १३ सितम्बर को हैदराबाद पर चढ़ाई की जावे। इस समय भारत का प्रधान सेनापति जनरल ब्लूशर था। उसने सरदार से कहा कि १३ का दिन अशुभ है। अतएव चढ़ाई १४ को की जावे। इस पर सरदार ने उत्तर दिया कि गुजरात में १३ का अंक शुभ माना जाता है। फिर भी यदि आपको आपत्ति है तो चढ़ाई १२ को की जावे। अतएव १३ सितम्बर को हैदराबाद पर दो ओर से मेजर जनरल जे. एन. चौधरी (जो आजकल भारतीय स्थल सेनाओं के चीफ आफ़ स्टाफ हैं) ने चढ़ाई की। मुख्य सेना १८६ मील के शोलापुर-हैदराबाद मार्ग से चली। दूसरी छोटी सेना बेज़वादा-हैदराबाद के १६० मील के मार्ग से चली। १३ तथा १४ सितम्बर को कुछ हल्का प्रतिरोध हुआ। तीसरे दिन विरोध शान्त हो गया।

भारतीय सेना के हताहत नगण्य थे, किन्तु रज़ाकारों के ८०० सैनिक मारे गये। १७ सितम्बर को हैदराबाद के प्रधान सेनापति एल. एदरूस ने जनरल चौधरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे तथा हैदराबाद की सेना को निःशस्त्र कर दिया गया। जनरल चौधरी ने १८ सितम्वर को हैदराबाद में प्रवेश किया।

लायक अली तथा उसके मंत्रीमण्डल को अपने २ घरों में नज़रबन्द कर दिया गया। भारत के एजेन्ट जनरल श्री के. एम. मुन्शी को पाबन्दियों से मुक्त किया गया। १८ सितम्बर को ही मेजर जनरल चौधरी को हैदराबाद राज्य का सैनिक गवर्नर बनाया गया। १९ को क़ासिम रिज़वी को गिरफ्तार किया गया।

२३ सितम्बर को नीज़ाम ने सुरक्षा परिषद् को एक तार भेजकर उसे सूचना दी कि हैदराबाद की शिकायत को संयुक्त राष्ट्र संघ से वापिस लिया जाता है। पाकिस्तान आदि कुछ विदेशी राज्यों ने इस मामले के वापिस लिये जाने पर आपत्ति की। किन्तु अंत में मामला समाप्त कर दिया गया।

इस समय जनता की यह मांग थी कि नीज़ाम को राज्यच्युत कर दिया जावे। किन्तु सरदार पटेल ने ऐसा करना उचित नही समझा।

यद्यपि लायकअली इस समय नज़रबन्द था, किन्तु बाद में वह वहां से गुप्त रूप से भागकर पाकिस्तान जा पहुंचा। यह आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार की ओर से इस प्रकार की आज तक कोई जांच नहीं की गई कि लायक अली को हैदराबाद तथा बम्बई से भागने में किसने सहायता दी और न उसकी हैदराबाद तथा बम्बई स्थित सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित किया गया और न एक भगोड़े अपराधी के रूप में उसकी सम्पत्ति को ज़ब्त किया गया। उसने पाकिस्तान जाने के पश्चात् समस्त सम्पत्ति को ले जाने का प्रवन्ध किया।

फर्वरी १९४९ में सरदार पटेल ने अपनी दक्षिण की यात्रा के सिलसिले में हैदराबाद की यात्रा की। इस अवसर पर सरदार का स्वागत करने नीज़ाम हवाई अड्डे स्वयं आया। उसने अपने जीवन में प्रथम और अंतिम बार हाथ जोड़कर सरदार का अभिवादन किया और भारत-राष्ट्र के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा का परिचय दिया।

मेजर जनरल चौधरी का सैनिक शासन हैदराबाद में दिसम्बर १९४९ तक रहा। फिर श्री एम० के० वेलोडी आई. सी. एस. को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। १९५० में हैदराबाद कांग्रेस के चार प्रतिनिधियों को भी मंत्री बनाया गया। मार्च १९५२ में समस्त भारत के साथ-साथ हैदराबाद में भी सार्वजनिक निर्वाचन किये गये। इसके फलस्वरूप श्री वी. रामकृष्ण राव ने वहां कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित मन्त्रीमण्डल बनाया। अब श्री वेलोडी को इस सरकार का परामर्शदाता

बनाया गया और नीज़ाम एक वैधानिक राज-प्रमुख के रूप में शासन कार्य चलाने लगा।

१९५५ में भारत सरकार ने प्रान्तों के पुनर्विभाजन के सम्बन्ध में विचार करने के लिये एक आयोग बनाया, जिसे "राज्य पुनर्गठन आयोग" नाम दिया गया। उसने प्रस्ताव किया कि राजप्रमुख पद समाप्त करके सब राज्यों की एक जैसी स्थिति कर दी जावे। उसने हैदराबाद के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया कि उसका विभाजन करके उसके मराठी, तेलूगू, तथा कर्नाटकी भाषा वाले क्षेत्रों को उन ३ भाषाओं के राज्यों में मिला दिया जाये। इस प्रकार १ अक्टूबर, १९५६ को हैदराबाद राज्य को समाप्त कर हैदराबाद नगर को नए आन्ध्र राज्य की राजधानी बना दिया गया। अब नीज़ाम ने सरकारी कार्यों में भाग लेना बन्द कर व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया।

सरदार का परिवार—सरदार के निजी सचिव विद्याशंकर, मणिबेन, भानुमती, विपिन, सरदार, गौतम तथा डाह्या भाई
खड़े हुए——श्री एस० के० पाटिल। ७४वां जन्म दिन

सिक्का बन्दर में सरदार जाम साहिब के साथ कांडला बन्दरगाह बनाने की चर्चा कर रहे हैं। साथ में श्री गाडगिल, तथा श्री बुच हैं।

सोमनाथ में सरदार जामसाहिब सहित उसके पुर्नानर्माण का निश्चय कर रहे हैं

अध्याय १३

सरदार के ऐतिहासिक कार्य

सोमनाथ का मंदिर—सरदार का हृदय धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत था। एक हिन्दू के नाते वह सोमनाथ के महत्व को अनुभव करते थे। उसका प्रथम मन्दिर प्रथम शताब्दी में बनाया गया था। धन-सम्पत्ति का वहां इतना अधिक भण्डार था कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सदा ही उसे अपना लक्ष्य बनाया तथा उस पर कई बार आक्रमण किया। यहां तक कि सन् १०२४ में महमूद गज़नवी ने उसके तृतीय मन्दिर को नष्ट किया। इसीलिये सोमनाथ का मन्दिर भारत की धार्मिक भावना का प्रतीक था।

सरदार की सोमनाथ की यात्रा—१३ नवम्बर १९४७ को सरदार पटेल ने भारत सरकार के तत्कालीन निर्माण-मन्त्री श्री गाडगिल तथा जामनगर के जामसाहब के साथ सौराष्ट्र प्रदेश में सोमनाथ का दौरा किया। मन्दिर की दुर्दशा देख कर उनका हृदय विदीर्ण हो गया और उन्होंने मन्दिर का पुनर्निर्माण कराने का संकल्प किया। सरदार पटेल के इस संकल्प की प्रतिक्रिया देश के कोने कोने में हुई। धन-राशि एकत्रित हो गई। भारत सरकार ने कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति नियुक्त की। सौराष्ट्र सरकार ने अपने राज-प्रमुख की अध्यक्षता में एक ट्रस्टी बोर्ड स्थापित किया, जिसके अन्य सदस्यों में श्री मुंशी तथा श्री गाडगिल भी थे।

अब सोमनाथ के प्राचीन मन्दिरों का स्थान खोजने के लिए खुदाई की गई। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के प्रतिनिधियों ने इस कार्य में सहायता दी। इस अन्वेषण से सोमनाथ के एक के ऊपर एक पांच प्राचीन मन्दिर भूगर्भ में मिले।

अन्त में यह निश्चय किया गया कि प्राचीन मन्दिर के खंडहरों को हटा कर एक नए मन्दिर का निर्माण किया जाए। मूल पांचवें मन्दिर के आधार पर नए मन्दिर का एक ढांचा तैयार किया गया तथा उसे कार्य रूप में परिणत करने की व्यवस्था की गई। इस मन्दिर की मूर्तिप्रतिष्ठा का समारोह ११ मई १९५१ को किया गया और उसमें राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने भी भाग लिया। इस मूर्त्तिप्रतिष्ठा में शास्त्रीय विधि के अनुसार सभी महाद्वीपों की मिट्टी तथा सभी महासागरों और पवित्र नदियों के जल का उपयोग किया गया। इस प्रकार सरदार पटेल के संकल्प द्वारा भारत की एक महती राष्ट्रीय आकांक्षा की पूर्त्ति की गई।

सोमनाथ का प्रथम मन्दिर ईसा की प्रथम शताब्दी में बनाया गया था। महमूद गज़नवी ने १०२४ में सोमनाथ के तृतीय मन्दिर को नष्ट किया था।

गांधी स्मारक निधि—गांधी जी के स्वर्गवास के पश्चात् उनका स्मारक बनाने के उद्देश्य से गांधी स्मारक निधि स्थापित करने की अपील की गई। किन्तु उन दिनों सरदार की बीमारी के कारण उसका कार्य आगे न बढ़ सका। कांग्रेस नेताओं ने धन एकत्रित करने की कई एक योजनाएं सुझाई। एक नेता का विचार था कि प्रत्येक भारतवासी से एक एक रुपया चन्दा लेने पर एक बड़ी भारी धन राशि एकत्रित की जा सकती है। किन्तु चन्दा जमा करने की कोई ठोस तथा व्यवहारिक योजना न बन सकी। हृदय रोग का आक्रमण होने पर सरदार पटेल दिल्ली में लगभग दो मास तक चिकित्सा कराने के पश्चात् देहरादून चले गये। वहां जाने के कुछ सप्ताह पश्चात् जब उनकी तबियत कुछ सुधरी तो वह गांधी स्मारक निधि के विषय में चिन्ता करने लगे। प्रथम उन्होंने सेठ घनश्यामदास बिरला को देहरादून बुला कर इस विषय पर उनके साथ विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने उनके द्वारा कलकत्ते से लगभग २५ प्रमुख व्यापारियों को देहरादून बुलवाया। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र श्री डाह्याभाई के द्वारा बम्बई से इतने ही व्यापारियों को विमान द्वारा देहरादून बुलवाया। इन व्यापारियों से वार्तालाप करके सरदार पटेल ने उनके सन्मुख गांधी स्मारक निधि के सम्बन्ध में अपनी योजना रखी। इसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यापारी संघ तथा कम्पनी ने अपने अपने व्यापार की शक्ति के अनुसार निधि में अपना अपना योगदान किया तथा अपने अपने कर्मचारियों से भी चन्दा लिया। इस प्रकार सरदार पटेल ने गांधी स्मारक निधि के लिये चन्दा जमा करने का कार्य उन व्यापारियों को सुपुर्द किया। सरदार प्रायः आठवें या दसवें दिन उन व्यापारियों से उनके संग्रह कार्य की प्रगति का विवरण लिया करते थे। अब चन्दा जमा करने के कार्य को कांग्रेस कमेटियां भी करने लगीं तथा उसमें जनता की भी रुचि बढ़ी।

सरदार पटेल का ७४ वां जन्म दिन—सरदार पटेल का ७४ वां जन्म दिन ३१ अक्तूबर १९४८ को देश भर में अत्यन्त समारोहपूर्वक मनाया गया। उनके बम्बई के मित्रों ने इस अवसर पर उनको स्वर्णमय रत्नजटित अशोक स्तम्भ भेंट किया। इसी अवसर पर बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने उनको ८०० तोले चांदी की महात्मा गांधी की मूर्ति भेंट की।

विश्वविद्यालयों द्वारा सम्मान—सरदार पटेल की सेवाओं का समस्त देश में इतना अधिक मान किया गया कि भारत के लखनऊ आदि अनेक विश्वविद्यालयों ने उनको अपनी-अपनी सम्मानित उपाधियां प्रदान कीं।

प्रथम नागपुर विश्वविद्यालय ने ३ नवम्बर १९४८ को उनको कानून

सरदार ने उक्त नमूने को एयर फोर्स के एयर वाइस मार्शल मुकर्जी को सेना के लिए तत्काल भेंट कर दिया

१९४९ के आरंभ में सरदार एक विमान में बैठकर दिल्ली से जयपुर जा रहे थे कि मार्ग में विमान के एंजिन बिगड़ गए, किन्तु विमान चालक ने अपनी अत्यधिक कुशलता का परिचय देते हुए विमान को इतने धीरे से भूमि पर उतारा कि सरदार को झटका तक न लगा, समाचारपत्रों से यह समाचार पाकर सरदार के स्वास्थ्य के विषय में समस्त भारत चिन्तित हो उठा, बाद में सरदार वहां से एक मोटर द्वारा जयपुर पहुंचे, ऊपर के चित्र में सरदार के वायु दुर्घटना से बचने के उपलक्ष में ८ अप्रैल १९४९ को संसद सदस्यों की ओर से श्री नेहरू द्वारा उक्त विमान का चांदी का नमूना भेंट किया जा रहा है

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विशेष उपाधि वितरणोत्सव में सरदार को विधि के डाक्टर की उपाधि दी गई है। बाईं ओर श्री गोविन्द मालवीय तथा दाईं ओर श्री झा बैठे हैं

प्रयाग में पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त के हाथों सरदार को 'पटेल अभिनन्दन ग्रन्थ' दिया जा रहा है, साथ में तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू बैठी हैं।

काशी पंडित सभा द्वारा किया हुआ सम्मान तथा आशीर्वचन

(विधि) के डाक्टर (Doctor of laws) की सम्मानित उपाधि प्रदान की।

इसके पश्चात् काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने २५ नवम्बर १९४८ को उनको विधि के डाक्टर की सम्मानित उपाधि दी। २७ नवम्बर १९४८ को प्रयाग विश्वविद्यालय ने भी उनको 'विधि के डाक्टर' की सम्मानित उपाधि दी।

२६ फरवरी १९४९ को उस्मानिया विश्वविद्यालय के चैंसलर मेजर जनरल जे. एन. चौधरी ने उनको एक विशेष उपाधि वितरणोत्सव में 'विधि के डाक्टर' की सम्मानित उपाधि प्रदान की।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान—सरदार पटेल अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के राजनीतिज्ञ थ। इसीलिए ब्रिटिश कंज़र्वेटिव पार्टी के तत्कालीन उपनेता श्री एंथोनी ईडन ने नई दिल्ली आने पर उनसे २३ मार्च १९४९ को भेंट की। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के अमरीका में भारतीय राजदूत नियुक्त किए जाने पर सरदार पटेल ने २९ अप्रैल १९४९ को उनके अमरीका को प्रस्थान करते समय पालम हवाई अड्डे पर उनका पुत्री के समान आलिंगन कर उनको प्रेमपूर्वक बिदा किया।

श्री पटेल अभिनन्दन ग्रन्थ—सरदार पटेल की सेवाओं का आदर साहित्य संसार ने भी कम नहीं किया। इसीलिये पटेल अभिनन्दन ग्रन्थ तैयार किया गया, जिसे उत्तरप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्त ने २६ नवम्बर १९४८ को सरदार पटेल के इलाहाबाद आने पर एक विशेष उत्सव में उन्हें भेंट किया। सरदार के विषय में दो अभिनन्दन ग्रन्थ गुजराती में बम्बई में भी निकाले गये। एक जन्मभूमि द्वारा तथा दूसरा वन्देमातरम् द्वारा, जिसका सम्पादन श्री सांवलदास गांधी ने किया था।

सरदार की गोआ विषयक आकांक्षा—श्री सी. एम. श्रीनिवासन ने सरदार पटेल के जीवन चरित्र सम्बन्धी अपने ग्रन्थ में लिखा है कि—

"१९४८ में सरदार पटेल एक भारतीय युद्धपोत द्वारा बम्बई बन्दरगाह के बाहिर यात्रा कर रहे थे। जब युद्धपोत गोआ के निकट आया तो उन्होंने उसके कमाण्डिग अफसर से कहा कि वह युद्धपोत को गोआ के समीप ले जावे, जिससे वह उसे देख सकें। कमाण्डिग अफसर ने सरदार को तटवर्ती सामुद्रिक सीमा के नियम स्मरण कराये तो सरदार मुस्करा कर बोले—

"कोई बात नहीं, बढ़े चलो, तनिक देखें तो सही।" कमाडिंग अफसर विवश हो गया और वह सरदार को प्रसन्न करने के लिये युद्धपोत को पुर्तगाल की सामुद्रिक सीमा में एक मील तक ले गया। तब सरदार पटेल ने उस अफसर से पूछा—

"इस युद्धपोत पर तुम्हारे पास कितने सैनिक हैं ?"

"८००" कप्तान ने उत्तर दिया ।

"क्या वह गोवा पर अधिकार करने के लिये पर्याप्त हैं ?" सरदार ने पूछा ।

"मैं ऐसा ही समझता हूं ।" कप्तान ने निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए कहा ।

"अच्छा, चलो । जब तक हम यहां हैं गोआ पर अधिकार कर लो ।" सरदार ने कहा । युद्धपोत के कमांडिग अफसर ने उनपर दृष्टि जमाये हुए इस बात को दोहराने को कहा तो सरदार ने बड़ी गम्भीरता से अपनी बात को दोहरा दिया ।

"श्रीमान् ! इस विषय में आपको मुझे लिखित आज्ञा देनी पड़ेगी, जिससे उसे रिकार्ड में रखा जा सके ।" कप्तान बोला ।

सरदार ने कुछ सोच कर उत्तर दिया "बाद में विचारने पर मैं यही सोचता हूं कि हम वापिस चलें । तुम जानते हो पीछे क्या होगा ? जवाहरलाल इस पर आपत्ति करेगा ।"

वास्तव में ऐसे मामले पर वह अपनी इच्छानुसार कार्य कर जाते । गोआ को तो वह बहुत पहले भारतीय संघ में सम्मिलित कर लेते, यदि उनको यह विश्वास होता कि उनके कार्य का समर्थन प्रधानमन्त्री करेंगे ।

सरदार कहा करते थे "कार्य निश्चय से पूजन है, किन्तु हंसी जीवन है ।" उनका जीवन भर का कार्य इसी सिद्धान्त पर आधारित था ।

स्थानापन्न प्रधान मन्त्री—प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन के निमन्त्रण पर ७ अक्तूबर १९४९ को अमरीका, कैनाडा तथा इंगलैण्ड की यात्रा पर चले गये । उनकी अनुपस्थिति में उप-प्रधानमन्त्री सरदार पटेल को ७ अक्तूबर १९४९ से भारत का स्थानापन्न प्रधानमन्त्री बनाया गया । इस उपलक्ष में सरदार पटेल ने राष्ट्रपति भवन में १७ अक्तूबर १९४९ को संविधान परिषद के सदस्यों के सम्मान में एक भोज दिया, जिसमें डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भी, जो उस समय संविधान परिषद के अध्यक्ष थे, भाग लिया । अपने प्रधानमन्त्री काल में सरदार पटेल के निम्नलिखित कार्य उल्लेखनीय है :—

१—अखिल भारतीय सेवाओं का भविष्य—१५ अगस्त १९४७ से पूर्व जिन अखिल भारतीय सेवाओं को 'भारत मन्त्री की सेवायें' कहा जाता था, उनके भविष्य के सम्बन्ध में भारतीय संविधान के परिषद के कांग्रेस दल में भारी वाद विवाद था । अनेक प्रभावशाली व्यक्ति इस बात के विरुद्ध थे कि उनके भविष्य की गारण्टी के लिये विधान में कोई धारा रखी जावे । यहां तक कि इस मामले पर केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल में भी मतभेद था । अन्त में यह निश्चय किया गया कि यह मामला सरदार पटेल पर छोड़ दिया जावे । इस विषय में भारतीय सिविल सर्विस वाले अत्यधिक चिन्तित थे । उनके प्रतिनिधि मण्डल ने सरदार से मिल कर उनको बताया कि कई प्रान्तों में उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता ।

भारत के स्थानापन्न प्रधान मंत्री के रूप में १७ अक्तूबर १९४७ को दिये हुए भोज में श्री सत्यनारायण सिन्हा, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद (जो उस समय संविधान परिषद् के अध्यक्ष थे), सरदार पटेल तथा आचार्य जे. बी. कृपलानी

सरदार अपनी दिल्ली की कोठी में विश्राम करते हुए डाक्टर ढांढा तथा पौत्र विपिन सहित

सरदार अपनी दिल्ली की कोठी पर वार्तालाप मुद्रा में। श्री जयरामदास दौलतराम, सर शंकरलाल, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद तथा सरदार की गोद में उनका पौत्र गौतम

अपने सहयोगियों सहित

मौलाना आज़ाद

आचार्य कृपलानी

श्री एन० सी० केलकर

पंतजी

वास्तव में उन लोगों के वेतन उस मान से कहीं अधिक थे, जो केन्द्रीय वेतन कमीशन ने निश्चित किये थे। सिविल सर्विस वालों से यह आशा की जाती थी कि वह अपने वेतनों को स्वयं कम करके वेतन कमीशन द्वारा निश्चित किया हुआ वेतन स्वीकार कर लेंगे। किन्तु सरदार पटेल का मत था कि उन लोगों को जो कुछ भी आश्वासन भूतकाल में दिये जा चुके हैं, उनके उत्तरदायित्व से मुख नहीं मोड़ा जा सकता। अतएव उनकी व्यवस्था विधान में की जानी चाहिये। कांग्रेस पार्टी ने ८ अक्तूबर १९४९ को सरदार पटेल के इस सुझाव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। फिर भी ९ अक्तूबर को श्री अनन्त शयनम् ऐयंगर, श्री महावीर त्यागी, श्री रोहिणी कुमार चौधरी तथा श्री आर० के० सिधवा ने संविधान परिषद की बैठक में सरदार के इस सुझाव का विरोध किया। अन्त में सरदार के प्रभावशाली भाषण के पश्चात् सभी विरोध शान्त हो गया तथा इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया।

२—**केन्द्रीय मन्त्रियों के वेतन में कटौती**—सरदार की प्रेरणा पर केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल के सभी सदस्यों ने १० अक्तूबर १९४९ को यह घोषणा की कि वह १ अक्तूबर १९४९ से अपने वेतन में १५ प्रतिशत कटौती करेंगे।

३—**८० करोड़ रुपये की बचत**—सरदार पटेल इस समय भारत के बढ़ते हुए व्यय से चिन्तित थे। उन्होंने स्थानापन्न प्रधानमन्त्री के रूप में भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों को अपने अपने भावी बजट में मितव्ययिता करने की प्रेरणा की। फलतः १९५०-५१ के आर्थिक वर्ष के प्रधान प्रधान मदों के व्यय में कमी करके ८० करोड़ रुपये की बचत की गई।

४—**अन्न तथा वस्त्र के मूल्य में कमी**—इस समय भारत में अन्न तथा वस्त्र के मूल्य बराबर बढ़ते जा रहे थे। सरदार पटेल की प्रेरणा पर भारत सरकार ने यह घोषणा की कि १ नवम्बर से उनका मूल्य कम किया जावे।

७५वां जन्म दिन—३१ अक्तूबर १९४९ को जब सरदार का ७५वां जन्म-दिन नई दिल्ली में मनाया गया तो उन्होंने स्थानापन्न प्रधानमन्त्री के रूप में राष्ट्र को यह सन्देश दिया :

"उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिलकुल मत करो।" सरदार पटेल के इस सन्देश पर मद्रास के अंग्रेज़ी दैनिक 'हिन्दू' ने अपने २ नवम्बर १९४९ के अंक में एक प्रभावशाली सम्पादकीय अग्रलेख लिखा।

सरदार के ७५वें जन्म दिन पर उनको १५ लाख रुपये की थैली अहमदाबाद में दी गई। यह धन उन्होंने मुरारजी भाई को दे दिया। मुरारजी ने उसे चुनाव में लगा दिया, न कि सरदार का जीवन चरित्र प्रकाशित करने में।

डा० राजेन्द्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने पर सरदार पटेल ने उनसे विनोद करते हुए कहा कि "आपने तो कांग्रेस अध्यक्ष से राष्ट्रपति पद छीन लिया।" क्योंकि इस समय तक कांग्रेस अध्यक्ष को ही राष्ट्रपति कहा जाता था। सरदार ने अपने जीवन काल में तीन चार बहुत बड़े कार्य किये। उन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकाला, राजाओं को विशेष सुविधा सम्पन्न वर्ग के रूप में समाप्त कर उनके राज्यों को भारत में मिलाया तथा संविधान परिषद द्वारा भारत को एक आदर्श संविधान दिया। सरदार ने यह सारे महत्वपूर्ण कार्य भारत-विभाजन के पश्चात् अपने जीवन के अन्तिम तीन चार वर्ष में किये। उन्होंने स्वास्थ्य निर्बल होते हुए भी इन्हीं दिनों समस्त भारत में सामान्य रूप से तथा राजधानी दिल्ली में विशेष रूप से कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखा। विभाजन के बाद मुसलमान लोग भारत में कानून तोड़ कर कानून तथा व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने पर उतारू थे। नेहरू जी का उनके साथ पक्षपात था, जिसका वह उपयोग करते थे। इससे उनको न केवल प्रोत्साहन मिलता था, वरन् वह सरदार पटेल की नेहरू जी तथा गांधी जी से शिकायतें भी करते रहते थे। ऐसी दशा में सरदार पटेल ने अत्यन्त दृढ़तापूर्वक अपना कर्तव्य पालन करते हुए कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखा तथा उनको कायम रखने के लिये अखिल भारतीय शासन तथा पुलिस सेवाओं तथा उनके स्कूलों की स्थापना की।

नेहरू जी के अमेरिका, कैनाडा तथा इंगलैण्ड की यात्रा से १५ नवम्बर १९४९ को वापिस आने तक सरदार पटेल स्थानापन्न प्रधानमंत्री बने रहे।

भारत का नवीन विधान—देशी राज्यों की समस्या के समान भारत के नवीन विधान के निर्माण में भी सरदार पटेल का महत्वपूर्ण भाग रहा है। यह पीछे बतलाया जा चुका है कि भारतीय संविधान परिषद की प्रथम बैठक ९ दिसम्बर १९४६ को आरम्भ हुई थी। उस समय ब्रिटिश कैबीनेट मिशन की योजना के अनुसार ऐसा विधान बनाने का विचार था, जिसमें केन्द्र को केवल रक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध तथा यातायात के अतिरिक्त और विषयों पर शासन करने का अधिकार न हो और प्रांतों को इतनी अधिक स्वतन्त्रता हो कि वह जब चाहें केन्द्र से अपना सम्बन्ध तोड़ सकें। किंतु १५ अगस्त १९४७ को पाकिस्तान बन जाने पर इन पाबंदियों का मूल्य कुछ नहीं रहा। अतः अब भारतीय संविधान परिषद् ने एक ऐसा विधान बनाया, जिसमें केन्द्रीय सरकार एवं राष्ट्रपति को सभी आवश्यक अधिकार इस प्रकार दिए गए कि भारत बराबर उन्नति करता रहे।

यह निश्चय किया गया कि इस विधान को २६ फरवरी १९५० से लागू किया जावे। अस्तु २६ जनवरी के दिन अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज-

गोपालाचार्य ने भारतीय शासन का भार नवनिर्वाचित भारत के राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को दे दिया।

संविधान में संशोधन—संविधान की धारा ३१ के अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा की गारण्टी देकर यह व्यवस्था की गई थी कि उसका उचित मूल्य दिये बिना उसको सार्वजनिक उपयोग के लिये भी हस्तगत नहीं किया जा सकेगा। इस धारा में संशोधन करने के सम्बन्ध में जब कांस्टीट्यूशन क्लब में कांग्रेस दल की बैठक में विचार किया गया तो सरदार पटेल ने उसका इतना प्रबल विरोध किया कि उनका हृदय बैठने लगा और उनको वहां से कुर्सी पर बिठला कर घर लाया गया।

नासिक कांग्रेस तथा नई कार्यसमिति—कांग्रेस का ५६ वां अधिवेशन पंचवटी के समीप नासिक में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन की अध्यक्षता में २० तथा २१ सितम्बर १९५० को अत्यन्त समारोहपूर्वक मनाया गया। यद्यपि अधिवेशन से पूर्व नेहरू सरकार की अत्यधिक आलोचना की जा रही थी, किंतु अधिवेशन के समय जो कुछ भी नेहरू जी अथवा सरदार पटेल ने कहा वही स्वीकार किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष टण्डन जी ने १६ अक्तूबर १९५० को नयी दिल्ली में अपनी कार्य समिति के नामों की घोषणा की। सरदार पटेल इस कार्य समिति में भी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने रहे। कांग्रेस कार्यसमिति ने ५ दिसम्बर को निम्नलिखित ६ सदस्यों का कांग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड बनाया—टण्डन जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, राजगोपालाचारी, मौलाना आजाद तथा जगजीवन राम।

७६वां जन्म दिन—२८ अप्रैल १९५० को सरदार अपने प्यारे नगर अहमदाबाद आए। यहां उनको उनके ७६वें जन्म दिन पर १५ लाख रुपये की थैली दी गई। इस अवसर पर नगरवासियों ने एक विजयी के समान उनका जुलूस निकाला। उत्साही जनता उनके मार्ग में अपने पलक पांवड़े बिछाए सड़क के दोनों ओर एकत्रित थी और सरदार पर फूलों की वर्षा कर रही थी। नागरिकों द्वारा दिये हुए अभिनन्दन पत्र के उत्तर में सरदार ने कहा "मैं तो केवल एक किसान तथा कांग्रेस का एक नम्र सेवक हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने किसान को स्वाभिमान की शिक्षा दी।"

नेपाल में वैधानिक परिवर्तन—नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह अभी तक वंशानुक्रम से प्रधानमन्त्री के कैदी के रूप में चले आते थे। उन्होंने ६ नवम्बर १९५० को अपने महल से चल कर काठमाण्डू के भारतीय दूतावास में शरण ली। भारत सरकार के प्रबन्ध से १९ को वह विमान द्वारा नई दिल्ली आए। उन्होंने २८ नवम्बर को नई दिल्ली में नेहरू जी तथा सरदार पटेल से भेंट

की। किन्तु बाद में भारत सरकार के यत्न से उनको अपने सब अधिकार वापिस मिल गए और राणा सरकार का पतन हुआ।

सरदार की दिनचर्या—भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर सरदार में भी बड़ा भारी परिवर्तन आ गया। इससे उनके जीवन की एक बड़ी अभिलाषा पूर्ण हो गई। उनकी दूसरी अभिलाषा भारतवासियों को गांधी जी के शब्दों में रामराज्य के समान सुख दिलाने की थी। अपने इस उद्देश्य में वह बराबर लगे रहे। गृह मन्त्री बनने पर भी उनकी दिनचर्या नहीं बदली। उनका प्रातः काल ४ बजे उठने का स्वभाव नहीं बदला। दिन निकलने पर वह मणिबेन तथा घनश्याम दास बिरला के साथ लोदी गार्डन में जाया करते थे। इस समय भारत के विभिन्न भागों से आने वाले अनेक व्यक्ति भी उनके साथ हो कर उनके सामने अपने अभाव अभियोग उपस्थित किया करते थे। ७ बजे वह लौटकर नई दिल्ली के अपने निवासस्थान औरंगजेब रोड़ पर आ जाया करते थे। आठ बजे वह समाचार पत्र पड़ा करते थे। हल्का भोजन करने के उपरान्त वह आगन्तुकों से मिला करते थे। ग्यारह बजे या एक बजे वह अपने कार्यालय या संसद में जाया करते थे। दोपहर बाद मीटिंग होती थी या आने वालों से भेंट की जाती थी। सांयकाल साढ़े सात बजे भोजन करके दस बजे या उसके पश्चात् वह सो जाया करते थे। सोने के पूर्व वह किसी प्रान्त के मुख्य मंत्री या अपने तीनों सेक्रेटरियों—वी० पी० मेनन, एच० वी० आर० ऐयंगर तथा वी० शंकर—में से किसी से, जो उनसे दिन में नहीं मिल पाते थे, टेलीफोन पर वार्तालाप करके उनसे ताजा समाचार पूछ कर तदनुसार आज्ञाएं दिया करते थे।

हृदय रोग का आक्रमण होने पर प्रातः कालीन भ्रमण छोड़ना पड़ा और शयन का समय भी जल्दी कर दिया गया। किन्तु अपने मकान में वह तब भी टहला करते थे।

चीनी आक्रमण की भविष्यवाणी—उनका अंतिम सार्वजनिक भाषण अपने ढंग का अनूठा था। यह भाषण केन्द्रीय आर्य सभा दिल्ली के तत्वावधान में ऋषि दयानन्द के ६७वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ९ नवम्बर १९५० को दिया गया था। सरदार का स्वभाव अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर भाषण देने का नहीं था। किन्तु अपने इस भाषण में उन्होंने तिब्बत तथा नेपाल के सबन्ध में चीन की प्रसारवादी नीति की आलोचना करते हुए यह सम्भावना प्रकट की थी कि चीन का आक्रमण भारत पर भी हो सकता है।

सरदार पटेल ने अपने इस भाषण में कहा कि "आज तिब्बत तथा नेपाल में जो कुछ हो रहा है, उसके खतरे का मुकाबला तभी किया जा सकता है जब भारतीय जनता दलगत भावना से ऊपर उठे। नवीन प्राप्त की हुई स्वतत्रंता की रक्षा इसी प्रकार की जा सकती है। महात्मा गांधी तथा स्वामी दयानन्द के दिखलाए हुए मार्ग

का अनुसरण करके ही आज की कठिन स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है।" उन्होंने इस बात पर बल दिया "नेपाल के आन्तरिक सरदारों ने भारत की उत्तरी सीमा पर बाह्य खतरे की सम्भावना को बढ़ाया है। अतएव भारतीयों को किसी भी क्षेत्र से आने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिये।"

सरदार पटेल ने तिब्बत में चीन के हस्तक्षेप की आलोचना करते हुए कहा कि 'प्राचीन काल में सदा ही शान्ति की उपासना करने वाले तिब्बतियों के विरुद्ध शस्त्र का प्रयोग करना अनुचित है। तिब्बत के जैसा शान्ति का उपासक संसार का कोई देश नहीं है।' उन्होंने यह भी कहा "चीन सरकार ने भारत के परामर्श को नहीं माना कि वह तिब्बत के मामले को शान्तिपूर्वक तय करे। उसने तिब्बत में अपनी सेनाएं धंसा दीं और उसका कारण यह बतलाया कि वह तिब्बत में चीन विरोधी विदेशी षड्यंत्रों को समाप्त करेंगी। किन्तु यह भय निराधार है। तिब्बत में किसी बाह्य शक्ति की रुचि नहीं है।"

सरदार पटेल ने अपने भाषण में आगे कहा कि "चीन के इस कार्य का क्या परिणाम होगा, इसे कोई नहीं बतला सकता। किन्तु बल प्रयोग ने अधिक बिभीषिका तथा आतंक उत्पन्न कर दिया है। यह सम्भव है कि बल तथा शक्ति सम्पन्न राष्ट्र किसी मामले पर शान्तिपूर्वक विचार नहीं किया करते।"

सरदार पटेल की बीमारी—अपने गृह मन्त्री तथा राज्य मन्त्री के पूरे कार्य-काल भर सरदार पटेल रोगी हो रहे। उनके ऊपर कई बार रोग के भंयकर आक्रमण हुए। किन्तु देश के भाग्यवश वह हर बार बच गये। किन्तु बार-बार की बीमारी से वह इतने अधिक निर्बल हो गए कि भारतीय पार्लमेंट में वह प्रश्नों का उत्तर बैठे २ ही दिया करते थे।

सरदार पटेल का स्वर्गवास—दिसम्बर १९५० के आरम्भ में उन पर रोग ने फिर आक्रमण किया। नई दिल्ली के वायुमण्डल से कोई लाभ होता न देखकर वह १२ दिसम्बर १९५० को वायुपरिर्तनार्थ बम्बई गए। बम्बई में वह नेपियन रोड पर बिरला भवन में ठहरे। किन्तु बम्बई जा कर उनकी तबियत और भी अधिक खराब हो गई। अन्त में १५ दिसम्बर १९५० को प्रातःकाल ९ बज कर ३७ मिनट पर उनका ७६ वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास का तार उसी समय नेहरू जी को दिल्ली में मिला। अतएव भारतीय संसद (पार्लियामेंट) ने उसी दिन ११॥ बजे उनके सम्बन्ध में एक शोक प्रस्ताव पारित किया। इसके पश्चात् राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद तथा पं० नेहरू नई दिल्ली से १२ बजे चल कर शवयात्रा का जलूस प्रारम्भ होने से पूर्व ही बम्बई पहुंच गये। नेहरू जी ने अपने केन्द्रीय मन्त्रियों को इस अवसर पर बम्बई न जाने की आज्ञा दी। किन्तु पूना में होने के कारण श्री गाडगिल बम्बई पहुंच गये। नेहरू जी ने तो राष्ट्रपति डा०

राजेन्द्र प्रसाद को भी रोकने का यत्न किया था, किन्तु वह उनकी बात न मान कर उनसे पहले बम्बई पहुंच गये। विशाल जनता के इस जुलूस में सम्मिलित होने के लिये प्रायः सभी प्रान्तों के मुख्य मन्त्री भी विमान द्वारा यथासमय बम्बई पहुंच गये। शवयात्रा का जुलूस सांयकाल ५ बज कर २० मिनट पर आरम्भ हुआ। सरदार पटेल के शव को एक सैनिक गाड़ी पर रख कर उसको सैनिक सम्मान के साथ ले जाया गया। नेताओं की इच्छा उनका अन्तिम संस्कार चौपाटी पर करने की थी। किन्तु बम्बई के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री बी० जी० खेर इसके विरुद्ध थे। वह नहीं चाहते थे कि चौपाटी पर दाहसंस्कार करके सरदार पटेल को तिलक जैसा सम्मान दिया जावे। अतएव उन्होंने अपने गृह मन्त्री श्री मुरारजी देसाई को एकान्त में सहमत कर चौपाटी पर दाहसंस्कार न करने का आग्रह किया और यह बहाना किया कि शवयात्रा के जुलूस का प्रबन्ध सेना ने किया है वह अपने कार्यक्रम में इतनी शीघ्र परिवर्तन नहीं कर सकेगी। चौपाटी पर संस्कार करने का प्रस्ताव सांयकाल ५ बजे किया गया था। अतएव सम्भव है कि इस विषय में श्री बी० जी० खेर ने टेलीफोन पर पं० नेहरू से भी परामर्श किया हो। उस समय वहां सरदार के अनुज श्री काशीभाई पटेल तथा उनके पुत्र श्री डाह्याभाई भी थे। उनसे उस समय इस विषय में परामर्श किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि जनता जैसा करने को कहे वैसा ही किया जाये। बाद में जनता के आग्रह पर श्री काशी भाई तथा श्री डाह्याभाई ने भी चौपाटी पर ही दाह संस्कार करने की सम्मति दी। किन्तु श्री बी० जी० खेर तथा श्री मुरार जी भाई ने उसे स्वीकार नहीं किया। सेना की आपत्ति की बात सुन कर सेना के तत्कालीन कमाण्डर से पूछा गया तो उसने कहा, "मैं पन्द्रह मिनट के अन्दर सारी व्यवस्था कर सकता हूं।" समाचार पत्रों में इसकी चर्चा की जाने पर कुछ दिन पश्चात् मणिबेन से यह घोषणा करवाई गई कि सरदार की इच्छा यह थी कि उनकी अन्त्येष्टि क्वींस रोड के श्मशान घाट पर उसी स्थान पर की जावे, जहां उनकी पत्नी तथा उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री विट्ठल भाई की की गई थी। सरदार पटेल के शव को श्मशान भूमि पर फौजी गाड़ी से उतार कर नेताओं ने अपने कंधों पर रखा। इसके पश्चात् राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद, पं० जवाहर लाल नेहरू, बम्बई के तत्कालीन राज्यपाल सर महाराजसिंह, मद्रास के तत्कालीन राज्यपाल महाराजा भावनगर, अनेक प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों तथा अन्य मन्त्रियों ने निष्ठा पूर्वक अग्नि संस्कार से पूर्व उनके चरण छुए। पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त को तो उस समय रोना आ गया। उसी समय शाम को ७ बज कर ४० मिनट पर उनके एक मात्र पुत्र डाह्या भाई पटेल ने उनकी चिता में अग्नि लगा दी। इस प्रकार संसार का यह एक महान व्यक्ति अपनी जीवन लीला में ७६ वर्ष तक अपने पौरुष का संसार को अद्भुत परिचय देकर इस संसार से चल बसा।

श्रद्धांजलियां—सरदार के प्रति संसार के सभी भागों से श्रद्धाञ्जलियां प्रकट की गईं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जेनरेल ने न्यूयार्क से संदेश भेजा कि "भारत का महान नेता तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रबल मित्र चल बसा।" लार्ड माउण्टबेटन ने उनके द्वारा किये हुए सभी महान् कार्यों का उल्लेख किया। बम्बई के गवर्नर ने कहा 'जनता का नेता चल बसा।' लन्दन टाइम्स, मानचेस्टर गार्जियन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति वाले समाचार पत्रों ने भी श्रद्धाञ्जलियां प्रकट कीं।

राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद के उद्‌गार—अक्तूबर १८५१ के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने शिमला से दिल्ली आते हुए पटियाला के असेम्बली हाल में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। उस समय उन्होंने कहा—"जो आजादी हमें मिली है, जैसे-जैसे उसका महत्व हम समझते जायेंगे, वैसे-वैसे ही हमारे दिलों के अन्दर सरदार की कद्र बढ़ती जायेगी। १९१६-१७ से अपनी जिन्दगी के आखिरी समय तक महात्मा गांधीजी ने जितने बड़े-बड़े काम किये, जो कुछ आन्दोलन उन्होंने चलाये, जो भी कदम उन्होंने उठाए, उन सब में सरदार वल्लभभाई का इतना बड़ा हिस्सा रहा कि यदि कोई कहे कि गांधीजी के जो विचार और कार्यक्रम होते थे उसको अमली काम की शक्ल सरदार देते थे तो यह कहना बिल्कुल सही होगा। महात्मा गांधीजी का उन पर इतना विश्वास था कि हर किसी काम में वह सरदार से सलाह करना अपने लिये जरूरी समझते थे। इतना ही नहीं, मैं यह भी कह सकता हूँ कि कभी-कभी सरदार का मत उनसे नहीं भी मिलता था, लेकिन, अन्त में जब किसी बात का फैसला हो जाता था, तब जो कुछ भी फैसला होता था उसका सरदार पालन किया करते थे। महात्मा गांधी की मृत्यु से सरदार को कितना बड़ा धक्का लगा उसका अन्दाज आप नहीं कर सकते। जितना भी उनसे होता था, गांधीजी के बताये रास्ते पर चल कर जो काम बाकी रह जाता था, उसको पूरा करने में वह अपने जीवन के अन्तिम समय तक लगे रहे। जीवन के आखिरी समय में जो कुछ भी उन्होंने किया उसको सबसे अधिक महाराजा लोग जानते होंगे। सैंकड़ों राज्यों को भारत में मिलाने के लिये उन्होंने जो कुछ भी किया, इतने बड़े काम का उदाहरण हमारे देश के इतिहास में नहीं है और मैं समझता हूं कि दुनियां के दूसरे देशों के इतिहास में भी नहीं है। यह कोई आसान काम नहीं था।"

इससे पूर्व सरदार के जीवन काल में ही राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने १७ अक्तूबर १९५० को बारडोली में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। १ मार्च १९५२ को उन्होंने भड़ौच में तथा उससे अगले दिन २ मार्च १९५२ को उन्होंने कोचासन के वल्लभ विद्यालय में सरदार पटेल की मूर्तियों का अनावरण करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी।

अध्याय १४

पटेल-नेहरू मतभेद

सरदार तथा नेहरू के मतभेद—महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री प्यारेलाल अपने महात्मा गांधी नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—

"मतभेद मन्त्रीमण्डल में भी थे। सरदार पटेल तथा पं० नेहरू में सदा ही इस प्रकार के मतभेद रहे, जिनका सम्बन्ध उनकी अपनी-अपनी निजी प्रकृति से था। विभिन्न प्रश्नों के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण में भी अन्तर था। नेहरूजी के हृदय तथा उनके मस्तिष्क की अप्रतिम विशेषताओं का सरदार के हृदय में बहुत अधिक मान था। किन्तु उनको यह शिकायत रहती थी कि वह सदा ही अपने को बुरे परामर्शदाताओं से घिरा हुआ रखते थे और इसीलिये उन पर पर्याप्त विश्वास नहीं रखते थे और इस प्रकार के कार्यों में लग जाया करते थे, जिनमें उनकी सदभिलाषाएं लुप्त हो जाती थीं। इसके विरुद्ध पं० नेहरू सरदार पटेल की सतर्क बुद्धि, शासन सम्बन्धी प्रतिभा तथा संघर्ष करने के अप्रतिम गुणों के प्रशंसक थे। और इसीलिये वह उनके अतिरिक्त और किसी के सामने नहीं झुकते थे। नेहरूजी सरदार पटेल के विभिन्न प्रश्नों को हल करने की प्रणाली से असन्तुष्ट थे तथापि वह दोनों एक दूसरे को पूर्ण सहयोग देते थे।"

जब महात्मा गांधी पूर्वी पाकिस्तान में नोआखली की यात्रा पर गए तो कुछ समय के लिये उनका सरदार पटेल से सम्पर्क टूट गया और लोगों को सरदार के विरुद्ध महात्मा गांधी के कान भरने का अच्छा अवसर मिल गया। ब्रिटिश पत्रकार माइकेल ब्रेचर ने अपने ग्रन्थ "नेहरूजी के राजनीतिक जीवन चरित्र" में पृष्ठ ३३ पर लिखा है कि

"जब पं० नेहरू महात्मा जी से बंगाल में मिल कर लौटे तो महात्मा गांधी ने दिसम्बर १९४६ में सरदार पटेल को निम्नलिखित पत्र लिखा :—

> "मैंने आपके विरुद्ध बहुत सी शिकायतें सुनी हैं। आपके व्याख्यान भड़काने वाले होते हैं और जनता को प्रसन्न करने के लिये दिये जाते हैं। आपने हिंसा तथा अहिंसा के बीच सभी प्रकार के भेद की उपेक्षा की है। आप लोगों को तलवार का बदला तलवार से लेने की शिक्षा दे रहे हैं। मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो या न हो आप उसका अपमान करने से कभी नहीं चूकते। यह बहुत हानिप्रद है। कहा जाता है कि आप पदों से चिपके

रहने की बात करते हो। यदि यह सत्य है तो यह बुरी बात है। मैंने जो कुछ सुना है आपके विचार करने के लिये आपको लिख दिया है।. . . . क़ांग्रेस कार्य समिति में वह ऐकमत्य नहीं हैं, जो वहां होना चाहिए। भ्रष्टाचार को निर्मूल कर दो। आप आनते हैं कि उसे किस प्रकार निर्मूल किया जावे। . . . . यह दिखलाई देता है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। यह बुरी बात है।"

सरदार पटेल ने ७ जनवरी १९४७ को इस पत्र का निम्नलिखित उत्तर दिया:—

"आपका पत्र मिला। मुझे उससे कष्ट हुआ। स्वाभाविकतया आपने उन सूचनाओं तथा शिकायतों के आधार पर लिखा है, जो आपको मिली हैं। शिकायतें निश्चय से झूठी हैं। उनमें से कुछ में तो कोई युक्ति तक नहीं है। मेरे ऊपर यह आरोप कि मैं पद से चिपके रहना चाहता हूं, बनावटी है। मैं केवल इस बात का विरोधी हूं कि जवाहरलाल जो अन्तर्कालीन सरकार से त्यागपत्र देने की व्यर्थ की धमकियां दिया करते हैं, उससे कांग्रेस के सम्मान को धक्का लगता है तथा सेवाओं का नैतिक पतन होता है। प्रथम हमको दृढ़-चित्तता से एक मत स्थिर कर लेना चाहिए। थोथी धमकियों से हम वाएसराय की निगाह में भी गिरे हैं। अब वह हमारी त्यागपत्र की धमकियों को कोरी गप्प समझते हैं। जब वाएसराय ने मुझसे गृह विभाग मांगा तो मुझे त्यागपत्र देने में एक मिनट भी नहीं लगा था। वह मेरी ओर से कोरी धमकी नहीं थी और उसका इच्छित प्रभाव भी पड़ा। पद से चिपके रहने में मेरा क्या स्वार्थ है? मैं तो बन्धन में फंस गया हूं। यदि मैं पद मुक्त होकर एक बार फिर स्वतन्त्र हो जाऊं तो मुझे प्रसन्नता होगी। . . . . मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि आप ऐसी बातें क्यों सुनते हैं।

"मेरे विषय में मुस्लिम लीग तक ने यह कभी नहीं कहा कि मैं उसका बार बार अपमान करता हूं। यह मेरे लिये समाचार है कि मैं अपने व्याख्यान गैलरी की ओर मुख़ातिब होकर देता हूं। मेरा स्वभाव है कि मैं जनता को नग्नतम सत्य बतला दूं। तलवार का उत्तर तलवार से देने की बात एक बड़े भारी वाक्य में से तोड़ मरोड़ कर निकाली गई है और प्रसंग के बिना प्रयोग की गई है। कार्य समिति के मतभेद आज के नहीं हैं। वह वहां बहुत समय से हैं। इसके विरुद्ध वहां आज अनेक मामलों में बहुत अधिक मतैक्य है। आप मुझे बतलायें कि मेरा कौन सा साथी आप से

मेरी शिकायतें करता है। उनमें से मुझसे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा।"

इस सम्बन्ध में अमेरिकन पत्रकार श्री विंसेन्ट शीन ने अपने ग्रन्थ "नेहरू जी के जीवन चरित्र" में लिखा है :—

"भारतीय स्वतन्त्रता के आरम्भिक वर्षों में सरदार पटेल तथा पं० नेहरू का मतभेद बहुत कुछ बढ़ गया था। उनका मतभेद देश की सामाजिक तथा आर्थिक नीति सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तों के विषय में था। पाकिस्तान विषयक दृष्टिकोण के सम्बन्ध में भी उन दोनों का एक दूसरे के साथ पर्याप्त मतभेद रहता था। किन्तु इस प्रकार के मामलों पर उनके वाद विवाद बिल्कुल एकान्त में हुआ करते थे। एक दूसरे के ऊपर उन दोनों में से किसी ने भी दूसरों के सामने आक्रमण नहीं किया।

"उनके विचारों तथा उनकी मान्यताओं में भी बहुत अन्तर था। फिर भी वह दोनों एक दूसरे की सच्चाई पर विश्वास करते हुए एक दूसरे का सम्मान करते थे। मैंने उन दोनों के साथ कई-कई बार पर्याप्त लम्बा वार्तालाप किया है। किन्तु उसमें उन्होंने कभी भी एक दूसरे के सम्बन्ध में असम्मानजनक अथवा उग्र आलोचनात्मक बात नहीं कही।"

इस सम्बन्ध में भारतीय पत्रकार श्री फ्रैंक मोरायस के निम्नलिखित वाक्य भी ध्यान देने योग्य हैं:—

"अपने अन्तिम दिनों में गांधीजी को भी इस बात की बड़ी चिन्ता लगी रहती थी कि पं० नेहरू तथा सरदार पटेल का पारस्परिक मतभेद बराबर बढ़ता जा रहा था। सरदार पाकिस्तान में हिन्दुओं तथा सिक्खों के हत्याकाण्ड से इतने रुष्ट थे कि वह भारतीय मुसलमानों के लिये महात्मा जी तथा पं० नेहरू की अनुचित कृपा को पसन्द नहीं करते थे। सरदार पटेल ने अपने एक सार्वजनिक व्याख्यान में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि 'जब तक मुसलमान भारत के प्रति अपनी भक्ति की घोषणा स्पष्ट शब्दों में नहीं करते उनका विश्वास नहीं किया जा सकता'।"

अमरीकन पत्रकार श्री विंसेंट शीन ने नेहरू विषयक अपन ग्रन्थ में लिखा है कि:—

"सरदार पटेल की मृत्यु से एक प्रमुख पुरातन पन्थी नेता उठ गया। अतएव अब पं० नेहरू के व्यक्तित्व को खुलकर खेलने का अवसर मिला। क्योंकि सरदार पटेल ने कांग्रेस दल का संगठन देश भर में इतने अनुशासनात्मक ढंग पर किया था कि उसको उनके हाथ की हथेली पर देखा जा सकता था।

"सरदार पटेल महात्मा गांधी के पुराने मित्र तथा अनुयायी थे। वह आन्दोलन के आरम्भ में ही महात्मा गांधी के पास एक स्वयंसेवक के रूप में आये थे। उस समय भी वह एक चतुर तथा सफल वकील थे। वह महात्मा गांधी के बतलाये हुए नियमों पर चलते, खद्दर पहिनते, शाकाहारी भोजन किया करते तथा गीता पढ़ा करते थे। अर्थात् गांधी युग की क्रान्ति में वह पूर्णतया घुलमिल गये थे। इससे पूर्व वह पाकिस्तान के संस्थापक श्री मुहम्मद अली जिना के जैसे चालाक वकील थे। सरदार पटेल ने कांग्रेस दल का ऐसा संगठन बनाया, जैसा वह उससे पूर्व कभी नहीं था। और जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो वह स्थानीय राजनीति के एक अच्छे खिलाड़ी बन चुके थे। . . . . वह प्रत्येक मामले के गुण दोष के अनुसार दल के अनुशासन की दृष्टि से या तो पारितोषिक अथवा दण्ड दिया करते थे। तथापि वह महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे। उनकी गांधीवादी विचारधारा पूंजीवादी विकास के पक्ष में थी, जबकि पं० नेहरू अपनी गांधीवादी विचार धारा में सोशलिस्ट सिद्धान्तों को विकसित करना चाहते थे। इस सम्बन्ध में मेरे मन में कभी भी सन्देह नहीं हुआ कि सरदार पटेल एक सच्चे देशभक्त तो थे ही, सबसे अधिक वह राष्ट्रीय स्वत्वों के रक्षक थे।

"गांधीजी ने अपनी मृत्यु के दिन सरदार पटेल से कहा था कि 'कांग्रेस का अस्तित्व स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये ही था। एक राजनीतिक इकाई के रूप में अब उसकी आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को अब अपने आप को समाज कल्याण के कार्य में सीमाबद्ध कर लेना चाहिये।"

भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री वाल्मीकि चौधरी ने "राष्ट्रपति भवन की डायरी" नामक अपने ग्रन्थ में २६ फरवरी १९५० के विषय में लिखा है कि:

"आज सरदार वल्लभभाई पटेल की कोठी पर राष्ट्रपतिजी गांधी स्मारक निधि की एक सभा में भाग लेने गये। . . . . सभा के पश्चात् दोपहर का भोजन राष्ट्रपतिजी ने सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ उनकी कोठी नं० १ औरंगजेब रोड पर ही किया। सरदार वल्लभभाई के साथ राष्ट्रपति का बहुत प्रेम सम्बन्ध रहा है। सरदार हास्य प्रेमी हैं।

"सरदार वल्लभभाई से श्री जवाहरलालजी का मेल नहीं बैठ रहा है। सरदार दुखी रहते हैं। देशी रजवाड़ों का निबटारा कर रहे हैं। बड़े महत्व के काम में लगे हुए हैं। काश्मीर जवाहरलाल पर छोड़ रखा है। कहते थे कि 'सब जगह तो मेरा वश चल सकता है, पर जवाहरलाल की ससुराल में मेरा वश नही चलेगा।' वह यह भी कहते थे कि 'शेख अब्दुल्ला वगैरह क्या राष्ट्रीय मुसलमान रहेगा? इस देश में तो एक ही राष्ट्रीय मुसलमान है और वह है जवाहरलाल।'

इस तरह की बहुत सी बातें कीं। वह यह भी कहते थे कि वह लाचार हैं, क्योंकि गांधीजी को वचन दे चुके हैं कि जवाहरलालजी जैसा चाहेंगे वैसा ही उनके काम में सहयोग देते रहेंगे।"

गांधी सेवा संघ—जब गांधीजी सन् ३४ में वर्धा में बसे और कांग्रेस वाले जेल में गये तो यह सोचा गया कि उनके कुटुम्ब के पोषण के लिये कुछ करना चाहिये। इस विचार से सरदार तथा सेठ जमनालालजी बजाज ने मिलकर एक संस्था गांधी सेवा संघ बनाई। उसके लिये वह दोनों धन एकत्र कर देते थे। इस धन से रचनात्मक कार्य करने वालों को २५-३० रुपये मासिक दिया जाता था। इसका हिसाब कांग्रेस कार्य समिति के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। एक बार इस हिसाब को सुनकर नेहरूजी ने कहा कि 'आपने तो अलग पार्टी बना ली' इस पर गांधी जी ने इसे भंग कर दिया। किन्तु, कुछ वर्ष बाद ही नेहरूजी ने भारत सेवक समाज बनाई, जिसके कार्य-कलाप को सारा भारत आज जानता है।

सरदार ने नेहरूजी के सम्बन्ध में गांधी जी को दिये हुये अपने वचन का जीवन पर्यन्त पालन किया। किन्तु, नेहरू जी ने गांधी जी से वार्तालाप करके उसका पालन नहीं किया। उन्होंने गांधी जी को जो पहिले वचन दिये थे उनका वह पालन करते थे, किन्तु बाद में वह उससे मुकर गये। इसी से गांधी जी के पक्के अनुयायी श्री राजगोपालाचारी तथा आचार्य कृपलानी भी आज उनका विरोध कर रहे हैं।

नेहरू जी ने सन् १९५३ में भूतपूर्व राजाओं को एक ३० पृष्ठों का पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वह अपनी प्रिवी पर्स में कमी कर दें, जिसका किसी ने उत्तर तक नहीं दिया। किन्तु सरदार ने उनके राज्य ही ले लिये और नेहरू जी इतना कार्य भी नहीं कर सके।

सरदार ईश्वर में विश्वास करते थे। अतएव अपने वचन का पालन करते थे। भारत की स्वतंत्रता के आरम्भ के पांच वर्षों में ही पांच राज प्रमुखों के मर जाने से भारत को ५० लाख की बचत हो गई।

श्री के० एल० पंजाबी ने सरदार के सम्बन्ध में लिखे हुये अपने ग्रन्थ के 'राजनीतिज्ञ' शीर्षक वाले अध्याय में लिखा है कि "महात्मा गांधी ने १९३१ के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कहा था "जवाहरलाल विचारक है और सरदार कार्य करने वाले हैं।" वह यह भी कह सकते थे कि विचारक सरदार भी थे, किन्तु वह स्वप्न लेने वाले नहीं थे।"

पं० नेहरू पहिले गांधीजी की हर बात मानते थे, किन्तु जब वह १९२७ में रूस से लौटे तो उनका मानसिक परिवर्तन हो गया।

नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य मांगा गया था। किन्तु श्रीनिवास

ऐयंगर तथा श्री सुभाषचन्द्र बोस ने उसका विरोध किया। किन्तु पं० नेहरू पहले उसका विरोध करके भी गांधी जी के साथ हो गए।

सरदार पटेल पर यह आरोप लगाया जाता था कि वह अपनी साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के कारण मुसलमानों के विरोधी थे। किन्तु श्री महावीर त्यागी ने अपने ग्रंथ "मेरी कौन सुनेगा" में एक ऐसी घटना का वर्णन किया है, जिससे न केवल इस तथ्य का खण्डन होता है, वरन् सरदार के मुसलमानों के प्रति कोमल हृदय का भी परिचय मिलता है। बात यह थी कि जो मेव लोग अलवर आदि राज्यों को छोड़ कर पाकिस्तान चले गये थे, मंत्रीमंडल ने अपनी बैठक में उनके सम्बन्ध में यह निर्णय किया कि उन्हें पाकिस्तान से वापिस भारत बुला कर उनका फिर से पुनर्वास किया जावे। यह निर्णय मंत्रीमंडल ने अपनी बैठक में दो बार किया। किन्तु कांग्रेस कार्य समिति के एक सदस्य की प्रेरणा से यह विषय वर्किंग कमेटी की विचार सूची के लिए रक्खा गया, जिससे कांग्रेस कार्य समिति द्वारा मंत्रीमंडल के इस निर्णय को बदलवा दिया जाये। किन्तु सरदार पटेल को यह नामंजूर था। वह बीमारी के कारण कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नहीं जा सकते थे, जिससे इस प्रश्न का वहां विरोध किया जा सके। अतएव उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति और भारत के मंत्रीमंडल दोनों से त्यागपत्र देने का निश्चय किया। यह बात सन् १९४८ की है। उस समय सरदार पटेल देहरादून में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे और महावीर त्यागी नई दिल्ली में थे, जिनके साथ सरदार की गाढ़ मैत्री थी। अतएव सरदार ने इस प्रश्न के परामर्श के लिए महावीर त्यागी के पास टैलीफोन द्वारा सन्देश भिजवाया कि वह तत्काल देहरादून चले आवें। त्यागीजी के देहरादून पहुंचने पर सरदार पटेल ने अपने दोनों त्यागपत्रों वाला नेहरू जी के नाम लिखा हुआ पत्र त्यागीजी को दिखला कर उनका परामर्श मांगा। बहुत कुछ सोच विचार के पश्चात् त्यागी जी ने कहा "इस पत्र को भेजा अवश्य जाये, परन्तु यह पत्र सीधा नेहरू जी को न भेज कर प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष डा० राजेन्द्रप्रसाद के पास भेज दिया जावे और उन्हें लिख दिया जावे "मैं बीमारी के कारण यहां अकेला पड़ा हूं, कोई दूसरा साथी सलाह करने को है नहीं, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आने से भी लाचार हूं। उसका एजेन्डा देख कर मुझ पर जो उसकी प्रतिक्रिया हुई है उसके फलस्वरूप मैंने यह पत्र जवाहरलाल को लिखा है। आप कांग्रेस के प्रधान हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि यह पत्र प्रथम आपको दिखा दूं। आप कृपया इसे पढ़ कर जवाहरलाल के पास भेज दें।" अन्त में यह पत्र पाकर राजेन्द्र बाबू घबड़ा गये और उन्होंने उसी समय टेलीफोन द्वारा सरदार पटेल को सूचित किया कि वह उनकी विचारधारा से सहमत हैं और उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति के एजेंडा में से उक्त विषय को निकाल दिया है।*

---

*त्यागी, महावीर : मेरी कौन सुनेगा, दिल्ली १९६३

नेहरू और पटेल

पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल की तुलना करते हुए डाक्टर पट्टाभि सीतारामैया ने लिखा है—"इस बात पर प्रायः आश्चर्य प्रकट किया जाता है कि यदि इन दोनों विरोधियों का सहयोग इतना सुखदायक (Happy), इतना उपयुक्त और इतना एकाकार न होता तो दिल्ली की केन्द्रीय सरकार की कैसी दशा होती। यदि दो मित्र एक दूसरे की बात को हमेशा काटते रहें तो उनका सहयोग आदर्श नहीं हो सकता। यदि दो साथी एक दूसरे के ऊपर सदा आक्रमण करते रहें तो वह कोई उन्नति नहीं कर सकते और न कोई निर्णय कर सकते हैं। हमारे यह दोनों नेता बिल्कुल भिन्न प्रकार के हैं। अतएव हम को उनकी अपनी-अपनी उन विशेषताओं को समझना चाहिए, जिनके कारण वह एक दूसरे को उपयोगी सहयोग देते रहे।

विभिन्नता में एकता

"यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि सरदार तथा नेहरू का दृष्टिकोण एक था। किन्तु वह विभिन्नता में भी एकता के अद्भुत उदाहरण थे। एक हाथ की कोई सी भी दो अंगुलियां एक जैसी नहीं होती। एक माता पिता की संतान कोई से दो भाई एक जैसा न तो सोचते, न अनुभव करते और न कार्य करते हैं। अच्छे से अच्छे मित्रों का भी आपस में मतभेद होता है। एक दूसरे से मतभेद रखना तथा भिन्न-भिन्न मार्ग पर चलना स्वाभाविक है। किन्तु मतभेद को पाटना कठिन है और उसे प्रयत्नपूर्वक ही किया जा सकता है। इस विषय में हमारे दोनों नेता संसार के सम्मुख एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार एक उद्देश्य के लिये कार्य में लगे हुए दो व्यक्ति अनावश्यकों में से आवश्यकों, तात्कालिक से सुदूरवर्ती को तथा आवश्यक में से मुख्य को छांट लेते हैं। दोनों के मतभेद केवल उनकी अपनी-अपनी प्रकृति के कारण ही नहीं थे, वरन् भारत सरकार में उनके अपने अपने विभाग के कारण भी थे। उनको इस प्रकार का दृष्टिकोण बनाना पड़ता था कि दोनों मामलों में उनका मतभेद होता रहता था।

आत्म विस्मरण

"गृहमन्त्री को आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति की अनिवार्य आवश्यकता की उच्चतम भावना को बनाए रखना पड़ता है, जब कि परराष्ट्र मन्त्री को किसी विशेष मामले या स्वीकृत नीति के सम्बन्ध में विदेशों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना पड़ता है। यदि गृहमन्त्री किसी विदेशी को अवांछनीय व्यक्ति मानता है तो उसी समस्या तथा उसी व्यक्ति के सम्बन्ध में परराष्ट्र मन्त्री का विचार अनतिउग्र तथा अधिक समझौते वाला हो सकता है।

पौत्र गौतम के साथ

कुमारी मणिबेन पटेल तथा श्रीमती भानुमती पटेल

विविध मुद्रा में

"सहयोग की कला—भले ही वह दम्पति अथवा एक मन्त्री मण्डल के दो मन्त्रियों में हो, आत्म-विस्मरण तथा एक दूसरे की आधीनता की भावना पर निर्भर है। इस कला में हमारे पूज्य सरदार तथा हमारे प्यारे नेहरू दोनों ने अपनी उच्च योग्यता का परिचय दिया है।

"इस प्रकार दृष्टिकोण तथा विचारों की विभिन्नता केवल राजनीतिक मामलों में ही नहीं होती। सरदार पूर्णतया प्राच्य थे। वह अपने अन्तरात्मा से हिन्दू थे। फिर भी वह पाश्चात्य आदर्शों को हृदयंगम कर लेते थे तथा अन्य जातियों के साथ अच्छे से अच्छे सम्बन्ध रख सकते थे। जहां अपने अतिरिक्त अन्य मामलों पर इतना प्रबल विश्वास हो कि उसके बारे में किसी प्रकार भी समझौते की संभावना न हो यह संभव है कि वहां एकरूपता तथा साथीपने की भावना के विचार में बुद्धिमत्तापूर्ण हिचकिचाहट द्वारा, वाणी के संयम द्वारा तथा कार्य में बुद्धिमत्तापूर्ण विलम्ब द्वारा संबंध बनाए रखा जा सके। इसी प्रकार काश्मीर समस्या के सम्बन्ध में किया गया, जिसके सम्बन्ध में नीतिनिर्द्धारण तथा आगे कार्य करने का भार पूर्णतया प्रधान मंत्री पर छोड़ दिया गया, क्योंकि काश्मीर के सम्बन्ध में उनकी रुचि और वास्ता उनसे अधिक और किसी का नहीं हो सकता था।

देश अपने से भी ऊपर

"यह ध्यान देने की बात है कि सरदार ने समय के विरुद्ध, डाक्टरों की सम्मति के विरुद्ध और यहां तक कि अपनी संरक्षिका—अपनी पुत्री की भी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य किया। किन्तु उनके लिये देश अपने से भी ऊपर था।"

पंडित नेहरू तथा सरदार के मतभेद के विषय में पंडित हरिभाऊ उपाध्याय के निम्नलिखित उद्गार भी ध्यान देने योग्य है—

"पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार के मिजाज में बड़ा भारी अन्तर था। यहां तक कि उन दोनों की कार्य प्रणाली भी एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न प्रकार की थी। किन्तु सरदार पंडितजी को भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात् अपना नेता मानने लगे थे। इसके बदले में पंडित जी सरदार को परिवार का सर्वाधिक वृद्ध पुरुष मानते थे। दोनों के मतभेद के विषय में प्रायः अफवाहें फैल जाती थीं और विभेदात्मक वृत्ति वाले अत्यन्त प्रसन्न होकर उनमें फूट पड़ जाने की आशा संजोये रहते थे। किन्तु सरदार ने पानी को कभी भी शिर के ऊपर नहीं निकलने दिया। यदि कोई उन दोनों में से किसी की भी नीति पर आक्रमण करता तो उक्त आलोचक को वह दोनों फटकार देते थे। वह दोनों एक दूसरे के कवच थे। एक दिन एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने—जिसे सरदार का विश्वस्त व्यक्ति समझा जाता

था और नेहरूजी के दृष्टि पथ में अब भी आना नहीं चाहता—मुझ से कहा—"सरदार ने मुझ से अपनी मृत्युशय्या पर गुप्त रूप से कहा था कि हमको नेहरू जी की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि सरदार की मृत्यु से नेहरू जी को बहुत दुःख होगा।" मैं यह सुन कर द्रवित हो गया। किसी अन्य मित्र ने इसी प्रकार की बातें पंडित नेहरू के सम्बन्ध में की। सरदार अपने व्यंग के लिये प्रसिद्ध थे और एक दिन पंडितजी उनके व्यंग का शिकार बन ही गए। सरदार के एक निकट मित्र ने इस विषय में पंडित नेहरू से कहा तो पं० नेहरू ने उत्तर दिया "इसमें क्या बात है? आखिर एक बजुर्ग के रूप में उनको हमारे हंसी उड़ाने का पूर्ण अधिकार है। वह हमारी चौकर्सा करने वाले हैं।" कहा जाता है कि पंडित जी की प्रतिक्रिया से घबरा कर वह सज्जन अपने घर लौट गए।

"किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अनुकूल परिस्थिति के विरुद्ध प्रतिकूल परिस्थितियों में चमकता है। सरदार तथा पंडितजी ने विभिन्न वातावरण में अपनी वीरता को सिद्ध किया है। भारत संकट के समय सरदार को स्मरण करता है। सरदार के जीवन की विभिन्न घटनाओं को सुनने से मन में उमंग उठती है, किन्तु सरदार का स्वर्गवास हुए अधिक समय न होने से उनके महत्वपूर्ण कार्य की समीक्षात्मक प्रशंसा का क्षेत्र अभी सीमित है। यदि पंडित जी भारत की उत्कृष्ट प्रेरणा हैं तो सरदार उसका प्रबल विनयानुशासन हैं।"

अध्याय १५

सरदार के उपकार

सरदार १९१७ में गांधी जी के प्रभाव के कारण जब से कांग्रेस में आये उसके अन्दर अधिकाधिक एकाकार होते गये। १९१९ में उन्होंने न केवल अपनी सहस्रों रुपये दैनिक आय वाली बैरिस्टरी को छोड़ दिया, वरन् अपना व्यक्तिगन जीवन ही समाप्त कर दिया। अपनी जीवन सहचरी के स्वर्गवास से वह पहले ही वानप्रस्थी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे कि कांग्रेस में आकर तो वह अपने पुत्र श्री डाह्याभाई तथा पुत्री मणिबेन से भी उदासीन से हो गये और उ होंने उनको भी देश-कार्य में लगे रहने की प्रेरणा की। सरदार उस समय गीता के शब्दों में स्थितिप्रज्ञ बन चुके थे। असहयोग आन्दोलन के पश्चात् सरदार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री बने और उनका समस्त घर उनका कार्यालय बन गया। इस समय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज थे।

सेठ जमनालाल बजाज का स्वर्गवास होने पर सरदार पटेल को कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर वह अपने स्वर्गवास के समय तक बने रहे। उनके स्वर्गवास के समय कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय राजर्षि पुरुषोत्तमदास जी टण्डन थे। उन्होंने सरदार पटेल की मृत्यु से रिक्त हुए कांग्रेस कार्य समिति के स्थान पर उनकी पुत्री कुमारी मणिबेन को मनोनीत किया तथा कांग्रेस का कोषाध्यक्ष श्री मुरारजी देसाई को बनाया। कुमारी मणिबेन ने कांग्रेस कोषाध्यक्ष के दफ्तर के कागज पत्रों का चार्ज देते समय बीस लाख से अधिक की कांग्रेस फण्ड की रकम भी पूरे हिसाब सहित कांग्रेस को दे दी। इस पर नेहरू जी ने अत्यधिक आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, "मैं तो यह विश्वास भी नही कर सकता था कि कांग्रेस के पास बीस सहस्र रुपये जैसी बड़ी राशि होगी।"

१९२० में नागपुर में जब कांग्रेस ने प्रत्येक प्रान्त में अपनी शाखाएं खोलने का निर्णय किया तो गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई। सरदार को उसका अध्यक्ष बनाया गया। गुजरातियों ने सरदार को उनके जन्म भर अपने अध्यक्ष पद से मुक्त नहीं किया।

कांग्रेस के प्रायः मन्त्रियों की स्थाई सम्पत्ति उनके मन्त्रित्व काल में प्रायः इतनी अधिक बढ़ती रही है कि उनके सम्बधियों तक के पास अनेक मकान हो गये। किन्तु सरदार पटेल ने अपने पुत्र डाह्याभाई के लिये एक मकान तक बनाकर नहीं छोड़ा। जब से सन् १९३० में गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आरम्भ

किया तब से सरदार पटेल ने अपना निजी घर समाप्त कर दिया। अहमदाबाद में वह अपने एक मित्र के पास तथा बम्बई में अपने पुत्र डाह्याभाई के पास रहा करते थे।

फिर भी सरदार को पूंजीपतियों का मित्र तथा पक्षपाती कहा जाता था। इसमें सन्देह नहीं कि वह पूंजीपतियों के मित्र थे, क्योंकि उनसे धन लेकर ही उन्होंने कांग्रेस को दृढ़ बनाया था। उनकी यह मान्यता थी कि व्यापारी तथा उद्योगपति देश की समृद्धि को बढ़ाते, बेकारी को दूर करते तथा अपने कारखानों में अधिक मजदूरों को खपाते हैं। किन्तु उनके साथ व्यवहार करते समय वह अपने सिद्धान्त से लेशमात्र भी विचिलित नहीं होते थे। इसका एक उदाहरण पर्याप्त होगा। बम्बई के सेठ बालचन्द हीराचन्द उनके बड़े मित्र थे। वह सिंधिया कम्पनी के चेयरमैन थे। सिंधिया कम्पनी की प्रगति में सेठ बालचन्द की सहायता सरदार भी किया करते थे, क्योंकि लार्ड इन्चकेप की अंग्रेजी जहाजी कम्पनी उसकी प्रतियोगी थी। किन्तु जब सन् १९३६ में सेठ बालचन्द केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के चुनाव में खड़े हुए तो सरदार ने उनके मुकाबले में कांग्रेस की ओर से श्री गाडगिल तथा श्री जेदे को खड़ा किया और जिताया। निर्वाचन का परिणाम निकलने से दो दिन पूर्व सेठ बालचन्द ने सरदार पटेल से भेंट कर उनको इस बात का उपालम्भ दिया कि उन्होंने उसके मुकाबले गाडगिल तथा जेदे को खड़ा किया, जबकि विजय निश्चय से उसकी होगी। इस पर सरदार ने उत्तर दिया "यह तो निर्वाचन परिणाम देखने के बाद ही कहा जा सकेगा।" वास्तव में निर्वाचकों ने सेठ बालचन्द की मोटरों में जा-जा कर भी वोट कांग्रेस को ही दिये थे, जिससे सेठ बालचंद चुनाव में हार गए।

१९४६ के निर्वाचन के लिये जब सरदार पटेल कांग्रेस के लिये धन एकत्रित करने के लिए सेठ घनश्यामदास बिरला के यहां गये तो उन्होंने सेठ रामकृष्ण डालमिया को भी बुलाया हुआ था। उनको देखकर सरदार ने कहा "मैं इसका पैसा नहीं लूंगा। इसने पिछले निर्वाचन में मुझे तीन लाख रुपया देकर सर जे० पी० श्रीवास्तव को कांग्रेस का मुकाबला करने के लिये पन्द्रह लाख रुपये दिये थे।"

अवरतलाल सेठ सरदार के साथ काम करते थे। वह अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के सदस्य भी थे। अहमदाबाद में कांग्रेस बनने पर उन्हें उसका कोषाध्यक्ष बनाया गया। कुछ दिनों बाद उन्हें अत्यधिक घाटा आ गया तो सरदार ने उन्हें कांग्रेस का पैसा चुकाने की प्रेरणा की। अन्त में जब सरदार ने देखा कि वह दिवाला निकालने वाला है तो उन्होंने न्यायालय द्वारा सेठ अवरतलाल से कांग्रेस के धन को वसूल किया।

कमला नेहरू अस्पताल

श्री नेहरूजी की धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू का स्वर्गवास हो जाने पर कुछ उच्च कांग्रेस क्षेत्रों में यह निश्चय किया गया कि उनकी स्मृति को स्थाई बनाने के लिए इलाहाबाद में उनके नाम से "कमला नेहरू अस्पताल' की स्थापना की जावे। इस पर सरदार पटेल ने ८ अप्रैल, १९३६ को इस अस्पताल के लिए एक फंड बनाने की अपील निकाली। इस अपील के फलस्वरूप ५ लाख रुपया एकत्रित हुआ, जिससे २८ फरवरी, १९४१ को इस अस्पताल को आरम्भ किया गया।

जनवरी १९५७ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन श्री यू० एन० ढेवर की अध्यक्षता में इन्दौर में हुआ। उसमें भावी चुनाव के लिये कांग्रेस का निर्वाचन घोषणा पत्र विषय समिति के सन्मुख विचारार्थ उपस्थित किया गया, जिसके विभिन्न पैरे निम्नलिखित थे :—

१—"भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म ७५ वर्ष पूर्व हुआ था। उसका आरम्भ बहुत छोटे रूप में हुआ था। उस समय का यह शिशु संगठन बढ़ते-बढ़ते भारतीय बनता का प्रबल संगठन बनता गया और उसकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ देश की स्वतन्त्रता पर बल देता रहा। उसकी परिधि तथा दृष्टिकोण का प्रतिवर्ष विस्तार होता रहा। भारत की कहानी में प्रसिद्ध तथा बड़े-बड़े स्त्री पुरुषों ने इसको वर्तमान रूप देने में भाग लिया है, जिससे यह इस देश को स्वतन्त्र करने में भाग्यनिर्णायिक भाग ले सकी। प्रथम दादाभाई नौरोजी ने स्वराज्य के उद्देश्य की परिभाषा बनाई।.... फिर लोकमान्य तिलक ने कांग्रेस के आधार को विस्तृत कर उसको शक्ति तथा स्फूर्ति प्रदान की।.... महात्मा गांधी ने उसे भारतीय जनता की प्रतिनिधि बनाकर उसमें आत्म विश्वास तथा आत्मनिर्भरता का समावेश किया।....

२—प्रत्येक दशाब्दि के पश्चात् अहिंसात्मक तथा क्रान्तिकारी संघर्ष भारत में चलता रहा, जिसमें उसने कई बार देश के जीवन को झकझोरते हुए लाखों मनुष्योंको अपने अन्दर खींचा। १९२९ के आरम्भ में लाहोर कांग्रेस ने स्वराज्य की परिभाषा पूर्ण स्वतन्त्रता की और २६ जनवरी १९३० को देश भर में जनता ने इसकी शपथ ली।....

३—इसके तुरन्त बाद स्वतन्त्रता का सूर्य झगड़ों तथा विनाश से धुंधला पड़ गया और इसके थोड़े दिनों पश्चात् हमको अन्धकार से प्रकाश में लाने वाला नेता अपने उद्देश्य के लिये बलिदान देकर चल बसा।....

४—भारत विभाजन के फलस्वरूप लाखों व्यक्ति अपने अपने स्थान से

उखड़कर एक देश से दूसरे देश में गये, जिससे शरणार्थी समस्या ने विराट रूप धारण कर लिया। . . . .

५—अनेक रजवाड़े विलीन होकर भारतीय संघ में मिल गये। यह भारी सफलता थोड़े से समय में भारत सरकार तथा रियासतों के शासकों ने प्राप्त की। अन्य देशों में इस प्रकार की समस्याओं में भयंकर दंगे तथा भारी युद्ध हुए हैं। किन्तु भारत में हमने अपने ढंग पर इस समस्या को शान्तिपूर्ण सहयोग की भावना में सुलझाया और इस प्रकार एक अविभक्त भारत की आधार-शिला रखी।"

इस प्रकार यह निर्वाचन घोषणा पत्र ५६ पैरों में २० पृष्ठों का था।

इस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री अलगूराय शास्त्री ने उसमें एक संशोधन उपस्थित करते हुए हिन्दी में एक प्रभावशाली भाषण दिया। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को स्मरण कराया कि वह उस इन्दौर में सभा कर रही है, जहां कुछ वर्ष पूर्व राजनीतिक सभा करना सम्भव नहीं था। राज्यों का विलय तथा उनको भारत का अंग बनाना सरदार पटेल का कार्य था। इस स्थल पर उनका नाम लिये बिना उनके कार्य का उल्लेख करना एक भारी भूल है। कांग्रेसको कृतज्ञतापूर्वक उनको स्मरण करके उनका नाम इस पैरे में जोड़ना चाहिये।

किन्तु मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक पं० जवाहरलाल नेहरू को श्री अलगूराय शास्त्री का यह संशोधन पसन्द नहीं आया। उन्होंने कहा कि निश्चय से सरदार पटेल ने देश की बड़ी भारी सेवा की है। किन्तु इस चुनाव घोषणापत्र में उनके नाम का स्थान नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री ढेबर ने भी पं० नेहरू से अपनी सहमति प्रकट की। उस समय पण्डाल में मंच के ऊपर निम्नलिखित ऐसे व्यक्ति भी बैठे हुए थे, जिनको सरदार पटेल ही राजनीतिक क्षेत्र में लाये थे—श्री यू० एन० ढेबर, श्री मुरारजी देसाई, श्री खाण्डूभाई देसाई, श्री कांजीभाई देसाई, श्री ठाकुरभाई देसाई, श्री गुलजारीलाल नन्दा, श्री एस० के० पाटिल, श्री भवान जी खेमजी, श्री मगन भाई एस० पटेल, श्री बाबू भाई चिनाय, श्री के०के० शाह तथा श्री रसिकलाल पारिख आदि। किन्तु नेहरूजी के शब्द सुनकर वह सभी चुप बैठे रहे। अलगूराय शास्त्री के संशोधन का तो उनमें से किसी ने समर्थन तक नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष श्री ढेबर ने श्री अलगूराय शास्त्री से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें।

भारतीय संसद में गृह मन्त्री पं० गोविन्द वल्लभ पन्त ने तारीख ६ सितम्बर १९६० को घोषणा की थी कि सरदार पटेल की एक मूर्ति विजय चौक में लगाई जावेगी। किन्तु बाद में इस निश्चय को बदल दिया गया और

उनकी मूर्ति को नई दिल्ली में पार्लमेंट स्ट्रीट थाने के समीप चौराहे पर लगाया गया। जबकि ११ सितम्बर १९६३ को संसद में दिये हुए स्वास्थ्य मन्त्री डा० सुशीला नैयर के वक्तव्य के अनुसार मौलाना अबुल कलाम आजाद के मकबरे के निकट साढ़े नौ लाख रुपये की लागत से एक उद्यान बनाया जावगा, जिसमें सुन्दर फूलों तथा वृक्षों के अतिरिक्त फव्वारे लगाये जायेंगे तथा एक जलागार भी होगा।

कुछ वर्ष पूर्व नई तथा पुरानी दिल्ली के बीच आध एकड़ का एक भूमि खण्ड सरकार से लिया गया था, जिससे उसके ऊपर "सरदार पटेल मैमोरियल गुजराती स्कूल" का अपना भवन बनाया जा सके। उसकी आधार शिला अत्यन्त समारोहपूर्वक सन् १९५४ में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री यू० एन० ढेवर के हाथों स्थापित कराई गई थी। किन्तु बाद में सरकार ने यह कहकर उस भूमि खण्ड को वापिस ले लिया कि उसमें से आधी भूमि का उपयोग सड़क को चौड़ा करने में किया जावेगा। इस स्कूल के लिये दिल्ली के वयोवृद्ध गुजरातियों ने मुक्तहस्त होकर दान दिया था। किन्तु सरकार ने उसके आधार शिला के पत्थर को वहां से उखड़वा कर पुरानी दिल्ली से बहुत दूर ऐसे स्थान पर भिजवा दिया, जो उसके गुजराती दानदाताओं के लिये अत्यधिक असुविधाजनक है। फिर इस स्कूल का नाम सरदार पटेल स्कूल रखा गया। आजकल इस स्कूल का उपयोग उसके गुजराती दानदाताओं के बच्चों के लिये न होकर नई दिल्ली में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों लिये किया जा रहा है। उनमें गुजराती विद्यार्थियों की संख्या दशमांश भी नहीं है। जिस मूल स्थान से आधारशिला के पत्थर को हटाया गया वह स्थान भी अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है और वहां किसी सड़क को चौड़ा नहीं किया गया।

अध्याय १६

सरदार का व्यक्तित्व

सरदार पटेल स्वभाव से ही निर्भय, वीर तथा दृढ़ निश्चयी थे। उन्हें लोह पुरुष कहा जाता था। वह बोलते कम तथा कार्य अधिक करते थे। वह उत्तरदायी नेता तथा मूक अनुयायी थे।

व्यक्तिगत जीवन में सरदार न केवल एक अच्छे मित्र थ, वरन् वह सभी परिस्थितियों में अपने साथियों का साथ दिया करते थे। सार्वजनिक जीवन में यद्यपि उनको लोह पुरुष कहा जाता था, किन्तु उनका हृदय अत्यन्त कोमल था, जो उनके स्थिर तथा आत्मविश्वासपूर्ण नेत्रों के पीछे छुपा हुआ था। वह प्रायः चुप रहते थे और बोलते भी थे तो बहुत कम शब्दों में, केवल काम की बात करते थे। उनके शब्द प्राय तीक्ष्ण तथा काट करने वाले होते थे। जिनको उनके निकट सम्पर्क में रहने का अवसर नहीं मिला, वह उनके कोमल हृदय को नहीं देख सकते थे। मनुष्यों तथा समस्याओं के सम्बन्ध में उनकी विशेष चतुरता तथा उनका ठोस निर्णय होने पर भी वह अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ बच्चे जैसे सरल तथा विश्वासपात्र थे। किसी मित्र के आड़े समय में काम आने के लिये वह अपने को वचनवद्ध मानते थे। अपने दृढ़ निश्चय के साथ साथ उनकी रुचियां तथा अरुचियां भी दृढ़ होती थीं। अपराध के लिये तो वह प्रायः दृढ़ ही होते थे। किन्तु उनका सबसे बड़ा गुण यह था कि वह किसी व्यक्तिगत उद्देश्य से कभी किसी पर प्रहार नहीं करते थे। न वह किसी मित्र को अनुगृहीत करने अथवा किसी शत्रु पर ही चोट करने का कोई कार्य करते थे। वह प्रत्येक वस्तु का जायजा लेकर उसके अनुकूल अपना रुख तथा आचरण इस प्रकार बनाते थे कि वह देश हित के अधिक से अधिक अनुकूल हो। उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता तथा उनका हास्य उनकी ऐसी विशेषता थी कि उनकी संगति में कोई भी व्यक्ति अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने को सुखी ही मानता था।

सरदार का व्यक्तित्व प्रेरणादायक था। वह किसी भी विचार को तत्काल समझ लेते, उस पर तत्काल विचार करते तथा तत्काल कार्यवाही करते थे। उनका विश्वास था कि मित्रों तथा साथी कार्यकर्ताओं के एक नेता के प्रति भक्ति में परस्पर बंध कर सामूहिक रूप में कार्य करके ही किसी कार्य को सम्पन्न किया जा सकता है। वह सदा ही चुस्त रहते और सूचनाओं को ग्रहण कर उनको अपने मन में उसी प्रकार संजो कर रखते थे, जिस प्रकार शहद के छत्ते के किसी विशेष छिद्र में शहद

जमा रहता है और उसे तब तक जमा रखते थे कि उस मामले के पक जान पर उसका उपयोग करने की आवश्यकता न पड़ती। वह स्वस्थ होते या अस्वस्थ, दिल्ली होते अथवा बम्बई में, सोते होते अथवा जागते होते, सोचते होते अथवा स्वप्न लेते होते तत्कालीन महत्व की समस्याओं पर न केवल उनका ध्यान लगा रहता था, वरन् वह उसका उसी समय हल भी सोच लेते और उनका टेलीफोन प्रथम उनके मन में कार्य करके फिर बाहर उनके कार्यालय में कार्य करता रहता। कभी कभी तो शेयर मार्केट के स्टाक दलालों के समान इस प्रकार उनके चार-चार टेलीफोन एक साथ कार्य किया करते थे। इसी प्रकार ५६२ रियासतों का भाग्य एक मिनट में तय किया जाता तथा ९ प्रान्तों के भाग्य का निबटारा एक सैकिण्ड में किया जाता था। जमीदारों तथा उनको मिलने वाले मुआवजे का प्रश्न होता तो प्रान्तीय सरकारों की लगाम एक क्षण में खेंच ली जाती थी। कांग्रेस कमेटियों तथा प्रान्तीय मन्त्री-मण्डलों के सम्बन्ध का प्रश्न होता तो प्रत्येक को एक क्षण में अपने अपने स्थान पर स्थिर कर दिया जाता था।

यदि वह भारत के स्वातन्त्र्य युद्ध के एक वीर सैनिक तथा युद्धविद्या-विशादर थे तो वह एक नए राज्य के निर्माता के रूप में, एक चतुर तथा अधिकार-सम्पन्न प्रशासक के रूप में तथा जादूगर की एक छड़ी को घुमाने वाले के रूप में भी कम बड़े नहीं थे। इसी से उन्होंने लगभग छै सौ रियासतों को भारत में मिला कर एक कर दिया। भारत में कई प्रकार के साम्राज्य थे। भारत के बाहिर तो सम्भवतः उससे भी बड़े-बड़े साम्राज्य थे, किन्तु उन्होंने अपनी विचित्र राजनीतिज्ञता से राजनीतिक संस्थाओं का एक ऐसा बड़ा तथा विशाल प्रदर्शन कक्ष बना कर खड़ा कर दिया था, जिसमें मध्यकालीन तथा आधुनिक सभी प्रकार की प्रशासन प्रणालियों को स्थान देकर उसे एक सर्वसत्ता सम्पन्न ऐसा जनतन्त्र राज्य बना दिया, जिसमें एक महाद्वीप जैसा विशाल क्षेत्रफल तथा ३६ करोड़ जनसंख्या थी।

राजनीतिक सफलता का मानदण्ड सदा एक जैसा नहीं रहता। आने वाले प्रत्येक युग का अपना निजी मानदण्ड होता है। किन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में, खतरे होने पर भी साहस द्वारा, एकबुद्धि तथा दृढ़ निश्चय द्वारा ईमानदारी से बनाये हुए आदर्शों को पूर्ण करने के निश्चल प्रयत्न द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले की प्रशंसा को मानदण्ड का कोई भी परिवर्तन कम नहीं कर सकता। मनुष्य की योग्यता तथा उसके बड़प्पन के यह भेदरहित एवम् अपरिवर्तनीय मानदण्ड है। सरदार पटेल में भी अपनी कुछ त्रुटियां थीं। किन्तु उनकी रचनात्मक सफलता उनकी असफलता को स्मृतिपट से ओझल करके इतिहास में उनका स्थान अमर बना देती है।

नेतृत्व दो प्रकार का होता है। एक तो नेपोलियन जेसा नेता, जो नीति तथा

उसके विस्तार दोनों के अधिपति होते हैं। ऐसे नेताओं को केवल अपनी आज्ञाओं को कार्यरूप में परिणत करने वाले साधनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अलौकिक महापुरुष बहुत कम जन्म लेते हैं। सरदार का नेतृत्व दूसरे प्रकार का था। उन्होंने अत्यन्त सावधानी से अपने अफसर चुने और फिर उनके कार्य में हस्तक्षेप किये बिना उन पर उस कार्य को मूर्तरूप देने का उत्तरदायित्व डाल दिया। उन्होंने यह कभी नहीं प्रदर्शित किया कि वह संसार की प्रत्येक बात जानते थे। उन्होंने अपने पदाधिकारियों से पूर्ण परामर्श किये बिना कभी कोई नीति निर्धारित नहीं की।

राष्ट्र के लिये की हुई बड़ी सफलताओं के कारण सरदार जितने महान् थे, अपने मानवी गुणों के कारण वह उससे भी अधिक महान् थे। उनके पास हाजिर-जवाबी तथा हंसोड़पने का एक निस्सीम कोष था। अपने सहायकों तथा अनुयायियों के अपराध करने पर भी वह उन पर कृपा किया करते थे। वह उनकी देखभाल करते, उनका कुशलक्षेम पूछते रहते और प्रत्येक ऐसा कार्य करते थे, जो एक पिता अपने पुत्र के लिये किया करता है। जिस पर वह एक बार विश्वास कर लेते फिर वह उस पर कभी भी संदेह नहीं करते थे। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। सरदार तथा उनके अनुयाइयों के सम्बन्ध का यही रहस्य था।

वह सत्याग्रह संग्राम के चीफ आफ स्टाफ थे। गांधी जी तथा कांग्रेस की गुप्त सभा वाले एकान्त में बैठ कर उच्च आदर्शों, स्वप्न जैसी योजनाएं तथा महत्वपूर्ण संघर्षों की योजनाएं बनाते थे और बातें बना बना कर अपने अपने घर चले जाते थे, किन्तु सरदार पटेल वास्तविक कार्य करते थे। वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्थान पर नियुक्त करके उसे नियम में स्थिर रखते थे। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य के लिये अनुपयुक्त होता तो बिना लिहाज या मुरव्वत किये वह उसे उस कार्य से हटा देते थे। वह शुद्धि तथा सफाई करने वाले थे।

वह बहुत कम बोलते और सुनते अधिक थे। जब वह बोलते थे तो वह कार्य-करने की घोषणा ही किया करते थे और वह युद्ध-घोष होता था। उनको सहमत करने में बहुत समय लगता था।

गांधी जी ने कांग्रेस में जान डाली। जवाहर लाल नेहरू ने उसके दृष्टिकोण तथा उसकी कल्पना को विस्तृत किया। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने उसमें आचरण का प्रवेश कराया। सरोजिनी नायडू ने उसमें शान दी, किन्तु उसे कार्य-क्षमता सरदार पटेल ने ही दी। उन्होंने उसमें सम्पूर्णता तथा शक्ति की भावना का संचार किया। कांग्रेस पदवियों तथा उपाधियों से घृणा करती रही है। किन्तु पटेल उसका अपवाद हैं। वहां वह सदा सरदार रहे।

देश के सभी शक्तिशाली पुरुष उनके हाथ में बन्धक थे, जिनका वह कांग्रेस

की विजय के लिये चाहे जहां उपयोग कर सकते थे। उनको यह पता था कि किस कार्य के लिये कौन सा व्यक्ति सबसे अधिक उपयुक्त है। वह अधुनिक सहस्त्रनेत्र थे, क्योंकि उनका प्रत्येक कार्यकर्ता उनका एक-एक नेत्र था। इसी प्रकार उनके सहश्रकर्ण तथा सहश्र हाथ भी थे।

भारतवर्ष के १५० वर्ष के दासताकाल में ऐसा एक भी मनुष्य उत्पन्न नहीं किया जा सका, जो मनुष्य की आन्तरिक शक्ति को झांक कर देखने में गलती न करते हुए कार्य करे और उसकी विस्तृत रूप रेखा को भांप सके। भारत सरकार के संचालन में प्रदर्शित की हुई उनकी शासन सम्बन्धी योग्यता अप्रतिम थी।

सरदार पटेल का मस्तिष्क इन्डेक्स कार्डो जैसा था। ऐसा जान पड़ता था कि उनके मस्तिष्क में प्रत्येक बात अपनी अपनी सूची के अनुसार लेविल लगी हुई रखी रहती थी। उसमें उनकी धारणाएं गुप्त रूप से गुंथ कर वर्षों तक एकत्रित पड़ी रहती थीं और अवसर आते ही तात्कालिक निर्णय के साथ शीघ्रतापूर्वक अपना कार्य करती थीं। उनसे कोई बात नहीं छूटती थी।

कांग्रेस के सभी नेताओं में अकेले वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो मृत्यु से कई बार बाल-बाल बचे। भावनगर के प्रजा आन्दोलन के समय मृत्यु उनकी प्रतीक्षा करती रही और वह भाग्यवश बच गये। साम्यवादी वहां उनकी दिन दहाड़े हत्या करनी चाहते थे।

यद्यपि उनको शक्ति को हथियाना तथा हठी विद्रोहियों को विनयानुशासन में लाना आता था, किन्तु उन्होंने कभी भी शक्ति प्राप्त करने की लालसा नहीं की। वह तो उनके हाथ में जबर्दस्ती थमा दी जाती थी। उसका अन्तिम क्षण आने तक वह अपने को पर्दे में रखते थे। किन्तु जिस युद्ध का उनको सेनापति बनाया जाता, उसमें उनकी आज्ञा अन्तिम होती थी। सेनापति के रूप में उनको युद्ध कला के अतिरिक्त उसके दांव पेच भी आते थे। वह युद्ध-कौशल दिखलाना तथा अन्तिम चोट करना भी जानते थे। व्यक्तिगत ईर्ष्या द्वेष तथा विरोधी व्यक्तियों अथवा दलों की निर्बलताओं को स्मरण रख कर वह अपने मस्तिष्क में सावधानी से लेखा जोखा रखते थे और उससे वह अपने विरोधी को पछाड़ दिया करते थे। उनका निशाना अन्तिम प्रहार ही होता था।

वह संकटकाल के समय के सेनापति थे। भले ही भारतीय जनता उनके लिये रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नहीं लगाती थी और न वह उनके चरण छूने के लिये एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करती थी, किन्तु ऐसा कोई भारतीय नहीं है, जिसे उनका अभिमान न हो।

आक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त भारतीय राजनीतिज्ञों के इस युग में, जो ड्राइंगरूम के सोफियाना व्यवहार में सिद्धहस्त होते हैं, उनका रूखापन तथा उनके अनूठे ढंग भले ही असंगत लगते हैं, किन्तु युद्ध के अवसर पर बारडोली के इस

वीर योद्धा के अलौकिक शौर्य वाले कार्य-कलाप को समस्त भारत बाल सुलभ विश्वास के साथ देखा करता था। उनका सम्मान इसलिये नहीं किया जाता था कि आप उनका सम्मान करना चाहते थे, वरन् इसलिये किया जाता था कि आपको उनका सम्मान करना ही पड़ता था। उनको केवल एक व्यक्ति की निन्दा अथवा प्रशंसा की चिन्ता रहती थी। वह गांधीजी थे।

वह एक उदार नेता, विनम्र अनुयायी, कृपालु मित्र और निर्भय किन्तु सम्मानीय शत्रु थे। वह एक निर्माता थे। वह अपने चरण भूमि पर दृढ़ता से जमा कर राष्ट्र का निर्माण करने का यत्न करते रहते थे। उन्होंने भारत को स्वतन्त्र करने के लिये कठिन परिश्रम किया। उसके स्वतन्त्र हो जाने पर उन्होंने उसे संयुक्त तथा सबल बनाने के लिये उससे भी अधिक परिश्रम किया, जिससे वह अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सके। डाक्टरों के यह चेतावनी दे देने पर भी कि उनका अन्त समय निकट है वह बिना रुके कार्य करते रहते थे, क्योंकि उनकी यह महती आकांक्षा थी कि भारत अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने योग्य बन जावे। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पं० मोतीलाल नेहरू तथा देशबन्धु चित्तरंजन दास के नामों के साथ साथ स्वर्णाक्षरों में चमक रहा है।

सरदार तथा सोशलिज्म—वह सोशलिज्म के विरोधी नहीं थे। उनका निजी जीवन गांधीजी के जैसा आदर्श एवं त्याग से परिपूर्ण था। उन्होंने अपने बच्चों के लिये कोई सम्पत्ति नहीं छोड़ी। और जो कुछ उनके हाथ में आया वह सब कुछ उन्होंने देश को दे दिया। सोशलिस्टों ने जिस प्रकार अपनी पार्टी बनाने के लिये दलगत भावना से महात्मा गांधी तथा उन के साथियों का विरोध किया वह उसका विरोध करते थे। इससे सोशलिस्ट लोग उनसे चिढ़कर उनपर सख्त सार्वजनक प्रहार करते थे। फिर भी यूसुफ मेहरअली तथा अच्युत पटवर्धन जैसे सोशलिस्टों से उनका मधुर सम्बन्ध था, जिनका व्यक्तिगत जीवन उज्ज्वल था।

कालिज से निकलने वाले युवक सोशलिस्टों से वह कहा करते थे कि 'तुम्हारे होठों में तो अभी मां का दूध भी नहीं सूखा, फिर भी तुम हमारे जैसे वृद्ध-व्यक्तियों को सिखाने आये हो।"

सन १९४५ में जेल से वापिस आने पर चुनाव संग्राम का संचालन करने के लिये उन्होंने शांतिलाल शाह नामक एक सोशलिस्ट को अपना निजी सेक्रेटरी बनाया था। उनका कहना था कि मेरे पास कोई गुप्त बात नहीं है। जब सोशलिस्टों ने कांग्रेस से अलग पार्टी बनाने का यत्न किया तो उन्होंने बम्बई की एक सार्वजनिक सभा में अपील की कि वह धैर्य से काम लें और कांग्रेस में फूट न बढ़ावें। उन्होंने यह भी कहा कि 'हम वृद्ध व्यक्ति तो इस संसार से जल्दी ही चले जायेंगे। फिर तो नेतृत्व उनका ही होगा।'

अध्याय १७

सरदार का परिवार

यह पीछे बतलाया जा चुका है कि सरदार पटेल के चार भाई के अतिरिक्त एक छोटी बहिन भी थी। उनमें से इस समय सन् १९६३ में केवल सबसे छोटे भाई श्री काशी भाई ही जीवित हैं। वह वकालत करते थे।

पीछे यह भी लिखा जा चुका है कि सरदार के सन्तति के नाम पर केवल एक पुत्री मणिबेन तथा एक पुत्र डाह्याभाई ही हुए। कुमारी मणिबेन का जन्म अप्रैल १९०३ में तथा श्री डाह्याभाई का जन्म २८ नवम्बर १९०५ को हुआ था। उनकी धर्मपत्नी के पेट में एक ग्रन्थि थी, जिसका आपरेशन बम्बई के कामा अस्पताल में किया गया था। किन्तु आपरेशन के पश्चात् ११ जनवरी १९०९ को उनका स्वर्गवास हो गया। इस समय मणिबेन की आयु ५॥। वर्ष तथा श्री डाह्याभाई की कुल तीन वर्ष की थी। इस प्रकार दोनों बच्चों को बहुत कम आयु में ही मातृसुख से वंचित होना पड़ा।

इस समय सरदार के ज्येष्ठभ्राता श्री विट्ठल भाई बम्बई में बैरिस्टरी करते थे। सरदार की पत्नी का स्वर्गवास होने पर उन्होंने दोनों मातृहीन बच्चों के लालन पालन तथा उनकी शिक्षा दीक्षा का उत्तरदायित्व लिया। वह इन दोनों बच्चों को बिल्कुल अपना बच्चा ही समझते थे। उनकी पत्नी भी इन दोनों बच्चों को अच्छी तरह रखती थीं। किन्तु एक वर्ष के पश्चात् उनका भी स्वर्गवास हो जाने पर श्री विट्ठल भाई ने दोनों बच्चों को स्वयं ही रखा।

श्री विट्ठल भाई तथा वल्लभ भाई दोनों भाइयों का विचार इन दोनों बच्चों को न केवल उच्चकोटि की अंग्रेजी शिक्षा देने का था, वरन् वह बाद में उनको कालेज शिक्षा के लिये इंगलैण्ड भी भेजना चाहते थे। सरदार वल्लभभाई ने बैरिस्टरी के लिये इंगलैण्ड जाते समय उन्हें बम्बई के क्वीन मैरीज हाई स्कूल में भर्ती करा दिया। वहां बोर्डिंग न था। वरन् सब योरोपियन अध्यापिकाएं एक साथ रहा करती थीं। उनके साथ इन दोनों को भी बोर्डर के रूप में रख दिया गया। वहां उन दोनों को यूरोपियन वेष में रहना पड़ता था। उस समय उनके बूट, मोजे, हैट तथा अन्य वस्त्र व्हाइट वे तथा हवान्स फ्रेजर के यहां से मोल लिये जाते थे। वहां उन दोनों के लिये एक ईसाई आया भी रख दी गई थी। दो वर्ष अंग्रेजी स्कूल में रहने के उपरान्त श्री डाह्याभाई को काली खांसी हो गई। इससे विट्ठल

भाई दोनों बच्चों को अपने घर ले आए। सरदार के विलायत से लौट आने पर भी दोनों भाई बहिन बहुत समय तक बम्बई में श्री विट्ठल भाई के पास ही रहे।

क्वीन मैरीज हाई स्कूल लड़कियों का था। अतएव बारह वर्ष की आयु होने पर श्री डाह्याभाई को वहां से हटा लिया गया। वह इस स्कूल में कुल दो वर्ष तक रहे। इसके पश्चात् दोनों भाई बहिन बांदरा के दो पृथक् पृथक् स्कूलों में भर्ती हो गए। इसके पश्चात् डाह्याभाई ने बम्बई के जान कानन हाई स्कूल में नाम लिखाया।

मणिबेन १९१७ में अहमदाबाद आकर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में भर्ती हो गईं। सन् १९२० में असहयोग आन्दोलन आरंभ होने तथा गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होने पर प्रोप्राइटरी स्कूल जब गुजरात विद्यापीठ से सम्बद्ध हो गया तब वह तथा डाह्या भाई दोनों उसी में भर्ती हो गए, और दोनों ने वहीं से मैट्रिक पास किया। श्री डाह्याभाई अपनी माता के स्वर्गवास के पश्चात् सन् १९०९ से १९२० तक बम्बई में अपने ताऊ श्री विट्ठलभाई के पास रहे। उन्होंने असहयोग आन्दोलन आरम्भ होने के बाद १९२० में बम्बई छोड़ी। अहमदाबाद आकर वह भी प्रोप्राइटरी स्कूल में भर्ती हो गए। मणिबेन तथा डाह्याभाई के अहमदाबाद में आने से भी सरदार के समय विभाग में कोई अन्तर न आया। डाह्याभाई सरदार से वार्तालाप किया करते और कभी-कभी प्रेम के उद्रेक में उनसे चिपट भी जाया करते थे। किन्तु मणिबेन उनके साथ लेशमात्र भी वार्तालाप नहीं करती थी। यहां तक कि मणिबेन को तो सरदार के सामने आने में भी संकोच होता था। सरदार जिस समय प्रातःकाल दीवानखाने में चहलकदमी करते होते तो मणिबेन स्नान आदि करके पास वाले हिस्से के द्वार में आकर खड़ी हो जातीं। सरदार उनसे पूछते "क्या हाल है?" वह उत्तर दिया करतीं "अच्छा है।" दिन भर में दोनों में केवल इतना ही वार्तालाप हुआ करता था। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल मणिबेन मुंह दिखातीं और फिर वही वार्तालाप हुआ करता था।

इस समय सरदार पटेल अहमदाबाद में "भद्र" नामक एक किले जैसे एक बड़े मकान के एक भाग में रहा करते थे। उनके पड़ोस में ही श्री मावलंकर भी रहा करते थे। मणिबेन उनकी माता तथा पत्नी के पास अधिक उठती बैठती थीं। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होने पर दोनों भाई बहिनों ने प्रोप्राइटरी स्कूल छोड़ कर विद्यापीठ में नाम लिखाया। यहां अध्ययन करते समय मणिबेन को पेट का भयंकर रोग हुआ। अनेक प्रकार की चिकित्सा की जाने पर भी जब उनको कोई लाभ न हुआ तो सूरत के समीप उनको हजीरा नामक उस गांव में ले जाया गया, जहां के दो कुओं का जल उदर रोगों में चमत्कारिक ढंग से लाभदायक है।

यद्यपि विद्यापीठ में दोनों भाई बहिन एक ही कक्षा में साथ-साथ पढ़ा करते थे, किन्तु इस रोग के कारण मणिबेन एक वर्ष पीछे रह गईं। डाह्याभाई सन् १९२४ में गुजरात विद्यापीठ के स्नातक बने। मणिबेन १९२५ में स्नातिका बनीं।

मणिबेन इन दिनों महात्मा गांधी तथा उनके सखा एवं प्राइवेट सेक्रेटरी श्री महादेव भाई देसाई से अत्यधिक मिलती रहती थीं। महादेव भाई न केवल महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, वरन् वह उनकी माता के समान देखभाल भी किया करते थे। वह एक क्षण भी खाली नहीं रहते थे। रेल यात्रा में भी वह थर्ड क्लास के डिब्बे में बराबर लिखते रहते थे और स्थान न मिलने पर डिब्बे की दोनों सीटों के बीच में बैठ कर लिखा करते थे। बाद में सरदार की १९३२-३३ की जेल की बीमारियों के पश्चात् जब मणिबेन ने अपने पिता की सेवा का भार अपने ऊपर लिया तो उन्होंने महादेव भाई के आदर्श को अपने सामने रख कर ही सरदार की सेवा की। डाह्याभाई अपनी माता के स्वर्गवास के पश्चात् १९०९ से १९२०, तक बम्बई में श्री विट्ठल भाई के पास रहते हुए मैट्रिक तक पढ़े। जब महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मे विलायती कपड़े की होली जलाई तो दोनों भाई बहिन ने उसमें अपने समस्त वस्त्र जला कर खादी धारण की। मणिबेन ने तो श्वेत खादी के अतिरिक्त रंगीन साड़ी अथवा रंगीन किनारी वाली साड़ी भी कभी नहीं पहनी। उनके पास कुछ जेवर था। उन्होंने वह भी उतार कर गांधीजी को दे दिया। तब से ही वह प्रतिदिन काता करती थी। वह इतना सूत कात लेती थी कि उससे तब से लगा कर सरदार का स्वर्गवास होने तक उनके तथा सरदार के सभी वस्त्र बन जाया करते थे।

जब श्री विट्ठल भाई पटेल केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य बन कर दिल्ली आये तो डाह्याभाई भी उनके पास कई बार दिल्ली आये। श्री विट्ठल भाई के केन्द्रीय व्यवस्थापिका का अध्यक्ष (स्पीकर) बन जाने पर वह बहुत कुछ उनके पास दिल्ली में ही रहने लगे। अपने इस दिल्ली के निवास काल में डाह्याभाई को भारत के अनेक सरकारी तथा गैरसरकारी व्यक्तियों से परिचित होने तथा उनके जीवन को निकट से देखने का अवसर मिला। स्नातिका बनते बनते मणिबेन की आयु लगभग २२ वर्ष की हो चुकी थी। महात्मा गांधी ने उनको सम्मति दी कि वह भारत के स्वतन्त्र होने पर ही विवाह करें। किन्तु लोकव्यवहार के कारण सरदार उसके विवाह के सम्बन्ध में कुछ चिंतित अवश्य थे। उन्होंने मणिबेन को परोक्ष रूप से विवाह करने की प्रेरणा की, किन्तु जब उनको पता चला कि मणिबेन की इच्छा विवाह करने की नहीं है तो उन्होंने अपनी सुधारवादी प्रवृत्ति का परिचय देते हुए उसपर विवाह के लिये लेशमात्र भी दबाव नहीं डाला। वास्तव में सरदार के सामाजिक विचार अत्यधिक उदार थे। स्त्री स्वातन्त्र्य के तो वह

अत्यधिक हिमायती थे । भला ऐसी स्थिति में वह अपनी पुत्री को इस स्वतन्त्रता का उपयोग क्यों न करने देते ।

कुमारी मणिबेन

कुमारी मणिबेन गुजरात विद्यापीठ की स्नातिका बन कर कुछ समय तक वर्धा में रहीं । स्नातिका बनने से पूर्व ही उन्होंने १९२० में खेड़ा जिले में बाढ़ संकट निवारण का महत्वपूर्ण कार्य किया था । १९२८ में उन्होंने 'पाटीदार भगिनी सभा' के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की । जब सरदार पटेल ने सन् १९३० में अपने गार्हस्थ जीवन का त्याग किया तो कुमारी मणिबेन ने उनकी सेवा को अपने जीवन का उसी प्रकार व्रत बनाया, जिस प्रकार महादेव देसाई गांधीजी की सेवा किया करते थे । अब कुमारी मणिबेन ने सरदार की सेक्रेटरी तथा परिचारिका का कार्य सम्भाल लिया । उन्होंने १९३० से लेकर १९५० में सरदार के स्वर्गवास के समय तक इस कार्य को अत्यन्त निष्ठा तथा तत्परतापूर्वक किया ।

परिचारिका के रूप में वह सरदार के भोजन, सोने, रोग परिचर्या आदि दैनिक जीवन के सभी कार्यों की व्यवस्था किया करती थीं । यदि भोजन सरदार के अनुकूल न होता तो वह अपने हाथ से स्वयं भी बनाती थीं । सरदार के सेक्रेटरी के रूप में वह इस बात का ध्यान रखती थीं कि सरदार के ऊपर कार्य का भार कम से कम पड़े । सरदार की मेज के सभी कागजों को देखकर वह उनका संक्षेप बना कर रख दिया करती थीं । जो लोग सरदार से मिलने आते थे उनकी भेंट के समय वह इस बात का ध्यान रखती थीं कि कोई व्यक्ति अपने लिये निर्धारित समय से अधिक समय न लेने पावे । कई बार वह ऐसे व्यक्तियों को संकेत द्वारा समय का स्मरण कराया करती थीं । वास्तव में यदि कुमारी मणिबेन सरदार के पास आने वालों के साथ इस प्रकार का पूर्णतया नियमबद्ध व्यवहार न करती तो सरदार का जीवन इससे पूर्व ही समाप्त हो गया होता । इन दिनों कुमारी मणिबेन सरदार के दैनिक कार्यों का विवरण नियमित रूप से लिखा करती थीं । उक्त दैनिक डायरी उनके पास अब भी है । महादेव भाई का कहना था कि गांधीजी का सेक्रेटरी बनने के लिये तो 'पीर, बवर्ची, भिश्ती, खर' सभी कुछ बनना आवश्यक है । महादेव भाई के इस गुरुमंत्र को मणिबेन ने भी अपने जीवन में चरितार्थ किया था ।

कुमारी मणिबेन १९३० के बाद सरदार के प्रत्येक कार्य में सम्मिलित रहीं । इसीलिये १९३५ में बोरसद में भयंकर प्लेग होने पर सरदार के साथ वहां उन्होंने भी प्लेग निवारण का कार्य किया । इस बीच उनको १९३०, १९३३ से १९३४ तक, १९३८-३९, १९४० तक १९४२ से १९४५ तक जेल में भी

रहना पड़ा। चर्खा चलाने का इनको इतना अधिक चाव है कि वह अपने तथा अपने पिता के वस्त्र अपने काते हुए सूत से ही बनवाती रहीं।

उनको कांग्रेस का रचनात्मक कार्य करने का व्यसन है। सरदार पटेल का स्वर्गवास होने पर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन ने उनको सरदार के स्थान पर कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य तथा कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया। किन्तु कुछ मास पश्चात् ही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाने पर उनके स्थान में मुरारजी भाई देसाई को कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया गया। नवीन विधान के अनुसार भारत में प्रथम निर्वाचन होने पर मणिबेन को भारत की प्रथम लोकसभा का सदस्य बनाया गया। वह १९५२ से १९५७ तक तथा इसके पश्चात् १९५७ से १९६२ तक संसद सदस्या रहीं। एम०पी० काल की आपकी यह विशेषता थी कि सभी संसद सदस्यों के समान रेल का फर्स्ट क्लास का पास होते हुए भी आप सदा ही थर्ड क्लास में यात्रा किया करती थीं।

सादा जीवन

महावीर त्यागी ने उनके सम्बन्ध में अपने ग्रन्थ में लिखा है कि—

'एक बार मणिबेन सरदार को कुछ दवाई पिला रही थीं। मेरे आने-जाने पर तो कोई रोक टोक थी ही नहीं। मैंने कमरे में दाखिल होते ही देखा कि मणिबेन की साड़ी में एक बहुत बड़ी थेगली (पैबन्द) लगी है। मैंने जोर से कहा, "मणिबेन, तुम तो अपने को बहुत बड़ा आदमी मानती हो। तुम एक ऐसे बाप की बेटी हो कि जिसने साल भर में इतना बड़ा चक्रवर्ती अखण्ड राज्य स्थापित कर दिया है कि जितना न रामचन्द्रजी का था, न कृष्ण का, न अशोक का, न अकबर का और न अंग्रेज का था। ऐसे बड़े राजों, महाराजों के सरदार की बेटी होकर तुम्हें शर्म नहीं आती।' बहुत मुंह बनाकर और बिगड़ कर मणि ने कहा, 'शर्म आए उनको जो झूठ बोलते और बेईमानी करते हैं। हमको क्यों शर्म आए?' मैंने कहा, 'हमारे देहरे शहर में निकल जाओ तो लोग तुम्हारे हाथ में दो पैसे या इकन्नी रख देंगे, यह समझ कर कि एक भिखारिन जा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि थेगली लगी धोती पहनती हो।' मैं तो हंसी कर रहा था। सरदार भी खूब हंसे और कहा, 'बाजार में तो बहुत लोग फिरते हैं। एक-एक आना करके भी शाम तक बहुत रुपया इकट्ठा कर लेगी!'

'पर मैं तो शर्म से डूब मरा जब सुशीला नायर ने कहा, "त्यागीजी, किस से बात कर रहे हो? मणि बहन दिन भर सरदार साहब की बड़ी सेवा करती हैं, फिर डायरी लिखती हैं और फिर नियम से चरखा कातती हैं। जो सूत बनता है उसी से सरदार के कुर्ते-धोती बनते हैं। आपकी तरह सरदार साहब कपड़ा खद्दर-

भंडार से थोड़े ही खरीदते हैं। जब सरदार साहब के धोती कुर्ते फट जाते हैं तब उन्हीं को काट-सीकर मणि बहन अपनी साड़ी-कुर्त्ता बनाती हैं।"

'मैं राक्षस-रूप उस देवी के सामने अवाक् खड़ा रह गया। कितनी पवित्र आत्मा है मणिबेन! उनके पैर छूने से हम जैसे पापी पवित्र हो सकते हैं। फिर सरदार बोल उठे, "गरीब आदमी की लड़की है, अच्छे कपड़े कहां से लाये? उसका बाप कुछ कमाता थोड़े ही है।" सरदार ने अपना चश्मे का केस दिखाया। शायद बीस बरस पुराना था। इसी तरह तीसियों बरस पुरानी घड़ी और एक कमानी का चश्मा देखा, जिसके दूसरी ओर धागा बंधा था। कैसी पवित्र आत्मा थी? कैसा नेता था। उसी त्याग-तपस्या की कमाई खा रहे हैं हम सब नई-नई घड़ियां बांधने वाले देशभक्त।"

कुमारी मणिबेन का निम्नलिखित संस्थाओं से भी सम्बन्ध रहा है—

सन् १९५१ से आप गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्या रहीं। १९५३ से १९५६ तक आप उसकी मन्त्री भी रहीं। फिर १९५६ में उसकी उपाध्यक्षा चुनी गईं। वह गुजरात विद्यापीठ कौंसिल की सदस्या १९२८ से लेकर अब तक हैं। निम्नलिखित संस्थाओं की भी वह सदस्या रहीं—

१—बिरला महाविद्यालय वल्लभ विद्यानगर आनन्द, १९५१ से १९५५ तक।

२—कृषि संस्था आनन्द १९५१ से।

३—सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक निधि अहमदाबाद १९५३ से।

४—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की प्रबन्ध समिति १९५३ से १९५८ तक।

५—परिवार कल्याण सहकारी इन्डस्ट्रियल समिति दिल्ली की प्रबन्ध समिति १९५३ से १९५७ तक।

६—विद्या मण्डल लोक भारत (सणोंसरा, गोहिलवाद, सौराष्ट्र) १९५३ से।

७—आकाशवाणी की अहमदाबाद बड़ौदा कार्यक्रम परामर्श समिति, १९५५ से।

८—सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ विद्यानगर की सीनेट, १९५६ से।

९—पश्चिमी रेलवे की यात्री सुविधा समिति बम्बई, १९५३ से १९६१ तक।

आप महागुजरात संकट निवारण मण्डल अहमदाबाद की सेक्रेटरी १९५४ से हैं। इसके अतिरिक्त आप श्री विट्ठल कन्या केलवणी मण्डल नदियाद की १९५१ से सदस्या हैं।

कुमारी मणिबेन निम्नलिखित चार संस्थाओं की ट्रस्टी भी हैं:—

१—नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद ।

२—श्री महादेव देसाई मैमोरियल ट्रस्ट अहमदाबाद ।

३—कस्तूरबा गांधी नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट, इन्दौर ।

४—कस्तूरबा मैमोरियल प्रसूतिग्रह तथा आतुरालय रास (जिला खेड़ा) १९५२ से ।

आप ने निम्नलिखित ग्रन्थों की गुजराती में रचना की है :—

१—बापू के पत्रों का सम्पादन (सरदार वल्लभभाई के नाम लिखे हुए गांधी जी के पत्रों का सम्पादन) ।

२—गांधी जी द्वारा मणिबेन तथा श्री डाह्याभाई के नाम लिखे हुए पत्रों का सम्पादन ।

३—सरदारनी सीख ।

गांधीजी द्वारा सरदार पटेल के नाम लिखे हुए पत्रों में से प्रायः पत्र ऐसे हैं, जिनमें गांधीजी ने डाह्याभाई का उल्लेख और वह भी अत्यधिक वात्सल्यपूर्ण शब्दों में किया है ।

श्री डाह्याभाई पटेल

श्री डाह्याभाई ने स्नातक बनने के पश्चात् श्रीमती यशोदादेवी के साथ विवाह किया । यह विवाह महात्मा गांधी ने सन् १९२५ में साबरमती आश्रम में करवाया था । इस समय महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम में प्रथम बार तीन विवाह करवाये थे, जिनमें एक उनकी पौत्री—उनके ज्येष्ठतम पुत्र हरिलाल गांधी की पुत्री का विवाह था । इस विषय में गांधीजी ने नवजीवन में लिखा था—

"श्री वल्लभभाई के पुत्र चि० डाह्याभाई तथा श्री काशीभाई अमीन की पुत्री चि० यशोदा का विवाह तो स्वेच्छा से हुआ ही माना जावेगा । दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया और बड़ों की सम्मति से अपनी इच्छानुसार ही विवाह का निश्चय किया । पाटीदार जाति के लिये यह आदर्श विवाह कहा जा सकता है । दोनों प्रसिद्ध परिवार हैं । श्री काशीभाई खर्च करना चाहते तो कर सकते थे । फिर भी उन्होंने जानबूझ कर बिना खर्च किये विवाह करने का निश्चय किया और किसी हद तक अपने सम्बन्धियों की नाराजगी भी मोल ली । मुझे आशा तो यही है कि ऐसी शादियां अन्य पाटीदार परिवार भी करेंगे और अन्य जातियां भी करेंगी तथा अधिक व्यय के भार से बचेंगी । ऐसा हो तो गरीबों को

शान्ति मिले और धनिक लोग अपनी इच्छानुसार देश सेवा या धर्म के कार्यों में रुपया लगा सकें।"

यहां यह बात स्मरण रखने की है जब सरदार १९२१ में अहमदाबाद कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष थे तो श्री डाह्या भाई ने उसमें एक साधारण स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया था। श्री डाह्या भाई की अभिलाषा १९२३ के नागपुर के झण्डा सत्याग्रह में भी भाग लेने की थी। किन्तु उस समय आपकी आयु १८ वर्ष से कम होने के कारण आपको उसमें भाग लेने की अनुमति नहीं मिली। १९३० से १९३२ तक के नमक सत्याग्रह में आप इस लिये भाग नहीं ले सके कि उन्हीं दिनों आपकी प्रथम पत्नी का स्वर्गवास हुआ था और गोद में उसका चार वर्ष का बालक विपिन था। फिर श्री डाह्याभाई को उन्हीं दिनों ५० दिन तक टाइफाइड ज्वर भी रहा।

सरदार पटेल जब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे तो कांग्रेस की रकम को उगाहना, उसे संभाल कर रखना, बतलाई हुई मदों में खर्च करना अथवा उसे जमा करके उसकी पूरी व्यवस्था करने का सारा कार्य भी आपको ही करना पड़ता था।

अमरीका में डाह्याभाई का पुत्र डाकुओं के कब्जे में

श्री डाह्याभाई के श्रीमती यशोदा देवी से सन् १९२७ में एक पुत्र हुआ, जिसका नाम विपिन है। उसे सन् १९४६ में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमरीका भेजा गया था। सन् १९४७ में वह वहां लास ऐंजलीस से अपनी कार में अकेला ओकलाहामा जा रहा था कि मार्ग में कुछ व्यक्तियों ने उसकी कार रोक कर उससे अनुरोध किया कि वह उन्हें अपनी मोटर में थोड़ी दूर पहुंचा दें, क्योंकि उस समय वहां अन्य कोई सवारी उपलब्ध नहीं थी। जब विपिन की कार सुनसान स्थान में आई तो उन व्यक्तियों ने विपिन को बेबस करके कार से निकाल दिया और उसे उस दिसम्बर मास के अत्यधिक ठण्डे दिनों में लगभग नंगा करके उसके हाथ पीछे को बान्ध कर उसके मुख में कपड़ा ठूंस कर उसे भी बांध दिया, जिससे वह शोर न मचा सके। फिर वह उसको एक वृक्ष से बांध कर उसकी कार लेकर भाग गये। उसमें विपिन के दो रेडियो सेट, दो बढ़िया कैमरे आदि बहुमूल्य सामान था।

बदमाशों के जाने के पश्चात् विपिन ने अत्यधिक ईंचातानी करके अपने पैरों को बन्धन-मुक्त कर लिया। फिर वह मुंह तथा हाथ बंधे हुए ही किसी प्रकार एक किसान के घर पर पहुंचा। उसके बार-बार दरवाजा खटखटाने पर जब किसान ने अन्दर से झांक कर उसे देखा तो भयभीत हो कर पुलिस को टेलीफोन किया। पुलिस ने विपिन को बन्धनमुक्त करके बदमाशों तथा मोटर की तलाश आरम्भ कर दी। तीसरे दिन मोटर का पता चलने पर वह लोग पकड़े गये और सामान भी

थोड़ा-बहुत मिल गया। उस समय सरदार के पौत्र के इस प्रकार लुट जाने का समाचार अमरीका के सभी प्रमुख पत्रों में छपा।

उसने बम्बई के एलफिन्स्टन कालेज से साइंस में प्रथम श्रेणि में इण्टर पास करके अमरीका में व्यापारिक प्रबन्ध की शिक्षा प्राप्त की। सरदार के स्वर्गवास के पश्चात् वह एक अमरीकन कम्पनी में मैनेजर बन गया।

श्रीमती यशोदा देवी का ३१ मई १९३० को स्वर्गवास हो गया। इस बीच श्री डाह्याभाई पर फिर विवाह करने के लिये अनेक प्रकार के दबाव डाले गए। यहां तक कि एक बार तो इस विषय में आग्रह करने के लिये स्वयं गांधी जी ने महादेव भाई को उनके पास भेजा। किन्तु आप टस से मस न हुए। उसके पश्चात् श्री डाह्याभाई ने २३ मई १९४० को बड़ौदा में श्रीमती भानुमती के साथ दूसरा विवाह किया। उनसे उनके १९४५ में गौतम नामक एक पुत्र हुआ, जो प्रथम श्रेणी में इंटर पास करने के उपरान्त इस समय इन्जीनियरिंग कालेज में पढ़ रहा है।

श्री डाह्याभाई ने अपने निर्माण में उसी प्रकार किसी से सहायता नहीं ली, जिस प्रकार उनके पिता ने नहीं ली थी। वास्तव में उन्होंने अपने जीवन का निर्माण स्वयं किया है। सन् १९२७ में आप ओरियण्टल बीमा कम्पनी में प्रशिक्षार्थी के रूप में सौ रुपये मासिक वेतन पर अन्य निर्वाचित ग्रेजुएट ऐपरैन्टिसों के साथ सम्मिलित हुए। वहां आप उन्नति करते-करते ऐजेन्सी मैनेजर हो गए। अपने पिता के गृहमन्त्री बन जाने पर आप ने समय से सतरह वर्ष पूर्व ही नौकरी छोड़कर पेन्शन ले ली।

वास्तव में कांग्रेस तथा श्री डाह्याभाई का पालन-पोषण प्रायः एक ही घर में समान परिस्थितियों में एक साथ हुआ। जब वह अपने ताऊ श्री विट्ठल भाई के यहां रहते हुए बम्बई में पढ़ते थे तो उनके बांदरा वाले मकान में ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दफ्तर भी था। गांधी जी के असहयोग आन्दोलन आरम्भ करने पर आप बम्बई छोड़ कर अहमदाबाद चले आए और गुजरात विद्यापीठ में पढ़ने लगे। इसके थोड़े ही समय पश्चात् सरदार पटेल कांग्रेस के महामन्त्री बने। तब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दफ्तर फिर आपके घर में आ गया। इस प्रकार आपने अपने ताऊ जी तथा पिता जी के साथ कांग्रेस को न केवल फलते फूलते हुए देखा, वरन् उसके लिये काम भी कम नहीं किया। इस प्रकार सन् १९२० से लेकर १९५६ तक आप ने अत्यन्त निष्ठापूर्वक कांग्रेस की निस्वार्थ भाव से सेवा की और कभी कोई पद नहीं मांगा। कांग्रेस कार्य करते समय आप आर्डिनेन्स के अनुसार नज़रबन्द भी रहे।

बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस० के० पाटिल के के अत्यधिक आग्रह पर आप ने १९३८ में कांग्रेस टिकट पर बम्बई म्युनिसिपल

कार्पोरेशन के लिये चुनाव लड़ना स्वीकार किया। आप अत्यधिक बहुमत से कार्पोरेशन के सदस्य चुने गये। सन् १९४४-४५ में आप कार्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने। आप १९४६ में कार्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गये और १९४९ तक इस पर पद बने रहे। १९५४ में आपको कार्पोरेशन का मेयर चुना गया। एक वर्ष तक मेयर रहने के पश्चात् आपकी कार्पोरेशन की सदस्यता समाप्त हो गई। क्योंकि बम्बई में ऐसी परिपाटी है कि मेयर बन जाने वाला व्यक्ति फिर कार्पोरेशन का सदस्य नहीं बनता।

श्री डाह्याभाई निम्नलिखित संस्थाओं से भी सम्बद्ध हैं—

१—इण्डियन मर्चेन्ट्स चैम्बर की कमेटी के सदस्य,

२—वेस्टर्न इण्डिया आटोमोबाइल ऐसोसिएशन के सदस्य, १९५२ तक तथा १९६१ में उसके अध्यक्ष भी रहे।

३—बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य १९४६ से १९५६ तक।

४—बम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य १९४९ से १९५४ तक।

५—चारुतर विद्यामण्डल के अध्यक्ष सन् १९५५ से १९५८ तक।

६—सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ की सीनेट तथा सिन्डीकेट के सदस्य १९५५ से।

७—सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ के वाएस चान्सलर अल्पकाल के लिये।

सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ के प्रथम वाएस चान्सलर श्री भाई लाल भाई जब विदेश यात्रा को गये तो उनके स्थान पर श्री डाह्याभाई पटेल सन् १९५० में लगभग ४ मास तक वाएस चान्सलर रहे।

८—वेस्टर्न रेलवे की जोनल ऐडवाइजरी कमेटी के सदस्य सन् १९६० से।

सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ

सन् १९४५ में सरदार वल्लभभाई पटेल श्री भाईलाल भाई के साथ ग्रामोद्धार के विषय पर लगातार तीन दिन तक विचार विमर्श करते रहे। श्री भाईलाल भाई पी. डब्ल्यू. डी. के एक अत्यधिक कुशल इंजीनियर थे। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में एक कुशल इंजीनियर की कमी अनुभव की जाने पर वह सरदार की प्रेरणा पर सरकारी नौकरी से अवकाश लेकर अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में आ गये थे। बाद में उन्होंने उस नौकरी को भी छोड़ दिया। तीन दिन के इस वार्तालाप में सरदार ने कहा—

"अधिकांश भारत गांवों में ही है। यदि देश को अल्पतम समय में एक सफल आत्मनिर्भर जनतन्त्र के रूप में उन्नति करनी है तो देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्रों को शीघ्रतापूर्वक सशक्त बनाना होगा। भूतकाल में ग्रामीण भारत को उन सुविधाओं

से वंचित रहना पड़ा, जो नागरिक भारत के लिये सुलभ रहीं। भारतीय स्वतन्त्रता के इस उदय काल में ग्रामों तथा नगरों की असमानता को दूर करना आवश्यक है। जब तक यह नहीं होता तब तक बहुसंख्यक भारतीयों को जनतन्त्र के फल से वंचित रहना पड़ेगा।"

सरदार के साथ इस वार्तालाप में श्री भाई लाल भाई के साथ श्री भीखाभाई भी उपस्थित थे। वह एक प्रख्यात शिक्षाविद् थे। श्री भाई लाल भाई ने सरदार से कहा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये ग्रामों में ही संस्थाएं खोलनी चाहियें। सरदार श्री ने इस विचार को पसन्द करते हुए उनको इस बात की प्रेरणा की कि वह गांवों में ऐसी संस्थाएं बनावें। इस वार्तालाप के फलस्वरूप उसी वर्ष दो संस्थाएं बनाई गईं। एक 'चारुतर विद्यामण्डल' तथा दूसरी 'चारुतर ग्रामोद्धार सहकारी मण्डल लिमिटेड'। दोनों संस्थाओं को सरकार से रजिस्टर्ड करवा लिया गया। अपने स्वर्गवास के समय तक सरदार पटेल इन दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष बने रहे। इन दोनों संस्थाओं ने उनके सफल निर्देशन में आशातीत उन्नति की।

श्री भाई लाल भाई ने घोषणा की कि उनको आनन्द के पांच मील के घेरे के अन्दर अन्दर तीन सौ एकड़ भूमि के दान की आवश्यकता है, जिसमें से १५० एकड़ में शिक्षा संस्थाएं तथा शेष १५० में विद्यानगर का निर्माण किया जावेगा। इस समय यह भी घोषणा की गई कि भूमिदान करने वालों को विकसित प्लाट देकर उनकी क्षति पूर्ति की जावेगी। इस कार्य के लिए सरदार के गांव करमसद के निवासियों ने छै सौ बीघा भूमि दान में दी। इस प्रकार मण्डल को बिना मूल्य भूमि मिल गई और उसके दातारों की क्षतिपूर्ति भी कर दी गई।

चारुतर विद्यामण्डल को १५० एकड़ भूमि मांगने पर भी ३०० एकड़ भूमि मिली। उसने इस भूमि पर विकसित भूमिखण्ड बनाकर उन्हें बेचना आरम्भ किया। इस बिक्री से उसे सात लाख रुपये मिले। इस समय चारुतर विद्यामण्डल के लगभग २५०० सदस्य हैं। चारुतर ग्रामोद्धार सहकारी मण्डल लिमिटेड की निधि उसके शेयरों की बिक्री से आज सात लाख रुपये की हो चुकी है। जिन लोगों को प्लाट बेचे गये, उनसे प्लाटों को विकसित करने का शुल्क एक रुपया प्रति गज लिया गया। इस रकम से सड़कें, नालियां तथा वाटर वर्क्स आदि बनाए गए। मण्डल की आय से कुछ और भूमि भी मोल ली गई। फिर उसके भी प्लाट बना कर बेच दिये गये और इस प्रकार भी मण्डल की आय को बढ़ाया गया।

चारुतर विद्यामण्डल ने इस प्रकार धन एकत्रित कर १५ जनवरी १९४७ को विट्ठलभाई पटेल महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य आरम्भ किया और २० जून १९४७ को उसमें बी. ए. तथा बी. एस-सी. कक्षाओं की शिक्षा दी जाने लगी। इस समय इन कालेजों को गुजरात विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया।

इस समय तक ईंटों के भट्टे, चूने के भट्टे, आरा मिल, ढलाई का कारखाना, एक वर्क शाप, एक बिजलीघर, एक नलों का कारखाना तथा एक टाइलों का कारखाना भी बना लिये गए। अर्थात् भवन निर्माण के लिये सभी आवश्यक वस्तुएं वहीं बनाई जाने लगीं। इस प्रकार बहुत कम समय में ४६ हजार वर्ग गज भूमि पर भवन बना लिये गये, जिनमें विट्ठलभाई महाविद्यालय, ५०० विद्यार्थियों का एक छात्रावास, अध्यापकों के क्वार्टरों तथा प्रिन्सिपल का बंगला बनाये गये। इनके अतिरिक्त मण्डल के कर्मचारियों के लिये भी क्वार्टर बनाये गये। सरदार पटेल ४ अप्रैल १९४७ को इस महाविद्यालय के उद्घाटन उत्सव के लिये आये। वह इस बात से बड़े प्रसन्न हुए कि इतना बड़ा कार्य सरकारी सहायता अथवा बड़े-बड़े धनियों के दान के बिना ही पूर्ण कर लिया गया। इस समय उन्होंने श्री भाईलाल भाई से एक इन्जीनियरिंग कालेज बनाने की योजना बनाने को भी कहा। मण्डल ने एक आधुनिकतम इन्जीनियरिंग कालेज की योजना बनाई। सरदार की प्रेरणा से बिरला शिक्षा ट्रस्ट ने उसके लिये २५ लाख रुपये का दान दिया। उक्त इन्जीनियरिंग कालेज ४० लाख रुपये की लागत से बनाया गया। उसमें सिविल, मैकेनिकल तथा बिजली की इन्जीनियरिंग की डिग्री तथा डिप्लोमा की शिक्षा का कार्य २० जून १९४८ से आरम्भ किया गया। विट्ठलभाई पटेल महाविद्यालय में एम. ए. की शिक्षा भी दी जाने लगी। सेठ भीखाभाई जीवाभाई पटेल ने कामर्स कालेज के लिये ३ लाख रुपये का दान दिया, जिससे उसका कार्य जून १९५१ में आरम्भ कर दिया गया। इस प्रकार बनाये जाने वाले नगर का नाम 'वल्लभ-विद्यानगर' रक्खा गया।

अब इस बात की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी कि बम्बई सरकार से सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ ऐक्ट पास करवा कर उसे नियमित रूप से विश्व-विद्यालय का रूप दिया जावे। अतएव चारुतर विद्यामण्डल के चेयरमैन श्री डाह्याभाई पटेल ने १९ सितम्बर १९५४ को बम्बई सरकार को इस उद्देश्य से एक पत्र लिखा। इस पत्र पर उस समय कोई कार्यवाही नहीं की गई। किन्तु एक वर्ष के पश्चात् बम्बई सरकार के शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी ने एक पत्र भेज कर यह पूछा, "क्या चारुतर विद्यामण्डल यह आश्वासन दे सकेगा कि वह इस प्रकार बनाये हुए विश्वविद्यालय के लिये किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की मांग नहीं करेगा?"

इस प्रकार का आश्वासन मिलने के पश्चात् सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ ऐक्ट बम्बई विधान सभा तथा विधान परिषद् के दोनों सदनों द्वारा २५ अक्तूबर १९५५ तक पास कर दिया गया। इस ऐक्ट में यह व्यवस्था की गई कि इस विश्व-विद्यालय की शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा। इस विद्यापीठ ऐक्ट की व्यवस्था के अनुसार सभी कालेजों के प्रिन्सिपल सीनेट के सदस्य होते हैं। डिग्री कालेज के

प्रिन्सिपल सिन्डीकेट के सदस्य होते हैं। चारुतर विद्यामण्डल तथा विभिन्न कालेजों के दान दातारों को भी सीनेट तथा सिन्डीकेट में प्रतिनिधित्व दिया गया। बम्बई की सहायता के सम्बन्ध में बम्बई विधान सभा में प्रश्न किये जाने पर तत्कालीन मुख्य-मन्त्री श्री मुरार जी देसाई ने शिक्षा मन्त्री की ओर से उत्तर दिया कि "नये विद्यापीठ को दो वर्ष तक सरकारी सहायता नहीं दी जावेगी।" अतएव यह आशा की जाती थी कि इस संस्था को १९५८ से सरकारी सहायता मिलने लगेगी। बम्बई सरकार ने १५ दिसम्बर १९५५ को श्री भाईलाल भाई को उसका प्रथम वाइस चान्सलर बनाया।

यह पीछे बतला दिया गया है कि सरदार पटेल चारुतर विद्यामण्डल के अध्यक्ष (प्रेसीडेण्ट) थे। उनके स्वर्गवास के पश्चात् श्री गणेश वासुदेव मावलंकर को उस का अध्यक्ष बनाया गया। २७ फरवरी १९५६ को उनका स्वर्गवास होने पर श्री कन्हैयालाल माणिक्लाल मुंशी को उसका अध्यक्ष बनाया गया।

श्री डाह्याभाई पटेल ने श्री मुरारजी भाई को सरकारी सहायता न लेने का आश्वासन देकर संस्था को विश्वविद्यालय तो बनवा लिया, किन्तु आर्थिक चिंता उनके ऊपर फिर भी सवार रही। इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में श्री भाई लालभाई के कार्य से श्री डाह्याभाई इतने अधिक प्रसन्न हुए कि १९५८ में उनके ७० वर्ष का हो जाने पर उन्होंने उनके लिए अभिनन्दन ग्रन्थ निकालने की योजना बनाई। इस कार्य के लिए श्री डाह्याभाई ने एक लाख से अधिक रुपया एकत्रित करके अभिनन्दन ग्रन्थ निकाला। आज इस विद्यापीठ में छै सहत्र विद्यार्थी शिक्षा लाभ कर रहे हैं। इसके लिये उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष श्री चिंतामणि द्वारिका नाथ देशमुख को विद्यापीठ का निरीक्षण करने का निमन्त्रण दिया। श्री देशमुख ने १६ तथा १७ फर्वरी १९५७ को दो दिन तक विद्यापीठ की सभी शिक्षा संस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखा। उसके कार्य से वह इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने विद्यापीठ के पृथक् २ कार्यों के लिये ८० लाख रुपये की एक मुश्त सहायता विद्यापीठ को दी।

सन् १९५२ के निर्वाचनों से पूर्व बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं —उसके अध्यक्ष श्री एस० के० पाटिल, उप-प्रधान श्री भवान जी० ए० खीमजी, सेक्रेटरी श्री के०के० शाह एम० पी० तथा कोषाध्यक्ष श्री बाबू भाई चिनाय एम० पी० ने श्री डाह्याभाई से प्रस्ताव किया कि निर्वाचनों का प्रचार करने के लिये एक अखिल भारत प्रेस खोला जावे। इस प्रेस से अंग्रेजी, गुजराती, तथा मराठी में पत्र निकाले गये। श्री डाह्याभाई ने उनकी बातों में आकर उस प्रेस में अपनी समस्त पूंजी लगा दी। उनको यह भी वचन दिया गया था कि प्रेस से उनको प्रतिमास तीन सहत्र रुपये वेतन दिया जावेगा। सरदार का स्वर्गवास हो

जानेपर जब कम्पनी फेल हो गई तो डाइरेक्टरों ने श्री डाह्याभाई को वेतन देना तो दूर उनकी पूंजी भी वापिस नहीं की ।

जनवरी १९५७ में इन्दौर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वार्षिक सम्मेलन में जब श्री डाह्याभाई ने यह अनुभव किया कि उनके पिता के नाम को मिटा देने का कांग्रेस में सगंठित रूप से प्रयत्न किया जा रहा है तो उनको कांग्रेस से घृणा हो गई और उन्होंने कांग्रेस का त्याग कर दिया।

मार्च १९५८ में बम्बई विधान सभा के कुछ मित्रों ने श्री डाह्याभाई से अनुरोध किया कि वह राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व करें। उनका कहना था कि वह महागुजरात जनता परिषद् के टिकट पर चुनें हुए विधान सभा के तीस प्रतिनिधियों की ओर से उनके पास यह प्रस्ताव लाये हैं। इस प्रकार अप्रैल १९५८ में आप राज्य सभा के लिये चुने गए ।

श्री डाह्याभाई ने अपने पार्लियामेंट के कार्य का विवरण अपनी दो इंगलिश पुस्तकों "संसद में मेरा प्रथम वर्ष" तथा "द्वितीय एवम् तृतीय वर्ष का कार्य" के रूप में प्रकाशित किया है। श्री डाह्याभाई ने योरुप, अमरीका तथा पूर्वी अफ्रीका की यात्रा भी की है। अपनी इस यात्रा का विवरण आपने अपने एक अन्य ग्रन्थ में दिया है। इनके अतिरिक्त भी उन्होंने अपने संसद-कार्यों तथा भाषणों के सम्बन्ध में अन्य कई ग्रन्थों की रचना की है ।

राज्य सभा में आप १९६० में डेमोक्रेटिक ग्रुप के नेता बनाये गये। जब श्री राजगोपालाचारी ने स्वतन्त्र पार्टीकी स्थापना की तो आप उसमें सम्मिलित हो गए। आप आरम्भ से ही स्वतन्त्र पार्टी की प्रबन्ध समिति तथा उसके पार्लिमेण्टरी बोर्ड के सदस्य हैं। १९६२ में आप राज्य सभा में स्वतन्त्र पार्टी के नेता बने।

श्रीमती भानुमती पटेल

श्री डाह्या भाई पटेल की द्वितीय पत्नी श्रीमती भानुमती का जन्म २४ जनवरी, १९१४ को बड़ौदा में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक तथा देशभक्त था। बड़ौदा में सहशिक्षा प्राप्त करने वाली वह प्रथम महिला हैं। उन्होंने इंटर तक शिक्षा प्राप्त की। अपने शिक्षा काल में वह स्कूल व कालिज की सभी प्रवृत्तियों में लड़कों के साथ बराबर भाग लिया करती थीं । सन् १९३०-३२ के आन्दोलन के कारण आपकी पढ़ाई में बाधा आ गई। आपके घर में सभी लोग खादी पहनते थे। आपके भाई परसाभाई पटेल राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण सभी नेताओं से परिचित थे ।

श्री डाह्या भाई के साथ आपका विवाह १९४० में हुआ । गोद में छोटी

बच्ची होने के कारण आप १९४२ में जेल नहीं जा सकीं। इस समय सरदार, मणिबेन तथा डाह्या भाई सभी पृथक्-पृथक् जेलों में बन्द थे। श्रीमती भानुमती इन सभी जेलों में जाकर उन सब की सुविधाओं का प्रबन्ध किया करती थीं।

सरदार पटेल गौतम के जन्म के १४ दिन पश्चात् जेल से छूटे थे। अतः वह उसे बहुत प्यार करते थे। सरदार के गृह-मंत्री बनने पर आप दिल्ली रहने लगीं। उनके स्वर्गवास के पश्चात् जब डाह्या भाई १९५४ में बम्बई के मेयर बने तो आप बम्बई में रह कर घर का कार्य करते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करती रहीं। इस समय आपने इस प्रकार की निम्नलिखित संस्थाओं में कार्य किया:—

१. फोर्ट महिला समाज, २. गुजराती महिला समाज, ३. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन।

जब श्रीडाह्या भाई १९५८ में राज्य सभा के लिए चुने गये तो आप फिर दिल्ली में रहने लगीं।

इसके ६ मास पश्चात् जब महागुजरात आन्दोलन के नेताओं ने सत्याग्रह करने का निश्चय अहमदाबाद में किया तो श्री डाह्या भाई की बारी आने पर आपने पहिले जेल जाने का आग्रह किया, जिससे आपको अक्तूबर १९५८ में दो मास जेल की सजा दी गई। आपके जेल से वापिस आने के ८ दिन बाद श्री डाह्या भाई को महा गुजरात आन्दोलन के सत्याग्रह में एक मास जेल की सजा दी गई।

सन् १९६२ के चुनाव में आप लोक-सभा के लिए सौराष्ट्र से खड़ी हुईं, क्योंकि स्वतंत्र पार्टी को वहां कम्युनिस्ट उम्मेदवार को खड़े होने से रोकना था। आप सौराष्ट्र में प्रथम बार गई थीं। यहां तक कि श्री डाह्या भाई भी आपके साथ न जा सके, क्योंकि वह अहमदाबाद में बैठ कर सारे गुजरात की स्वतन्त्र पार्टी के चुनाव का प्रबन्ध कर रहे थे। फिर भी आपका प्रतिद्वन्द्वी बहुत कम वोटों से जीता।

सरदार के अन्य भाई

यह पीछे बतलाया जा चुका है कि सरदार पांच भाई थे, जिनमें सबसे बड़े सोमाभाई थे। उनकी शिक्षा अधिक नहीं थी। साथ ही उनको अपने गांव का प्रेम भी बहुत था। इसलिये वह घर पर रह कर कृषि तथा अन्य कार्य में अपने पिता की सहायता किया करते थे। उनके तीन पुत्र थे, जिनमें से द्वितीय पुत्र ईश्वरभाई बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनने के बाद उसके कोषाध्यक्ष बने। वह बम्बई कार्पोरेशन के सदस्य भी रहे। सोमाभाई के सबसे छोटे पुत्र पुरुषोत्तम मैडीकल कालेज से असहयोग करके पूर्वी अफरीका चले गये। वह वहां से व्यापार द्वारा पर्याप्त धन कमा कर लाये और अब अहमदाबाद में रहते हैं। मणिबेन अहमदाबाद में उनके पास ही रहती हैं।

दूसरे नरसी भाई गांव में अत्यधिक जनप्रिय थे। वह सबके कार्यों में भाग लेते रहते थे। अतएव गांव में उनकी बड़ी धाक थी। उनके दो पुत्र है, जिनमें से एक शम्भुप्रसाद पूर्वी अफरीका में व्यवसाय करते हैं। दूसरे चिमनभाई अहमदाबाद कार्पोरेशन के सदस्य हैं।

तीसरे विट्ठल भाई के कोई सन्तान नहीं हुई। वह डाह्याभाई को ही अपना पुत्र समझते थे।

सबसे छोटे काशी भाई जिला वकील थे। वह सत्याग्रह में जेल भी गये थे। उनके तीन पुत्र बम्बई में व्यापार करते हैं।

सरदार की बहिन डाहिबा २५-२६ वर्ष की आयु में निस्सन्तान मरीं। सरदार उनसे इतना अधिक प्रेम करते थे कि वह उनका स्वर्गवास होने पर अपने आंसू न रोक सके।

अध्याय १८

सरदार के हास्य विनोद

पीछे यह कई स्थलों पर लिखा जा चुका है कि सरदार विनोदी स्वभाव के थे। वह मनोरंजन के लिये तो हंसते ही थे, आलोचना के लिये व्यंग भी करते थे। अपने हास्य एवं विनोद से उन्होंने अपने अध्यापकों तथा पिता को भी नहीं बख्शा।

यह पीछे लिखा जा चुका है कि बड़ौदा हाई स्कूल में विद्यार्थी वल्लभभाई के संस्कृत न लेकर गुजराती लेने के कारण आपके अध्यापक छोटेलाल आपसे रुष्ट हो गये। उन्होंने बिगड़ कर एक से लगा कर दस तक के पहाड़े लिख कर लाने की आज्ञा दी। एक दिन हुआ, दो दिन हुए, किन्तु वल्लभभाई पहाड़े लिख कर नहीं लाये। मास्टर साहब प्रतिदिन रुष्ट होते और प्रतिदिन दण्ड बढ़ाते जाते। "कल दो बार," "कल चार बार," "कल आठ बार" कहते-कहते दो सौ पहाड़े लिखने की आज्ञा दी गई। किन्तु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर अध्यापक ने पूछा "लिखकर लाना है या कुछ अन्य दण्ड देने पर विचार करूं ?" शिष्य ने उत्तर दिया :

"दो सौ पाड़े लाया तो था, परन्तु उनमें एक इतना मरखना निकला कि उससे बिदक कर सभी दरवाजे के सामने से भाग गए। इसलिए एक भी पाड़ा नहीं रहा।"

पाड़ा गुजराती भाषा में पहाड़े के अतिरिक्त भैंस के बच्चे को भी कहा जाता है। अध्यापक ने शिष्य को धमका कर ताकीद कर दी। दूसरे दिन फिर पूछा गया तो विद्यार्थी ने बिना घबराए हुए उत्तर दिया कि "हां साहिब लिख लाया हूं।" यह कह कर अध्यापक को एक कागज दिखलाया जिस पर लिखा था "दो सौ पहाड़े"। अब विद्यार्थी को हेडमास्टर के सन्मुख उपस्थित किया गया। वहां विद्यार्थी ने कहा "यह भी कोई दण्ड है। पहाड़े नकल कराने से मुझे क्या लाभ हो सकता है। मेरी पाठ्य पुस्तक से नकल करने को कहा जाता तो इससे मुझे लाभ भी होता।" निदान हेडमास्टर ने केवल शिक्षा देकर ही आपको छोड़ दिया। अब एक व्यंग का विवरण दिया जाता है—

एक वृद्ध किन्तु स्वस्थ एवं गठे हुए शरीर वाले सशक्त पुरुष सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आये। वह बिल्कुल श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। धोती, कुर्ता, खेस

और पगड़ी सभी सफेद वस्त्र दूध के समान धवल श्वेत थे। उन्हें देखते ही मुंह में से हुक्के की नली निकाल कर वल्लभभाई खड़े हो गए और बोले—

"पिताजी आप कहां से ?"

"भाई, तुमसे काम पड़ा है। इसीलिये तो आया हूं।"

"परन्तु मुझे क्यों नहीं कहलवा दिया ? करमसद आ जाता। लाड़बाई से भी मिलना हो जाता।"

"परन्तु काम तो बोरसद में है। इससे तुम्हें वहां बुलाकर क्या करता ?"

"ऐसा क्या काम है ?"

"सारे जिले में तुम्हारी धाक है और हमारे महाराज पर वारन्ट निकले। क्या यह ठीक है ? तुम्हारे बैठे महाराज को पुलिस पकड़ सकती है ?"

"महाराज पर और वारन्ट ? यह कैसे ? वह तो पुरुषोत्तम भगवान के अवतार कहलाते हैं। सबको संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। उन्हें कौन पकड़ सकता है ?"

"इस समय तुम अपनी दिल्लगी रहने दो। मैंने पक्के तौर पर सुना है कि वड़ताल और बोचासन के मन्दिरों के बारे में झगड़ा हुआ है और उसमें हमारे महाराज पर भी वारन्ट निकला है। तुम्हे यह वारन्ट रद कराना ही पड़ेगा। महाराज को पकड़ लें तब तो मेरे साथ तुम्हारी इज्जत भी जायेगी।"

"हमारी इज्जत क्यों जायेगी ? जो ऐसे कर्म करेगा उसकी जायेगी। परन्तु मैं जाँच करूँगा। वारन्ट यों ही थोड़े निकला करते हैं। मुझ से जो कुछ हो सकेगा सब करूँगा।"

"बाद में तनिक गम्भीर होकर किन्तु नम्रता से पिता जी से बोले—"अब आप इन साधुओं को छोड़ दीजिए। जो इस प्रकार के प्रपंच करते हैं, झगड़े करके अदालतों में जाते हैं और जो इस लोक में अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वह परलोक में हमें क्या तारेंगे ? हमारा क्या उद्धार करेंगे ?"

"यह सब झंझट हम क्यों करें ? परन्तु देखो, तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि महाराज पर वारन्ट निकला है तो वह रद होना चाहिए।"

यह कह कर पिता जी दफ्तर से चले गए।

बाद में सरदार ने मामले में पड़ कर दोनों पक्ष का समझौता करा दिया, जिससे वारन्ट रद हुआ।

यहां यह बात स्मरण रखने की है कि वल्लभभाई अपनी माता को लाड़बाई कह कर पुकारा करते थे।

उनकी हाजिर जवाबी अद्‌भुत थी। उनके हसंमुख स्वभाव का उदाहरण कांग्रेस में तो क्या भारत भर में मिलना कठिन है।

एक बार गांधी जी किसी कालेज के एक प्रिन्सिपल की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार विनिमय कर रहे थे तो सरदार बोले :

"आप वहां का प्रिन्सिपल मुझे बना दीजिए।"

"वहां आप विद्यार्थियों को क्या पढ़ायेंगे ?"

"भारत के विद्यार्थियों को आज याद करने की आवश्यकता न होकर पढ़े हुए पाठ को भूल जाने की आवश्यकता है।"

अगस्त क्रान्ति के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था :

"भूतपूर्व भारतमन्त्री ने कहा था कि गांधी जी की गिरफ्तारी पर भारत में एक कुता भी नहीं भौंका और सारा कारवां निकल गया। किन्तु इस बार कुत्ता भौंक कर नहीं बैठा रहेगा, वरन् काट भी खावेगा। आगामी संघर्ष में ऐसे कुत्तों के काटने के अनेक उदाहरण मिलेंगे।"

भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डा. राजेन्द्र प्रसाद जब १९५० में प्रथम बार राष्ट्रपति बने तो सरदार ने उनसे विनोद करते हुए कहा—

"आपने तो कांग्रेस अध्यक्ष से राष्ट्रपति पद छीन लिया।" क्योंकि उस समय तक कांग्रेस अध्यक्ष को ही राष्ट्रपति कहा जाता था।

जमनालाल अथवा शादीलाल •

सेठ जमनालाल बजाज के आग्रह से जब गांधीं जी ने वर्धा के पास अपना सेवाग्राम आश्रम बनाया तो जमनालाल जी के ऊपर कुछ भार पुनर्वास के कार्य का भी आ गया। जिन भाई बहिनों की वह पुनर्वास में सहायता किया करते थे उनके नाम वह पुनः स्मरण करने के लिये अपनी एक निजी डायरी में लिख लिया करते थे। उनमें विवाहेच्छु युवक युवतियों तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम भी हुआ करते थे, जिनका सेठ जी बाद में विवाह करा दिया करते थे। सेठ जी के इस कार्य की हंसी उड़ाते हुए सरदार ने उनका नाम ही शादीलाल रख दिया। इतना ही नहीं, सेठ जी के इस शादीलाल नाम का उपयोग वह अपने निजी पत्र व्यवहार मे खुल कर किया करते थे। जेल से लिखे हुए पत्रों में तो इस शादीलाल नाम ने साँकेतिक भाषा का काम भी दिया।

एक बार सरदार पटेल ने सेठ जमनालाल जी से उनकी वही डायरी देखने को मांगी। उसमें लड़के लड़कियों के फोटोग्राफ भी रहते थे। बहुत कुछ ननुच के बाद जब सरदार के सामने उस डायरी में विवाहेच्छु युवकों की सूची आई तो उन्होंने उसमे सबसे ऊपर अपना नाम लिख दिया।

सरदार पटेल महात्मा गांधी तथा महादेव भाई देसाई के साथ यरवडा

जेल में बन्द थे कि १३ मार्च १९३२ को वह भोजन के पश्चात् गांधी जी के लिये दातौन काट रहे थे कि कुछ सोच कर बोले—

"गिनती के दांत रह गये हैं, तो भी बापू घिस घिस करते हैं। पोला हो तो ठीक, किन्तु यह तो मूसल बजाने का प्रयत्न करते हैं।"

इस पर महादेव भाई ने विनोद में कहा "सन् तीस में तो हमारा मूसल भी खूब बजा था।" इस पर बापू न मुस्करा कर सम्मतिसूचक सिर हिलाया। इस पर वल्लभभाई बोले—

"इस बार भी ऐसा ही होगा। किन्तु क्या करें कारवाँ आगे चला जा रहा है।"

महादेव भाई ने इस दिन की डायरी में लिखा है—

"वल्लभभाई की दिल्लगी दिन भर चलती ही रहती है। बापू सब चीजों में सोडा डालने को कहते हैं। इसलिये वल्लभ भाई को मजाक का एक बड़ा विषय मिल गया है। कुछ भी अड़चन आए तो कह उठते हैं। "सोडा डालो न!" और उसकी हास्यजनकता बताने के लिये वैद्य के जमालगोटे की बात कह कर खूब हंसाया।"

रचनात्मक गफलत

२४ मार्च १९३२ के अखबार में एक शब्द आया: "गांधी जी की रचनात्मक गफलतें।" इस पर महादेव भाई ने बापू से पूछा।

"रचनात्मक गफलत कैसी होती होगी?"

वल्लभभाई कहने लगे: "जैसे आज तुम्हारी दाल जल गई थी वैसी।"

बापू खिलखिला कर हंस पड़े। वास्तव में नया कुकर आया था। वल्लभभाई को अच्छी दाल नहीं मिली थी और आज अच्छी दाल मिलने की आशा थी। किन्तु यहां तो प्रथम दिन ही जल कम और आंच अधिक होने के कारण दाल जल गई।

चिमटा और तूंबी

वल्लभभाई यरवडा जेल में लिफाफे बनाया करते थे। २५ मई १९३२ को उन्हें लिफाफे बनाते, कई वस्तुएं एकत्रित करते तथा कई प्रकार की बातें करते देख कर बापू उनसे बोले

"स्वराज्य में आप कौन सा विभाग लेंगे?"

"स्वराज्य में मैं लूंगा "चिमटा और तूंबी।"

"दास और मोतीलालजी अपने-अपने ओहदों की गिनती लगाते थे और मुहम्मदअली ने अपने को शिक्षा मन्त्री तथा शौकतअली ने अपने आपको प्रधान सेनापति माना था। आबरू बची आबरू, जो स्वराज्य न मिला और कोई कुछ न बने।"

मुन्शी का अवतार

२६ मई १९३२ को बापू को उर्दू कापी लिखते देखकर सरदार कहने लगे, "इसमें जी रह जायगा तो उर्दू मुंशी का अवतार लेना पड़ेगा।"

बापू प्रातः ९ बजे और शाम को ६ बजे प्रतिदिन सोडा और नींबू पिया करते थे। नींबू गर्मियों में महंगे हो जाते थे। इसलिये १४ जून १९३२ को बापू ने वल्लभभाई को इमली का सुझाव दिया। क्योंकि इमली के वृक्ष जेल में भी बहुत थे। वल्लभभाई ने हंस कर उत्तर दिया—

"इमली के पानी से हड्डियां गल जाती हैं, बादी हो जाती है।" बापू ने पूछा, "तो जमनालालजी क्यों पीते हैं ?"

वल्लभभाई, "जमनालालजी की हड्डियों तक पहुंचने का इमली के लिये रास्ता ही नहीं।"

दशहरे के टट्टू

महादेव देसाई ने १० जुलाई १९३२ की डायरी में लिखा है कि "आज जयकर तथा सर तेज बहादुर सप्रू के गोल मेज कान्फ्रेंस की सलाहकार समिति से त्यागपत्र का समाचार पढ़कर वल्लभभाई बोले—

"दशहरे के टट्टू दौड़े तो सही।"

महादेव भाई ने लिखा है कि "यह कहावत मैंने पहले नहीं सुनी थी। कल भी ऐसी ही एक कहावत उनके मुख से निकली, "बूढ़ी होकर तो निबोली भी पक जाती है, इसमें क्या ?"

महादेव भाई ने २५ जुलाई की डायरी में लिखा है कि "वल्लभभाई के विनोद कभी-कभी तीर की तरह चलते हैं। जेलर मेजर मेहता पूछने लगे, "ओटावा में क्या होगा ?" इस पर वल्लभभाई कहने लगे—

"नाहक ओटावा तक गए हैं। जो चाहें सो यहीं आर्डिनेंस से कर लें। फिर वहां तक जाना ही क्यों पड़े ?" जेलर बेचारा सिटपिटा गया।

२ अगस्त १९३२ को महादेव भाई ने शयन के समय वल्लभभाई से पूछा, "तो कल से गीता आरम्भ करेंगे न ?" इस पर वह बोले—

"आदौ वा यदि वा पश्चात् वा वेदं कर्म मारिष।"

उस दिन मैं सुपरिन्टेन्डैण्ट की कुछ आलोचना कर रहा था। इस पर मुझ से कहने लगे—

"नैतत्त्वय्युपपद्यते ।"

और थैंक्स के लिये बार बार "कृतार्थोऽहम्" कहते हैं।

यरवडा जेल में बरसात के लिये हल्की चारपाई मंगवाई गई तो उसके

नारियल के बानों को देखकर वल्लभभाई २३ अगस्त १९३२ को बापू से कहने लगे कि उनमें निवाड़ लगवा ली जावे। बापू के इन्कार करने पर वह बोले—

"इस प्रकार इन मुट्ठी पर हड्डियों पर से चमड़ी उखड़ जावेगी।"

"और निवाड़ तो 'बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम' जैसी हो जावेगी।"

खाट के नीचे लाये जाने पर बापू से बोले

"यदि बरसात आ गई तो" ?

"तो ऊपर ले लेंगे।"

"ततो दुःखतरं नु किम्।"

"यह तो मैं जानता था कि आप इस श्लोक का उपयोग करने के लिये ही यह प्रश्न कर रहे थे।"

बापू जेल से जाने वाले प्रत्येक पत्र में वल्लभभाई के लिफाफे बनाने और संस्कृत पढ़ने की प्रशंसा किया करते थे। २७ अगस्त १९३२ को काका के पत्र में उन्होंने लिखा "वल्लभभाई की पढ़ाई उच्चैःश्रवा की गति से चल रही है।" २८ को प्यारेलाल को लिखा "वल्लभभाई अरबी घोड़े की तेजी से दौड़ रहे हैं। संस्कृत की पुस्तक हाथ से छूटती ही नहीं। मुझे इसकी आशा नहीं थी। लिफाफों में तो कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। लिफाफे वह नापे बिना बनाते हैं और अन्दाज से काटते हैं, किन्तु बराबर के निकलते हैं और फिर भी ऐसा नहीं लगता कि उसमें बहुत समय लगता हो। उनकी व्यवस्था आश्चर्यजनक है। जो कुछ करना हो उसे याद रखने के लिये छोड़ते ही नहीं। जैसे आया वैसे ही कर डाला। कातना जब से आरम्भ किया है, तब से बराबर समय पर कातते हैं। इस प्रकार सूत कातने की गति में भी प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है। हाथ में लिये हुए काम को भूल जाने की बात तो शायद ही होती है और जहां इतनी व्यवस्था हो, वहां धांधली तो हो ही कैसे ?"

४ अगस्त १९३२ को बापू और वल्लभभाई को जेल में ८ महीने पूरे हुए। बापू ने कहा—

"महादेव के सात पूरे हुए।"

इस पर वल्लभभाई कहने लगे।

"हां, परन्तु "पर्याप्तमिदमेतेषां।" हमारी तो "अपर्याप्त" मुद्दत जो है।"

११ सितम्बर १९३२ को यरवडा जेल में वल्लभभाई ने दिल्लगी में कहा "लिखपढ़ कर कौन अमर हुआ है ? मार कर या मर कर अमर होते हैं।"

ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मन्त्री रामसे मैकडोनल्ड द्वारा किये हुए साम्प्रदायिक निर्णय के प्रतिवादस्वरूप जब महात्मा गांधी ने यरवडा जेल में अनशन किया तो वल्लभभाई का विनोद सूख गया था। उपवास खुलते ही वह फिर हरा-

भरा हो गया। बापू की अलमारी में से कई अंगोछे "स्पंज बाथ" देने के लिये निकाले गये थे। उनकी बात चलने पर बापू बोले :

"मैं सबका हिसाब मांगूंगा।"

इस पर वल्लभभाई बोले "यह हिसाब किससे लिया जावे ? हम तो आप को खो बैठे थे। हमें क्या क्या पता था कि आप हिसाब मांगने वापिस आ जावेंगे।" फिर उन्होंने बा से कहा "देखिये तो बा, इनका जुल्म ! मालवीयजी को खादी पहनाई, अछूतों से छुवाया, जेल में लाये, विलायत ले गये और अब अछूतों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार भी करावेंगे।" २१ दिसम्बर १९३२ को जमनादास द्वारिकादास का चिढ़ से भरा पत्र आया। उन्होंने लिखा था कि अस्पृश्यता का काम ही करना हो तो "इन शास्त्रों को बन्द कीजिये न।" इस पर वल्लभभाई उसे याद कर कहने लगे।

"अब इन शास्त्रों को बन्द कीजिए न !"

हिलाल या हलाल

यरवडा जेल में महादेव देसाई से एक मार्च १९३३ को तेल मलवाते समय बापू बोले, "आज चन्द्रमा सुन्दर दीखता है। इसे तो हिलाल ही कहते होंगे न ?" इस पर महादेव बोले, "हिलाल तो दोयज के चन्द्रमा का नाम है न ?" हिलाले ईद" (ईद का चांद) कहा जाता है।" इस पर बापू ने पूछा, "ईद के हिलाल के समान तीज का हिलाल नहीं कह सकते ?"

इस पर वल्लभभाई बोले "हलाल का मतलब तो यही नहीं है न, कि एक ही बार में दो कर डालें ? और सिक्खों को झटके का गोश्त चाहिये न ?"

बापू और महादेव भाई खिलखिला कर हंस पड़े।

एक बार जिना ने अपने व्याख्यान में कहा कि "गांधी ने क्या किया ?"

इसके सम्बन्ध में सरदार ने उत्तर दिया "निश्चय से गांधीजी ने कुछ नहीं किया, किन्तु जिना को कुरान पढ़वा दिया।"

चौरी चौरा काण्ड के बाद जब बारडोली में सत्याग्रह आरम्भ न करने का निश्चय किया गया तो विट्ठल भाई बोले

"बारडोली थरमा पोली।"

इस पर सरदार बोले थर अर्थात् झाड़ की जड़ पोली हो उसका निश्चय उसमें मूसल बजा कर किया जावे।

बारडोली सत्याग्रह के दिनों में कुर्की वालों से बचने के लिये पशुओं को बहुत समय तक मकान में बन्द रखा गया, जिससे उनका काला रंग हल्का पड़ गया। एक बार सरदार ने अपने व्याख्यान में आए हुए कुछ अंग्रेजों को सुना कर कहा।

"हमारे यहां तो भैंस भी मैडम बन गईं।"

अध्याय १९

सरदार-सम्बन्धी मेरे संस्मरण

आधुनिक इतिहास तथा राजनीति के सम्बन्ध में अनेक ग्रन्थों का निर्माण करने के कारण इन पंक्तियों के लेखक का आधुनिक भारत के लगभग सभी राष्ट्र-नेताओं के साथ पर्याप्त व्यक्तिगत सम्बन्ध रहा है। इसीलिये लेखक का सरदार के साथ भी इतना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध रहा कि वह उस पर पर्याप्त विश्वास करते थे।

भारतीय आतंकवाद का इतिहास

१९३९ के आरम्भ में 'भारतीय आतंकवाद का इतिहास' नामक ग्रन्थ लेखक ने लिख कर उसे स्वयं ही प्रकाशित किया। इस ग्रन्थ में भारतीय स्वतंत्रता के लिए किये हुए उस सशस्त्र संघर्ष का शृंखलाबद्ध नियमित इतिहास दिया गया है, जो १८५७ में आरंभ होकर १९३५ तक पूरे ७८ वर्ष तक चलता रहा। बाद में इस ग्रन्थ के अवतरणों की नकल कर अनेक व्यक्तियों ने इस आन्दोलन का इतिहास-लेखक बनने का ढोंग किया तथा कई प्रकाशक उनके धोखे को न समझ कर उनके जाल में फंस गए। भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने इस ग्रन्थ को निकलते ही जब्त कर लिया और द्वितीय महायुद्ध के पूरे समय भर लेखक को अनेक प्रकार की पाबन्दियों में जकड़े रखा। सन् १९४२ में जब जब्त पुस्तकों को हाथ में लेकर जेल जाने का आन्दोलन चला तो इस ग्रन्थ को हाथ में लेकर जेल जाने वाले युवकों की संख्या अन्य सभी जब्त पुस्तकों से अधिक थी। भारत में अन्तर्कालीन सरकार बनने पर लेखक ने सरदार से ६ सितम्बर १९४६ को भेंट कर उनसे लिखित अनुरोध किया कि वह उसके ग्रन्थ 'भारतीय आतंकवाद का इतिहास' पर से जब्ती की आज्ञा को उठा लें। सरदार ने इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही कर लेखक के पास १२ नवम्बर, १९४६ को सूचना भिजवाई कि उक्त ग्रन्थ के उपर से पाबंदी उठा ली गई है। सरदार की आज्ञा से भेजे हुए उक्त पत्र को नीचे दिया जा रहा है।

No. 37/6/46-Poll (I).
Government of India,
Home Department.

From
G.V. Bedekar Esquire, I.C.S.,
Deputy Secretary to the Govt. of India,

To
Acharya Chandra Shekhar Shastri,
M. O. Ph., H. M. D.,
Gurgaon Road, Shamlal Building,
Delhi.

New Delhi, the 12th November 1946.

Subject : Books and publications—
BHARTIYA ATANKVAD KA ITIHAS
(*History of the Indian Terrorist movement.*)

Sir

With reference to your letter dated the 6th September 1946, addressed to the Hon'ble the Home member, I am directed to inform you that the Chief Commissioner Delhi, has removed the ban on your book mentioned above under his notification no. F. 8 (31)/46—Home, dated the 7th November 1946.

I have the honour to be
Sir
Your most obedient Servant,
G.V. Bedekar
Deputy Secy. to the Govt. of India.

कलकत्ते के दंगे की जांच रिपोर्ट

१६ अगस्त १९४६ को जब मुस्लिम लीग के सीधी कार्यवाही दिवस मनाने से कलकत्ते में भयंकर दंगा हुआ तो उसके कारणों की जांच का कार्य भारत के फेडरेल कोर्ट के चीफ़ जस्टिस सर पैट्रिक स्पेन्स को सौंपा गया। उन्हीं दिनों इन पंक्तियों के लेखक को सर पैट्रिक स्पेन्स के निवासस्थान पर एक दिन चाय पर जाना पड़ा। कलकत्ते के दंगों की जांच का कार्य उनको दिया जा चुका था। उसके सम्बन्ध में भी लेखक ने उनसे विस्तृत चर्चा की। उस समय लेखक मुसलमानों के जिस किसी अत्याचार का उनसे उल्लेख करता था, वह उसके उत्तर में तत्काल हिन्दुओं के एक काल्पनिक अत्याचार का वर्णन लेखक को सुना दिया करते थे। लेखक उनके उत्तरों से अधिक निराश होकर सरदार पटेल के पास गया और उसने उनको सर पैट्रिक स्पेन्स के साथ हुए अपने सारे वार्तालाप का वर्णन यथावत् कह सुनाया।

अगले ही दिन सरदार का वक्तव्य प्रकाशित हुआ कि 'कलकत्ते के दंगों के सम्बन्ध में भारत सरकार सर पैट्रिक स्पेंस की जांच को नहीं मानेगी।'

दिल्ली के दंगे

दिल्ली में हिन्दू-मुस्लिम दंगों की किम्वदन्ती फैली हुई थी कि लेखक पहाड़गंज दिल्ली के घी मंडी मुहल्ले में रहता था। वहां प्रायः मुसलमानों के ही घर थे। हिन्दुओं के घर कुछ गिने चुने ही थे और वह हिन्दुओं को प्रायः दबाते तथा धमकाते रहते थे। उन दिनों वहां दुन्नी नामक पहलवान भी रहता था, जिसने लेखक को घेरने का कई बार षड्यंत्र किया। एक दिन लेखक टांगे में बैठ कर पहाड़गंज से कुतुब रोड जा रहा था कि उसका पड़ौसी एक मुसलमान रईस भी उसी टांगे में बैठा हुआ था। उसने लेखक से कहा :

"मुसलमान अब हिन्दुओं से निपटने के लिये पूर्णतया तैयार हैं। उनके पास गोला, बारूद तथा सभी प्रकार के शस्त्रों का अपार भंडार है। अच्छा हो आप दिल्ली छोड़ कर कहीं बाहर चले जावें।"

पड़ौसी की यह बातें सुन कर लेखक का सिर चकरा गया। वह कुतुब रोड से सीधा सरदार पटेल की कोठी नं० १ औरंगजेब रोड पर पहुंचा और उनको अपने पड़ौसी से हुए वार्तालाप का विवरण सुना कर यह आशंका प्रकट की कि दिल्ली में शीघ्र ही हिन्दू-मुस्लिम दंगा होने वाला है। सरदार ने उसी दिन सायंकाल के समय से दिल्ली में कर्फ्यू लगवा दिया।

दिल्ली का उक्त कर्फ्यू भी बड़ा विचित्र था। नाम को कर्फ्यू लगा हुआ था, किन्तु पुलिस का कहीं भी पता नहीं था। क्योंकि दिल्ली की पुलिस में प्रायः मुसलमान थे, जो कर्फ्यू लगते ही ड्यूटी छोड़ २ कर दंगाइयों से मिल गए थे।

दंगे के दिनों में पहाड़गंज के डाक्टर अब्दुल करीम तथा उसकी दोनों लड़कियों ने अपनी बंदूकों का खुलकर प्रयोग किया और अनेक हिन्दुओं को जान से मारा। करौलबाग में डाक्टर कुरेशी ने प्रसिद्ध सर्जन डाक्टर जोशी को जान से मार दिया। डाक्टर कुरेशी के गिरफ्तार हो जाने पर पाकिस्तान ने उसको बड़ी चालाकी से अन्य कैदियों के बदले में बदल कर उसको पाकिस्तान बुलवा कर उसकी जान बचाई तथा उसको अपने यहां उच्च पदाधिकारी बनाया।

यदि उन दिनों दिल्ली के दंगों को दबाने के लिये सरदार सेना न बुलाते तो दिल्ली में हिन्दुओं का नाम भी शेष न रहता। दिल्ली की काली मस्जिद के अंदर से सेना के आने के बाद भी कई दिन तक गोलियां चलती रहीं।

डाक्टर हुमायूं कबीर ने जो ग्रंथ मौलाना आज़ाद के नाम से लिखा है उसमें दिल्ली के दंगों में प्राप्त अस्त्रों की एक लघु प्रदर्शिनी का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि उसमें केवल कुछ छुरियां ही थीं। किन्तु उक्त ग्रंथ इन पंक्तियों के लेखक के अपने नेत्रों से देखे हुए वर्णन का खण्डन नहीं कर सकता।

धौला गूजरी

इस ग्रन्थ की समाप्ति के पश्चात् होडल निवासी श्री पं० बाल दिवाकर जी हंस से हम को निम्नलिखित विवरण मिला, जिसे इस अध्याय में प्रसंगविरुद्ध होते हुए भी यहां दिया जाता है :—

पलवल से पूर्व दिशा में गुलावद नामक ग्राम में सन् १९४७ के ज्येष्ठ दशहरा से अगले दिन एकादशी को एक भयंकर हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ, जिसमें ईंट, पत्थर, लाठियों तथा बल्लमों के अतिरिक्त बन्दूकों का भी खुलकर उपयोग किया गया। हिन्दुओं की संख्या अधिक होने पर भी उनके पास बन्दूकें आदि कम ही थीं, किन्तु मुसलमानों की संख्या कम होने पर भी उनके पास लगभग सौ बन्दूकें थीं। इससे हिन्दू लोग पराजित होकर भाग निकले। धौला गूजरी युद्ध करने वाले हिन्दुओं को जहां से लाकर जल पिला रही थी, उस स्थान पर भी कुछ युद्ध-रत युवक आकर छिप गए थे।

उक्त गूजरी हिन्दुओं को मैदान छोड़ते देख रोष में भर गई। उसने मकान की छत पर चढ़कर ऊपर से मुस्लिम बंदूकचियों के सरदार के सीने को लक्ष्य करके एक ईंट इतने वेग से मारी—जो मुस्लिम सरदार के सीने में लगी और उससे वह वहीं धराशायी हो कर तत्काल मर गया। फलत: शेष मुस्लिम बंदूकची भी भाग निकले। इस पर धौला गूजरी ने छिपे हुए हिन्दू युवकों को भागते हुओं का पीछा करने को ललकारा और स्वयं भी एक वहीं पड़ा भाला लेकर उनपर टूट पड़ी। फलत: एक और आक्रमक भी घायल होकर वहीं गिर पड़ा। हिन्दू युवकों में इस दृश्य ने साहस का संचार कर दिया और वह आक्रमण करने वालों पर टूट पड़े। आक्रमणकारी मुस्लिम भाग गये और ग्राम की रक्षा हो गई। किन्तु धौला गूजरी के भी बाएं कंधे के नीचे एक गोली लगी, जिसका तत्काल उपचार कर उसे बचा लिया गया।

भारत के १५ अगस्त १९४७ को स्वतन्त्र होने के पश्चात् समस्त इलाके वालों तथा जिला कांग्रेस कमेटी के अनुरोध पर सरदार पटेल अक्तूबर मास में पलवल होते हुए होडल पहुंचे। इस अवसर पर किये हुए एक विशेष समारोह में धौला गूजरी को एक रथ में बिठाकर सरदार के सम्मुख उपस्थित किया गया। सरदार ने उसकी वीरता की प्रशंसा करते हुए निम्नलिखित भाषण दिया:—

"जिस इलाके में धौला गूजरी जैसी वीर महिलाएं रहती हों, वहां के पुरुष मुझ से सहायता मांगें, यह ठीक नहीं लगता। आप झगड़े न करें, पर बहादुरी से रहें। मैं अपना कर्तव्य भली प्रकार समझता हूं। जो मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट देते रहे हैं और पाकिस्तान जाना चाहते हैं वे जायें। जो यहां रहना चाहते हैं उनकी

हम रक्षा करेंगे, किन्तु जो लोग गुण्डागिरी करते हैं उन्हें कुचल दिया जावेगा। यह न भूलें कि सरकार के हाथ बड़े लम्बे हैं।"

धौला गूजरी की सरदार द्वारा की हुई प्रशंसा से प्रोत्साहित होकर पंजाब सरकार ने उसे उसकी वीरता के उपलक्ष में एक सहस्र रुपया पारितोषिक दिया।

डा० राजेन्द्रप्रसाद का राष्ट्रपति-पद पर चुनाव

भारतीय संविधान परिषद् जब भारत का विधान बना रही थी तो इन पंक्तियों का लेखक स्थानीय दैनिक नव-भारत के प्रधान सम्पादक के रूप में उसकी पूरी कार्यवाही होने तक प्रेस-गैलरी में प्रायः उपस्थित रहा करता था। विधान निर्माण का कार्य समाप्त होने पर संविधान-परिषद् ने यह निश्चय किया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचन भी वही करेगी। इस समय भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्त्ती राजगोपालाचारी थे। अएतव नेहरू जी की इच्छा उन्हीं को प्रथम राष्ट्रपति बनाने की थी। इस समाचार से प्रेस गैलरी में भी बड़ी सनसनी फैल गयी और हम लोग समाचारों के लिये संविधान-परिषद् के मुख्य मुख्य सदस्यों के पास दौड़ धूप करने लगे। इन दिनों डा० राजेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध संविधान परिषद् के सदस्यों में इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा था कि वह अपने अत्यधिक सादे रहन सहन के ढंग के कारण राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद के लिये उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। इससे डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसे सात्विक व्यक्ति को भी क्षोभ हुआ और उन्होंने सरदार पटेल को—जो उन दिनों बम्बई में बीमार पड़े हुये थे—एक पत्र लिखा। सरदार इस पत्र को पढ़ कर द्रवित हो गये। बम्बई से दिल्ली आने पर उनसे कांग्रेस के अनेक ऐसे सदस्य मिलने आये, जो अपने को सरदार की अपेक्षा नेहरूजी के अधिक निकट समझते हुए भी डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को ही राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, किन्तु राजाजी के सम्बन्ध में नेहरूजी के विचार जान कर उनके सामने खुल कर नहीं बोल सकते थे। सरदार ने उनसे पूछा कि जब आप लोगों ने राजाजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने से इन्कार कर दिया तव क्या उन्हें राष्ट्रपति पद देना स्वीकार करेंगे। मिलने को आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर यही था कि निश्चय से राजाजी को राष्ट्रपति पद नहीं दिया जा सकता। इस बीच सरदार ने भी इसके ऊंच-नीच फलितार्थों का नेहरूजी के सम्मुख वर्णन करते हुए उनसे कहा कि "संविधान-परिषद् के अधिकांश सदस्य राजेन्द्र बाबू को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं।" इस पर नेहरूजी ने उनसे पूछा "तब क्यों न इस विषय पर सबकी सम्मति ले ली जावे ?" इस पर सरदार ने उत्तर दिया कि "यदि आपने राजाजी के पक्ष में खुलकर प्रचार किया

और बहुमत ने आपका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो लोकतन्त्र के सिद्धान्त की रक्षा के लिये आपको प्रधान मंत्री पद से त्याग-पत्र देना पड़ सकता है।"

इसके कुछ दिन पश्चात् सरदार पटेल ने कांग्रेस के कुछ सदस्यों को परामर्श के लिये अपने निवास स्थान नम्बर १ औरंगजेब रोड पर बुलाया। उन लोगों में सरदार तथा नेहरूजी के अतिरिक्त श्री महावीर त्यागी, श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्री खुरशेद लाल, श्री मोहन लाल सक्सेना तथा श्री जसपत राय कपूर भी थे। उन दिनों राजकुमारी अमृतकौर सरदार के यहां ही ठहरी हुईं थीं। अतएव इस मीटिंग में वह भी शामिल थीं। इस बैठक में न केवल खुलकर विचार-विमर्श किया गया, वरन् प्रत्येक सदस्य से पृथक्-पृथक् उसकी सम्मति पूछी गई। सदस्यों ने अपने-अपने विचार खुलकर प्रकट किये तथा यह भी कहा कि जब राजाजी को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया तो उन्हें राष्ट्रपति जैसा उच्चतम पद किस प्रकार दिया जा सकता है। इस पर स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रस्ताव किया "अच्छा हो कि अब इस मामले को नेहरू जी पर छोड़ दिया जाये। वह सब की सम्मति पर ध्यान देकर उचित निर्णय करेंगे।" इस पर श्री जसपतराय कपूर ने सुझाव दिया—"इस मामले को नेहरू जी तथा सरदार पटेल दोनों पर संयुक्त रूप से छोड़ा जावे।" इस प्रस्ताव को सभी ने पसन्द किया। अन्त में सरदार के साथ वार्तालाप के पश्चात् नेहरू जी को यह स्वीकार करना पड़ा कि बहुमत राजाजी के साथ न होकर डा० राजेन्द्रप्रसाद के साथ है। अतएव उन्होंने डा० राजेन्द्र प्रसाद के नामांकन पत्रपर प्रस्तावक के रूप में सरदार पटेल के साथ साथ स्वयं अपने भी हस्ताक्षर किये। इस प्रकार डा० राजेन्द्रप्रसाद निर्विरोध भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गये।

अपने यह संस्मरण लिख कर हम पाठकों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि यद्यपि कांग्रेस संगठन पर अपने पूर्ण नियंत्रण के कारण सरदार सारे कांग्रेस संगठन पर अपनी इच्छा अथवा सहमति को थोपने की क्षमता रखते थे, किन्तु उनका स्वभाव पूर्णतया जनतांत्रिक (Democrat) था। वास्तव में वह भारतीय राष्ट्र की आत्मा थे। इसलिये कांग्रेस के सारे संगठन को भी वही सम्मति होती थी, जो उनकी होती थी। दोनों के सोचने का ढंग एक था।

अपने इस अंतिम निवेदन में हमने सरदार की कार्य शैली का वर्णन किया है कि वह जनता से यदि अपना मनोनुकूल कार्य करवाते भी थे, तो उसके लिये इतनी अधिक पृष्ठभूमि तैयार कर दिया करते थे कि करने वाले यही समझते थे कि वह कार्य स्वयं उन्होंने ही किया है, सरदार ने तो केवल उसके करने की अनुमति दी है। देशी राज्यों के एकीकरण की घटना इसका एक अच्छा उदाहरण है। सरदार ने उन सबके राज्य ले लिये और फिर भी वह सरदार का अपने

ऊपर उपकार मानते हैं। उनके विरोधियों ने उन पर महात्मा गांधी के रक्षा प्रयत्नों में उदासीनता बरतने का मिथ्या आरोप भी लगाया, किन्तु वह एक सच्चे कर्मयोगी के समान विरोधियों की कोई चिन्ता किये बिना अपने अन्त समय तक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे; जैसा कि गीता में कहा गया है—

तस्मादक्तः सततं, कार्यं कर्म समाचर।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥

अध्याय ३ श्लोक १९

अभिनन्दन-गीत

मेरे भारत के लोह पुरुष।
सरदार तुम्हारा अभिनन्दन॥

तुमने देखा मां का बंधन।
था देखा शोषण उत्पीड़न॥
दीनों के नयनों का पानी।
असहायों का करुणा क्रन्दन॥
तुम मुक्ति युद्ध में गरज उठे।
सरदार तुम्हारा अभिनन्दन॥

स्वातन्त्र्य क्रान्ति से जगा दिया।
तुमने गुजरात बारडोली॥
हाथों में अपना शीष लिये।
चल पड़ीं जवानों की टोली॥
चल पड़ी विजय तुम चले जिधर।
सरदार तुम्हारा अभिनन्दन॥

यह मन्त्र तुम्हारा था जिसने।
सब भिन्न राज्य एकत्र किये॥
संगठित राष्ट्र के कर्णधार।
तुम बढ़ते ज्योति स्वतन्त्र लिये॥
तुम अमर तुम्हारी कीर्ति अमर।
सरदार तुम्हारा अभिनन्दन॥

अजंता की यात्रा

सरदार के ७५वें जन्म दिन के अवसर पर ३१ अक्तूबर १९४९ को दिल्ली में (बैठे हुए) श्रीमती लक्ष्मी देवदास गांधी अपने पुत्र सहित, सरदार पटेल की गोद में गौतम, कुमारी मणिबेन, श्री विद्याशंकर की पुत्री लीला (खड़े हुए) श्रीमती भानुमती, श्री देवदास गांधी, श्री विद्याशंकर तथा श्री डाह्या भाई

यह एक बहुत बड़ी कहानी है, जिसे हम सब जानते हैं और सारा देश भी जानता है। इसे इतिहास के अनेक पृष्ठों में लिखा जावेगा, जहां उन्हें नवीन भारत का निर्माता तथा एकीकरणकर्ता बतला कर उनके विषय में अन्य भी अनेक बातें लिखी जावेंगी। स्वतन्त्र्य-युद्ध की हमारी सेनाओं के एक महान् सेनापति के रूप में उनको हममें से अनेक व्यक्ति संभवतः सदा स्मरण करते रहेंगे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने संकटकाल में तथा विजय वेला में सदा ही ठोस और उचित परामर्श दिया। वह एक ऐसे मित्र, सहयोगी तथा साथी थे, जिनके ऊपर निर्विवाद रूप से शक्ति की ऐसी मीनार के रूप में भरोसा किया जा सकता था, जिसने हमारे संकट के दिनों में हमारे द्विविधा में पड़े हुए हृदयों को पुनः शक्ति प्रदान की।

जवाहरलाल नेहरू

परिशिष्ट—१

प्रान्तों में मिलने वाले राज्यों का विवरण

क्रम संख्या	मिलने की तारीख	राज्यों के नाम	राज्यों की संख्या	किस प्रान्त में मिले	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	जनसंख्या (हजारों में)
१.	१-१-१९४८	अजयगढ़ आदि	२३	उड़ीसा	२३,६३७	४,०४८
२.	१-१-१९४८	बस्तर, चंगभाकर आदि	१४	मध्य प्रान्त	३१,५९८	२,८२०
३.	१-२-१९४८	मकरई	१	मध्य प्रान्त	१५१	१४
४.	२३-२-१९४८	लोहा	१	पूर्वी पंजाब	२२६	२८
५.	२३-२-१९४८	बंगनापल्ले	१	मद्रास	२५९	४५
६.	३-३-१९४८	पुदुक्कोट्टाई	१	मद्रास	१,१८५	४,३८
७.	३-३-१९४८	दुजाना	१	पूर्वी पंजाब	९१	३१
८.	८-३-१९४८	अलक्कोट, औंध आदि	१७	बम्बई	७,६५१	१,६९३
९.	७-४-१९४८	पाटौदी	१	पूर्वी पंजाब	५३	२२
१०.	१०-६-१९४८	गुजरात के १७ पूर्णाधिकार वाले अनेक छोटे राज्य	१४४	बम्बई	१७,६८०	२,६२४
११.	१८-५-१९४८	सराय वेला, खारसवान	२	बिहार	६२३	२०५
१२.	६-११-१९४८	दांता	१	बम्बई	३४७	३१
१३.	१-१-१९४९	मयूरभंज	१	उड़ीसा	४,०३४	९११
१४.	५-१-१९४९	सिराही	१	बम्बई	६,९९४	२३९
१५.	१-३-१९४९	कोल्हापुर	१	बम्बई	३,२१९	१,०९२
१६.	१-५-१९४९	बड़ौदा	१	बम्बई	८,२३६	२,८५५
१७.	११-४-१९४९	संदूर	१	मद्रास	१५८	१६
१८.	१-८-१९४९	टिहरी गढ़वाल	१	उत्तर प्रदेश	४,५१६	३९७
१९.	५-१०-१९४९	बनारस	१	उत्तर प्रदेश	८६६	४५१
२०.	१-१२-१९४९	रामपुर	१	उत्तर प्रदेश	८९४	४७७
२१.	१-१-१९५०	कूच बिहार	१	पश्चिमी बंगाल	१,३२१	६,४१
		योग	२१६		१,०८,७३९	१९,१५८

परिशिष्ट—२

केन्द्र द्वारा शासित देशी राज्यों का विवरण

संख्या	मिलने की तिथि	राज्यों का नाम	राज्यों की संख्या	प्रदेश का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	जनसंख्या (हजारों में)
१.	१५-४-१९४८	पंजाब के पहाड़ी राज्य	२१	हिमाचल प्रदेश	१०,५००	९३५
२.	१-६-१९४८	कच्छ	१	कच्छ	८,४६१	५०१
३.	१२-१०-१९४८	बिलासपुर	१	बिलासपुर	४५३	११०
४.	१-६-१९४९	भोपाल	१	भोपाल	६,९२१	७८५
५.	१-१०-१९४९	त्रिपुरा	१	त्रिपुरा	५,०४९	५१३
६.	१५-१०-१९४९	मणिपुर	१	मणिपुर	८,६२०	५१२
७.	१-१०-१९५०	अजयगढ़, ओरछा, पन्ना आदि	३५	विंध्य प्रदेश	२४,६००	३,५६९
		योग	६१		६४,६०४	६,९२५

परिशिष्ट–३

संघों में मिल जाने वाले देशी राज्यों का विवरण

संख्या	मिलने की तिथि	राज्यों का नाम	राज्यों की संख्या	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	जनसंख्या (हज़ारों में)
१.	१५-२-१९४८	गुजरात तथा सौराष्ट्र के राज्य मय जूना-गढ़, मावनदर आदि के।	२२२	सौराष्ट्र	२१,०६२	३,५५६
२.	७-४-१९४८	जोधपुर, जयपुर, बीकानेर. जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बांसवाड़ा उदयपुर, अलवर आदि।	१८	राजस्थान	१,२८,४२४	१३,०८५
३.	१५-६-१९४८	देवास, ग्वालियर, इन्दौर आदि	२५	मध्य भारत	४६,७१०	७,१४१
४.	३०-८-१९४८	पटियाला, कपूरथला, नाभा, मालेर-कोटला, फरीदकोट, जीन्द, नालागढ़ और कलसिया।	८	पटियाला तथा पूर्वी राज्यसंघ	१०,०९९	३,४२४
५.	१-७-१९४९	ट्रावनकोर और कोचिन	२	ट्रावनकोर-कोचिन	९,१५५	७,४९३
		योग	२७५		२,१५,४५०	३४,६९९
		समस्त देशी राज्यों का योग	५५२		३,८७,८९३	६०,७८३

परिशिष्ट–४

(प्रोफ़ेसर हुमायूं कबीर के नाम लिखा हुआ श्री डाह्या भाई पटेल का पत्र तथा उसका उत्तर।)

29th May, 1959

Dear Prof. Kabir,

I have read carefully your book "Maulana Saheb's Autobiography". As it has given quite a different picture of events and of Maulana Saheb himself, I venture to ask a few questions, some of which have been put to me often. I hope you will answer.

I had the privilege of knowing Maulana Saheb for many years. He was one of the very few members of the Cabinet, who took the trouble of paying me a call at my house on his first visit to Bombay after my father's death. Many of the Ministers of Government at Delhi wanted to come to Bombay for the funeral, but were forbidden by the Prime Minister, who, I am told, even tried to prevent the President from coming to Bombay, but the latter would not listen and arrived in Bombay even before the Prime Minister.

The Maulana Saheb came and expressed the kindest sentiments and asked me to consider him as Sardar's brother. He said, they were brothers in spite of some difference of opinion; being Comrades-in-Arms for so many years. He asked me not to hesitate to ask if ever I needed his help. I had occasions to go to him twice. On both occasions he received me with kindness and he did help on the second occasion, even though his officers were not inclined to. The first was a personal matter and he was inclined to help, but the difficulty was the Prime Minister's opposition. The second was a few years later for an increase in the number of seats for the Engineering College at Anand.

My own recollection of the Maulana Saheb is of a kindly modest gentleman, not the impression of an assertive self-righteous person that the reading to your book would give the reader. He was always right, Gandhiji and even at times Jawaharlal wrong. He was the only infallible person !

Many of us would like to know if the manuscript of this publication bears Maulana Saheb's signature, particularly as the story of this book is so greatly different and contradictory to what Pyarelal, Mr. Gandhiji's Secretary, has recorded in

his book "The Last Phase" published last February, and also to what many of us know. I do not know whether the Maulana Saheb had seen this book, but if you will see pages 16, 716-18, 756. 717 and 772, you will see that Shri Pyarelalji's version is quite different and contradictory to yours. All the more reason to ask whether the manuscript bears Maulana Saheb's signature or whether he had seen Pyarelalji's Book.

An early reply will oblige.

Yours sincerely,
Dahyabhai V. Patel

Prof. Humayun Kabir,
Minister for Scientific Research & Cultural Affairs,
New Delhi.

No. 741/MSR and CA/59
Minister
Scientific Research and Cultural Affairs India

PERSONAL

New Delhi.
30th May, 1959.

Dear Shri Patel,

Will you please refer to your letter of 29th May 1959 ?

You have referred to Maulana Saheb's Autobiography as 'my' book. This is quite wrong, for I had nothing to do with the book except record what Maulana Saheb said. In fact, as I have said in the Preface, there are many letters on which I do not fully agree with the views expressed in the book. And I may tell you that one of them is Maulana's judgement about Sardar Patel. This fact was known to Maulana and is known to many of Maulana's friends.

Maulana Saheb was certainly a kindly and fine personality, but I think he also had the greatest confidence in his own judgement. Dr. Syed Mahmud has quoted from an Arab and a Persian Poet two verses which were Maulana Azad's favourites—

"We are of those for whom there is no middle station in life,
We occupy the pinnacles or we seek the depths of the grave."

****

"The taste of me may be insipid; but my worth is great;
I am a fruit grown before the season."

According to Dr. Syed Mahmud, "These two couplets typify the mind of Maulana Azad."

Maulana also said in his Tadhkirah "I have never tried to tread the foot-path of another, but have sought out a path for myself and left my foot-prints for those who come later. I wish to make it quite clear that in all my spiritual distress, I have not been obliged to anyone for guidance....I am in no obligation for guidance to any man's hand or tongue nor to my family nor to any syllabus of education."

I would refer you to another passage of Maulana's writings which Professor Faruqui has translated as follows:—

> "In religion, in literature, in politics, in the highways of thought, in whichever direction I had to go, I had to go alone. On no road could I travel with the caravans of the age.

Alas I went forth alone into the deserts of Love ! In whatever way I set my foot, I left the Age so far behind that when I turned round to look, I could see nothing, but the clouds of dust which my own speedy advance had raised:

> Not that I forsake my fellow-men
> But the caravan moves fast; how can I wait
> for those whose feet are blistered !
> My rapid advance raised blisters on my feet, but
> perhaps my feet also cleared the road of some of the
> encumbrances which littered it."

You have asked whether Maulana Azad had read Mr. Pyarelal's book. I do not know.

Regarding differences between Maulana Azad's version and Mr. Pyarelal's version, it is quite likely that different persons may have different interpretations of the same event.

You have asked whether the manuscript bears Maulana Saheb's signature. As I have said in the Preface, there was no manuscript, but only a typed script which was seen by Maulana Saheb and approved by him. Since he was thinking of publishing it himself and had carried on the negotiations with the publishers, the question of any signature of the typed script never arose.

Yours sincerely,
Sd. Humayun Kabir

Shri Dahyabhai V. Patel,
Member of Parliament,
68, Marine Drive,
Bombay-1.

परिशिष्ट—५

(इस ग्रन्थ की सहायता के विषय में श्री डाह्याभाई पटेल द्वारा श्री एस. के. पाटिल के नाम लिखा हुआ पत्र तथा उसका श्री बाबू भाई चिनाय द्वारा दिया हुआ उत्तर।)

18 Dr. Rajendra Prasad Rd.
New Delhi-1.
March 15, 1963.

Dear Shri Patil:

Acharya Chandra Shekhar Shastri had some years ago written the Life of Sardar, which he, is now revising and trying to bring it up-to-date. I have helped him to revise and collect more material for this book. I think it is well written and I like the style.

Will you be able to give him some grant and/or loan to help him to continue his work and to undertake printing the publication of the book.

With regards,

Yours sincerely,
Dahyabhai V. Patel.

Shri S.K. Patil,
Minister of Food & Agriculture,
Rajendra Prasad Road,
New Delhi.

BABUBHAI M. CHINAI
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Great Western Bldg.
130/132 Apollo St., Fort,
Bombay-1.
28th March, 1963.

My dear Dahyabhai,

Yours of 25th instant is to hand. Mr. H.M. Patel is not writing a Biography. Regarding your suggestion for Rs. 5000/- to Mr. Shastri, the same will be put before the next meeting of the Sardar Vallabhbhai Patel Memorial Trust, and I shall let you know their decision.

With kind regards,

Yours sincerely,
Babubhai M. Chinai

Shri Dahyabhai V. Patel, M.P.,
68, Marine Drive,
Bombay-1.

सहायतार्थ प्रयोग किये हुए ग्रन्थों की सूची

1. Menon, V.P.: Transfer of Power in India.
2. Menon, V.P.: The story of Integration of the Indian States.
3. Patel, G.I.: Vitthalbhai Patel—Life and Time.
4. Saggi, P.D.: Life and Work of Sardar.
5. Punjabi, K.L.: The Indomitable Sardar.
6. Kabir, Humayun: India wins Freedom.
7. Parikh, Narhari D.: Sardar Patel Vol. 1 & 2.
8. Shrinivasan, C.M.: The maker of modern India.
9. Sitaramayya, P.: History of Indian National Congress.
10. Jawaharlal Nehru's speeches 1949-57.
11. Pyarelal: Mahatma Gandhi, The last Phase.
12. A Bunch of old letters, written mostly to Jawaharlal Nehru, Asia Publishing House, 1958.
13. Vincent Sheean: Nehru, the year of power, N. Y., 1960.
14. Frank Moraes: Nehru, a biography, New York, 1956.
15. Michael Brecher: Nehru, A political Biography, London, 1959.
16. 'भारत की एकता का निर्माण' : Publications Division, 1954.
17. Sardar Patel: Rajhans publication, 1949.
18. Muhar Singh : The man of few words, Lahore, 1945.
19. Hira Lal Seth: The Iron Dictator, Lahore, 1943.
20. Sardar Patel on Indian Problems: Publi. Division, 1947.
21. Jysbee, Dr. S.: The Iron man of India, New Delhi.
22. Indian States memoranda: Govt. of India Publication.
23. White paper on Indian States: July 1948 Edition.
24. White paper on Indian States: 1950 Edition.
25. Upadhyaya, Hari Bhau: In contrast with Nehru.
26. Allen Campbell-Johnson: Mission with Mountbaten, London.
27. Chauwdhry Khaliquzzaman: Pathway to Pakistan, Lahore, 1961.
28. Mosley, Leonard: The Last days of the British Raj, London.
29. Pattabhi Sitaramaiyya: Feathers and Stones.
30. Patel, Dahyabhai V. : My first year in Parliament.
31. Patel, Dahyabhai V.: The Second Phase.
32. नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद : महादेव भाई की डायरी तीनों भाग १९५१
33. त्यागी, श्री महावीर : मेरी कौन सुनेगा, दिल्ली
34. Parliamentary Reports for 1646, 47 and 48.
35. Gandhiji's Correspondence with the Government, 1944-47

सरदार पटेल गाथा

बच्चो भारत में जन्मा था, ऐसा पुरुष महान।
लोग उसे कहते थे वह है, लोहे का इन्सान।
वल्लभ भाई बचपन से ही, थे निर्भय स्वाधीन।
कठिन समय में भी वे होते, कभी न थे नत दीन।
बाधाओं से भिड़ जाते थे, बन कर अटल पहाड़।
सदा किया करते थे निर्भय, खतरों से खिलवाड़।
लगी हुई थी तब भारत में, मुक्ति समर की आग।
गांधीजी का आवाहन सुन, देश उठा था जाग।
हुए प्रभावित गांधीजी से, बढ़े साथ निर्द्वन्द।
विश्वासी थे वे बापू के, बढ़ते साथ अमन्द।
सचमुच था सौभाग्य देश का, था अद्‌भुत संयोग।
वल्लभ भाई-जैसे का था गांधी को सहयोग।
छोड़ वकालत फूंका पथ-पथ, असहयोग का मन्त्र।
अंग्रेजों के सफल न होने, देते थे षड्यन्त्र।
रक्खेगा इतिहास बारडोली, सत्याग्रह याद।
नौकरशाही के जुल्मों की, रही न थी तादाद।
इस सत्याग्रह ने पाया था, देश व्यापि विस्तार।
बापू ने था उन्हें पुकारा, कह सब का सरदार।
मुक्त देश था नया जोश था मिला शुभ्र वरदान।
वल्लभ भाई ने भारत का, किया नवल निर्माण।
किया एक ने भारत का भू-अखिल कीर्ति विस्तार।
एक राष्ट्र का संयोजक था, शिल्पी कुशल अपार।
बिखरे राज्यों को मोती का, गूंथ मनोहर हार।
पूर्ण किया सदियों का सपना, धन्य-धन्य सरदार।

समयानुक्रमणिका

१८७५ ३१ अक्तूबर को बोरसद ताल्लुक के करमसद गांव में सरदार पटेल का जन्म ।

१८९३ झवेर बा के साथ विवाह ।

१८९७ नदियाद से हाई स्कूल परीक्षा पास की ।

१९०० गोधरा में मुखत्यारकारी आरम्भ की ।

१९०३ अप्रैल में आपकी पुत्री मणिबेन का जन्म ।

१९०५ २८ नवम्बर को आपके पुत्र डाह्या भाई का जन्म ।

१९०९ ११ जनवरी को आपकी पत्नी का बम्बई में स्वर्गवास ।

१९१० बैरिस्टरी पढ़ने के लिए इंगलैंड की यात्रा ।

१९१३ १३ फर्वरी को बैरिस्टरी पास कर वापिस बम्बई आये ।

१९१६ गांधी जी के साथ प्रथम सम्पर्क हुआ ।
—गुजरात सभा के प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ कांग्रेस में भाग लिया ।

१९१७ खेड़ा सत्याग्रह में प्रमुख भाग लिया ।
—गांधी जी के साथ घनिष्ठता बढ़ी ।
—अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के प्रथम बार सदस्य चुने गये, फिर उसकी सैनेटरी कमेटी के चेयरमैन चुने गये ।
—अहमदाबाद में प्लेग निवारण का कार्य किया ।

१९१८ अहमदाबाद में इंफ्लूएंजा निवारण का कार्य किया ।
—महात्मा गांधी के साथ सैनिक भर्ती का कार्य किया ।

१९१९ ६ अप्रैल को रौलट ऐक्ट के विरोध में अहमदाबाद में भारी जलूस निकाला तथा जब्त पुस्तकों को बेचा ।
—७ अप्रैल को सरकार से अनुमति लिए बिना सत्याग्रह पत्रिका निकाली ।

१९२० ११ जुलाई को गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करने का निश्चय किया ।

१९२१ गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष चुने गये ।
—सरदार ने सदा के लिए बैरिस्टरी छोड़ी ।
—दिसम्बर में सरदार अहमदाबाद में कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष चुने गये ।

१९२३ ९ सितम्बर को नागपुर के झंडा सत्याग्रह में विजय प्राप्त की।
—दिसम्बर में बोरसद सत्याग्रह में विजय प्राप्त की।

१९२४ अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन चुने गये।

१९२७ अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन दुबारा चुने गये।
—गुजरात के बाढ़ संकट का निवारण किया।

१९२८ फर्वरी २९ से बारडोली में करबन्दी सत्याग्रह आरम्भ किया।
—अक्तूबर में बारडोली संग्राम में पूर्ण विजय प्राप्त की।
—दिसम्बर में कलकत्ता कांग्रेस में अभूतपूर्व सम्मान मिला।

१९३० ७ मार्च को सरदार को भाषण बन्दी की आज्ञा भंग करने पर रास गांव में गिरफ्तार कर पौने चार मास जेल की सज़ा दी गई।
—२६ को पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष बनाये गये।
—१ अगस्त को बम्बई में जलूस निकालने के कारण और उसका नेतृत्व करने के कारण गिरफ्तार कर ३ मास जेल की सज़ा दी गई।
दिसम्बर में भाषणबन्दी की आज्ञा भंग करने पर ९ मास जेल की सज़ा।

१९३१ ब्रिटिश प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसार कांग्रेस कार्य समिति के २५ सदस्यों सहित २५ जनवरी को जेल से छूटे।
—मार्च में कराची में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की।

१९३२ ४ जनवरी को महात्मा गांधी सहित गिरफ्तार कर पूना की यरवडा जेल में नज़रबन्द किये गये।

१९३४ १४ जुलाई को सरदार को रोग के कारण जेल से छोड़ा गया।
—पटना में कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए।

१९३५ २३ मार्च से बोरसद में प्लेग निवारण का कार्य आरम्भ किया।

१९३६ ८ अप्रैल को कमला नेहरू अस्पताल के फंड के लिये दान देने की अपील निकाली।
—२ जुलाई को पुनर्गठित कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गये तथा कांग्रेस चुनाव संघर्ष का संचालन किया।

१९३८ बारडोली ताल्लुके के हरिपुरा गांव में कांग्रेस का सर्वप्रथम ग्रामीण वार्षिक अधिवेशन अत्यन्त कुशलतापूर्वक किया। उसके स्वागताध्यक्ष सरदार पटेल तथा अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस थे।

१९३८ २५ दिसम्बर को सरदार पटेल ने राजकोट के ठाकुर साहब के साथ आठ घंटे तक वार्तालाप करके प्रजा पक्ष की ओर से एक समझौता किया, जिसको ठाकुर साहिव द्वारा भंग किये जाने के कारण

१९३९ २५ जनवरी १९३९ को सरदार ने भी उसके भंग करने की घोषणा की।
—इसी से गांधीजी ने वहां ३ मार्च से ७ मार्च तक उपवास किया।

१९४० १८ नवम्बर को अहमदाबाद में युद्ध विरोधी नारे लगाने का संकल्प प्रकट करने के कारण व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन में गिरफ्तार कर नजरबन्द किया गया।

१९४१ सरदार के धन संग्रह करने की अपील के फलस्वरूप एकत्रित ५ लाख रुपये से २८ फर्वरी १९४१ को इलाहाबाद में कमला नेहरू अस्पताल आरंभ किया गया।

—२० अगस्त को उन्हें रोग के कारण छोड़ा गया।

१९४२ सरदार पटेल ने प्रयाग में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अप्रैल में प्रथम बार "अंग्रेज चले जाओ" प्रस्ताव उपस्थित किया।
—जुलाई में वर्धा में उक्त प्रस्ताव को दोहराया गया और यह निश्चय किया गया कि इस प्रस्ताव की सम्पुष्टि ८ अगस्त को बम्बई में की जावे।
—२६ जुलाई को सरदार ने अहमदाबाद में एक लाख जनसमूह के सामने "अंग्रेज चले जाओ" आन्दोलन के सम्बन्ध में भाषण दिया।
—२८ जुलाई को उन्होंने इस सम्बन्ध में अहमदाबाद में पत्रकार परिषद् बुलाई और पत्रकारों के अनेक प्रश्नों के उत्तर भी दिये।
—३० जुलाई को उन्होंने इस विषय में महिलाओं की एक सभा में तथा मसकटी मार्केट अहमदाबाद में अलग-अलग व्याख्यान दिये।
—२ अगस्त को उन्होंने बम्बई में चौपाटी पर 'अंग्रेज चले जाओ' आन्दोलन की भावी रूपरेखा पर प्रकाश डाला।
—७ अगस्त को उन्होंने बम्बई में कांग्रेस महासमिति की बैठक में महात्मा गांधी द्वारा उपस्थित किये हुए "अंग्रेज चले जाओ" प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक उत्तम भाषण दिया।
—९ अगस्त को उन्हें अन्य नेताओं सहित गिरफ्तार करके अहमदनगर किले में नज़रबन्द कर दिया गया।

१९४५ सरदार को अन्य नेताओं के साथ १५ जून को जेल से छोड़ दिया गया। इसके पश्चात् उन्होंने भारत के भावी राजनीतिक ढांचे के सम्बन्ध में

वाएसराय द्वारा बुलाई हुई शिमला कान्फ्रेंस में भाग लिया, जिसका कोई परिणाम न निकला ।

१९४६ २३ फर्वरी को सरदार ने भारतीय जल सेनाओं के विद्रोह को शान्त किया ।

—फिर उन्होंने वाएसराय लार्ड वावेल के अनुरोध पर भारत व्यापी डाक हड़ताल को तोड़ा ।

—५ मई से उन्होंने केबीनेट मिशन के तीनों सदस्यों के साथ शिमला में वार्तालाप किया ।

—२४ जून को सरदार से केबीनेट मिशन के तीनों मंत्रियों ने नई दिल्ली में निजी परामर्श किया ।

—२५ जून सोमवार को उन्होंने अपने २४ जून के निश्चय की स्वीकृति केबीनेट मिशन के तीनों मंत्रियों की उपस्थिति में भंगी कालोनी में महात्मा गांधी से ली ।

—२ सितम्बर को सरदार पटेल भारत की अन्तर्कालीन सरकार में गृह-सदस्य बने ।

—९ दिसम्बर को उन्होंने भारतीय संविधान परिषद् में प्रथम बार भाग लिया ।

१९४७ ४ अप्रैल को वल्लभ विद्या नगर में विट्ठल भाई महाविद्यालय का उद्घाटन किया ।

—५ जुलाई को सरदार की अध्यक्षता में देशी राज्यों की समस्या को सुलझाने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई ।

—५ जुलाई को ही सरदार ने देशी राज्यों के राजाओं के नाम एक अपील निकाली कि वह भारत के साथ यथापूर्व समझौतों तथा सम्मिलन समझौतों पर हस्ताक्षर करके १५ अगस्त तक भारत में सम्मिलित हो जाएं ।

—इस अपील के फलस्वरूप इन समझौतों पर हैदराबाद, काश्मीर तथा जूनागढ़ के अतिरिक्त १५ अगस्त तक सभी देशी राज्यों के राजाओं ने हस्ताक्षर कर दिये ।

—१५ अगस्त को सरदार नवीन भारतीय उपनिवेश के उप-प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री बने ।

—३० सितम्बर को सरदार ने अमृतसर में सिक्ख जत्थेदारों से यह अपील की कि वह भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम शरणार्थियों की हत्या न कर उन्हें सुरक्षित मार्ग दें ।

—९ नवम्बर को सरदार की आज्ञा से जूनागढ़ पर अधिकार किया गया।

—१३ नवम्बर को सरदार ने सोमनाथ के भग्न मंदिर का दौरा करके उसका पुनर्निर्माण कराने का संकल्प किया। उनकी इस योजना के अनुसार ११ मई १९५१ को नव-निर्मित सोमनाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा की गई।

—१४ नवम्बर को सरदार ने बिहार के नीलगिरि राज्य पर अधिकार करने की आज्ञा दी।

—नवम्बर में नेहरूजी ने सरदार के विरोध करने पर भी काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान की शिकायत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में की।

—१४ दिसम्बर को सरदार ने कटक जाकर उड़ीसा के २३ राज्यों के राजाओं को समझा बुझा कर उनसे उनके राज्यों के विलय पत्रों पर हस्ताक्षर कराये।

—१५ दिसम्बर को सरदार ने नागपुर जाकर छत्तीसगढ़ के अड़तीस राज्यों के राजाओं को समझा-बुझा कर उनसे उनके राज्यों के विलय पत्रों पर हस्ताक्षर कराये।

१९४८ महात्मा गांधी के उपवास के फलस्वरूप सरदार पटेल, नेहरू जी तथा उनकी सरकार ने १५ जनवरी को पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपये देने का निर्णय किया।

—२ फर्वरी को सरदार पटेल ने भारतीय संविधान परिषद् में एक वक्तव्य देते हुए गांधी जी की रक्षा के लिये किये हुए पुलिस प्रबन्धों का विवरण उपस्थित किया।

—१५ फर्वरी को सरदार पटेल ने भावनगर में सौराष्ट्र राज्य संघ का उद्घाटन करते हुए उसके राजप्रमुख नवानगर के जाम साहब को राजप्रमुख पद की शपथ दिलाई।

—२०, २१, २२ अप्रैल को सरदार पटेल ने ग्वालियर, इन्दौर आदि मध्य भारत के २५ राजाओं को समझा बुझा कर उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराके एक संघ राज्य बनाने की प्रेरणा की।

—२२ अप्रैल को उक्त २५ राजाओं ने सरदार की उपस्थिति में एक संघ राज्य बनाने के संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर उसका नाम 'ग्वालियर, इन्दौर तथा मालवा का संयुक्त राज्य संघ' रखा।

—मई के आरम्भ में सरदार ने अपनी रोगावस्था में ही अनेक धनपतियों

को मसूरी बुला कर गांधी स्मारक निधि के लिए धन संग्रह करने में उनका सहयोग लिया ।

——१५ जुलाई को सरदार ने पटियाला जा कर "पटियाला तथा पंजाब राज्य संघ" का निर्माण किया ।

——१३ सितम्बर को सरदार की आज्ञा से हैदराबाद पर चढ़ाई करके उस पर १७ सितम्बर को अधिकार किया गया ।

——३१ अक्तूबर को उनके ७४वें जन्मदिन पर उनको बम्बई में स्वर्णमय रत्नजटित अशोकस्तम्भ तथा ८०० तोले चांदी की गांधी जी की मूर्त्ति भेंट की गई ।

——३ नवम्बर को सरदार को नागपुर विश्वविद्यालय ने विधि के डाक्टर (डाक्टर आफ लाज) की सम्मानित उपाधि दी ।

——२५ नवम्बर को उन्हें काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने विधि के डाक्टर (डाक्टर आफ लाज) की सम्मानित उपाधि दी ।

——२६ नवम्बर को उनको इलाहाबाद में पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त के हाथों से 'पटेल अभिनन्दन ग्रन्थ' भेंट कराया गया ।

——२७ नवम्बर को प्रयाग विश्वविद्यालय ने उनको विधि के डाक्टर (डाक्टर आफ लाज) की सम्मानित उपाधि दी ।

——४ दिसम्बर को सरदार ने ग्वालियर में "ग्वालियर, इन्दौर तथा मालवा के राज्य संघ" की विधान सभा का उद्घाटन किया ।

१९४९　जनवरी में सरदार ने बड़ौदा जाकर वहां के राजा सर प्रतापसिंह गायकवाड़ को बड़ौदा राज्य को बम्बई राज्य में विलीन करने के लिए सहमत किया ।

——२४ फर्वरी को सरदार अपनी दक्षिण यात्रा के सिलसिले में जब हैदराबाद आये तो उनका स्वागत करने के लिए नीजाम हवाई अड्डे पर स्वयं आया । उसने अपने जीवन में प्रथम और अंतिम बार हाथ जोड़ कर सरदार का अभिवादन किया ।

——२६ फर्वरी को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने सरदार को विधि के डाक्टर (डाक्टर आफ लाज) की सम्मानित उपाधि दी ।

——३० मार्च को सरदार पटेल ने तीसरे राजस्थान संघ का उद्घाटन कर महाराजा जयपुर को उसके राजप्रमुख पद की शपथ दिलवाई ।

——१३ अप्रैल को त्रावनकोर तथा कोचिन राज्य के मंत्रियों से भेंट कर सरदार ने उन दोनों राज्यों का एक संघ बनवाया ।

—१५ मई को सरदार पटेल ने नई दिल्ली में नवाब रामपुर से उसके राज्य के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराये ।

—सरदार ने मई के अन्त में नवाब भोपाल को समझा बुझा कर उससे भोपाल के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा कर १ जून को भोपाल पर अधिकार कराया ।

—नेहरू जी के अमरीका, कनाडा, तथा इंग्लैंड की यात्रा पर जाने पर सरदार पटेल ७ अक्तूबर से १५ नवम्बर, १९४९ तक भारत के स्थानापन्न प्रधान मंत्री बने रहे ।

१९५० २८ अप्रैल को सरदार के अहमदाबाद आने पर उन्हें १५ लाख रुपये की थैली दी गई ।

—अप्रैल में सरदार ने भारत-पाकिस्तान व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये ।

—१९ मई को सरदार ने कुमारी अन्तरीप जाकर वहां कन्याकुमारी के मंदिर में पूजन किया ।

—२० से २२ सितम्बर तक सरदार ने नासिक कांग्रेस में भाग लिया ।

—१६ अक्तूबर को कांग्रेस अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन ने अपनी नई कार्य समिति में उनको पुनः कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया ।

—९ नवम्बर को उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में दयानन्द निर्वाण दिवस के उपलक्ष में भाषण करते हुए चीनी आक्रमण की भविष्य वाणी की ।

—१२ दिसम्बर, को सरदार पटेल वायु परिवर्तन के लिए बम्बई गये ।

—१५ दिसम्बर को प्रातःकाल ९-३७ पर उनका स्वर्गवास हुआ ।

—१५ दिसम्बर को ही भारतीय संसद् ने उनके सम्बन्ध में शोक प्रस्ताव पास किया ।

—१५ दिसम्बर को ही सायंकाल ७-४० मिनट पर भारत के राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, अनेक प्रान्तों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों तथा मंत्रियों की उपस्थिति में उनके एकमात्र पुत्र श्री डाह्याभाई पटेल ने उनकी चिता में अग्नि दी ।

नामानुक्रमणिका

———